आज़ादी का अमृत महोत्सव

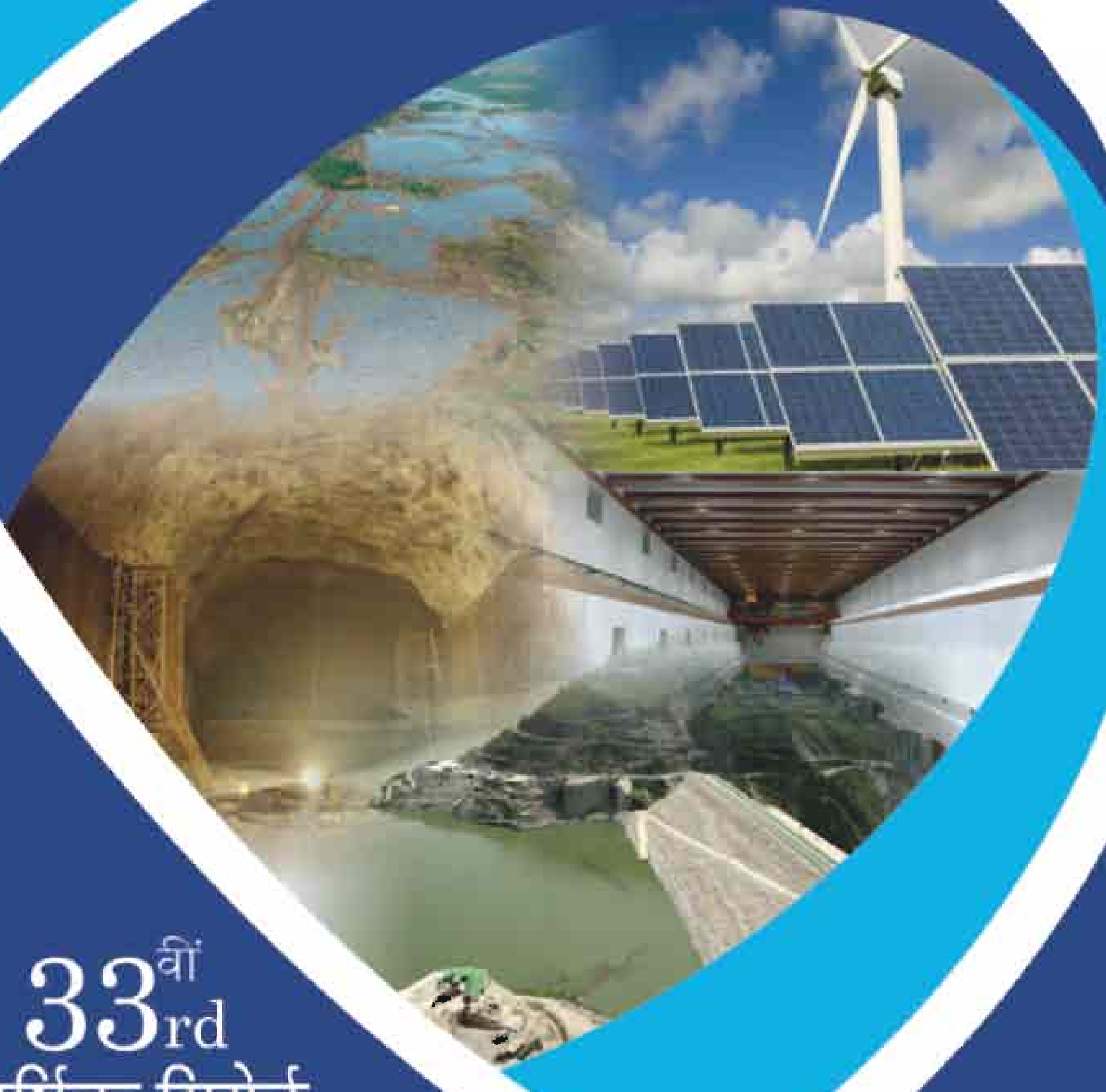

33वीं 33rd

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2020 -21

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अभिदृष्टि / VISION :

- पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ एक विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।
- A word class energy entity with commitment to environment and social values.

मिशन / MISSION :

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास तथा प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ सतत मूल्य आधारित संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना।

- To plan develop and operate energy resources efficiently.
- To adopt state of the art technologies.
- To achieve performace excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
- To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust
- To undertake rehabilitation and resettlement of project affected person with human face

मानीय कैबिनेट मंत्री (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय), भारत सरकार
के साथ 12.07.2021 को टीएचडीसीआईएल प्रबंधन की भेंट का दृश्य

15.09.2021 को टीएचडीसीआईएल की 33वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान निदेशक मंडल का ग्रुप फोटोग्राफ

विषय–सूची

कारपोरेट सिंहावलोकन

1. अब तक की यात्रा 6

2. निदेशक मंडल 11

3. कारपोरेट सूचना 12

4. प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं 13

4.1 प्रमुख वित्तीय निष्पादन चार्ट 15

5. अध्यक्ष का अभिभाषण 17

6. निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल 35

7. व्यवसाय सिंहावलोकन रिपोर्ट–सतत रीति में पूंजी सृजन–2020–21 38

7.1 वित्तीय पूंजी 39

7.2 सामाजिक और संबंध पूंजी 42

7.3 प्राकृतिक पूंजी 45

7.4 बौद्धिक पूंजी 50

7.5 मूर्त पूंजी 52

7.6 मानव पूंजी 55

निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21 और अनुलग्नक

1. निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21 58

1.1 वित्तीय निष्पादन 61

1.2 प्रचालनात्मक निष्पादन 62

1.3 वाणिज्यिक निष्पादन 63

1.4 निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति 65

1.5 सर्वेक्षण एवं निरीक्षणाधीन परियोजना 69

1.6 जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन 75

1.7 मानव संसाधन प्रबंधन 77

1.8 सतर्कता गतिविधियां 82

1.9 अभिस्वीकृति 89

2. अनुलग्नक–I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट 90

2.1 कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की धारणा का संक्षिप्त विवरण 90

2.2 निदेशक मंडल 91

2.3 निदेशक मंडल की समितियां 98

2.4 सामान्य निकाय की बैठकें 102

2.5 प्रकटीकरण 103

2.6 लाभांश का विवरण 105

2.7 शेयरधारिता का पैटर्न 106
2.8 सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर नीति) 106
2.9 शिकायत निवारण तंत्र 107
2.10 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता 108

3. अनुलग्नक–II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 111

3.1 कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा 111
3.2 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न मुख्य सीएसआर गतिविधियां 124

4. अनुलग्नक–III प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 128

4.1 उद्योग विश्लेषण और परिदृश्य 128
4.2 वित्तीय चर्चा और विश्लेषण 134
4.3 एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण 148

5. अनुलग्नक–IV ऊर्जा सरंक्षण के उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय 153

6. अनुलग्नक–V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 160

6.1 सामान्य प्रकटीकरण 160
6.2 प्रबंधन एवं प्रक्रिया प्रकटीकरण 167
6.3 सिद्धांत–वार निष्पादन प्रकटीकरण 172

7. अनुलग्नक–VI फार्म नं. एमजीटी–9 वार्षिक विवरणी का सार 202

8. अनुलग्नक–VII सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट 210

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण 2020–21

1. तुलन–पत्र 215
2. लाभ एवं हानि का विवरण 217
3. नकदी प्रवाह विवरण 219
4. कंपनी के बारे में जानकारी एवं विशिष्ट लेखांकन नीतियां 225
5. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 288
6. भारत के सी एंड ए जी की अभ्युक्तियां 301

समेकित वित्तीय विवरण 2020–21

1. तुलन–पत्र 303
2. लाभ एवं हानि का विवरण 305
3. नकदी प्रवाह विवरण 307
4. कंपनी के बारे में जानकारी एवं विशिष्ट लेखांकन नीतियां 313
5. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 380
6. भारत के सी एंड ए जी की अभ्युक्तियां 391

कारपोरेट सिंहावलोकन

अब तक की यात्रा

निदेशक मंडल

संदर्भ सूचना

प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स

अध्यक्ष का अभिभाषण

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

अब तक की यात्रा

श्री जे. सी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

12.07.1988 से 21.02.1989 तक

1988

टिहरी हाइड्रो कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) को टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स (2400 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया।

श्री एस.पी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

22.02.1989 से 21.02.1994 तक

1989

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना कार्य टीएचडीसी लिमिटेड को हस्तांतरित किए।

1990

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सम्पूर्ण टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्पलेक्स को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की।
भागीरथी नदी को दायें किनारे की डाइवर्जन सुरंगो के माध्यम से पथांतरित किया गया।
अपस्ट्रीम कॉफर डैम टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट की फाउंडेशन सीट को ईएल 615.0 (नदी तल स्तर से 15 मीटर ऊपर) तक उठाया गया।

1991

टिहरी एचपीपी मुख्य डैम की फाउंडेशन सीट को ईएल +615.0 (नदी तल स्तर से 15 मीटर ऊपर) तक उठाया गया।

1994

भारत सरकार ने टिहरी एचपीपी के लिए निवेश अनुमोदन दिया।
3 पैकेजों के लिए विद्युत गृह के सिविल कार्य एवार्ड किए गए।

श्री के. एल. जुत्शी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

08.06.1994 से 31.03.1996 तक

1995
टिहरी एचपीपी के कॉफर डैम का निर्माण शुरू हुआ और 650 मीटर तक उठाया गया।

श्री एम. एल. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

06.09.1996 से 31.07.2004 तक

1996
टिहरी एचपीपी पावर हाउस का सिविल निर्माण कार्य शुरू हुआ।
टिहरी एचपीपी स्पिलवे स्ट्रिपिंग का कार्य एवार्ड किया गया और शुरू हुआ

1997
टिहरी एचपीपी के मुख्य डैम के लिए संविदा एवार्ड की गई और कार्य शुरू हुआ।
टिहरी एचपीपी पावर हाउस, इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरण और नियंत्रण प्रणालियों के लिए संविदा एवार्ड की गई।

1999
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा आयुक्त (गढ़वाल) को पुराने टिहरी नगर से सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को शहरी पुनर्वास के लिए नवनिर्मित नए टिहरी नगर में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए।

2000
भारत सरकार ने 400 मेगावाट कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए निवेश अनुमोदन दिया।

2001
टिहरी एचपीपी की डायवर्जन टनल टी–3 और टी–4 को बंद करने का कार्य शुरू किया गया और पूरा किया गया।

2002

कोटेश्वर एचईपी के लिए सिविल संविदा एवार्ड की गई।

2004

टिहरी एचपीपी की डायवर्जन टनल टी–1 को प्लग किया गया।

श्री आर. के. शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

22.10.2004 से 28.02.2007 तक

2005

टिहरी डैम को पूरी ऊंचाई तक उठाया गया। डायवर्जन टनल टी–2 के गेटों को बंद किया गया।
जलाशय भरना शुरू हुआ।

2006

टिहरी चरण–I की यूनिट–III और यूनिट–IV का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ।

श्री आर. एस. टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

08.03.2007 से 30.11.2016 तक

2007

टिहरी चरण–I की यूनिट–I और यूनिट–II का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ।

2008 – भारत सरकार द्वारा 444 मेगावाट वीपीएचईपी का निवेश अनुमोदन किया गया।

2009 – अक्टूबर, 2009 में टीएचडीसीआईएल को 'मिनी रत्न–श्रेणी–I' का दर्जा दिया गया। कारपोरेशन का नाम बदलकर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड हो गया।

2010 – टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को अनुसूची–ए का दर्जा दिया गया।

2011 – कोटेश्वर एचईपी की दो यूनिटें चालू की गईं। भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल में टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई।

2012 – कोटेश्वर विद्युत संयंत्र (400 मेगावाट) पूर्ण रूप से कार्यशील हो गया।

2013 – दिसम्बर, 2013 में वन–भूमि को वीपीएचईपी के लिए डायवर्ट किया गया। टिहरी एचपीपी ने केदारनाथ में आई बाढ़ से हुई तबाही को कम किया और ऋषिकेश एवं हरिद्वार पावन नगरों को बचाया।

2014 – वीपीएचईपी (444 मेगावाट) के सिविल एवं एचएम एवं ईएम कार्य एवार्ड किए गए।

2016 – ढुकवां एसएचईपी (24 मेगावाट) के सिविल कार्य एवार्ड किए गए। पाटन, गुजरात में 50 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र चालू किया गया।

श्री डी वी सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01.12.2016 से 30.04.2021 तक

2017

देवभूमि द्वारका, गुजरात में 63 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र चालू किया गया।

2019

भारत सरकार ने बुलंदशहर जिले में खुर्जा एसटीपीपी (2 x 660 मेगावाट) और उससे संबद्ध अमेलिया कोयला खान को निवेश अनुमोदन प्रदान किया।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मार्च, 2019 को खुर्जा एसटीपीपी की आधारशिला रखी।

खुर्जा एसटीपीपी का मुख्य संयंत्र पैकेज एवार्ड किया गया और कार्य शुरु किया गया।

2020

24 मेगावाट ढुकवां एसएचपी चालू हो गया और वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया।

भारत सरकार द्वारा एनटीपीसी लि. को टीएचडीसीआईएल में अपनी 75% इक्विटी की रणनीतिक बिक्री की।

उत्तर प्रदेश राज्य मे 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्कों के विकास के लिए टस्को और यूपीएनईडीए के बीच टीयूएससीओ लिमिटेड नामक संयुक्त उपक्रम का गठन किया गया।

2021

खुर्जा एसटीपीपी के बॉयलर–I और बॉयलर–II का उत्पादन शुरू किया गया।

केरल के कासरगोड़ जिले में 50 मेगावाट की सौर परियोजना चालू की गई और 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई।

टीएचडीसीआईएल ने 30 जुलाई, 2019 को अपने सभी प्रचालनरत विद्युत संयंत्रों से 50 बीयू विद्युत उत्पादन की उपलब्धि प्राप्त की।
31 मार्च, 2021 तक अपने सभी प्रचालनरत विद्युत संयंत्रों से टीएचडीसीआईएल द्वारा किया गया कुल विद्युत उत्पादन 57704.4 एमयू है।

निदेशक मंडल

श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(06.08.2021 से)

श्री विजय गोयल
निदेशक (कार्मिक)

श्री जे. बेहेरा
निदेशक (वित्त)

श्री जीतेश जॉन
आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
(21.06.2021 से)

श्री अनिल कुमार गौतम
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड

श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड

श्री टी. वेंकेटेश
अपर मुख्य सचिव (सिंचाई, जल संसाधन
एवं अपशिष्ट भूमि विभाग)
उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती

श्री डी. वी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(30.04.2021 तक)

श्री राजपाल
वरिष्ठ सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार के नामिती निदेशक
(30.04.2021 तक)

श्री आनंद कुमार गुप्ता
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड
(31.07.2020 तक)

कारपोरेट सूचनाएं	
पंजीकृत कार्यालय टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड सीआईएन : U45203UR1988GOI009822 भागीरथी भवन (टॉप टेरेस) भागीरथी पुरम, टिहरी गढ़वाल–249001 संपर्क नं. (0135) 2473403, 2439309 वेबसाइट : www.thdc.co.in	***कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी*** सुश्री रश्मि शर्मा गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201 संपर्क नं. (0135) 2439309 एवं 2473403 वेबसाइट : rashmi@ thdc.co.in
कारपोरेट कार्यालय टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 उत्तराखंड	***रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट*** केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31–32 गाछीबाउली, फाइनेन्सियल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद–500032 दूरभाष :. +91–40–33211000 ई मेल : venu.sp@kfintech.com
सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स अजय सेठ, 1 मैत्री विहार, बाईपास रोड, हरिद्वार	***लागत लेखापरीक्षक*** मेसर्स के.जी.गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली मेसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली मेसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
डिबेंचर ट्रस्टी विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामाह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024	***सूचीबद्ध बांड*** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
डिपोजिटरी ***सेंट्रल सर्विसेज (इंडिया) लि.*** ***पंजीकृत कार्यालय:*** 17 वां तल, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई–400001 ***नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि.*** ट्रेड वर्ल्ड, एविंग चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल, मुंबई–400013	***बैंकर्स/वित्तीय संस्थाएं*** 1. पंजाब नेशनल बैंक 2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3. विश्व बैंक 4. जम्मू एंड कश्मीर बैंक 5. पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया 6. रूरल इलेक्ट्रीफीकेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. 7. एक्सिस बैंक 8. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 9. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी • केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि.) • इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लि. • आईसीआरए लिमिटेड	***सचिवालयी लेखापरीक्षक*** मेसर्स पी.एस.आर. मूर्ति 178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेज–1, नई दिल्ली – 110017

प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स

(राशि करोड़ रू. में)

			2020-21	2019-20	2018-19*	2017-18	2016-17
क.		***राजस्व***					
	1	प्रचालन से राजस्व	1796.01	2123.10	2449.26	2185.10	2094.74
	2	अन्य आय	705.92	282.26	394.09	38.09	141.23
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	18.80	63.74	69.15	68.22	
	4	घटाएः सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	18.80	63.74	69.15	68.22	
	5	***कुल राजस्व***	**2501.93**	**2405.36**	**2843.35**	**2223.19**	**2235.97**
ख.		***व्यय***					
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	388.78	360.30	411.83	306.49	254.25
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	230.33	239.33	209.78	203.42	195.13
	8	प्रावधान	0.25	0.00	49.85	0.00	4.45
	9	असाधारण मदें	35.65	0.00	0.00	0.00	161.46
	10	***कुल व्यय***	**655.01**	**599.63**	**671.46**	**509.91**	**615.29**
	11	***सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–10)***	**1846.92**	**1805.73**	**2171.89**	**1713.28**	**1620.68**
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	317.33	576.10	555.00	574.52	525.57
	13	***सकल लाभ (पीबीआईटी) (11–12)***	**1529.59**	**1229.63**	**1616.89**	**1138.76**	**1095.11**
	14	वित्त लागत	181.93	240.34	199.54	227.87	291.06
	15	***विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13–14)***	**1347.66**	**989.29**	**1417.35**	**910.89**	**804.05**
	16	आय कर	229.60	163.12	306.59	190.56	171.54
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	68.48	-53.02	-66.76	-50.83	-81.42
	18	***विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन से पूर्व अवधि के लिए लाभ (15–16–17)***	**1049.58**	**879.19**	**1177.52**	**771.16**	**713.93**
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	42.83	41.06	12.39		
	20	***सतत परिचालन अवधि के लिए लाभ (18+19)***	**1092.41**	**920.25**	**1189.91**	**771.16**	**713.93**
	21	अन्य व्यापक आय	0.23	-12.47	-2.99	5.63	-4.14
	22	ओसीआई पर आय कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	0.08	-4.35	-1.04	1.95	1.44
	23	***कुल व्यापक आय (20+21+22)***	**1092.72**	**903.43**	**1185.88**	**778.74**	**711.23**
ग.		***परिसंपत्तियां***					
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (निवल ब्लॉक)	6562.21	6592.19	6830.99	7328.01	7806.87
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6414.30	4989.80	4544.34	3950.27	3035.29
	26	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	410.50	380.71	0.00	0.00	0.00
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	39.25	38.90	40.79	44.83	46.94
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	871.31	939.71	891.04	825.32	709.41
	29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	32.49	24.55	67.85	0.00	0.00
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	1906.22	1582.89	1209.42	715.47	937.95
	31	चालू परिसंपत्तियां	2303.52	2813.65	1905.59	1596.40	2271.49

	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	169.72	186.22	87.81		
	33	सहायक कंपनी में निवेश	7.40				
	34	कुल परिसंपत्तियां	18716.92	17548.62	15577.83	14460.30	14807.95
घ.		***देयताएं***					
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	3665.88	3665.88	3654.88	3627.43	3598.88
		अन्य इक्विटी					
	36	आरक्षित और अधिशेष	6251.55	5866.59	5119.06	4883.84	4501.93
	37	सिंचाई घटक के लिए अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	834.58
	38	कुल अन्य इक्विटी	6251.55	5866.59	5119.06	4883.84	5336.51
	39	दीर्घ अवधि उधारियां	5023.41	3956.96	2652.01	2415.30	4041.85
	40	दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	1015.01	1038.20	1325.17	1354.78	613.95
	41	लघु अवधि उधारियां	700.00	1115.06	1218.40	646.63	387.24
	42	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	537.57	600.77	544.37	1012.83	375.03
	43	अन्य चालू देयताएं	973.27	686.53	493.97	456.36	454.49
	44	विनियामक आस्थागित लेखा क्रेडिट शेष	550.23	618.63	569.97	63.13	
	45	कुल देनदारियां	18716.92	17548.62	15577.83	14460.30	14807.95
	46	निवल मूल्य (35+36)	9917.43	9532.47	8773.94	8511.27	8100.81
	47	नियोजित पूंजी (46+39–25)	8526.54	8499.63	6881.61	6976.30	9107.37
	48	लाभांश	707.75	126.00	423.12	335.21	303.89
	49	मूल्य वर्धित (11)	1846.92	1805.73	2171.89	1713.28	1620.68
	50	कर्मचारियों की संख्या	1736.00	1835.00	1891.00	1922.00	1936.00
	51	शेयरों की संख्या (करोड़ में) (प्रति शेयर 1000/– रू. के सम मूल्य पर)	3.67	3.67	3.65	3.63	3.60
ङ.		***अनुपात***					
		प्रति शेयर अर्जन (रू. 1000/– शेयर की कीमत) जिसमें विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निबल संचालन शामिल है। (रू. में)	297.99	251.22	326.35	213.14	198.85
		चालू अनुपात {31/(41+42+43)}	1.04	1.17	0.84	0.75	1.87
		इक्विटी पर ऋण (39+42/46)	0.56	0.48	0.36	0.40	0.55
		नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) (13/47)	17.94%	14.47%	23.50%	16.32%	12.02%
		निवल मूल्य पर प्रतिफल (23/46)	11.02%	9.48%	13.52%	9.15%	8.78%
		प्रचालनों से राजस्व को कुल व्यापक आय (23/1)	60.84%	42.55%	48.42%	35.64%	33.95%
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू. में) (46/51)	2705.33	2600.32	2400.61	2346.36	2250.93
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (करोड़ रू. में) (49/50)	1.06	0.98	1.15	0.89	0.84
		प्रति शेयर लाभांश (रू. में) (प्रत्येक 1000 रू. का शेयर)	193.06	34.37	115.77	92.41	84.44
च.		***प्रचालन निष्पादन***					
		उत्पादन (एम. यू.)	4565.36	4526.85	4687.18	4540.94	4430.00

*नोटः आंकड़े पुनः कथित वित्तीय विवरणों के आधार पर है ।

4.1 प्रमुख वित्तीय निष्पादन चार्ट

(राशि करोड़ रू. में)

निवल मूल्य की तुलना में उधारियां

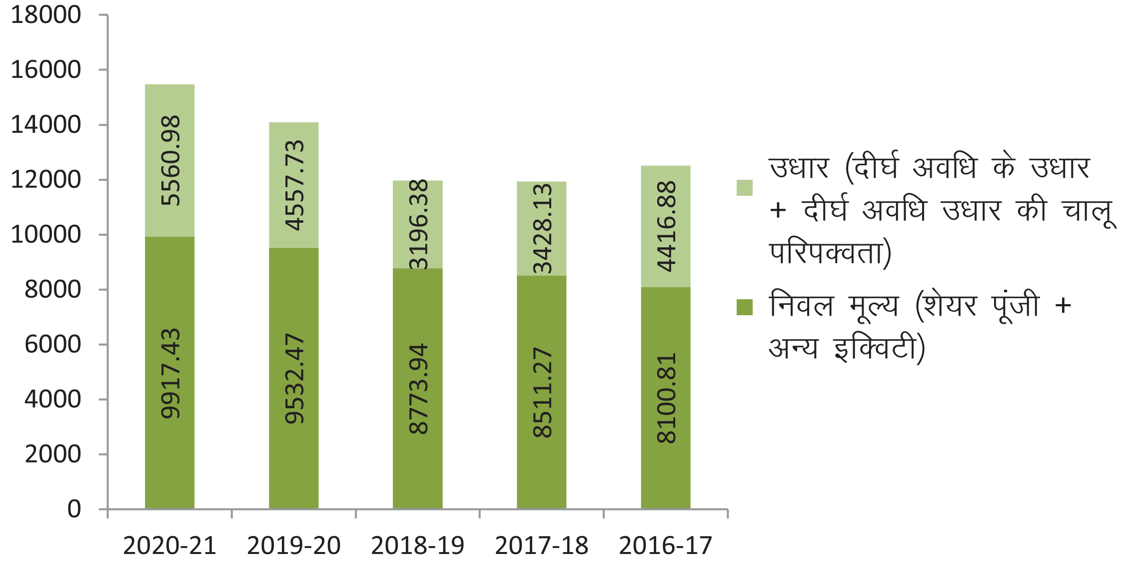

(राशि करोड़ रू. में)

कुल राजस्व की तुलना में कुल व्यापक आय

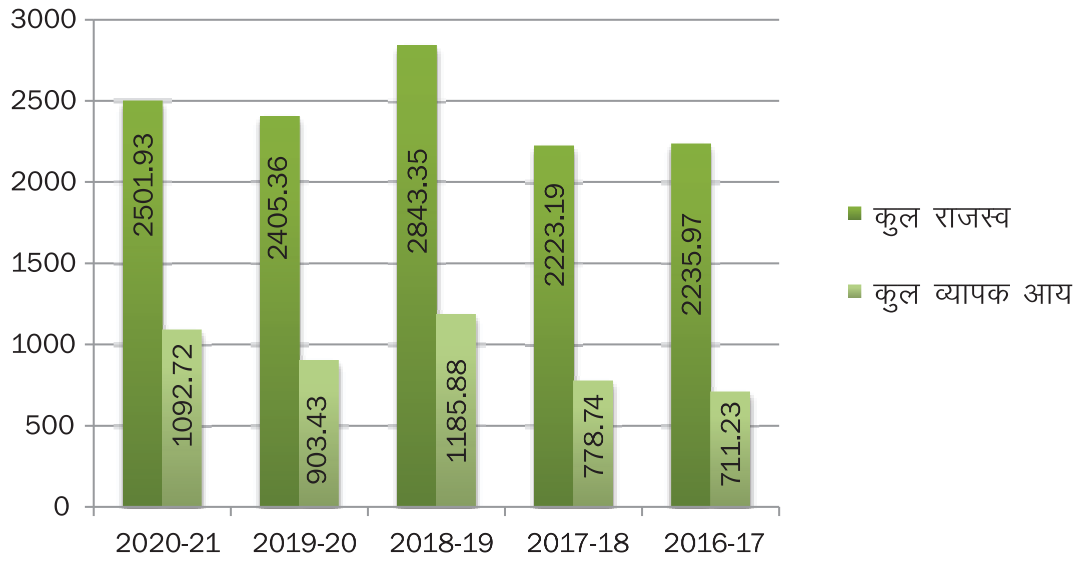

प्रदत्त लाभांश

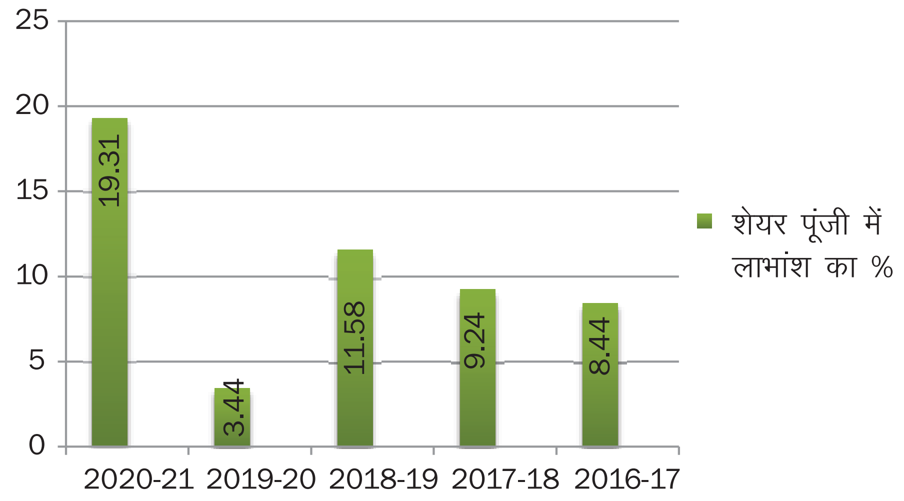

प्रचालनों से राजस्व का ब्यौरा

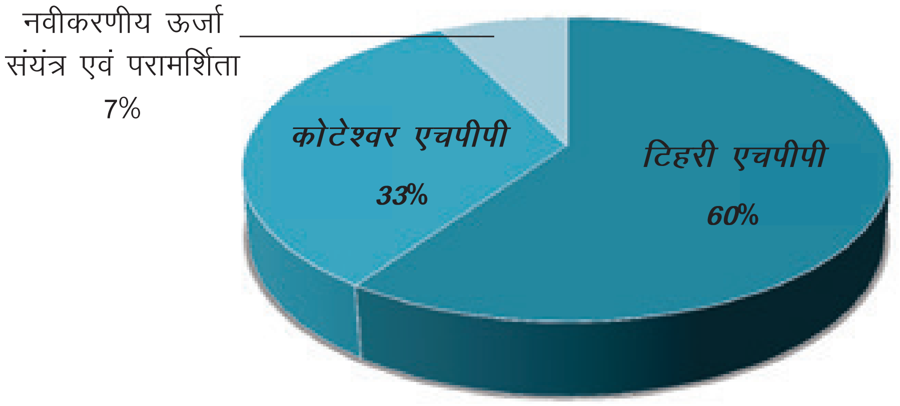

राजस्व का संवितरण

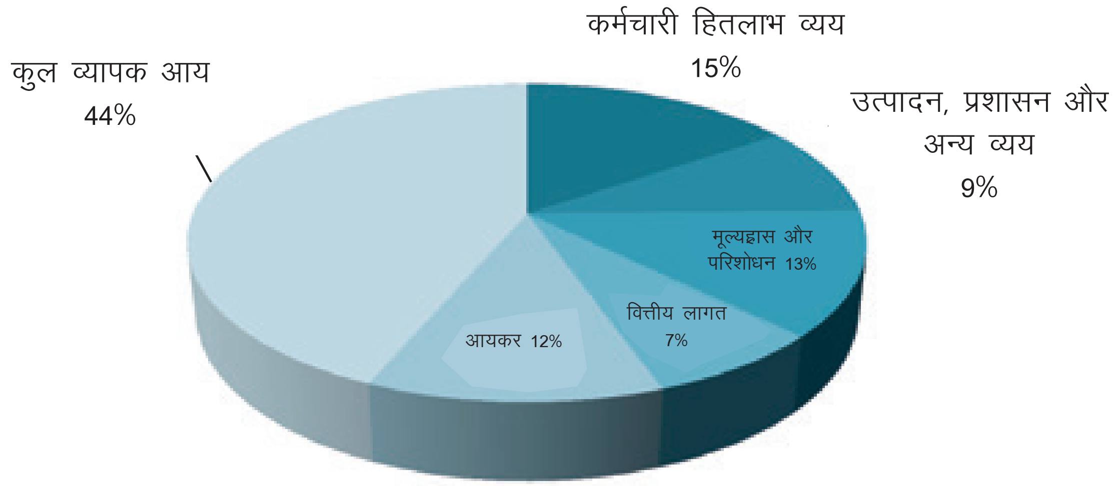

अध्यक्ष का अभिभाषण 2020–21

प्रिय अंशधारकगण,

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष रखना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे, वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ वर्ष 2020–21 के लिए लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं इन्हें पढ़ने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।

वर्ष 2020 की शुरुआत से, पूरे विश्व में कोविड–19 महामारी के कारण मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने न केवल प्रकोप से निपटने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं, बल्कि प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए अपने सभी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया है। आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक होने के नाते, भारत सरकार के कोविड–19 के प्रति अभियान का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। कंपनी ग्राहकों, व्यावसायिक भागीदारों और अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ–साथ कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

हमने महामारी से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की सुरक्षा और स्वच्छता परिपाटियों, पुनःसंरेखित सक्रियता और परिवर्धित डिजिटल कार्य क्षमताओं को अपनाया है। विद्युत को इस कठिन समय के दौरान एक आवश्यक सेवा के रूप में अभिचिह्नित किये जाने के परिणामस्वरूप, हमने अपने सभी स्थानों पर अपेक्षित संयंत्र उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए ऐसी गंभीर परिस्थितियों में राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास किया है।

कोविड–19 की स्थिति के बावजूद, आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए, आपकी कंपनी के प्रचालन संयंत्र सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपकी कंपनी का बोर्ड प्रचालन संयंत्रों के प्रदर्शन के बारे में बेहद

सतर्क रहा है और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रिमोट वर्क लागू करने, उत्पादन, निर्माण और सेवा से संबंधित कार्यों में सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे सुरक्षा उपाओं के साथ, हम एक निगम के रूप में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, बिजली, सेवाओं की स्थिर आपूर्ति प्रदान करने और हमारे ग्राहकों को सहायता करने के लिए अपेक्षित व्यवसाय को जारी रखेंगे।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब, सरकार और विभिन्न कंपनियां जिस तरह की पहल कर रही हैं, उससे यह उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। भारत बीएनईएफ जलवायु क्षेत्र रिपोर्ट, जिसमें 108 देशों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा के लिए निवेश परिस्थितियों का आकलन किया जाता है, में दूसरे स्थान पर है। आपकी कंपनी ने इस क्षेत्र में भी प्रगति की है और सरकार की नीतिगत पहलों का लाभ उठाते हुए विभिन्न सरकारी पहलुओं जैसे प्राकृतिक आपदा में सहायता करना, रेपो दर को कम करना, सौर संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण को एक आवश्यक सेवा बनाना, सौर निविदाओं के लिए टैरिफ सीमा को हटाना जैसे प्रतिमान स्थापित कर रही है, अन्य स्कीमों के साथ–साथ पीएलआई स्कीम स्पष्ट रूप से सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते सहयोग को इंगित करती है।

मार्च–19 में भारत सरकार द्वारा नई जलविद्युत नीति का कार्यान्वयन निश्चित रूप से जलविद्युत क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को फिर से वर्गीकृत करने का सरकार का निर्णय, टैरिफ युक्तिकरण उपाय, एचपीओ की अलग इकाई के रूप में अधिसूचना, अवसंरचना और बाढ़ नियंत्रण को सक्षम करने के लिए बजटीय सहायता इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा। यह कदम जलविद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में भी काफी मददगार साबित होगा।

कोविड–19 व्यवधानों के बावजूद वर्ष 2021–22 के लिए विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य उज्ज्वल दिख रहा है। यह क्षेत्र न केवल कोविड–19 व्यवधानों से पूरी तरह से उबर चुका है, बल्कि वर्तमान में बिजली की मांग में लगातार वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ निरंतर अग्रसर है। वर्ष 2020–21 में संघ राज्य क्षेत्रों में डिस्कॉमों के निजीकरण की घोषणा, वितरण यूटिलिटी में विशेष चलनिधि निवेश और उपभोक्ता अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे अनेक प्रभावशाली उपाय किए गए, जो विद्युत क्षेत्र में अधिक संरचनात्मक सुधारों के लिए मंच तैयार करते हैं। यह प्रवृत्ति वर्ष 2021–22 में बनी रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2020–21 में निष्पादन विशेषताएं

- मुझे यह घोषणा करते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि कोविड–19 संबंधी चुनौतियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020–21 व्यवसाय वृद्धि और लाभप्रदता के मामले में संतोषजनक रहा। यह हमें आने वाले वर्षों में उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर आत्मविश्वास देता है।

- आपकी कंपनी ने 31.12.2020 को केरल के कासरगोड में अपनी पहली 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना चालू की और इसे 19.02.2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। सौर ऊर्जा की इस 50 मेगावाट क्षमता को शामिल करने के बाद, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की कुल प्रचालन क्षमता अब बढ़कर 1587 मेगावाट हो गई है।

- ऊर्जा उत्पादन के अपने प्रमुख प्रचालन खंड में, सभी प्रचालन संयंत्रों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 20–21 में, सभी संयंत्रों से प्राप्त कुल संचयी उत्पादन 4565.38 एमयू था, जो 4530 एमयू के एमओयू लक्ष्य से अधिक था।

- टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए 86.01% और 70.13% का संयंत्र उपलब्धता घटक (पीएएफ) प्राप्त किया गया था, जबकि मानक आंकड़े 80% और 68% थे।

- टिहरी एचपीपी ने 86.010% पीएएफ प्राप्त किया जो पिछले पांच वर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। टिहरी एचपीपी और

कोटेश्वर एचईपी द्वारा हासिल किया गया संचयी पीएएफ 81.47% है यह भी पिछले पांच वर्षों में सर्वोत्तम है।

- टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी का फोर्स्ड आउटेज क्रमशः 0.03% और 0.01% तक सीमित है, जो नगण्य है और संयंत्रों की उच्च विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह संयंत्रों/उपकरणों के सर्वोत्तम अनुरक्षण का प्रमाण भी है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए परिष्कृत कैपेक्स लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सरकार द्वारा काफी प्रोत्साहन दिया गया था। आपकी कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में कैपेक्स का काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी दिया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2011 की पहली तिमाही के बाद कोविड–19 से संबंधित व्यवधानों के कारण केवल 3.8% कैपेक्स की उपलब्धि के बावजूद, टीएचडीसी की टीम के त्वरित प्रयासों से, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2011 में कैपेक्स लक्ष्य का 109% हासिल किया।
- गृह मंत्रालय के दिनांक 15.04.2020 के आदेश के अनुसरण में कार्य की अनुमति प्राप्त हो जाने के पहले दिन से टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं में सभी निर्माण कार्य शुरू हुए, जिसमें सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों और कोविड–19 के प्रति सावधानियों का पालन किया गया था।
- वर्ष 2020–21 के दौरान सकल बिक्री 1796.01 करोड़ रुपये है। वर्ष 2020–21 के दौरान डिस्कॉमों से कुल वसूली 100% अर्थात 3190.90 करोड़ रूपये है। निवल लाभ 1092.72 करोड़ रुपये है।
- आपकी कंपनी ने 22 जुलाई 2020 और 20 जनवरी 2021 को क्रमशः 800 करोड़ रूपये के कारपोरेट बॉन्ड श्रृंखला–III और 750 करोड़ रुपये के कारपोरेट बॉन्ड श्रृंखला–IV जारी किए हैं।
- सितंबर, 2020 में, आपकी कंपनी ने भारत सरकार की यूएमआरईपीपी स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के यूपीएनईडीए के साथ एक संयुक्त उद्यम टस्को लिमिटेड की स्थापना की है। झांसी और ललितपुर जिलों में प्रत्येक में 600 मेगावाट यूएमआरईपीपी और चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट यूएमआरईपीपी स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। झांसी और ललितपुर संयंत्रों की डीपीआर एमएनआरई/एसईसीआई द्वारा अनुमोदन के अग्रिम चरण में है। इन दोनों परियोजनाओं में पट्टे के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

चल रही परियोजनाएं

कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसई के कर्मचारियों की मृत्यु हो गई और आपकी कंपनी को भी इससे बहुत नुकसान हुआ है। इसने, मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव और कम मानव शक्ति के कारण, हमारी सभी निर्माणाधीन परियोजना कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसका इंजीनियरिंग प्रगति, समग्र वितरण की तारीखों, कार्य व्यवधान, संसाधनों / सामग्री की अनुपलब्धता आदि पर भी प्रभाव पड़ा है। हालांकि, बाद में टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए प्रयासों से, हमारी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में, 7046 करोड़ रुपये की कीमत वाले प्रमुख संयंत्र पैकेज जैसे स्टीम जेनरेटर, टर्बाइन जेनरेटर, स्विचयार्ड, कूलिंग टावर्स, रेलवे साइडिंग और कोल हैंडलिंग प्लांट पहले ही एवार्ड किए जा चुके हैं और कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अन्य सभी शेष संयंत्र पैकेज भी अक्टूबर, 2021 तक एवार्ड किए जाने की उम्मीद है। बॉयलर –1 का निर्माण तेजी से चल रहा है और बॉयलर –2 के निर्माण का कार्य भी 17 अगस्त, 2021 से शुरू हो गया है। मुख्य विद्युत गृह भवन के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

टिहरी पीएसपी में, सभी मोर्चों पर सिविल कार्य अग्रिम चरण में हैं। सभी चार इकाइयों में ईएम उपकरण का उत्थापन कार्य प्रगति पर है। यूनिट–5 और यूनिट–6 के स्टेटर्स की असेंबली पूरी हो चुकी है तथा यूनिट–5 और यूनिट–6 के लिए रोटर्स की असेंबली का कार्य प्रगति पर है।

विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना में गढ़ी खदान की समस्या का समाधान कर पट्टा–विलेख (लीज डीड) पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। स्थानीय मुद्दों को भी राज्य सरकार की मदद से निपटाया गया है और कार्य की प्रगति में तेजी लाई जा रही है।

अमेलिया कोयला खान में कुल 1412.37 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा होने वाला है। खनन योजना को कोयला मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.02.21 को 843 हेक्टेयर वन–भूमि के लिए चरण–II वन मंजूरी प्रदान की गई है। आपकी कंपनी के प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यावरण मंजूरी का हस्तांतरण और खनन पट्टे की मंजूरी जैसे प्रमुख मुद्दे भी हाल ही में हल किए गए हैं। खान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति के लिए निविदा अग्रिम चरण में है और अक्टूबर, 2021 में एवार्ड किए जाने की उम्मीद है।

सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रणाली

आपकी कंपनी ने कंपनी प्रायोजित सोसायटी ''सेवा–टीएचडीसी'' के माध्यम से कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की दिशा में व्यापक गतिविधियां जारी रखीं। आपकी कंपनी ने विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार विभागों/एजेंसियों के साथ साझेदारी परियोजनाएं भी निष्पादित की हैं और लक्षित समुदायों के जीवन में समग्र और सतत सुधार के लिए कृषि, बागवानी, वाटरशेड विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों आदि में 4.86 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त धनराशि सफलतापूर्वक नियोजित की है।

कोविड–19 महामारी की मौजूदा परिस्थितियों में, आपकी कंपनी ने कोविड–19 के खतरे से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में 7.4 करोड़ रुपये का अंशदान, उत्तराखंड राज्य आपदा कोष में 1.45 करोड़ रुपये का अंशदान और पके हुए भोजन के पैकेट, सूखे राशन के पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर/साबुन, पीपीई किट आदि के वितरण के रूप में विभिन्न राहत कार्य सहित विभिन्न सीएसआर उपायों / गतिविधियों पर कुल 9.96 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आपकी कंपनी ने कोविड –19 के लिए सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया और बेस अस्पताल, श्रीनगर, उत्तराखंड में टीके के भंडारण के लिए डीजी सेट के साथ वॉक–इन–कूलर (16.05 घनमीटर) की संस्थापना की। आपकी कंपनी के कर्मचारियों ने भी स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सभी परियोजना क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में रोकथाम, सुरक्षा और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उपरोक्त के अलावा, कोविड –19 महामारी के बावजूद, आपकी कंपनी टिहरी जिले के दूरस्थ गांव नामतः दीनगांव में एक एलोपैथी औषधालय के संचालन के माध्यम से आसपास के 40 गांवों की लगभग 15000 की आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और 163 युवाओं के कौशल विकास के आयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य के संवर्धन, शिक्षा को जारी रखने और बेहतर आजीविका सृजन और जीवन स्तर के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ केंद्रित सीएसआर हस्तक्षेपों / गतिविधियों का कार्यान्वयन करने में सफल हो सकी।

यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि पिछले वर्षों की भांति, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न प्रक्षेत्रों (डोमेन) के तहत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इनमें एकीकृत स्वास्थ्य और आरोग्य (आईएचडब्ल्यू) परिषद द्वारा सीएसआर स्वास्थ्य प्रभाव पुरस्कार 2020: कोविड–19 संस्करण, 7वां एक्सीड सीएसआर पुरस्कार 2020: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित "एक काम देश के नाम" द्वारा स्वर्ण पुरस्कार – विद्युत समावेशी नवीकरणीय क्षेत्र और प्रतिष्ठित सीआईआई–आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 द्वारा सीएसआर में महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्रशस्ति शामिल हैं।

कारपोरेट सुशासन परिपाटियां

आपकी कंपनी का कॉरपोरेट सुशासन में उत्कृष्ट इतिहास रहा है, जो मुख्य रूप से इसके दृढ़ विश्वास से उत्पन्न इस धारणा के कारण है कि सुशासन की भावना पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक व्यवसाय परिपाटियों के उच्चतम मानकों के पालन, कानून के अक्षरशः अनुपालन, पर्याप्त प्रकटीकरण, कारपोरेट निष्पक्षता, सामाजिक जवाबदेही और हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संगठन के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है।

आपका बोर्ड कारपोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है और आपकी कंपनी के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक निर्णायक हस्तक्षेप करता है। आपकी कंपनी के कार्यात्मक निदेशक अपने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभवी पेशेवर हैं और वे हितधारकों एवं शेयरधारकों के उपयुक्त हितों को पूरा करते हुए कंपनी के मामलों को सामूहिक रूप से निर्देशित करके कंपनी के विकास को सुनिश्चित करते हैं। मिशन कथन द्वारा निर्देशित आपका बोर्ड, संसाधनों का उपयोग करने, अवसरों को उचित सशक्तिकरण और प्रेरणा के माध्यम से उपलब्धियों में परिवर्तित करने, कंपनी के स्वस्थ विकास और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करता है और नूतन दृष्टिकोण अपनाता है।

टीएचडीसीआईएल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी को ''कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों'' के अनुपालन के लिए लगातार ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त होती रही है।

हितधारको के अधिकारों की रक्षा करने और हितधारको के साथ संचार को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी में एक सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति मौजूद है जो हितध ारकों को किसी भी कथित कदाचार या गलत कार्य, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते है, के बारे में चिंताओं को उजागर में सक्षम बनाती है।

निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए, आपकी कंपनी सेबी की वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, स्कोर्स का उपयोग करती है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को किसी निवेशक की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रतिबद्धता

हाल ही में भारत सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है। इस अभियान के तहत, भारत में रोजगार और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात के स्थान पर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने की अवधारणा पर बल दिया गया है। अन्य सरकारी विभागों के साथ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो देश के भीतर विभिन्न अवसंरचना विकास गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहे हैं, उच्च मूल्य वाले विभिन्न उत्पादों के प्रमुख उपभोक्ता हैं और इस प्रकार, ये निजी क्षेत्र / आगामी एमएसएमई के सहयोग से इस उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाने के लिए सरकार की पहलों जैसे खरीद में एमएसई को छूट प्रदान करना, मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अनिवार्य वस्तुओं की केवल एमएसई से खरीद, भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) नीति का अनुपालन आदि के अनुरूप कार्य किया है। प्रबंधन द्वारा इन प्रयासों की कड़ी निगरानी की जाती है।

दायरे का विस्तार : टीएचडीसीआईएल का भविष्य

जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है, इस वित्तीय वर्ष में भी बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। जिन निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने में देरी हुई, मुझे विश्वास है कि आपकी कंपनी के समर्पित और अनुभवी कार्यबल उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।

आपकी कंपनी उत्तराखंड राज्य के साथ–साथ देश के अन्य जल–समृद्ध राज्यों में अधिक जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित है। परिवर्तनशील विद्युत परिदृश्य में कंपनी के सतत आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रमुख एजेंडे में हैं। अब, आपकी कंपनी भारतीय ऊर्जा बाजार में बहु–ऊर्जा (बंडल) और आरटीसी पेशकशों को पूरा करने की अभिलाषी है। हम अपने ऊर्जा मिश्रण को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने जैसे जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं का विकास, हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण और ई–वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विकास, में अपने राष्ट्र का सहयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ''कार्बन कैप्चर'' तकनीक में भी कार्य करेगी।

शेयरधारकों की ग्रुप फोटोग्राफ

हमने मजबूत पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन प्रथाओं को अपनाया है तथा हम पर्यावरण और समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम अपने उद्देश्यपूर्ण सीएसआर सहकार्यों और पहलों के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, मूल्य आधारित और सशक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। आपके प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता योजनागत समय के भीतर निर्माणाधीन कैपेक्स परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ इसके अधीन परियोजनाओं को निष्पादित करना होगा।

वर्ष 2025 तक 4300 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता और वर्ष 2030 तक 6000 मेगावाट संस्थापित क्षमता प्राप्त करने की हमारी अभिलषित धारणा को पूरा करने के लिए योजना के एक भाग के रूप में, प्रबंधन ने अति महत्वाकांक्षी कार्यनीति तैयार की है जिसमें विकास के जैविक और अजैविक दोनों मॉडल शामिल हैं।

आभार

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं, हमारे प्रयासों में बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं, कोविड–19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के साथ–साथ महामारी से पीड़ित सभी लोगों और उनके परिवारों एवं परिचितों, के लिए अपनी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं इस अवसर पर अपने सभी फ्रंटलाइन वॉरियर जैसे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, नगर निगम के अधिकारियों, सेना, पुलिस और कोविड–19 संकट से निपटने में निःस्वार्थ भावना के लिए आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अन्य सभी लोगों को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कंपनी की सबसे बड़ी ताकत और संपत्ति हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम साथ मिलकर अपने देश के निरंतर विकास के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहेंगे।

आपके निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

शुभकामनाओं सहित

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

स्थान: एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी
दिनांक: 15.09.2021

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः U45203UR1988GOI009822
पताः गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाय पास रोड, ऋषिकेश– 249201
फोनः 0135–2439309, 2431517–23 फैक्सः 0135–2439442
वेबसाइट का पताः www.thdc.co.in

संदर्भ संख्याः टीएचडीसी/सी एस/ऋषि/एजीएम–33 दिनांकः 11.09.2021

सूचना

एततद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक बुद्धवार, 15 सितम्बर, 2021 को अपराह्न 01:00 बजे टीएचडीसीआईएल, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट संख्या – 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश) में की जानी निर्धारित हुई है:

सामान्य व्यवसाय

1. ***31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरण, उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।***

   "***संकल्प लिया जाता है*** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन और समेकित वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग है, और कारपोरेशन की लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एततद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाता है।"

2. ***वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।***

   "***संकल्प लिया जाता है*** कि वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए मेसर्स एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, सी/ओ अजय सेठ, 1 मैत्री विहार, हरिद्वार बाईपास रोड, नागेश्वरी चिकित्सा केंद्र के सामने, देहरादून, का पारिश्रमिक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

   i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क ₹ 12,10,000/– (बारह लाख दस हजार रुपये मात्र)।

   ii) त्रैमासिक खातों की समीक्षा, कर लेखापरीक्षा, अन्य सांविधिक प्रमाण पत्र आदि के लिए शुल्क सहित अन्य सभी कार्यों के लिए पारिश्रमिक सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए संदेय शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए।

   iii) टीए/डीए और जेब–खर्च को मौजूदा शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

   iv) यथादेय जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. ***अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश घोषित करना।***

   "इक्विटी शेयरधारकों, अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 190.84 करोड़ रूपये के अंतिम लाभांश को अनुमोदित करने का ***संकल्प लिया जाता है***"

"इक्विटी शेयरधारकों, अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 305.04 करोड़ रूपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने का ***संकल्प लिया जाता है"***

विशेष व्यवसाय

4. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना और इस संबंध में और यदि उचित समझा जाए, एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करने पर विचार करना:

"यथासंशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2016 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नुसार अभिपुष्टि करने का संकल्प लिया जाता है:–

रुपये ₹

1.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए टिहरी एचपीपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096	60,000
2.	वित्त वर्ष 2021– 22 के लिए कोटेश्वर एचईपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केबी सक्सेना एंड एसोसिएट्स, डिवाइन ग्रेड्स, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा–201308, जिसका प्रधान कार्यालय तृतीय मंजिल, शगुन पैलेस, सप्रू मार्ग, लखनऊ – 226001 में स्थित है।	60,000
3.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एससी मोहंती एंड एसोसिएट्स, सी–124, महमदपुर, ग्राउंड फ्लोर, टीसीटी हाउस, भीकाजी कामा प्लेस के पास, नई दिल्ली–110066 जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 370 / 1861 / 2157, शक्ति भवन, अत–पटिया, डाकघर केआईआईटी, भुवनेश्वर – 751024 में स्थित है।	50,000
4.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ढुकवां एसएचपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096।	30,000
5.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र के लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096	30,000
6.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के प्रमुख लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096	60,000

उपरोक्त के अलावा, यथालागू जीएसटी देय है और यात्रा, आवास और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति कंपनी के नियमों के अनुसार की जाएगी, जो मूल रसीदों / वाउचर के प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी।

आगे संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को यथासंशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

5. निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रुपये तक के कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गत करने की मंजूरी देना, जिन्हें उपयुक्त किश्तों में जारी किया जाएगा और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, तो एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों के साथ या बिना पारित करना:

"कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरण–पुस्तिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 42,71 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत कारपोरेट बांड जारी करने के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन एतद्द्वारा है और दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत होगा और है। जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेश से

ह0/–

रश्मि शर्मा

(कंपनी सचिव)

मोबाइल–8266098898

सेवा में:

- टीएचडीसीआईएल के सभी शेयरधारक
- टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखा परीक्षक – मेसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
- प्रमुख लागत लेखापरीक्षक – मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स
- सचिवीय लेखा परीक्षक– मेसर्स पी.एस.आर. मूर्ति

टिहरी जलाशय का विहंगम दृश्य

प्रोक्सी प्रपत्र

कंपनी का नाम : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: भागीरथी भवन (टॉप टैरेस), भागीरथीपुरम, टिहरी (गढ़वाल) 249001, उत्तराखण्ड

सदस्य का नाम		
पंजीकृत पता		
ई–मेल		

मैं ________________________________ टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का सदस्य एतद्वारा ______ के श्री ________________________________ को (उनके उपस्थित न होने की दशा में) ____________________ के ______________ श्री ______________ को 15 सितंबर, 2021 को अपराह्न 5.30 बजे होने वाली कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने एवं ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन पर जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, में मेरी ओर से मत देने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ।

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए ।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने ।
3. बोर्ड की संस्तुति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021 हेतु अंतरिम लाभांश एवं अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने।

विशेष कार्य

1. वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करने ।
2. 3000 करोड़ तक के कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने हेतु अनुमोदन करने

________ के दिन ________ को मेरी ओर से साक्षी के रूप

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधित्व ग्रहणकर्ता(ओं) के हस्तारक्षर

नोट: प्रतिनिधि प्रपत्र को प्रभावी करने के लिए विधिवत पूर्ण किया गया हो तथा बैठक प्रारम्भ होने से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विशेष व्यवसाय के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके साथ संलग्न है ।
2. सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 भी कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध होगी।
3. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। प्रभावी होने के लिए, विधिवत पूर्ण किए गए प्रॉक्सी फॉर्म को वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से कम–से–कम कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
4. कंपनी की बैठक में या उसमें पेश किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान देने का हकदार प्रत्येक सदस्य, बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कंपनी के कार्य–समय के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कंपनी को निरीक्षण करने के आशय के लिए कम से कम तीन दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।
5. निदेशक मंडल ने 20 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य (नेटवर्थ) के 4% के 80% अंतरिम लाभांश अर्थात् 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 9532.47 करोड़ रूपये के निवल मूल्य (नेटवर्थ) का 3.2% अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी जो 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयर धारकों को 305.04 करोड़ रूपये के बराबर है।
6. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है ।

कोटेश्वर विद्युत गृह (4×100 = 400 मेगावाट) का दृश्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत व्याख्यात्मक विवरण।

मद संख्या 4

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन 28 जुलाई, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की 217वी बैठक में बोर्ड द्वारा किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा और तदोपरांत, शेयरधारकों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जाएगी। चूंकि कंपनी में लेखापरीक्षा कार्यशील नहीं है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी 217वीं बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने की सिफारिश की है। निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

बोर्ड ने लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार अनुशंसित किया है:

क्र. सं.	*लागत लेखा परीक्षक का नाम (मैसर्स)*	*प्रस्तावित यूनिट, जिसकी लेखा परीक्षा की जानी है*	*शुल्क*
01	केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	टिहरी एचपीपी	₹ 60,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
02	केबी सक्सेना एंड एसोसिएट्स, जी नोएडा	कोटेश्वर एचईपी	₹ 60,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
03	एससी मोहंती एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	पवन ऊर्जा परियोजनाएं	₹ 50,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
04	केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	ढुकवां एसएचपी	₹ 30,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
05	केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	सौर ऊर्जा संयंत्र	₹ 30,000/– और कर एवं यात्रा व्यय

वर्ष 2021–22 के लिए सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों को समेकित करने और समेकित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को 60,000/– रुपये के शुल्क के साथ प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से निम्नलिखित संकल्प पारित करते हुए वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने का अनुरोध किया जाता है:

यथा संशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2016 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नानुसार अभिपुष्टि करने का संकल्प किया जाता है:–

रुपये ₹

1.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए टिहरी एचपीपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096	60,000
2.	वित्त वर्ष 2021– 22 के लिए कोटेश्वर एचईपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केबी सक्सेना एंड एसोसिएट्स, डिवाइन ग्रेड्स, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा–201308, जिसका प्रधान कार्यालय तृतीय मंजिल, शगुन पैलेस, सप्रू मार्ग, लखनऊ – 226001 में स्थित है।	60,000
3.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एससी मोहंती एंड एसोसिएट्स, सी–124, महमदपुर, ग्राउंड फ्लोर, टीसीटी हाउस, भीकाजी कामा प्लेस के पास, नई दिल्ली–110066 जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 370/1861/2157, शक्ति भवन, अत–पटिया, डाकघर केआईआईटी, भुवनेश्वर – 751024 में स्थित है।	50,000
4.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ढुकवां एसएचपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096	30,000
5.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र के लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096	30,000
6.	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के प्रमुख लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स केजी गोयल एंड एसोसिएट्स, 4ए, पॉकेट 2, न्यू कोंडली, मयूर विहार–III, नई दिल्ली –110096	60,000

उपरोक्त के अलावा, यथालागू जीएसटी देय है और यात्रा, आवास और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति कंपनी के नियमों के अनुसार की जाएगी, जो मूल रसीदों/वाउचर के प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी।

आगे संकल्प लिया जाता है कि कंपनी सचिव को यथासंशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

मद संख्या. 5

3000 करोड़ रुपये के कारपोरेट बांड जारी करने को मंजूरी देना:

1. कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी 217वीं बैठक में उपयुक्त अंशों में दस से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमा के अध्यधीन, विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष के पूरा होने तक की अवधि के दौरान या वित्तीय वर्ष 2021–22 में अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, जो भी पहले हो, उपयुक्त अंशों में दस से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने हेतु कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

3. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

   एक एकीकृत व्यापार की योजना के रूप में, कंपनी द्वारा हाइड्रो, थर्मल और नवीकरणीय क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के लिए सभी अवसरों की खोज की गई है। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं प्रचालनाधीन, निर्माणाधीन और अन्वेषणाधीन हैं। वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार प्रकार हैं:

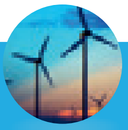

1. *प्रचालनात्मक परियोजनाएं –*

कंपनी की छह प्रचालनात्मक परियोजनाएं, जल विद्युत प्ररियोजनाए– टिहरी चरण–I 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट, ढुकवां एसएचईपी 24 मेगावाट, पवन परियोजनाएं – पाटन 50 मेगावाट, द्वारका 63 मेगावाट और कासरगोड सौर परियोजना 50 मेगावाट हैं। परियोजनावार बकाया ऋण निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	30.06.2021 को बकाया राशि	अनुसूचित चुकौती
1.	टिहरी चरण–I	पीएफसी लिमिटेड	203.12	त्रैमासिक, 15.07.2023 तक
		आरईसी लिमिटेड	71.38	त्रैमासिक, 31.03.2022 तक
2.	कोटेश्वर एचईपी	पीएफसी लिमिटेड	58.50	त्रैमासिक, 15.10.2021 तक
		आरईसी लिमिटेड	70.07	त्रैमासिक, 30.06.2022 तक
3.	पाटन पवन परियोजना	बॉन्ड सीरीज–I	180.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
4.	द्वारका पवन परियोजना	बॉन्ड सीरीज–I	290.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
5.	ढुकुवां एसएचपी	बॉन्ड सीरीज–I	130.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
		बांड सीरीज–II	80.00	05.09.2029 को बुलेट भुगतान
6.	कासरगोड सौर परियोजना	बॉन्ड सीरीज–IV	125.00	20.01.2031 को बुलेट भुगतान

उपरोक्त परियोजनाओं के प्रचालन से उत्पन्न नकदी का उपयोग ऋण के ऊपर मौजूदा चुकौती के साथ–साथ चल रही और आगामी परियोजनाओं के लिए इक्विटी के प्रति वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। लंबी अवधि के ऋण पर मूलधन और ब्याज की दिशा में लगभग 600 करोड़ रु. प्रतिवर्ष चुकाया है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने पीएनबी/एसबीआई/एचडीएफसी बैंक से ओडी सीमा/एसटीएल / डब्ल्यूसीएल का लाभ उठाया है।

2. *निर्माण परियोजनाएं –*

क. *टिहरी पीएसपी* – कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी अंशदान प्राप्त हुआ था और 2019–20 के दौरान, रणनीतिक बिक्री के कारण भारत सरकार के शेयर को मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है।

ऋण भाग के लिए, घरेलू ऋण हेतु शुरू में 1500 करोड़ रूपये के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्वाधीन संघ के साथ गठबंधन किया गया था जिसे 2017–18 और 2018–19 में आंतरिक प्रोद्भवन, ओडी और अल्प–कालिक ऋण का लाभ उठाकर चुकाया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने पीएसपी परियोजना के आंशिक रूप से वित्तपोषण और पहले से ही किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पीएनबी से भी 700 करोड़

रुपये के मध्यावधि ऋण लिया। इसके अलावा, बॉन्ड जारी श्रृंखला II, III, IV और V से प्राप्त निधियों में से 1420 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रूपये, 500 करोड़ रूपये और 300 करोड़ रूपये टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए उपयोग किये गये हैं।

ख. ***वीपीएचईपी परियोजना*** – कंपनी निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) / उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी प्राप्त कर रही है। परियोजना के ऋण हिस्से के लिए, विश्व बैंक से 648 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वर्ष 2019–20 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने उच्च डॉलर की परिवर्तन दर के कारण 100 मिलियन अमरीकी डालर का अभ्यर्पण किया है और चालू वित्त वर्ष 2021–22 में अन्य 100 मिलियन अमरीकी डालर का भी अभ्यर्पण किया है, जिसे विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया।

ग. ***खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान*** – दिसंबर 2017 पीएल पर 12676.58 करोड़ रुपये, जिसमें खुर्जा एसटीपीपी के कार्यान्वयन के लिए 11089.42 करोड़ रुपये और 2023–24 के दौरान निर्धारित संचालन के साथ अमेलिया कोयला खदान के विकास के लिए 1587.16 करोड़ रुपये शामिल हैं, के व्यय के लिए दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से 2X660 मेगावाट की खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के निवेश की मंजूरी दी गई थी।

अमेलिया कोयला खदान सहित खुर्जा परियोजना के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण व्यवस्था की योजना बनाई गई है जिसमें 50% ऋण भाग बांड के माध्यम से और शेष 50% अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से जुटाया गया है। तदनुसार, बांड निर्गम श्रृंखला III और V से प्राप्त निधि में से 600 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये की राशि खुर्जा परियोजना के लिए उपयोग की गई है और बांड निर्गम श्रृंखला IV से प्राप्त निधि में से 125 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग अमेलिया कोयला खदान के लिए किया गया है।

3. कंपनी ने वर्ष 2016–17, 2019–20, 2020–21 (श्रृंखला III और IV) और 2021–22 के दौरान क्रमशः 600 करोड़ रुपये, 1500 करोड़ रुपये, 800 करोड़ रुपये, 750 करोड़ रुपये और 1200 करोड़ रुपये की बांड की श्रृंखला I, श्रृंखला II, श्रृंखला III, श्रृंखला IV और श्रृंखला V जारी की है। उपरोक्त बांड श्रृंखला के लिए निधि का उपयोग निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

बांड श्रृंखला	बांड का आकार	बांड आय का उपयोग					
		पवन परियोजनाएं	ढुकवां परियोजना	टिहरी पीएसपी	खुर्जा एसटीपीपी	अमेलिया कोयला खादान	कासरगोड सौर परियोजना
I	600.00	470.00	130.00				
II	1500.00		80.00	1420.00			
III	800.00			200.00	600.00		
IV	750.00			500.00		125.00	125.00
V	1200.00			300.00	900.00		

केपेक्स आवश्यकता:

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए आरबीई में 2808.03 करोड़ रुपये और बीई में 2022–23 के लिए 3207.54 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, जिसमें टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी, खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदानों की कैपेक्स आवश्यकता शामिल है। विवरण निम्नानुसार हैं:

कैपेक्स आवश्यकता

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	*पीएसपी*	*वीपी एचईपी*	*खुर्जा*	*अमेलिया*	*अन्य*	*कुल*	*वीपीएचईपी के अलावा केपेक्स*	*ऋण आवश्यकता कॉलम संख्या 8 का 70%*
1	2	3	4	5	6	7	8= (7-3)	9
2021-22	565.23	399.15	1598.80	236.25	8.60	2808.03	2408.88	1686.21
2022-23	569.61	455.49	1962.56	211.99	7.89	3207.54	2752.05	1926.43
कुल						**6015.57**	**5160.93**	**3612.64**

वीपीएचईपी परियोजना के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ करार किया गया है। इसलिए, इन वर्षों के लिए ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने में इस पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या के 9 अनुसार, वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए वीपीएचईपी (कैपेक्स का 70%) के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में ऋण की आवश्यकता क्रमशः 1686.21 करोड़ रुपये और 1926.43 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कुल 3612.64 करोड़ रुपये है।

उपरोक्त के अलावा, 31.03.2021 तक आईआर के माध्यम से पहले ही खर्च किए गए 1099.01 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

<table>
<tr><th>परियोजना का नाम</th><th>31.03.2021 तक व्यय</th><th>ऋण घटक (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार 70%)</th><th colspan="2">लिया गया ऋण (31.03.2021)</th><th>प्रतिपूर्ति के लिए देय व्यय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td colspan="2">4</td><td>5=3-4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पीएसपी</td><td rowspan="2">3957.13</td><td rowspan="2">2769.99</td><td>बॉन्ड सीरीज II, III और IV</td><td>2120.00</td><td rowspan="3">229.99</td></tr>
<tr><td>पीएनबी</td><td>420.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल</td><td>2540.00</td></tr>
<tr><td>खुर्जा</td><td>1776.97</td><td>1243.87</td><td>बॉन्ड सीरीज III</td><td>600.00</td><td>643.87</td></tr>
<tr><td>अमेलिया</td><td>500.22</td><td>350.15</td><td>बॉन्ड सीरीज IV</td><td>125.00</td><td>225.15</td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल</td><td>1099.01</td></tr>
</table>

उपरोक्त के अनुसार, वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए कुल ऋण आवश्यकता 4711.65 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उपरोक्त आवश्यकता के विपरीत, अगस्त 2021 के दौरान 1200 करोड़ रुपये की बांड श्रृंखला V जारी की गई थी और प्राप्त निधि में से, क्रमशः पीएसपी और खुर्जा एसटीपीपी परियोजना के लिए आईआर के माध्यम से पहले से ही 300 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। इसलिए, वर्ष 2021–22 और 2022–23 (वीपीएचईपी के अलावा) के लिए निवल ऋण आवश्यकता 3511.65 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और निर्माणाधीन परियोजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दस से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए उपयुक्त अंशों में प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने का प्रस्ताव है। बांड की प्रकृति अर्थात प्रतिभूत/अप्रतिभूत का निर्णय जारी करने के समय सुरक्षा की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अनंतिम निबंधन पत्र अनुलग्नक–क पर संलग्न है। बांडों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करना शामिल है।

निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 3000 करोड़ तक के बांड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरण–पुस्तिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42,71 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत / अप्रतिभूत कारपोरेट बांड जारी करने के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन एतद्द्वारा है और किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, करने या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत होगा और है, जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है।

अनुलग्नक–क

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावित बांड के लिए अनंतिम निबंधन पत्र

जारीकर्ता	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
लिखत का प्रकार	प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गैर–संचयी, कर योग्य डिबेंचरों की प्रकृति में बांड।
लिखत की प्रकृति	प्रतिभूत
जारी करने का तरीका	निजी प्लेसमेंट
सूचीकरण (स्टॉक एक्सचेंजों जहां इसे सूचीबद्ध किया जाएगा के नाम सहित सूचीकरण के लिए समयरेखा)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) लिमिटेड के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खंड पर प्रस्तावित।
निर्गम का आकार	उपयुक्त किश्तों में 3000 करोड़ रूपये तक
ओवरसब्सक्रिप्शन प्रतिधारित करने के विकल्प (राशि)	हाँ, ग्रीन शू विकल्प के साथ
निर्गम के उद्देश्य	पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करना।
कूपन दर	निर्धारित की जानी है
कूपन भुगतान आवृत्ति	वार्षिक
कूपन भुगतान तिथियां	आवंटन तिथि की वर्षगांठ की तिथि
कूपन प्रकार	नियत
कूपन रीसेट प्रक्रिया (दरों, स्प्रेड, प्रभावी तिथि, ब्याज दर कैप और फ्लोर आदि सहित)	कोई नहीं
दिन गणना आधार	वास्तविक / वास्तविक
अवधि	10 से 15 वर्ष
प्रतिदान राशि	10 लाख रूपये प्रत्येक के सममूल्य पर
प्रतिदान प्रीमियम / छूट	शून्य
निर्गम कीमत	10,00,000 रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य पर
लिखत जारी करने का तरीका	डीमेट
लिखत व्यापार का तरीका	डीमेट

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने दिनांक 06.08.2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, श्री विश्नोई दिनांक 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार संभालने के बाद, उन्होंने यह रेखांकित किया कि टीएचडीसी को गतिशील समकालीन विद्युत परिदृश्य में विद्युत क्षेत्र की एक समयोचित/अनुभवी कंपनी के रूप में परिवर्तित करना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपने प्रचालनात्मक के साथ–साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में संस्थागत नूतन हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया।

श्री विश्नोई को हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के डिजाइन, अभियांत्रिकी एवं निर्माण में 34 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आप वर्ष 1989 में अभियंता के रूप में टीएचडीसी में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्ष 2013 में आप महाप्रबंधक के स्तर पर पदोन्नत हुए। इसके बाद वर्ष 2016 में आप कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। डिजाइन विभाग के प्रमुख के साथ–साथ आपने कार्यपालक निदेशक (वीपीएचईपी) का कार्यभार भी संभाला। टिहरी एवं कोटेश्वर जलविद्युत परियोजनाओं में कार्य करते हुए आपने विभिन्न प्रतिष्ठित उपलब्धियां हासिल की हैं। बाढ़ की समस्या के बावजूद, 4 वर्ष की अल्पावधि में अवरूद्ध पड़ी कोटेश्वर जलविद्युत परियोजना का कायाकल्प और इसका सफलतापूर्वक कमीशनिंग आपके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों में से एक है।

श्री विश्नोई, बिट्स पिलानी से सिविल अभियांत्रिकी में ऑनर्स ग्रेजुएट हैं और आपके पास एमबीए की योग्यता भी है। आपने मास्को विश्वविद्यालय रूस से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन एवं निर्माण में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

आप इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आई.सी.ओ.एल.डी) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री जितेश जॉन

श्री जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय को 21 जून, 2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारतीय आर्थिक सेवा (2001 बैच) से हैं। आप विद्युत मंत्रालय में, योजना, परियोजना निगरानी, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित मामलों को देखते हैं। इस असाइनमेंट से पहले आपने योजना आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में कार्य किया है और अवसंरचना में पीपीपी, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और वित्तीय बाजारों के विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य किया है। श्री जितेश ने लोयोला कॉलेज, चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (एमए) किया है। आपने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आरएमआईटी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

श्री टी वेंकटेश

श्री टी. वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन) उ.प्र. को 14 मई, 2018 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने मेकैनिकल इंजीनियरिंग में बी ई एवं एम ई की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। श्री टी. वेंकटेश ने अपना कैरियर सहायक कलेक्टर के रूप में शुरु किया और इसके बाद आपने परियोजना निदेशक, अलीगढ़, सीडीओ और विभिन्न जिला प्रशासनों में प्रमुख अधिकारी, गोंडा,अल्मोड़ा और बरेली के जिला मजिस्ट्रेट, उ.प्र. सरकार में विशेष सचिव, जनवरी, 2005 से अगस्त, 2005 तक गोरखपुर डिवीजन में कमीशनर सहित उ.प्र. में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आप अगस्त, 2005 से अगस्त, 2012 तक तथा मार्च, 2017 से नवम्बर, 2017 तक भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए और वहां पर संयुक्त सचिव, सीवीओ इत्यादि का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।

श्री विजय गोयल

श्री विजय गोयल ने 26.03.2018 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक (कार्मिक) का कार्यभार ग्रहण किया है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन में 35 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आपको 01.05.2021 से 05.08.2021 तक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। आप मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 36 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव रखते हैं। इससे पूर्व श्री गोयल टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 01.06.2015 से महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.) पद के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे थे। साथ ही, आप कारपोरेट संचार, विधि एवं माध्यस्थम प्रकार्यों के प्रभारी भी थे। उनके हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र नीति निर्माण, मानवशक्ति नियोजन, स्थापना एवं संपदा प्रकार्य, कर्मचारी संबंध, श्रम कानूनों का अनुपालन और नीतियों का समग्र निर्माण और कार्यान्वयन है। आपने एनएचपीसी से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 1990 में वरि. कार्मिक अधिकारी (एसपीओ) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। जुलाई, 1988 में निगम की स्थापना के तत्काल बाद आपने शुरुआती मानव संसाधन प्रणालियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। श्री गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) हैं।

श्री जे. बेहेरा

श्री जे. बेहेरा ने 16.08.2019 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया। आप कॉमर्स में स्नातक हैं और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट के सदस्य हैं। आपको टीएचडीसी के वित्त एवं लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 31 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आपको कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ परियोजना स्थलों में भी कार्य का लंबा अनुभव है। आप गत तीन वर्ष से टीएचडीसी के प्रमुख वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। आपके नेतृत्व में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) विकसित एवं कार्यान्वित हुई तथा आपने वित्त एवं लेखा विभाग की गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने टीएचडीसी के पहली बार बांड जारी करने एवं पवन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्री अनिल कुमार गौतम

श्री अनिल कुमार गौतम की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में दिनांक 23.04.2020 से नियुक्ति हुई। आप वाणिज्य में स्नातक हैं तथा इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। आप विधि स्नातक भी हैं आपको विद्युत क्षेत्र में वित्त और लेखाओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। आप वित्तीय रिपोर्टिंग और संरचना, सामरिक आयोजना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण वित्तपोषण, लागत और आंतरिक नियंत्रण, अधिग्रहण, कारपोरेट सुशासन और जोखिम प्रबंधन, बजट, निवेशक–संबंध, कराधान एवं नियामक मामलों तथा उद्यम संसाधन योजना का अनुभव रखते हैं। वर्तमान में आप एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं। श्री गौतम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। आप टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको) के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक भी हैं।

श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य की नियुक्ति दिनांक 26.08.2020 को हुई। आप जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है। आपने एमडीआई, गुड़गांव से प्रबंधन में परा स्नातक डिप्लोमा भी पूरा किया है। श्री भट्टाचार्य ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के नौवें बैंच के रूप में वर्ष 1984 में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और आपकी शुरूआती तैनाती कोरबा में हुई। आपने अपने करिअर की शुरूआत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में की। इसके बाद आपने 1600 मेगावाट के फरक्का एसटीटीपी विद्युत संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण, जीर्णोद्धार और

आधुनिकीकरण, पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया। आपने एनटीपीसी के उर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवसाय विविधीकरण तथा अजैविक मार्ग से विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में एनटीपीसी के व्यापार विकास कार्य में आपका शानदार करिअर रहा है जिसमें मुख्य बल कोलडैम का अधिग्रहण कर जल–विद्युत में एनटीपीसी के विवधीकरण तथा विद्युत वितरण के व्यापार के लिए सहायक कंपनी एनईएससीएल स्थापित करने पर रहा है। बंगलादेश में स्थित 1320 मेगावाट की मैत्री विद्युत परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम बनाने और परियोजना की अवधारणा तैयार करने में आपकी अग्रणी भूमिका रही। एनटीपीसी में निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व आपने प्रबंध निदेशक और सीईओ (बंगलादेश भारत मैत्री विद्युत कंपनी लिमिटेड) कार्यपालक निदेशक (व्यापार विकास) और कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं) एनटीपीसी के रूप में काम किया है।

श्री धीरेन्द्र वीर सिंह (30.04.2021 तक)

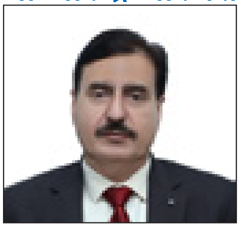

श्री धीरेन्द्र वीर सिंह ने 01.02.2016 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 30.04.2021 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

श्री सिंह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राऊरकेला से (1983 बैच) सिविल अभियांत्रिकी स्नातक हैं तथा आपको भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह, स्पिलवे, संविदा, सामग्री प्रबंधन, पुनर्वास और भारी सिविल निर्माण में तीन दशक से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। टीएचडीसी आईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह ने लार्सन एंड टूब्रो में कार्य किया था।

श्री सिंह ने टिहरी विद्युत गृह के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और आप इसकी योजना बनाने तथा निर्माण कार्य के प्रभारी थे। आप टिहरी परियोजना की स्पिलवे प्रणाली के निर्माण और आयोजना तथा इससे जुड़े कार्यों जैसे संविदा और सामग्री प्रबंधन, भवनों और सड़कों के निर्माण से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। श्री सिंह को अपने नेतृत्व द्वारा कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) को वापस पटरी पर लाने का श्रेय दिया जाता है जबकि देरी के कारण यह पटरी से उतर गई थी। उन्होंने कार्यान्वयन में अनेक नवाचारी पद्धतियों की शुरूआत की और जिनसे टीएचडीसीआईएल को चार वर्षों के रिकार्ड समय में परियोजना का आरंभ करने में मदद मिली।

श्री राजपाल (30.04.2021 तक)

श्री राजपाल ने 30 अगस्त, 2017 से 30 अप्रैल, 2021 तक टीएचडीसी इंडिया लि. में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में कार्य किया। 30.04.2021 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के पद पर आपका कार्यकाल समाप्त हो गया।

आप विद्युत मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार थे। आपने इकॉनामिक्स में मास्टर्स एवं एम फिल किया है। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकॉनोमिक्स, टोकियो, जापान से डेवलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा भी किया है। इंडियन इकॅनोमिक सर्विस के सदस्य के रूप में श्री राज पाल को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि में लगभग 30 वर्ष का कार्यानुभव है। विद्युत मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहाकार के पद पर कार्य करने से पूर्व आपने विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, और टेलीफोन रेग्युलेटरी एथारिटी ऑफ इंडिया में सलाहकार, आर्थिक विनिमय के रूप में कार्य किया है।

श्री आनंद कुमार गुप्ता (31 जुलाई, 2020 तक)

श्री आनंद कुमार गुप्ता की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में दिनांक 23.04.2020 से नियुक्ति हुई। आप मोती लाल नेहरु नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। एनटीपीसी में आपका 38 वर्षों का शानदार करिअर रहा है जिसमें विद्युत उत्पादन के सभी क्षेत्र अर्थात विद्युत परियोजनाओं की अभियांत्रिकी और डिजाइन, संयत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण, विपणन और व्यापार विकास तथा वाणिज्यिक और विनियामक मामले आते हैं। अपने विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय विद्युत संयंत्रों, उप स्टेशन संस्थापनाओं और उपस्कर विनिर्माण संयंत्रों का दौरा किया है और आप सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों से भली–भांति परिचित हैं। आपने विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं के प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्तमान में आप एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कार्य कर रहे हैं। अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर श्री गुप्ता दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्त हुए।

व्यवसाय सिंहावलोकन रिपोर्ट
सतत रीति में पूंजी सृजन 2020–21

वित्तीय पूंजी

टीएचडीसीआईएल अपने सभी हितधारकों के वित्तीय हितों को महत्त्व देता है और न केवल सांविधिक रूप से न्यूनतम आवश्यक सामाजिक दायित्व पूरा करता है बल्कि लाभ अर्जित कर अपनी वित्तीय पूँजी में मूल्य वृद्धि को इष्टतम करने का पूरा प्रयास करता है।

सकल आय
2501.93 करोड़ रूपये

कुल व्यापक आय
1092.72 करोड़ रूपये

निवल पूँजी
9917.43 करोड़ रूपये

दिनांक 31.03.2021 को टीएचडीसीआईएल की इक्विटी पूंजी 3665.88 रूपये करोड़ है, 31.03.2021 तक आरक्षिती 6251.55 करोड़ रूपये है और दीर्घकालिक ऋण 5560.98 करोड़ रूपये है।

वित्तीय पूंजी (रू करोड़ में)

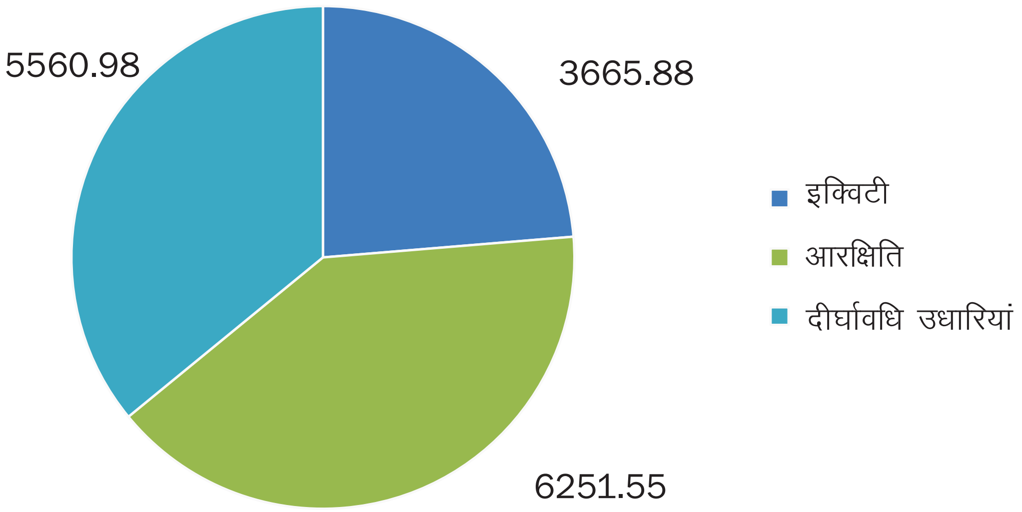

वाणिज्यिक प्रचालन के बाद लाभ के संचयन के माध्यम से उत्पादित वित्तीय पूँजी दिनांक 31.03.2021 तक 9398.71 करोड़ रूपये है, इसमें से दिनांक 31.03.2021 तक कर सहित वितरित लाभांश 3147.16 करोड़ रूपये है और प्लाऊ बैक के लिए आरक्षित पूंजी 6251.55 करोड़ रूपये है।

तुलन पत्र का आकार

रूपये करोड़ में

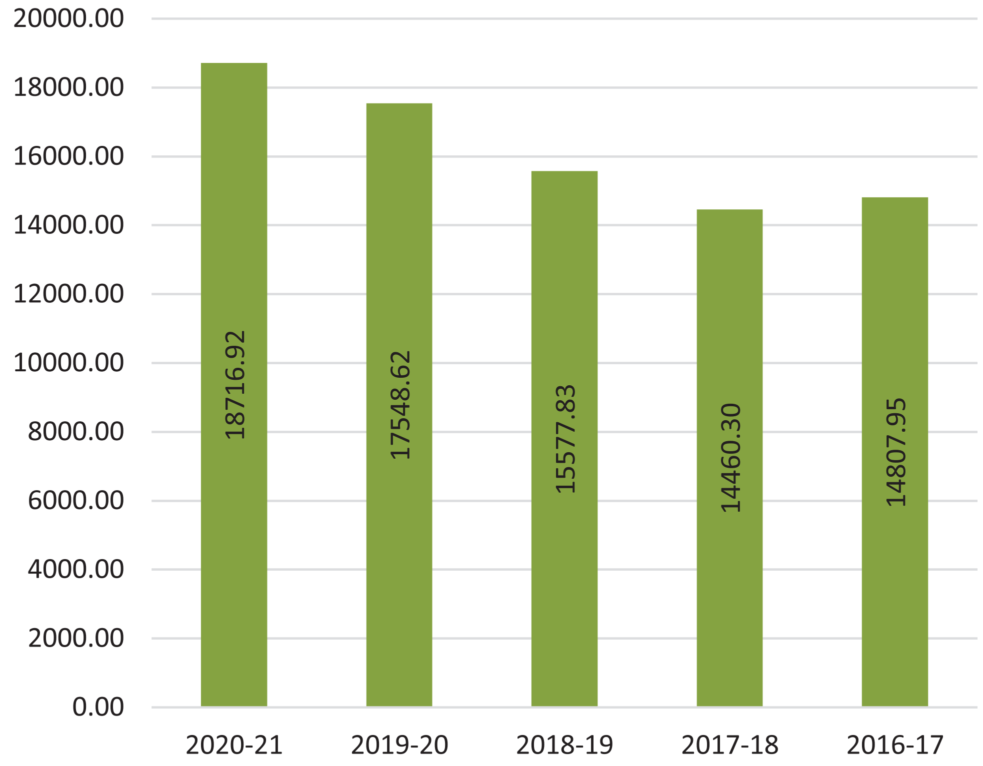

लभांश का भुगतान

ंपनी अपनी शेयर होल्डिंग के अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति पर अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है। इसका अनुपात जो वर्ष 2016–17 में 8.44% था वर्ष 2020–21 में बढ़कर 19.31% हो गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

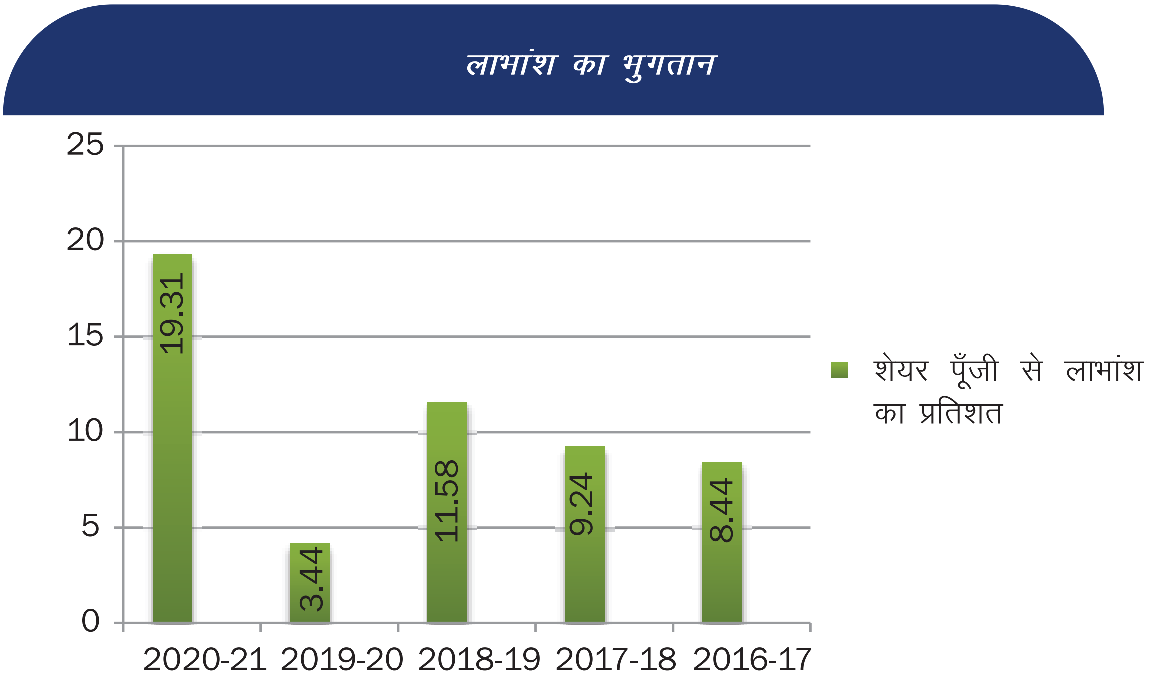

महत्वपूर्ण पहलें:

कागजरहित संस्कृति (पेपरलेस कल्चर): कंपनी के कर्मचारियों को सर्वोत्तम श्रेणी की सेवाएं और सहयोग प्रदान करने और व्यवसाय प्रक्रिया में सही तकनीक के हस्तक्षेप के माध्यम से संगठन को भविष्य के लिए तत्पर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कंपनी निरंतर प्रयास करती है, जो संगठन में वास्तविक समय डाटा निगरानी प्रदान करता है, और समेकन प्रक्रिया, डाटा उपलब्धता (किसी भी स्थान, किसी भी समय और किसी भी उपकरण से) और डाटा डेमोक्रेसी आदि को सुकर बनाता है। इस प्रक्रिया में, कारपोरेट वित्त, कर्मचारियों की अपेक्षाओं तथा वैधानिक और विनियामक आवश्यकता (ओं) को पूरा करने और इसे वित्त एवं लेखा (एफ एंड ए) संबंधी सभी गतिविधियों के लिए सिंगल विंडो समाधान के लिए मौजूदा वेब आधारित एफएमएस मॉड्यूल की निरंतर समीक्षा और उन्नयन कर रहा है। इस अवधि के दौरान, कारपोरेट वित्त ने निम्नलिखित एफएमएस मॉड्यूल विकसित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए हैं और वित्त एवं लेखा (एफ एंड ए) कार्यकरण को पारंपरिक परिदृश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म में परिवर्तित किया है।

1. परिवहन संबंधी दावा
2. टेलीफोन दावा
3. वर्दी दावा
4. अनुलाभ चयन फॉर्म, पीआई या टीआई दावा
5. वीपीएफ फॉर्म
6. आयकर स्लैब चयन और बचत विवरण मॉड्यूल
7. जीएसटी मॉड्यूल
8. फार्मेसी बिल सबमिशन मॉड्यूल
9. डिस्पेंसरी मॉड्यूल
10. बांड ब्याज भुगतान मॉड्यूल

इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि एफएमएस मॉड्यूल में इन सुधारों और उन्नयन को हमारे कर्मचारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रशंसा सराहना प्राप्त हुई है।

कोविड –19 महामारी और एफएमएस: कोविड –19 महामारी ने शारीरिक दूरी बनाए रखना आवश्यक कर दिया है, ऐसे परिदृश्य में उद्योग / व्यवसाय ने अपने सामान्य दृष्टिकोण को बदला है और व्यावसायिक कार्यों को बाधित किए बिना लॉकडाउन जैसी स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का समर्थन किया है, इसलिए, व्यावसायिक प्रक्रिया में आईटी समाधानों का सही इस्तेमाल को बढ़ाना समयोचित है। 'नए सामान्य (न्यू नॉर्मल)' युग में व्यवसाय के निर्बाध संचालन के लिए डिजिटल फंक्शन की भूमिका और आईटी प्रौद्योगिकी को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि एफएमएस मॉड्यूल लॉकडाउन और कोविड महामारी के दौरान उत्पन्न अवरोधात्मक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और कंपनी ने अपने सभी कार्यों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा किया है।

कारपोरेट रणनीतिक निर्णय के अनुरूप बनाना: इसके अतिरिक्त एफएएस मॉड्यूल के उन्नत और प्रोद्योगिकी के सही प्रयोग से मानवशक्ति के इष्टतम और प्रभावी प्रयोग के लिए टिहरी से कोटेश्वर एचईपी के वित्त विभाग/यूनिट को संचालित करने के कारपोरेट रणनीतिक निर्णय के साथ वित एवं लेखा विभाग सक्षम हो सकेगा। इसके अलावा, ढुकवां एसएचईपी को आउटसोर्सिंग मोड में संचालित किया जा रहा है और एनसीआर कार्यालय द्वारा वित्त संबंधी गतिविधियां की जा रही हैं, इसलिए, एफएमएस मॉड्यूल की उन्नति से वास्तविक समय में और सुचारू रूप से वित्तीय कार्यों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी।

वेबिनार के माध्यम से ज्ञान साझाकरण पहल: कारपोरेट वित्त एवं लेखा (एफ एंड ए) विभाग ने टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों द्वारा वेबिनार आयोजित करने की अवधारणा शुरू करने की पहल की है जो कर्मचारियों के ज्ञान साझा करने और व्यक्तिगत विकास के कारपोरेट उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके अलावा, यह प्रशिक्षण और विकास, जो बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाना है, पर लागत को भी कम करता है।

कर्मचारियों, वित्त और डेवलपर के बीच दोतरफा संचार: वित्त के लिए विभिन्न विभागों या कर्मचारियों के प्रश्न ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एफएमएस सपोर्ट सिस्टम मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसके अलावा, वित्त विभाग अपने प्रश्न ऑनलाइन डेवलपर को प्रस्तुत कर सकता है जिसके सापेक्ष ऑनलाइन समाधान या उत्तर प्रदान किया जाता है जो कर्मचारियों, वित्त और डेवलपर के बीच दो–तरफा संचार में मदद करता है।

क्रेडिट रेटिंग और वार्षिक निगरानी

टीएचडीसीआईएल की वित्तीय रेटिंग की वार्षिक निगरानी मेसर्स केयर और इंडिया रेटिंग द्वारा की जाती है। यह बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धी व्यय दरों पर ऋण पूँजी उठाने में मदद करती है। साथ ही हमारे हितधारकों को कंपनी के क्रेडिट जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। (इंडिया रेटिंग, 'केयर' और आईसीआरए द्वारा टीएचडीसीआईएल को दी गई वर्तमान रेटिंग एए है।)

नई पहलें 2020–21

टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला–III और IV जारी करना

टीएचडीसीआईएल ने निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ क्रमशः 7.19% प्रति वर्ष और 7.45% प्रति वर्ष की कूपन दर पर क्रमशः 800 करोड़ रुपये और 750 करोड़ रुपये की टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला III और IV को सफलतापूर्वक जारी किया है जो टीएचडीसीआईएल में हमारे हितधारकों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

सामाजिक और संबंध पूंजी

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में टीएचडीसी आईएल ने दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम जिसमें सतत आजीविका के लिए ग्रामीण समुदायों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण और पारिस्थितिकीय बहाली शामिल है, कार्यान्वित कर समग्र विकास दृष्टिकोण से संबंधित सीएसआर कार्यक्रमों को हमेशा ही अपनाया है। सभी सीएसआर हस्तक्षेप सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिकीय विकास और लक्षित समुदाय के जीवन में सतत परिवर्तन के क्षेत्रों पर विचार कर किए गए थे, जो टीएचडीसीआईएल के सीएसआर के अभिचिह्नित प्रक्षेत्रों, से स्पष्ट है ये उन उद्देश्यों के नाम पर हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) और उसके बाद की कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 के अनुपालन में तैयार की गई इसकी सीएसआर और सततता नीति, 2015 में "टीएचडीसी सहृदय" (मानव हृदय वाला कॉर्पोरेट) शीर्षक वाले अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। सीएसआर से जुड़े 7 चिन्हित क्षेत्रों में मोटे तौर पर वे गतिविधियां शामिल हैं जो अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध हैं, इस प्रकार हैं:

1.	टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य) – पोषण, स्वास्थ्य स्वच्छता और पेयजल परियोजनाएं
2.	टीएचडीसी जागृति (उज्ज्वल भविष्य के लिए पहलें) – शिक्षा संबंधी पहलें
3.	टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – आजीविका सृजन और कौशल विकास संबंधी पहलें
4.	टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) – ग्रामीण विकास
5.	टीएचडीसी समर्थ (सशक्तिकरण) – सशक्तिकरण से जुड़ी पहलें
6.	टीएचडीसी सक्षम (सक्षमता) – बुजुर्गों और विशेष रूप से समर्थ व्यक्तियों की देखभाल
7.	टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) – पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलें

सीएसआर तथा सततता गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में नियमित रूप से संवाद और संप्रेषण करने के लिए टीएचडीसीआईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संप्रेषण रणनीति है।

सीएसआर पर हमारा खर्च

टीएचडीसीआईएल अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत करता है। गतिविधियों की योजना बहुत पहले से बनाई जाती है, आबंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा के पूर्वानुमान के साथ और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समयावधि वाले विभिन्न उपलब्धि–चरण (माइलस्टोन) पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सांविधिक अनुपालन के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत है

प्रमुख पहलें

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में पहलें

कोविड –19 महामारी का प्रकोप, जिसने आय, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, आदि के विभिन्न पहलुओं में सभी के दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन और सामाजिक दूरी, हाथ धोने और मास्क के उपयोग जैसे कोविड –19 उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से प्रारंभिक

हस्तक्षेप किए गए। टीएचडीसीआईएल ने निवारक और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए जिला प्रशासन को स्वास्थ्य अवसंरचना सहायता, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लॉकडाउन की स्थिति और आजीविका के नुकसान से उबरने के लिए भोजन के पैकेट / किराना के सामान (ग्रोसरी) का वितरण, कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए जनता को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण

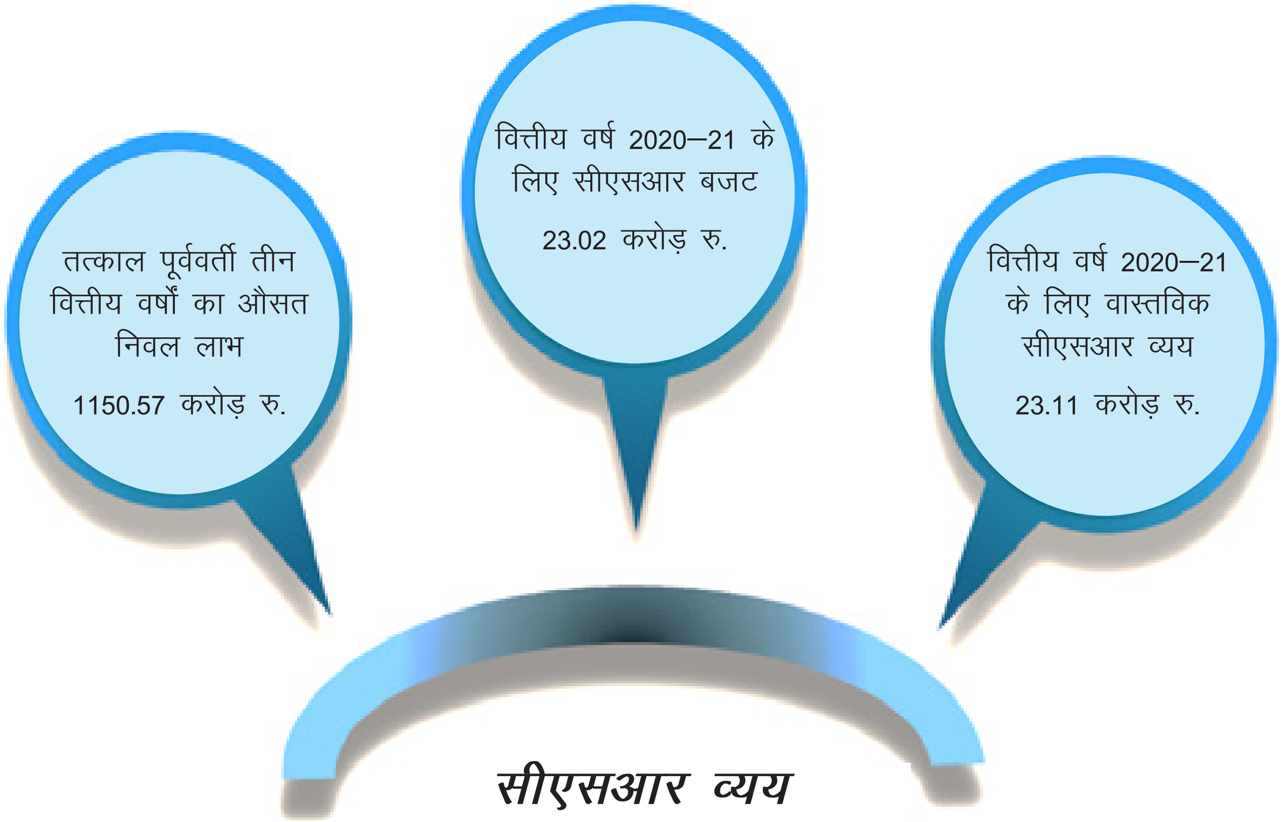

आदि कई पहले कीं। इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल ने पीएम केयर्स फंड में 7.4 करोड़ रुपये और उत्तराखंड के राज्य आपदा कोष में 1.45 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है।

स्वास्थ्य

अच्छा स्वास्थ्य लगभग हर उस चीज को उत्तेजित करता है जिसकी लोग, बीमारी से मुक्त होने के लिए और गरीबी, भूख से बचने के लिए, स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए, कार्य करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बिना भेदभाव के उपचार के लिए, अपने अधिकारों का दावा

करने में सक्षम होने के लिए और सुरक्षित परिवेश में रहने के लिए इच्छा करते हैं। टीएचडीसीआईएल प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थाओं के साथ विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों तथा जागरूकता अभियान के माध्यम से लगातार समाधान और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसीआईएल के समुदायोन्मुख कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

क. एलोपैथिक औषधालय का संचालन:

टीएचडीसीआईएल, शहीद भगत सिंह (सायंकालीन) कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से एलोपैथिक औषधालय का संचालन कर रहा है जो टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्र में दीनगांव ग्राम में अवस्थित है। इसमें

निःशुल्क परामर्श व औषधियां प्रदान की जाती हैं। यहां पर सभी बुनियादी सुविधाएं (अर्थात् एमबीबीएस डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, और बुनियादी रोग परीक्षण, एक्स–रे, ईसीजी, ऑन कॉल एम्बुलेंस सुविधा और माइनर ओटी) उपलब्ध हैं। यह एलोपैथिक औषधालय आसपास के लगभग 40 गांवों की लगभग 15000 आबादी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। इस औषधालय का वार्षिक व्यय लगभग 30 लाख रुपये है। टीएचडीसीआईएल ने कैलाश अस्पताल, बुलंदशहर के सहयोग से परियोजना स्थल के आसपास के 10 परियोजना प्रभावित गांवों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनवरी, 2019 से खुर्जा सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट (केएसटीपीपी) साइट, खुर्जा में एक अन्य

एलोपैथिक औषधालय भी शुरू किया है। इस औषधालय में सभी हितधारकों को निःशुल्क परामर्श एवं औषधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. मल्टीस्पेशिएलिटी चिकित्सा शिविरः सेवा

टीएचडीसी प्रत्येक वर्ष परियोजना प्रभावित क्षेत्रों और पुनर्वास स्थलों के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मल्टीस्पेशिएलिटी चिकित्सा शिविर भी आयोजित करता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कैलाश अस्पताल, खुर्जा के सहयोग से केएसटीपीपी के विभिन्न परियोजना प्रभावित स्थलों पर 4 नेत्र शिविर और निर्मल नेत्र संस्थान, ऋषिकेश के सहयोग से हरिद्वार जिले के पुनर्वास स्थल और टिहरी जिले के परियोजना प्रभावित गांव में 02 नेत्र शिविर आयोजित किए गए।

ग. टेली–मेडीसिन सेंटरः

टेली मेडीसिन स्कीम में, दूर–दराज स्थित स्थान से नैदानिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला उदाहरण है जिसे दिसम्बर, 2017

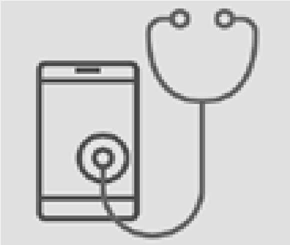

में शुरु किया गया था। जिला प्रशासन, टिहरी के साथ समन्वय कर टिहरी जिले में 40 टेलीमेडिसिन केन्द्र प्रचालनरत हैं और 200 ग्राम सभाओं के लगभग 01 लाख लोगों की जरुरतें पूरी कर रहे हैं। सभी टेलीमेडिसिन केंद्र मेडिकल किट (ब्रीफकेस) से सुसज्जित हैं जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मशीन, वाईफाई ईसीजी रिकॉर्डर, एक्स–रे व्यू बॉक्स, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक उपकरण और एक व्यापक पैथोलॉजिकल किट के साथ–साथ 500 आवश्यक दवाओं की सूची और जिला अस्पताल के साथ निदान, डाटा हस्तांतरण और संचार की सुविधा के लिए पोर्टेबल हॉट स्पॉट वाला एक एंड्रॉइड टैबलेट शामिल है। टिहरी जिला प्रशासन के साथ टीएचडीसीआईएल को लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई–गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड–19 के मद्देनजर, जहां सामाजिक दूरी और लॉकडाउन वायरस के प्रसार को रोकने के प्रमुख साधन थे, टेली–मेडिसिन केंद्रों ने जिला अस्पताल टिहरी के चिकित्सकों और एम्स, ऋषिकेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों को जोड़कर दूरदराज के गांवों के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

घ. शिक्षा

वंचित/अल्प सुविधा प्राप्त समुदायों को शिक्षा प्रदान करने उच्च और तकनीकी शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और व्यावसायिक शिक्षा, अवसंरचनात्मक सहायता देने के लिए

कारगर हस्तक्षेप किए गए हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र में किए गए मुख्य हस्तक्षेपों में से एक निम्नलिखित हैः

वंचित/अल्प सुविधा प्राप्त समुदायों के लिए स्कूल चलानाः

टीएचडीसीआईएल, वंचित/कमजोर वर्गों के लिए टिहरी जिले के भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में तथा देहरादून जिले के ऋषिकेश में तीन स्कूल चला रहा है। इन स्कूलों में लगभग 900 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें 50 प्रतिशत लड़कियां हैं जिन्हें निःशुल्क वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री, बस सेवा आदि तथा "नैवेद्यम" स्कीम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन दिया जाता है जिस पर 6 करोड़ रूपये वार्षिक व्यय होता है। सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, बच्चों की सीखने की निरंतरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गईं। पूरे वर्ष छात्रों के सीखने और विकास के क्रम को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के साथ नियमित असाइनमेंट, अध्ययन सामग्री और सूचनात्मक सामग्री साझा की गई।

प्राकृतिक पूंजी

विश्व में प्राकृतिक सम्पतियों के ई–भंडार को प्राकृतिक

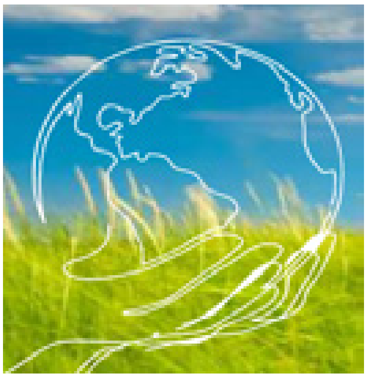

पूंजी माना जा सकता है जिसमें भूगर्भ विज्ञान, मृदा, हवा, पानी तथा सभी जीवित वस्तुएं आती हैं। इससे तात्पर्य हमारे द्वारा सुरक्षित और सृजित किए जाने वाले मूल्यों से होता है जो हम अपने बाहरी और आंतरिक हितधारक और

समुदाय के लिए सृजित करते हैं या वे कदम हैं जो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण/पर्यावरण उपशमन के लिए उठाते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने अपनी स्थापना के समय से ही प्राकृतिक पूंजी को अपना महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के हर पक्ष पर बल दिया जाता है, जिनमें वायुमंडलीय उत्सर्जन (विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों) में कमी, मिट्टी और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, स्रोत पर अपशिष्ट का न्यूनीकरण, अपशिष्ट का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण और हरित पट्टी विकास शामिल हैं।

क. विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान

- टीएचडीसीआईएल 2006–07 से 2020–21 तक देश को लगातार बिजली उपलब्ध करवाता रहा है और अपने जल, पवन और सौर विद्युत संयंत्रों, जो विद्युत के स्वच्छ एवं हरित स्रोत हैं, के माध्यम से 57,704.143 एमयू स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया है। इससे देश के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिली है।
- स्थापना के पहले वर्ष से वर्ष 2020–21 तक, टीएचडीसीआईएल ने कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम बचाने में देश की मदद की है जिनका उपयोग इतनी ही मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए किया गया होता। टीएचडीसीआईएल के अपने प्रचालन से कुल 30006180.72 मीट्रिक टन कोयले की, 58338939.0 एमसीएफ प्राकृतिक गैस की, और 99828255.10 बैरल पेट्रोलियम की बचत हुई है।

ख. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी

- जल और नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों को बचाया बल्कि टीएचडीसीआईएल को जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध लड़ाई में सक्रिय सदस्य बनने में भी मदद की। जलविद्युत परियोजनाओं के प्रचालन के परिणामस्वरूप, टीएचडीसीआईएल ने अपनी जलविद्युत परियोजनाओं से 51508557.1 टन कार्बन डाई आक्साइड (CO_2), सौर परियोजनाओं से 16300.325 टन कार्बन डाई आक्साइड और पवन विद्युत परियोजनाओं से लगभग 1018449.66 टन कार्बन डाई आक्साइड का उत्पादन होने से बचाया।

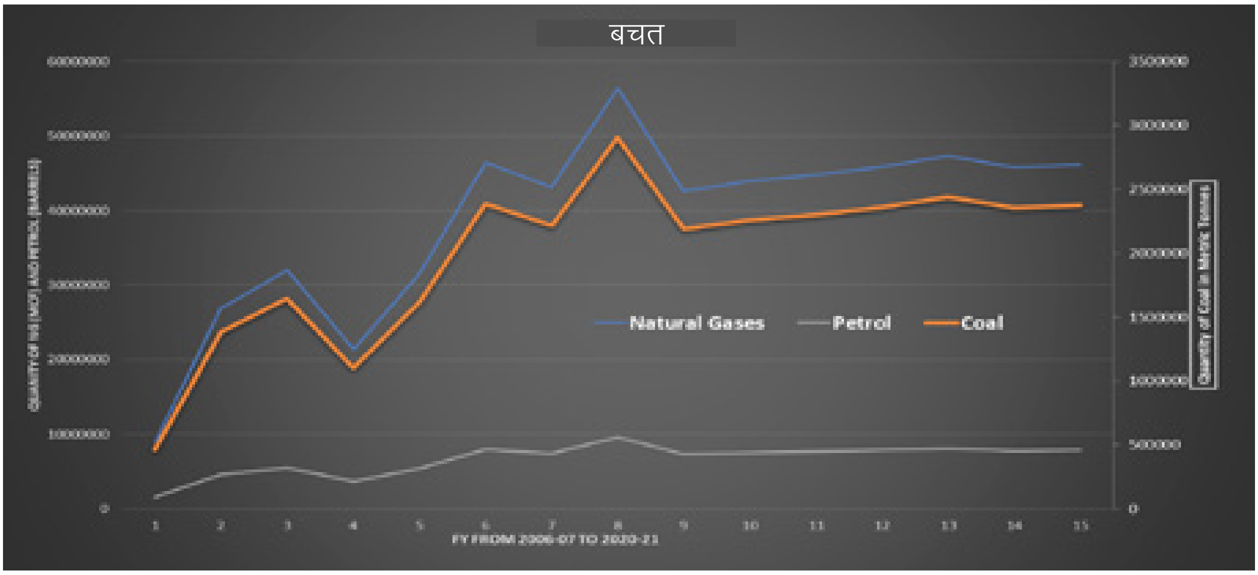

1. *http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2020/installed_capacity-04.pdf*
2. यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 01 किलोवाट के उत्पादन के लिए: कोयला–0.00052 शार्ट टन या 1.04 पौंड या प्राकृतिक गैस–0.01011 एमसीएफ (एक एमसीएफ में 1000 क्यूबिक फीट शामिल होता है) या पेट्रोलियम –0.00173 बैरल (या 0.07 गैलन) (https://www.eia.gov/tools/faqs/faq-cfm\id=667&t=2)

ग. कार्बन सिंक का सृजनः हरित पट्टी

मुख्य प्राकृतिक कार्बन सिंक पौधे, समुद्र और मिट्टी हैं। पेड़ प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उपयोगी जीवन देने वाली वायु 'ऑक्सीजन' प्रदान करते हैं। इस कार्बन में से कुछ मात्रा मिट्टी के वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि पौधे मर जाते हैं और सड़ जाते हैं।

- प्राकृतिक व्यवस्था में पेड़ों के महत्व को स्वीकार करते हुए, टीएचडीसीआईएल वन और वृक्षों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जहां भी परियोजना गतिविधि के लिए वन की कटाई आवश्यक है, टीएचडीसीआईएल, वन सुरक्षा (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार प्रतिपूरक वानिकी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है।
- हरित पट्टी विकासः टिहरी एचईपी में अब तक 1138 हेक्टेयर भूमि और केएचईपी में 450 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हरित पट्टी विकसित की जा चुकी है।
- प्रतिपूरक वानिकीः टिहरी विद्युत परिसर के सापेक्ष, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 3959 हेक्टेयर, झांसी, उत्तर प्रदेश में 638.22 हेक्टेयर और हरिद्वार, उत्तराखंड में खानपुर वन रेंज में 2716.40 हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि में प्रतिपूरक वनरोपण किया गया है।
- अपवाह क्षेत्र परिशोधनः 52204 हेक्टेयर (44157 हेक्टेयर वन भूमि 8047 हेक्टेयर कृषि भूमि) में अपवाह क्षेत्र परिशोधन योजना लागू की गई है।
- केएटीपीपी के आस–पास की 400 एकड़ भूमि में हरित पट्टी विकसित की जाएगी। प्रति हेक्टेयर और 2000–2500 पेड़ मल्टी लेयर में लगाए जाएंगे और रोपे जाने के समय पौधे की ऊंचाई 6–10 फीट होगी। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने और कार्बन सिंक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ङ जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलनः औषधीय उद्यान, मत्स्य प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण

जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित गतिविधियां कार्यान्वित की हैंः

- टिहरी परियोजना के औषधीय उद्यान के अतिरिक्त, वीपीएचईपी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। औषधीय उद्यान का विकास किया गया है और इसका अनुरक्षण कार्य हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से किया जा रहा है। औषधीय गुण वाले विभिन्न पौधे जैसे हरड़ (टर्मिनेलिया चेबुला), लेमन ग्रास (सिम्बोपोगन फेलक्सुसस), सर्पगंधा (रौवोल्फियासर्पेंसिआ), एलोवेरा आदि रोपित

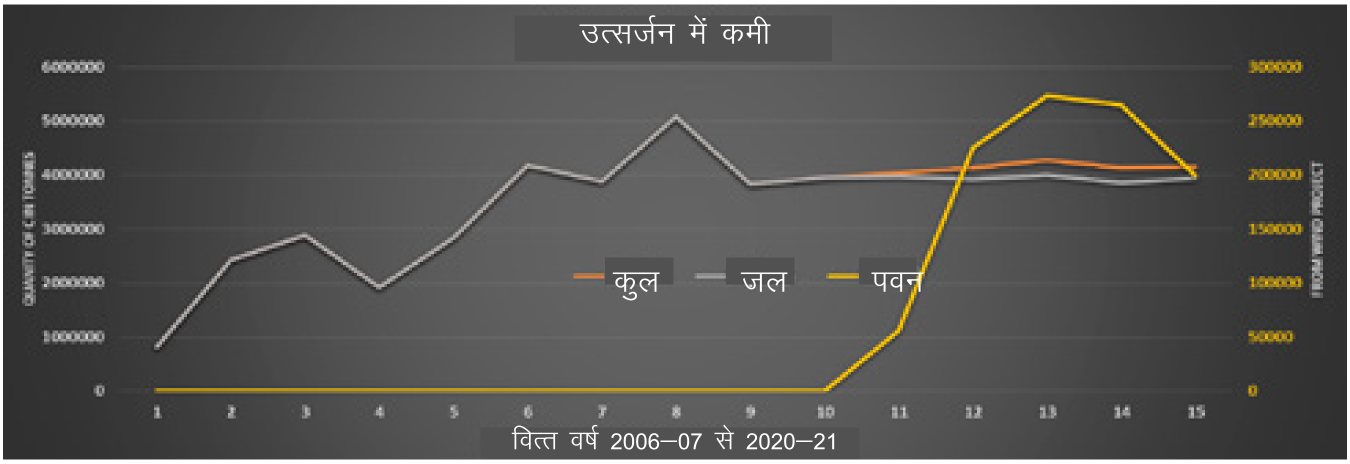

3: कार्बनडाइऑसाइड बेस लाइन डाटाः http://www.cea.nic.in/reports/others/thermal/tpece/cdm_co2/user_guide_ver14.pdf

4: टीएचडीसीआईएल परियोजना स्थिति रिपोर्टः THDCIL project status report: https://www.thdc.co.in/project-list

किए गए हैं। औषधीय उद्यान में विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए, ***मार्च, 2021*** तक 17.98 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

- शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर), भीमताल की अनुशंसाओं के अनुसार, 'स्नो ट्राउट' मछलियों के संरक्षण के लिए वीपीएचईपी में मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला का निर्माण किया जा रहा है। कोटेश्वर परियोजना में महाशीर मछलियों के लिए मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला पहले से ही कार्यशील है।
- आसपास के प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों और पुरातात्विक संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण के लिए टीएचडीसीआईएल के संपूर्ण परियोजना स्थल में पर्यावरण प्रबंधन योजना मौजूद है।
- हरित पट्टी विकासः 400 एकड़ क्षेत्र में हरित पट्टी विकास योजना प्रस्तावित है। राज्य वन विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से प्रस्ताव/अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि, परियोजना की सीमा के बाहरी परिधि में अब तक लगभग 5000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं।

च. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान

- ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान के अंतर्गत, उत्तराखंड के लिए नोडल एजेंसी के रूप में टीएचडीसीआईएल प्रति वर्ष स्कूली बच्चों के लिए राज्य स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करता है।

छ. पर्यावरण प्रबंधन एवं निगरानी

छ. खुर्जा एसटीपीपी में पर्यावरण प्रबंधनः

टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा में एक कोयला आधारित 1320 मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी सौंपा गया है, जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के तहत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों को निर्माण गतिविधि के साथ–साथ निष्पादित

कोटेश्वर एचईपी के अपस्ट्रीम का दृश्य

किया जाना है।

अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं	• टीएचडीसीआईएल ने ई–कचरे के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिकृत तृतीय पक्ष ई–कचरा संचालकों को सूचीबद्ध किया है। • ऋषिकेश टाउनशिप में उत्पन्न होने वाली कैंटीन और बागवानी कचरे का उपयोग बायोगैस संयंत्र में किया जा रहा है, जिसे टेरी की पेटेंट तकनीक–टीएएम (टीईआरआई की एन्हांस्ड एसिडिफिकेशन एंड मिथेनेशन) प्रक्रिया के आधार पर विकसित किया गया है।
मलबा प्रबंधन	• चिन्हित क्षेत्र में और बाढ़ के उच्च स्तर से काफी ऊपर मलबा डंप किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मलबे को संभालने के लिए साइटों पर इंजीनियरिंग उपायों और जैविक उपायों को अपनाया जाता है। वीपीएचईपी में डंपिंग यार्ड में ढलान स्थिरीकरण उपाय के रूप में वेटीवार (क्राइसोपोगोन जिजानियोइड्स) घास के रोपण का कार्य सितंबर 2018 से शुरू किया गया है।
पर्यावरण निगरानी	• वायु, जल और ध्वनि की गुणवत्ता की समय–समय पर निगरानी की जा रही है। अभी तक वायु, जल और ध्वनि की गुणवत्ता के सभी पैरामीटर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित अनुमेय सीमा के अंतर्गत हैं।
वन्य जीवन संरक्षण	• टीएचडीसीआईएल आस–पास के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वीपीएचईपी पर्यावरण प्रबंधन योजना में वन्य जीवन संरक्षण के लिए एक अलग शीर्ष है। टीएचडीसीआईएल सभी श्रमिक शिविरों को ईंधन की लकड़ी और जंगली जानवरों के शिकार के लिए जंगल पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए एलपीजी गैस और मेस की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही परियोजना स्थल पर वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वायु पर्यावरण की सुरक्षा करना:

खुर्जा एसटीपीपी में कुछ उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग (पर्यावरण प्रबंधन योजना का हिस्सा) करके टीएचडीसीआईएल वातावरण में खतरनाक गैसों और कणों के प्रत्यक्ष उत्सर्जन के सुरक्षोपाय कर रहा है। इनमें से कुछ तकनीकों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- फ्लाई ऐश कणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89% दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) लगाए जाएंगे। प्रीसिपिटेटर्स को सूक्ष्म कणों की सांद्रता को 30 मिग्रा/एन.मी^{3} से कम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
- बॉयलरों को अल्प नाइट्रस ऑक्साइड (NO_x) बर्नर प्रदान किया जाएगा और फ्लू गैसों को 100 मिग्रा/एएन^3 से नीचे नाइट्रस ऑक्साइड (NO_x) और सल्फर डाइ ऑक्साइड (SO_2) सांद्रता को सीमित करने के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक नाइट्रस ऑक्साइड (NO_x) रिडक्शन एंड फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के माध्यम से निकाला जाएगा।

- फ्ल्यू गैसों को फिर से गर्म किया जाएगा और 275 मीटर ऊंचाई वाली चिमनी के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

ज. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

खुर्जा एसटीपीपी:

विद्युत परियोजना से उत्पन्न होने वाला मुख्य ठोस अपशिष्ट राख होगा। राख प्रबंधन योजना लागू की जाएगी जिसमें फ्लाई ऐश का सूखा संग्रह, उपयोग के

लिए उद्यमियों को राख की आपूर्ति और अधिकतम सीमा तक राख के उपयोग को बढ़ावा देना और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल है। इसे लागू करने के लिए, टीएचडीसीआईएल में खुर्जा ईएमपी के लिए फ्लाई ऐश प्रबंधन योजना है।

वीपीएचईपी:

घरेलू/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट:

श्रमिक शिविर में प्रतिदिन लगभग 30 किलो से भी कम कचरा उत्पन्न हो रहा है। कचरे का पृथक्करण स्रोत पर किया जाता है। ठोस कचरे को 300 संग्रह डिब्बों में एकत्र किया जा रहा है, जिन्हें श्रमिक शिविर और निर्माण स्थलों पर रखा गया है, जिनमें से 250 डिब्बे बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए हैं और गैर–बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए 50 डिब्बे हैं। बाद में कचरे को अंतिम निपटान के लिए नगर पालिका को सौंप दिया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट: जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से संबंधित सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। स्वस्थ मानव और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया जा रहा है। जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत स्रोत पर पृथक्करण है और हरित एवं स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट में कमी का पालन किया जा रहा है। इसके लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को कलर कोडिंग बिन में रखा जा रहा है। इसके बाद अपशिष्ट को अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को सौंप दिया जाता है।

खतरनाक अपशिष्ट: वीपीएचईपी में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है। उत्पन्न अपशिष्ट में प्रयुक्त टायर और ट्यूब, अपशिष्ट तेल, हाइड्रोलिक तेल, गियर तेल, ग्रीस, बैटरी और तेल युक्त अन्य अवशेष शामिल हैं। सभी अपशिष्ट को लीक प्रूफ बंद पात्र (ड्रम) में एकत्र किया जाता है। हाइड्रोलिक तेल और अन्य अपशिष्ट तेल बंद कंटेनरों में एकत्र किए जाते हैं और खतरनाक अपशिष्ट संग्रह क्षेत्र में संग्रहीत किए जाते हैं। अंत में, कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइक्लर) मेसर्स श्रुति केमिकल को सौंप दिया जाता है।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसंपत्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन में होता है और प्रमुख हितधारकों के लिए मूल्य जोड़कर संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

प्रौद्योगिकीय स्तरोन्यन के लिए नूतन उपाय

- ***टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी***

  उपलब्धता, विश्वसनीयता, मशीनों की कालावधि और संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए, वर्ष 2011–12 से टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की स्थिति की निगरानी और नैदानिक परीक्षण मेसर्स सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलोर द्वारा किया जा रहा है।

  वित्त वर्ष 2020–21 में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी की गई और परीक्षण के परिणामों ने उपस्कर की स्थिति अच्छी होने की पुष्टि की है।

- ***अनुसंधान और विकास***

  प्रौद्योगिकी आमेलन, परियोजनाओं की आवर्ती समस्याओं के लिए अत्याधुनिक समाधान और जल विद्युत केंद्रों के कुशल और विश्वसनीय प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अन्य राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ाव को बढ़ाने के लिए संस्थागत अनुसंधान और विकास गतिविधियां कार्यान्वित की गईं। अनुसंधान और विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में अलग से एक अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। चल रही अनुसंधान और विकास गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

  क. टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र के सेडीमेंट यील्ड का मूल्यांकन

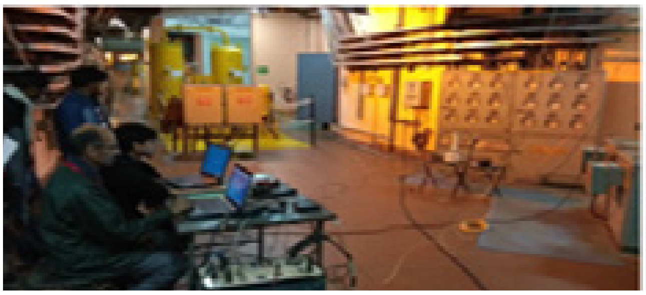
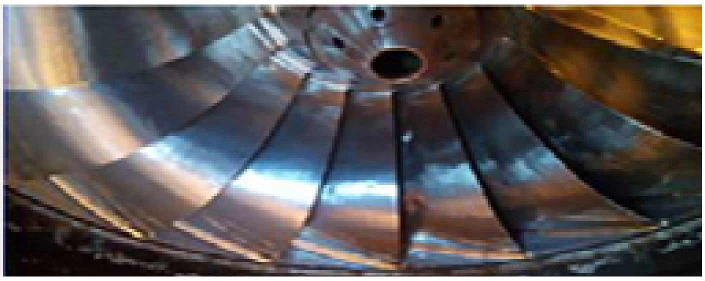

ख. टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में परिनियोजित 18–स्टेशन भूकंपीय नेटवर्क तथा टिहरी और कोटेश्वर बांध में स्थापित 13–स्टेशन सुदृढ़ गति नेटवर्क का संचालन और रखरखाव

ग. टिहरी क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूंकपीय नेटवर्क का विस्तार और स्तरोन्नयन (दीर्घकालिक)

घ. जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क की ढलान की स्थिरता के लिए व्यापक समाधान

1. आईआईटी रूड़की द्वारा जिओटेक्निकल इंजीनियरिंग घटक
2. पीईसी–चंडीगढ़ द्वारा जिओमैटिक इंजीनियरिंग घटक

ङ. टिहरी बांध जलाशय के लिए वास्तविक समय प्रवाह में सुधार के लिए परामर्श:

1. परामर्शी सेवाओं के लिए और
2. संस्थापन और प्रारंभण के लिए

च. टिहरी और केएचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी (वित्त वर्ष 2020–21 के लिए)

छ. हाइड्रो जनरेटर से चलने वाली पारेषण लाइनों में घट–बढ़ विश्लेषण और उपशमन

सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क

संगठन के भीतर उत्पन्न होने वाले आंतरिक ज्ञान को ग्रहण करने, संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए ज्ञान प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रभावी ज्ञान प्रबंधन मंच के बिना अक्सर निर्माण और प्रचालन के दौरान उत्पन्न ज्ञान भविष्य के संदर्भ के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है। ज्ञान, सूचना, प्रमुख सीख, सफलता की कहानियों आदि के आंतरिक आदान–प्रदान की सुविधा के लिए, ***टीएचडीसीआईएल ने अपने वेब पोर्टल पर एक सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क*** शुरू किया है जिसमें कर्मचारी लॉग इन कर सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं जो प्रक्रिया में सुधार और कर्मचारियों के ज्ञान के उन्नयन में मदद कर सकते हैं।

क्वालिटी सर्किल

टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को क्वालिटी सर्किल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें क्वालिटी सर्किल में नियोजित कर रहा है। यह संकल्पना है जहां कर्मचारीगण अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान करते हैं और स्वयं द्वारा

समाधान का प्रस्ताव कर उनका कार्यान्वयन भी करते हैं। यह कर्मचारियों के बीच कौशल विकास, आत्मविश्वास, मनोबल और टीम वर्क के मूल्यों को बढ़ाता है। वार्षिक गुणवत्ता सर्किल मीट का आयोजन किया जाता है और चुने गए क्वालिटी सर्किल बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वालिटी सर्किल फोरम आफ इंडिया द्वारा एनसीक्यूसी, 2020 में, 09 टीमों में से 05 टीमें अति उत्कृष्ट थीं, 02 टीमें उत्कृष्ट थीं और 02 टीमें विशिष्ट थीं।

मूर्त पूंजी

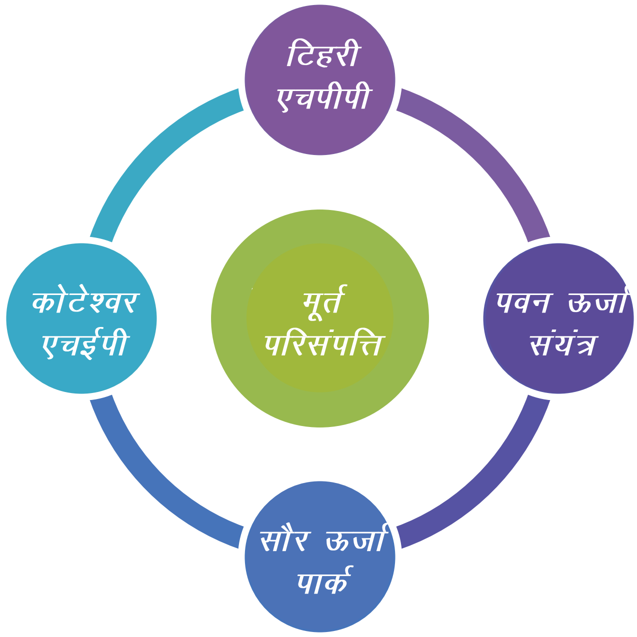

आज की तारीख में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 1587 मेगावाट है जिसमें जल विद्युत से 1424 मेगावाट (1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी, 400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी, 24 मेगावाट ढुकवां एसएचईपी) और पवन से 113 मेगावाट (50 मेगावाट पाटन परियोजना और 63 मेगावाट द्वारका परियोजना) तथा 50 मेगावाट की कासरगोड़ सौर पार्क परियोजना शामिल है।

टिहरी विद्युत काम्पलैक्स (2400 मेगावाट)

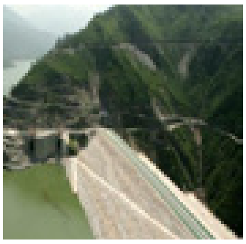

टिहरी बांध से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए टिहरी बांध के निचले हिस्से में कोटेश्वर एचईपी का निर्माण किया गया है और अब यह प्रचालन में हैं। टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जिसके लिए टिहरी और कोटेश्वर जलाशय ऊपरी धारा और निचली धारा के रूप में काम करते हैं, निर्माणाधीन है। टिहरी काम्पलैक्स की ये तीनों समेकित परियोजनाएं बहुत कठिन कार्य हैं क्योंकि इन्हें एक ओर सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करनी होती है और दूसरी ओर उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ ग्रिडों को भी आपूर्ति करनी होती है।

टिहरी एचपीपी (4×250 मेगावाट)

- भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा अर्थ एंड रॉक फिल डैम टिहरी एचपीपी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है।
- टिहरी परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना है जो उत्तरी क्षेत्र को विद्युत लाभ, उत्तर प्रदेश को सिंचाई

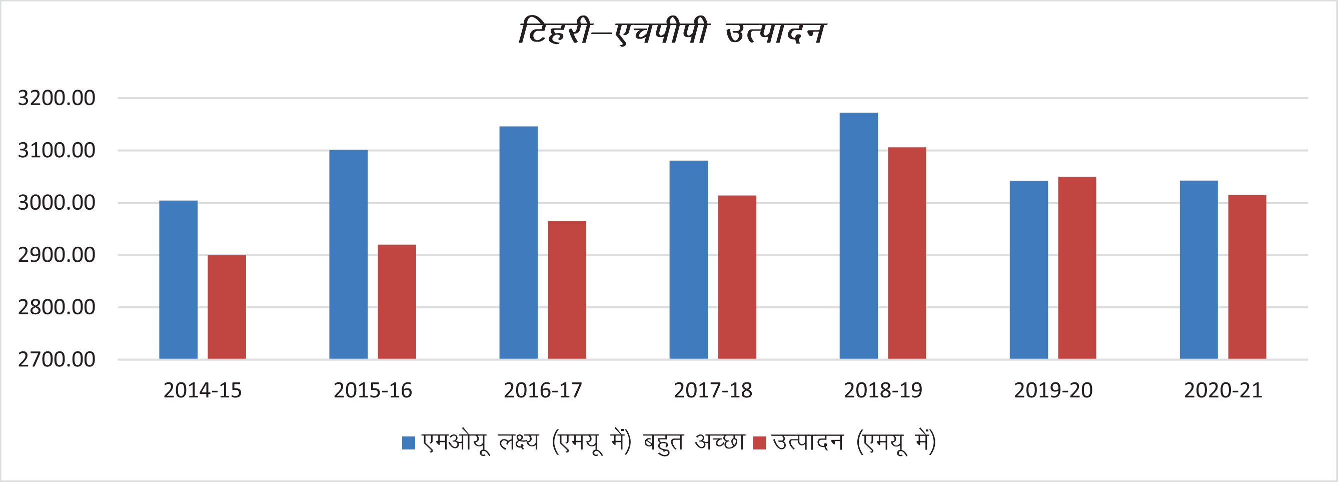

लाभ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल लाभ प्रदान कर रही है।

- भंडारण परियोजना होने के नाते, टिहरी बांध ने बाढ़ शमन में मदद की, जिसका प्रदर्शन वर्ष 2010, 2011 और 2013 की बाढ़ों के दौरान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, टिहरी के मशीनों के सिंक्रोनस कंडेंसनर मोड में चलाये जाने का प्रावधान है ताकि आवश्यक होने पर रिएक्टिव पावर (वोल्टेज में सुधार के लिए ग्रिड को उपलब्ध करवाया जा सके।

कोटेश्वर एचईपी (4×100 मेगावाट)

टिहरी जलाशय के निचले हिस्से में स्थित 400 मेगावाट के कोटेश्वर विद्युत गृह को अप्रैल, 2012 में चौथी यूनिट में ग्रिड के सिंक्रोनाइजेशन के साथ वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किया गया था। कोटेश्वर विद्युत संयंत्र में ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी का भी प्रावधान है जिसके द्वारा ग्रिड फेल होने पर यह ग्रिड को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केएचईपी का उत्पादन निम्नानुसार है:

केएचईपी उत्पादन

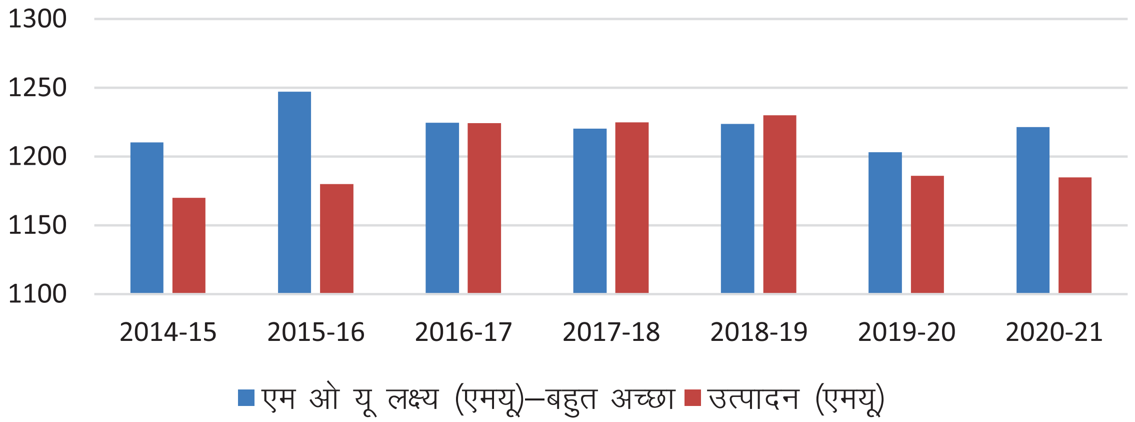

ढुकवां एसएचईपी (3×8 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूदा ढुकवां चिनाई–सह–मृदा बांध के पादाग्र पर ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किए जाने की परिकल्पना की गई। 24 मेगावाट (3 × 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता वाली यह परियोजना बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग है। परियोजना निर्माणाधीन है और सभी तीन यूनिटों को दिसम्बर, 2019 तक चालू किया गया था।

- ***ढुकवां परियोजना कई रूप में प्रथम है:***

  क. टीएचडीसी की पहली नहर आधारित परियोजना

  ख. टीएचडीसी का पहला पूरी तरह से संस्थागत सिविल डिजाइन

  ग. लघु जलविद्युत परियोजना में टीएचडीसी की पहली परियोजना

  घ. टीएचडीसी की पहली कपलान टर्बाइन वाली परियोजना

  ङ. उत्तराखंड के बाहर टीएचडीसी की पहली जलविद्युत परियोजना

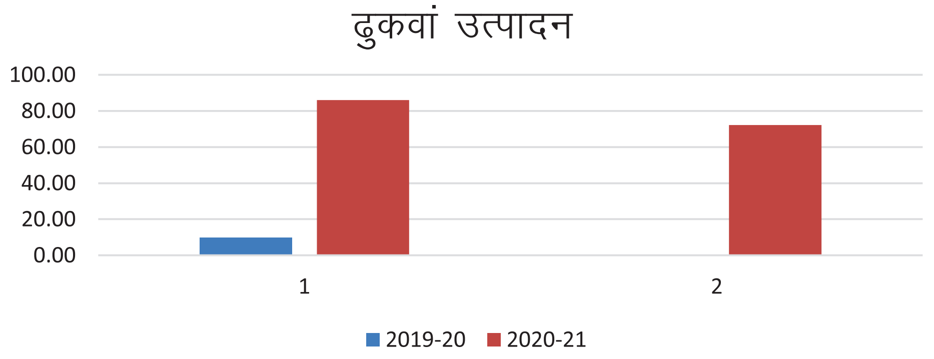

1. एम ओयू लक्ष्य एम.यू
2. उत्पादन एम.यू

ऊर्जा के अन्य रूपों में विविधीकरण पवन ऊर्जा

1. पवन ऊर्जा

29 जून, 2016 को 2–2 मेगावाट के 25 पवन टर्बाइन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में 50 मेगावाट का योगदान करते हुए, टीएचडीसी ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि शामिल कर ली। पवन टर्बाइनों को गुजरात के पाटन जिले में संस्थापित किया गया है तथा मेसर्स गामेसा, जो एक अग्रणी पवन विद्युत उत्पादक है, द्वारा निर्धारित समय से 2 माह पहले ही कमीशन कर दिया गया था, और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है।

- प्रत्येक 2.1 मेगावाट की 30 मशीनें अर्थात् 63 मेगावाट को 31 मार्च, 2017 को नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया। इस परियोजना को मेसर्स सुजलोन द्वारा शुरू किया गया था और ये टर्बाइनें देवभूमि, द्वारका में अवस्थित हैं।

वर्ष	*पाटन पवन विद्युत परियोजना*		*देवभूमि द्वारका पवन विद्युत परियोजना*	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	*सीयूएफ (प्रतिशत)*	*ऊर्जा उत्पादन (एमयू)*	*सीयूएफ (प्रतिशत)*
2016-17	59.049	17.59%	0.1387	0.30%
2017-18	90.2219	20.60%	149.45	27.08%
2018-19	108.318	24.73%	182.89	33.14%
2019-20	104.073	23.70%	177.83	32.22%
2020-21	**75.642**	**17.27%**	**136.436**	**24.72%**

2. सौर ऊर्जा

टीएचडीसीआईएल, सौर ऊर्जा में विविधीकृत हो रही है और केरल के कासरगाड जिले में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना शुरू की जिसे दिनांक 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। संयंत्र ने वित्त वर्ष 2020–21 में 17.4 एमयू का उत्पादन किया है।

3. ताप ऊर्जा (खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट –1320 मेगावाट)

यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इस संयंत्र से कुल वार्षिक उत्पादन 9828 एमयू होगा जो विद्युत उपलब्धता फैक्टर (पीएएफ) के 85 प्रतिशत के समनुरुप होगा। अमेलिया कोयला खदान परियोजना

के लिए 1587.16 करोड़ की राशि के अतिरिक्त इस परियोजना के लिए 11,089.42 करोड़ रूपये की राशि हेतु निवेश अनुमोदन भी दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 09.03.2019 को खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधार शिला रखी। कुल 1200.843 एकड़ भूमि का भौतिक अधिग्रहण कर लिया गया है। पर्यावरणीय मंजूरी, चिमनी का निर्माण, जल प्रतिबद्धता, रेलवे साइडिंग और निर्माण शक्ति आदि सहित वैधानिक मंजूरी प्रदान की गई है। 6242 करोड़ रुपये के मूल्य वाले प्रमुख संयंत्र पैकेज अर्थात् स्टीम जेनरेटर, टर्बाइन जेनरेटर, स्विचयार्ड, कूलिंग टावर्स और रेलवे साइडिंग पहले से ही एवार्ड किये जा चुके हैं और साइट पर कार्य तेजी से चल रहा है। शेष संयंत्र पैकेज भी अक्टूबर–21 तक दिए जाने की उम्मीद है। बॉयलर यूनिट#1 का उत्थापन कार्य प्रगति पर है और बॉयलर यूनिट#2 का उत्थापन भी दिनांक 17 अगस्त, 2021 से शुरू हो गया है। मुख्य विद्युत गृह भवन का निर्माण भी प्रगति पर है। पहली यूनिट के फरवरी –2024 तक चालू होने का अनुमान है।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1. टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (4X250 मेगावाट)

- भारत में पीएसपी का सबसे बड़ा 4×250 मेगावाट का टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट पूरा हो जाने पर उत्तरी क्षेत्र में 1000 मेगावाट क्षमता उत्पादन की वृद्धि करेगा। यह ऊपरी जलाशय ओर निचले जलाशय (रिजर्वायर) के बीच छोड़े गए पानी के पुनर्चक्रण की अवधारणा पर आधारित है। टिहरी बांध भंडारण रिजर्वायर अपर रिजर्वायर के रूप में और कोटेश्वर रिजर्वायर निचले संतुलकारी रिजर्वायर के रूप में काम करेगा। वर्तमान में सिविल, एचएम और ईएम कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना की पहली इकाई के दिसम्बर, 2022 तक चालू होने की उम्मीद है।

2. विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4×111 मेगावाट)

- वीपीएचईपी 'रन आफ दि रिवर' परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में

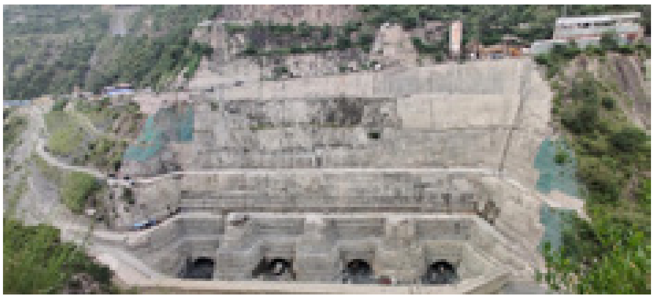

टीआरटी आउटलेट टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) का दृश्य

स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डैम की परिकल्पना की गई है जो अलकनंदा नदी पर 237 मीटर के सकल शीर्ष के साथ तेजी लाएगा। यह 1674 एमयू यूनिट (90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष) का उत्पादन करेगा। परियोजना बैंक के ऋण भाग का वित्तपोषण विश्व बैंक कर रहा है। सिविल और एचएम निर्माण कार्यों तथा ईएम कार्यों में सामंजस्य बिठा कर परियोजना की पहली इकाई के जून, 2024 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

मानव पूंजी

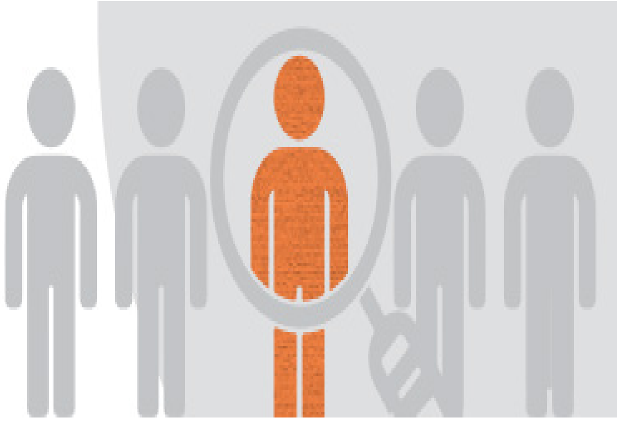

प्रत्येक संगठन की सफलता पूर्ण रूप से उसके कार्यबल की योग्यता और प्रेरणा पर आधारित होती है। 'मानव पूंजी' का महत्व उस क्षेत्र में और भी अधिक स्पष्ट है जो स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम, पूंजी गहन और प्रौद्योगिकी–संचालित होता है। मानव पूंजी मूलतः किसी व्यक्ति या लोगों के कौशल, ज्ञान और अनुभव को कहते हैं जिसे किसी संगठन के मूल्य और लागत के रूप में देखा जाता है। टीएचडीसीआईएल, क्षमता में निरंतरता बनाए

रखने के लिए अपने मानव समूह में युवाओं को स्थान देता है। कंपनी अखिल भारतीय परीक्षा 'गेट', यूजीसी नेट, कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञतायुक्त क्षेत्रों अर्थात एचआर, इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, जनसंचार और पर्यावरण में कार्यपालकों को हायर करती है। संरचित मानव संसाधन विकास की दिशा में कंपनी के प्रयासों में 'क्षमताओं को मजबूत करना' हमेशा फोकस क्षेत्र रहा है। कोविड–19 के साथ ही एक अलग प्रौद्योगिकी संचालित परिदृश्य उभर कर आया है जहाँ कम के माध्यम से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। नया परिदृश्य निर्णय लेने की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों का कार्यन्वयन करने के अतिरिक्त लाभ की पेशकश करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ न्यूनतम संचलन के साथ कुशल जिम्मेदारी निर्वहन की पेशकश करता है।

हमारी मानव पूंजी और उनका सुदृढ़ीकरण

- दिनांक 31.03.2021 को टीएचडीसीआईएल की मानव पूंजी 1736 है जिसमें 842 कार्यपालक, 83 पर्यवेक्षक, 811 कामगार शामिल हैं। वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल ने इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में 13 कार्यपालक प्रशिक्षुओं की भर्ती की है।
- ऋषिकेश में स्थित एक उन्नत समर्पित एचआरडी केन्द्र कंपनी की प्रशिक्षण जरुरतों को पूरा करता है। हमारे कर्मचारियों की अंतर्निहित क्षमता, योग्यता और कौशल में सुधार लाने के लिए टीएचडीसीआईएल में आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न कौशल प्रशिक्षण, व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण और पेपर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास के लिए प्रतिभा की पुनःपूर्ति और योग्यता अंतराल को पाटना महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। अभिचिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। कोविड–19 के बाद के परिदृश्य में, कंपनी ने अपने अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे इसके कार्यबल के ज्ञान उन्नयन में किसी भी व्यवधान को कम किया जा सके। हम भिन्न–भिन्न एजेंसियों को परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी को इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े अनेक विषयों अर्थात हाइड्रोलोजी, विद्युत, सिविल, जियोटेक्नीकल डिजाइन और एचार में आंतरिक विशेषज्ञता प्राप्त है। महामारी के समय में भी, टीएचडीसी की सीखने और विकास की पहल निर्बाध रूप से जारी रही, इसलिए इस अवधि के दौरान 3569 कार्य दिवसों के लिए बाहरी नामांकन, जिनमें से 2554 मानव दिवस ऑनलाइन मोड के माध्यम से और 1015 मानवदिवस ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए, के अलावा तकनीकी, प्रबंधकीय और व्यवहारिक डोमेन पर 80 समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

31.03.2021 को कर्मचारियों की संख्या 1736
"नए भर्ती 13 कार्यपालक"

3569 प्रशिक्षण मानव दिवस

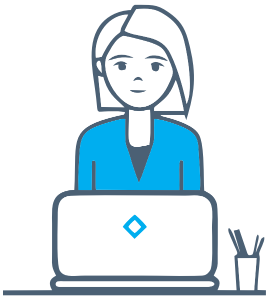

कार्यस्थल में 6.10% महिलाएं

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

टीएचडीसीआईएल का नेतृत्व और भावी नेतृत्व के महत्व में दृढ़ विश्वास है। नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए, कारपोरेट सुशासन आदि लाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने के लिए, कारपोरेट सुशासन, कंपनी विधि और नए अधिनियमों पर आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशक भी नामित किए जाते हैं।

सोशल मीडिया और सामाजिक संवाद मंचों (प्लेटफॉर्मों) के माध्यम से कर्मचारियों की संलग्नता

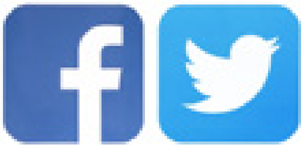

कारपोरेट की ब्रांडिंग बढ़ाने और हितधारकों की संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसीआईएल में एक समर्पित कॉर्पोरेट संचार विभाग है जो पेशेवर तरीके से जिम्मेदारी के साथ रोजमर्रा के जनसंपर्क मामलों को संभालता है। टीएचडीसीआईएल इस माध्यम से जनता और हितधारकों तक पहुंचने में सोशल मीडिया की क्षमता को स्वीकार करता है। टीएचडीसीआईएल के पास एक सक्रिय और समर्पित फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल है जो विद्युत मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के फेस बुक पेज और ट्विटर हैंडल से जुड़ा हुआ है। इन प्लेटफार्मों का प्रयोग हमारे हितधारक कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाता है जो इन डिजिटल मंचों पर लगातार अपने विचारों को साझा करते हैं और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देते हैं। इस प्रकार ये सोशल मीडिया हैंडल,ज्ञान और सूचना को साझा करने के लिए दोतरफा संचार और द्वार उपलब्ध करवाते हैं।

कर्मचारी कल्याण गतिविधियां

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों को एक वांछनीय कार्य–जीवन संतुलन प्रदान करने के साथ–साथ जीवनयापन और कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए संरचित पहल की। बहुत–से कार्य स्थलों पर टाउनशिप में व्यायामशाला, क्लब और खेल सुविधाएं जैसे टीएचडीसी ऑफिसर्स क्लब, रसमंजरी क्लब, टीएचडीसी लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन

आदि सुविधाएं विकसित की गई हैं। क्लबों में सभी सुविधाओं जैसे जिम सुविधा, पुस्तकालय और कैंटीन सुविधाएं मौजूद हैं। टीएचडीसीआईएल का भौतिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वस्थता में दृढ़ विश्वास है इसलिए कंपनी ने कार्यजीवन में संतुलन लाकर आंतरिक संचार को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक संवाद के अनेक प्लेटफार्म तैयार किए हैं। समग्र स्वस्थता में स्त्री शक्ति का योगदान सुनिश्चित करने के लिए यहां एक महिला मंडल दल भी है।

मानव संसाधन नीतिगत ढांचा

आपकी कंपनी कारपोरेट कार्यों को विनियमित करने और उत्तरदायी व्यवहार सुनिश्चित करने में नीतिगत ढांचे के महत्व को स्वीकार करता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल पारदर्शी कॉरपोरेट व्यवहार में विश्वास रखता है और इसलिए अपने हितधारकों के मध्य सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह में विश्वास रखता है। हमारे यहां एक जीवंत और विविधतायुक्त मानव संसाधन नीतिगत ढांचा मौजूद है।

निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21

अनुलग्नक – I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

अनुलग्नक – II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुलग्नक – III प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

अनुलग्नक – IV ऊर्जा संरक्षण उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन एवं विदेशी मुद्रा ऊर्जा तथा व्यय

अनुलग्नक – V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुलग्नक – VI वार्षिक रिटर्न का सार (फार्म नं.एमजीटी–9)

अनुलग्नक – VII सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (2020–21)

निदेशकों की रिपोर्ट 2020–21

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित कंपनी के निष्पादन पर 33वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2020–21 में 4565.38 एमयू बिजली का उत्पादन किया है। वर्ष 2020–21 में कार्यशील जलविद्युत संयंत्रों (टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी) का प्राप्त भारित औसत संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 81.47% था। टिहरी एचपीपी ने पिछले पांच वर्ष में 86.01% का पीएएफ प्राप्त किया है जो अब तक का सबसे उच्चतम पीएएफ है।
- टीएचडीसीआईएल ने 31.12.2020 को केरल के कासरगाड़ स्थित 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को साथ चालू और ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज किया तथा इस परियोजना को दिनांक 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- कोविड–19 महामारी के प्रसार से बचने के लिए लॉकडाउन और प्रतिबंधों के बावजूद, वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त किया गया पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 1887 करोड़ रूपये के एमओयू लक्ष्य के सापेक्ष उत्कृष्ट रेटिंग में 1990.14 करोड़ रूपये था।
- वर्ष 2020–21 के लिए डिस्कॉमों से राजस्व प्राप्ति, बिक्री का 100% थी।
- वित्त वर्ष 2019–20 के 903.43 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020–21 के लिए लाभ 1092.72 करोड़ रुपये रहा।
- खुर्जा एसटीटीपी के 7046 करोड़ रुपये के मुख्य पैकेज एवार्ड किए गए हैं और साइट पर स्टीम जेनरेटर (एसजी), टर्बाइन जेनरेटर (टीजी) और उनके सहयोगी पैकेज, स्विचयार्ड पैकेज, रेलवे साइडिंग पैकेज, कूलिंग टॉवर पैकेज के संबंध में कार्य भली–भांति प्रगति पर है।
- खुर्जा एसटीपीपी के संयंत्र क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग की रिरूटिंग का कार्य एनएचएआई द्वारा दिनांक 09.09.2020 को एवार्ड किया गया है और कार्य प्रगति पर है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 15.02.2021 को कोयला ब्लॉक क्षेत्र की 843.76 हेक्टेयर वन भूमि के लिए चरण–II वन मंजूरी प्रदान की।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 03.08.21 को टीएचडीसीआईएल को ईसी के हस्तांतरण की मंजूरी प्रदान की है।
- खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 16.08.2021 को अमेलिया कोयला खदान को खनन पट्टा प्रदान किया।
- टीएचडीसीआईएल की 800 करोड़ की कारपोरेट बॉन्ड श्रृंखला III और 750 करोड़ की कारपोरेट बॉन्ड श्रृंखला IV क्रमशः 22 जुलाई, 2020 और 20 जनवरी, 2021 को जारी की गई थी।
- कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक जिम्मेदार कारपोरेट इकाई के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने कोविड वैक्सीन के भंडारण/परिवहन के लिए शीत–श्रृंखला उपकरण प्रदान किए।

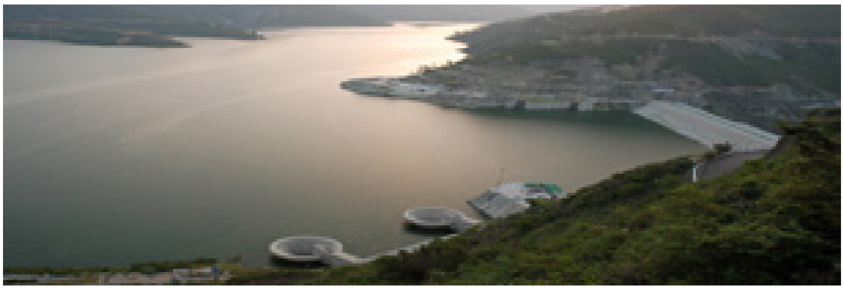

टिहरी जलाशय का दृश्य

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं :–

(रु. करोड़ में)

विवरण	*2020–21*	*2019–20*
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	1796.01	2123.10
अन्य आय	705.92	282.26
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	18.80	63.74
घटाएं : सिंचाई पर मूल्य ह्रास	18.80	63.74
सकल आय (क)	***2501.93***	***2405.36***
व्यय		
कर्मचारी हितलाभ व्यय	388.78	360.30
वित्तीय लागत	181.93	240.34
मूल्यह्रास	317.33	576.10
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	230.33	239.33
संदिग्ध ऋण, प्राप्य, बट्टे खाते हेतु प्रावधान	0.25	0.00
कुल व्यय (ख)	***1118.62***	***1416.07***
विनियामक आस्थगित लेखा शेष, अपवादात्मक व्यय और कर पूर्व लाभ (ग = क – ख)	***1383.31***	***989.29***
अपवादात्मक मदें – (आय)/व्यय (घ)	35.65	0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन पूर्व लाभ और कर (पीबीटी) (ङ = ग–घ)	***1347.66***	***989.29***
कर (च)	***298.08***	***110.10***
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन पूर्व अवधि के लिए लाभ (छ = ङ–च)	***1049.58***	***879.19***
विनियामक, आस्थगित लेखा शेष में आय/व्यय में निवल संचलन (ज)	42.83	41.06
सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (झ=छ+ज)	***1092.41***	***920.25***
(ii) अन्य वृहत आय		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	0.23	–12.47
आयकर से संबंधित अन्य मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं हो सकेंगी–आस्थगित कर संपत्तियां	***0.08***	***–4.35***
अन्य वृहत आय (ii)	***0.31***	***–16.82***
कुल वृहत आय (i + ii)	***1092.72***	***903.43***

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व और लाभ

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, कुल व्यापक आय तथा सकल राजस्व और कुल व्यापक आय के प्रतिशत में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:–

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020–21	2019–20	वृद्धि/ह्रास
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	1796.01	2123.10	(327.09)
सकल राजस्व	2501.93	2405.36	96.57
कुल व्यापक आय	1092.72	903.43	189.29
सकल राजस्व में कुल व्यापक आय का प्रतिशत	43.68%	37.56%	

प्रचालन से प्राप्त राजस्व में उपरोक्त कमी मुख्य रूप से एएफसी में कमी के कारण है क्योंकि टिहरी एचपीपी से उत्पादन के 12 वर्ष पूरे होने के बाद मूल्यह्रास में कमी आई है। तथापि, सकल राजस्व में 96.57 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

पिछले पांच वर्षों की कुल व्यापक आय

(रु. करोड़ में)

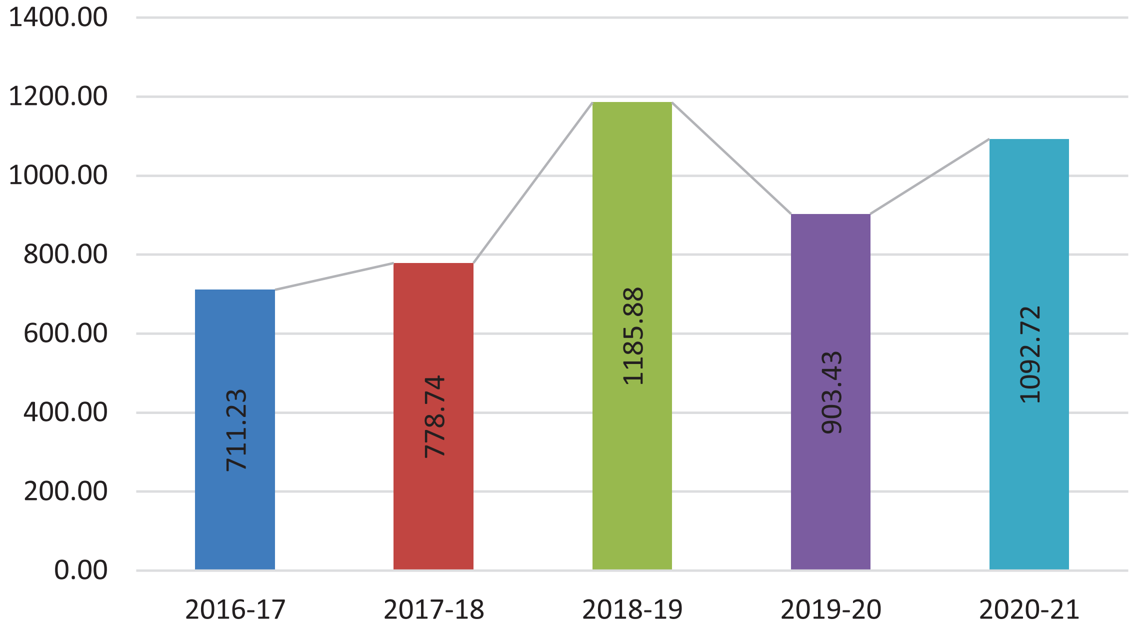

लाभांश

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 707.75 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 305.04 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 402.71 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस प्रकार, 707.75 करोड़ रुपये का कुल लाभांश भुगतान 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 193.06 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है, और जो कुल व्यापक आय के 64.77% और संदत्त पूंजी के 19.31% का प्रतिनिधित्व करता है।

तथापि, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 305.04 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश भुगतान 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 83.21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है, और यह कुल व्यापक आय के 27.92% और संदत्त पूंजी के 8.32% का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 190.84 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 135.27 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 495.88 करोड़ रुपये है और यह निवल मूल्य का 5% है।

पूंजी संरचना और निवल मूल्य (नेटवर्थ)

शेयर पूंजीः

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4000 करोड़ रूपये है। दिनांक 31.03.2021 को संदत्त पूंजी और निवल मूल्य (नेटवर्थ) क्रमशः 3665.88 करोड़ रू. और 9917.43 करोड़ रू. है।

टीएचडीसीआईएल के तुलन पत्र का आकार

(रु. करोड़ में)

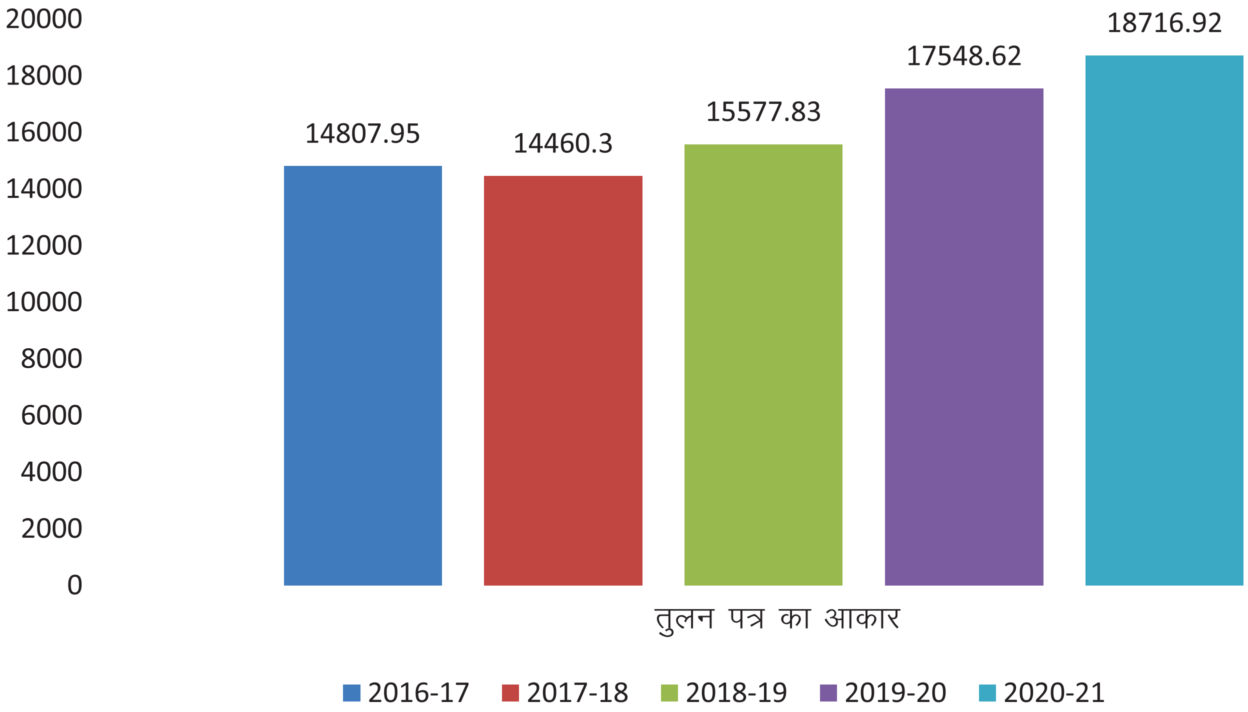

प्रचालनात्मक निष्पादन 2020–21

विद्युत उत्पादन

केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के साथ, वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी की संस्थापित क्षमता बढ़कर 1587 मेगावाट हो गई है। आपकी कंपनी के कुल प्रचालनात्मक संयंत्रों की संख्या अब बढ़कर 6 हो गई है।

वर्ष 2020–21 के दौरान जल, पवन और सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन 4530 एमयू के एमओयू लक्ष्य के सापेक्ष के स्थान पर 4565.38 एमयू था।

- वर्ष 2020–21 के दौरान जल, पवन और सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन तथा संयंत्र कार्यकुशलता के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं–

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	उत्पादन (मि.यू. में)		पीएएफ/सीयूएफ (प्रतिशत)	
		एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	3015	3042.24	81.30%	86.01%
2.	कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1185	1221.45	70.02%	70.13%
3.	ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट)	86	72.25	–	–
4.	पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	99	75.64	25.22%	17.27%
5.	द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट)	145	136.44	26.27%	24.72%
6.	कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	–	17.36	–	–
	कुल	**4530**	**4565.38**		

व्यवसायिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी / डिस्कॉम्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इस लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। आपकी कंपनी के कारोबार से राजस्व के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन इस प्रकार है:–

(मिलियन रूपये में)

विवरण	2020–21	2019–20
प्रचालन से राजस्व (रूपये करोड़ में)	1796.00	2123.10
राजस्व की वसूली (%)	100	81.94

टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिए वेतन संशोधन, मजदूरी, जीएसटी और सुरक्षा खर्चों के प्रभाव के कारण अतिरिक्त ओ एंड एम खर्चों का दावा करने के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की गई थी।

दिनांक 13.05.2020 को हुई सुनवाई के दौरान माननीय यूपीईआरसी द्वारा ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट) के

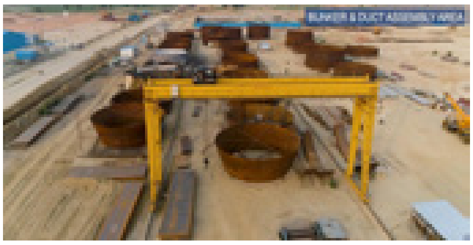

यूपीपीसीएल के साथ हस्ताक्षरित विद्युत खरीद समझौते को मंजूरी दी गई थी और तदनुसार, ढुकवां एसएचपी से उत्पन्न विद्युत की बिक्री की जा रही है। उक्त परियोजना से उत्पादित कुल विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश को की जा रही है। ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट) की अस्थिर विद्युत के लिए टैरिफ पर यूपीपीसीएल और टीएचडीसीआईएल के बीच परस्पर सहमति बनी थी और यह टैरिफ स्थिर विद्युत के लिए 4.87 रूपये प्रति किलोवाट घंटा के सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ का 50% अर्थात् 2.435 रूपये प्रति किलोवाट घंटा है।

केरल के कासरगोड जिले में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 31.12.2020 को चालू किया गया था। उपरोक्त परियोजना से उत्पादित समग्र विद्युत की आपूर्ति केरल को की जा रही है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने भी उपरोक्त दोनों परियोजनाओं से राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।

3 भूमिगत डीसिल्टिंग चैंबर (प्रत्येक 390 मीटर लंबे) का उत्खनन पूरा होने के अंतिम चरण का दृश्य

परियोजना वित्त पोषण

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए परियोजना वित्त–पोषण

ऋणदाता का नाम	ऋण की राशि	01.04.2020 को ऋण का अथशेष	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आहरित राशि	चुकाया गया ऋण	31.03.2021 को बकाया ऋण राशि
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	648 मिलियन यूएस डॉलर**	978.1 करोड़ रूपये	52.1 करोड़ रूपये*	48.7 करोड़ रूपये	981.5 करोड़ रूपये
पीएनबी से सावधि ऋण	700 करोड़ रूपये	595 करोड़ रूपये	शून्य	175 करोड़ रूपये	420 करोड़ रूपये
कारपोरेट बांड – श्रृंखला–I	600 करोड़ रूपये	600 करोड़ रूपये	शून्य	शून्य	600 करोड़ रूपये
कारपोरेट बांड – श्रृंखला – II	1500 करोड़ रूपये	1500 करोड़ रूपये	शून्य	शून्य	1500 करोड़ रूपये
कारपोरेट बांड – श्रृंखला –III	800 करोड़ रूपये	शून्य	800 करोड़ रूपये	शून्य	800 करोड़ रूपये
कारपोरेट बांड – श्रृंखला –IV	750 करोड़ रूपये	शून्य	750 करोड़ रूपये	शून्य	750 करोड़ रूपये

*(–)24.9 करोड़ रुपये की विनिमय दर भिन्नता शामिल है।

**इसमें डॉलर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण टीएचडीसी द्वारा 200 मिलियन यूएस डॉलर का अभ्यर्पण शामिल है।

कारपोरेट बांड निर्गम

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7.19% प्रति वर्ष की कूपन ब्याज दर के साथ 800 करोड़ रुपये की सुरक्षित प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गैर–संचयी, कर योग्य बांड श्रृंखला–III जारी की थी और 7.45% प्रति वर्ष की कूपन ब्याज दर के साथ 750 करोड़ रुपये की बांड श्रृंखला–IV जारी की थी। बांड जारी होने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भुनाया जाएगा और वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा। 800 करोड़ रुपये के बांड श्रृंखला–III में से 200 करोड़ रुपये की राशि टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए और 600 करोड़ रुपये खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए उपयोग की गई है। 750 करोड़ रुपये के बॉन्ड श्रृंखला–IV में से 125 करोड़ रुपये की राशि अमेलिया कोयला खदान के लिए, 125 करोड़ रुपये कासरगोड–केरल परियोजना के लिए और 500 करोड़ रुपये टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए उपयोग किए गए हैं। इन बांडों को सीएआरई और आईसीआरए द्वारा एए (स्टेबल) का दर्जा दिया गया था।

टिहरी पीएसपी परियोजनाः

1. टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2012 में 1500 करोड़ रूपये दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय तालमेल स्थापित किया था। 31 मार्च, 2018 तक 1227.65 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की गई है, जिसे मई, 2018 तक पूर्णतः चुका दिया गया था।
2. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में पीएनबी से 700 करोड़ रु. का मध्यावधि ऋण प्राप्त किया है। इस मध्यावधि ऋण को मार्च, 2024 तक 20 तिमाही किश्तों में चुकाया जाना अपेक्षित है। 31 मार्च, 2021 को निवल बकाया ऋण 420 करोड़ रु. है।
3. टीएचडीसीआईएल ने बांड श्रृखंला–II, III और IV जारी की थी इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों में से टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए निम्नलिखित राशियों का उपयोग किया गया है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
बांड श्रृखंला –II	1420.00	8.75%
बांड श्रृखंला –III	200.00	7.19%
बांड श्रृखंला –IV	500.00	7.45%

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी)

कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त करने के लिए वित्तीय तालमेल किया था। तथापि, टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर, विश्व बैंक ने 27.06.2019 और 07.04.2021 को 100–100 मिलियन यूएस डॉलर के आशिक ऋण प्रदायगी को रद्द कर दिया। अब इस परियोजना के लिए ऋण राशि 448 मिलियन यूएस डॉलर है।

वर्ष 2020–21 के दौरान 10.25 मिलियन यूएस डॉलर की राशि आहरित कर ली गई है और दिनांक 31.03.2021 तक कुल 151.20 मिलियन यूएस डॉलर का आहरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 6.457 मिलियन यूएस डॉलर की राशि चुका दी गई है और दिनांक 31.03.2021 तक कुल 17.66 मिलियन यूएस डॉलर की राशि चुका दी गई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 को निवल बकाया ऋण 133.54 मिलियन यूएस डॉलर है जो 981.52 करोड़ रू. के बराबर है।

खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान

कंपनी ने ऋण घटक के वित्तपोषण अर्थात खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान की 8873.61 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत का 70% (i) निजी प्लेसमेंट के आधार पर बांड के माध्यम से 50% ऋण और (ii) बाजार परिदृश्य और निधि की आवश्यकता पर विचार करते हुए इंटरचेंज विकल्प के साथ अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि से परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से शेष 50% की योजना बनाई है।

टीएचडीसीआईएल ने 800 करोड़ रुपए के बांड सीरीज–III जारी की है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए खुर्जा एसटीपी परियोजना के लिए उपयोग किए गए हैं।

कंपनी ने जनवरी, 2021 में 750 करोड़ रुपये के बॉन्ड सीरीज–IV भी जारी की है, जिसमें से 125 करोड़ रुपये का उपयोग अमेलिया कोयला खदान के लिए किया गया है।

विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
बांड श्रृखंला –III	600.00	7.19%
बांड श्रृखंला –IV	125.00	7.45%

नवीनतम निर्गम

कंपनी ने 23 अगस्त, 2021 को 1200 करोड़ रुपये के लिए बांड सीरीज–V जारी की है। कंपनी को बोलीदाताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और कुल प्राप्त बोलियां 1200 करोड़ रुपये के निर्गम आकार के सापेक्ष 3574 करोड़ रुपये की थीं। कंपनी ने 7.39% की ब्याज दर पर 1200 करोड़ रुपये के पूर्ण निर्गम आकार को स्वीकार किया।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

टिहरी पीएसपी (4 × 250) मेगावाट

पानी के पुनर्चक्रण सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक 250 मेगावाट की 04 रिवर्सिबल टर्बाइन, ऑफ पीक ऊर्जा को पीक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगी। ऑफ पीक घंटों के दौरान पंपिंग प्रचालन के लिए 1651.66 मिलियन यूनिट ऊर्जा की जरूरत होगी जिसमे पीक घंटों के दौरान यह टर्बाइन मोड पर कार्य करके 1321.82 एम.यू. अतिरिक्त पीकिंग विद्युत का उत्पादन करेगा। कंपनी के नए विद्युत परिदृश्य में पंप स्टोरेज संयंत्र का अधिक महत्व हो गया है जिसे नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को शामिल कर लगातार समृद्ध किया जा रहा है। पंप स्टोरेज संयंत्र ग्रिड स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। माननीय विद्युत मंत्री ने अपनी अनेक बैठकों में भारत में पीएसपी के तीव्र विकास को अधिक महत्व दिया है।

परियोजना की सभी प्रमुख भूमिगत कैविटी का उत्खनन कार्य पूरा हो चुका है है। मशीन हाल में सभी चारों इकाइयों में ईएम उपस्कर के उत्थापन का कार्य प्रगति पर है। यूनिट–5 के स्पाइरल केसिंग के उत्थापन का कार्य पूरा हो चुका है और जेनरेटर बैरल के लिए कंक्रीटिंग प्रगति पर है। यूनिट–6 की स्पाइरल केसिंग के उत्थापन का कार्य भी हाल ही में पूरा हो चुका है और इसके लिए कंक्रीटिंग शुरू की जा रही है। यूनिट–7 में स्टे रिंग का उत्थापन प्रगति पर है और यूनिट–8 में यूनिट बे क्षेत्रों

स्पाइरल केसिंग के पेडेस्टल के लिए कंक्रीटिंग प्रगति पर है। यूनिट–5 और यूनिट–6 के स्टेटर की असेम्बली का कार्य पूरा हो गया है। यूनिट–5 और यूनिट–6 के रोटर की असेम्बली प्रगति पर है।

नियंत्रण कक्ष का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। चारो सर्ज शाफ्टों के उत्खनन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भूगर्भीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण ढांचों जैसे बटरफ्लाई वाल्व चौम्बर और पेनस्टॉक असेम्बली चौम्बर का उत्खनन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और ऊपरी क्षैतिज पेनस्टॉक 5 एवं 7 को चौड़ा करने का कार्य भी पूरा हो चुका है। ऊपरी क्षैतिज पेनस्टॉक 6 और 8 को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार सभी 4 ऊर्ध्वाधर पेनस्टॉको को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। टी आर टी में 2406 मीटर की कुल लंबाई में है हेडिंग और बेंचिंग में उत्खनन पूरा होने के अग्रिम चरण में है और क्रंकीट लाइनिंग अब तेजी से प्रगति पर है। टीआरटी आउटलेट स्ट्रक्चर ढाल स्थिरीकरण का कार्य भी अग्रिम चरण में है और टीआरटी आउटलेट पोर्टल का कार्य अब शुरू किया गया है।

एचएम कार्यों में सभी पेनस्टॉक स्टील लाइनरों का फैब्रिकेशन पूरा कर लिया गया है। 1030 करोड़ रू. के लगभग 97 प्रतिशत ईएम उपस्कर कार्यस्थल पर पहुंचाए जा चुके हैं। सभी चार जनरेटर स्ट्रेप अप (जी एस यू) ट्रांसफार्मरों की परीक्षण और प्रारंभण पूर्व गतिविधियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और जीआईएस–पीआईपी का उत्थापन कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

सीसीईए द्वारा जुलाई, 2006 में परियोजना को दिसम्बर, 05 पीएल पर 1657.60 करोड़ रूपये की लागत पर निवेश अनुमोदन दिया गया। अप्रैल, 10 पीएल पर 2978.86 करोड़ रू. के आरसीई–1 को नवम्बर,11 में अनुमोदन दिया गया और फरवरी, 2020 में संशोधित लागत समिति (आरसीसी) द्वारा फरवरी, 2019 पीएल पर 4825.60 करोड़ रूपये के आरसीई–II की अनुशंसा की गई थी। टीएचडीसीआईल में भारत सरकार की इक्विटी की एनटीपीसी को सामरिक बिक्री के बाद, एनटीपीसी के बोर्ड द्वारा 31.07.2021 को आरसीई–II को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

जुलाई, 2021 तक टिहरी पीएसपी पर हुआ व्यय 4132.78 करोड़ रूपये है और परियोजना की पहली इकाई के दिसम्बर, 2022 तक आरंभ हो जाने की उम्मीद है।

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4 × 111 मेगावाट)

वीपीएचईपी एक रन आफ दि रिवर परियोजना है। इसमें अलकनंदा नदी (गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी) पर 237 मीटर के सकल शीर्ष का उपयोग करते हुए 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डायवर्जन बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में और रा.रा.मार्ग–58 पर ऋषिकेश से 225 किमी दूर स्थित है।

पूरा होने पर, परियोजना उत्तरी क्षेत्र में 444 मेगावाट की बिजली क्षमता जोड़ देगी जिससे इस क्षेत्र में बिजली की कमी काफी हद तक कम हो जाएगी। परियोजना की वार्षिक डिजाइन ऊर्जा 1657 एमयू (95% मशीन उपलब्धता के साथ) है।

इस परियोजना से गढ़वाल क्षेत्र, विशेष रूप से चमोली जिले में, रोजगार, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वनस्पतियों और जीवों के विकास आदि के क्षेत्रों में, का एकीकृत विकास होगा। गृह राज्य उत्तराखंड को 13% मुफ्त बिजली में से, 1% का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए किया जाएगा।

अगस्त, 2008 में सीसीईए द्वारा परियोजना के लिए 2491.58 करोड़ रुपये (मार्च, 2008 पीएल) का निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था। फरवरी, 2019 पीएल में 3860.35 करोड़ रुपये के आरसीई को सीईए द्वारा मार्च, 2020 में पुनरीक्षित किया गया है। एनटीपीसी को भारत सरकार की इक्विटी की सामरिक बिक्री के बाद, आरसीई को 31.07.2021 को एनटीपीसी बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।

मेसर्स एचसीसी द्वारा निष्पादित किए जा रहे सिविल और एचएम कार्य प्रगति पर हैं। नदी डायवर्जन का काम पूरा हो गया है। यू/एस कॉफर डैम का निर्माण पूरा हो गया है। बांध की खुदाई 42 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। सभी 3 डी–सिल्टिंग चौंबर्स की हेडिंग पूरी कर ली गई है और 44% बेंचिंग पूरी कर ली गई है। डीबीएम द्वारा एचआरटी की हेडिंग – 82% पूरी की जा चुकी है। तीनों इनटेक टनल की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। टीबीएम को चालू कर दिया गया है। आरबीएम जोन में टीबीएम के संचालन के दौरान बड़े पत्थर मिले हैं, जिससे टीबीएम संचालन में बाधा आ रही है। इस समस्या

को दूर करने के लिए कटर हेड तक पहुंचने के लिए दो पहुंच मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। एक प्रवेश मार्ग को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया गया है और दूसरा प्रगति पर है। मशीन हॉल में, क्राउन उत्खनन का कार्य पूरा कर लिया गया है और स्टील रिब सपोर्ट के साथ भूगर्भीय रूप से कमजोर खंड को मजबूत करने का कार्य प्रगति पर है। ट्रांसफॉर्मर हॉल में 81% क्राउन उत्खनन कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टील रिब सपोर्ट के साथ स्थिरीकरण के साथ संतुलन कार्य प्रगति पर है। टीआरटी में हेडिंग उत्खनन 16 प्रतिशत पूरा हो गया है। टीआरटी आउटलेट क्षेत्र में, 81% ढलान स्थिरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है।

विद्युत यांत्रिक कार्यों के संबंध में, टर्बाइन का मॉडल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 167.60 करोड़ रुपये की राशि के ईएम उपकरण की आपूर्ति की जा चुकी है।

जुलाई–2021 तक परियोजना पर किया गया व्यय 2271. 35 करोड़ रूपये है। परियोजना की कुल वित्तीय प्रगति 59% है।

परियोजना की पहली यूनिट के जून, 2024 तक चालू होने का अनुमान है।

खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना (1320 मेगावाट)

- 1320 मेगावाट के खुर्जा एसटीपीपी और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड़ रू. तथा 1587.16 करोड़ रू. (दिसम्बर, 17 पीएल पर) निवेश मंजूरी 07 मार्च, 2019 को प्रदान की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 09.03.2019 को खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधार शिला रखी।
- संयंत्र 85 प्रतिशत पीएलएफ पर 9264 एमयू ऊर्जा (बिजली का उत्पादन) करेगा। इस परियोजना से उत्पादित की जाने वाली बिजली की लागत 3.61 रु. प्रति यूनिट (लेबलीकृत) है और प्रथम वर्ष का प्रशुल्क 3.90 रू. प्रति यूनिट होने का अनुमान है।
- उत्पादित की जाने वाली पूरी बिजली के लिए पीपीए पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 60 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश को जाएगी।
- कुल 1200.843 एकड़ जमीन पर वास्तविक कब्जा प्राप्त हो गया है।
- पर्यावरणीय अनुमति, चिमनी के निर्माण, जल प्रतिबद्धताएं, रेलवे साइडिंग और निर्माण विद्युत आदि संबंधी अनुमति सहित सांविधिक अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- 5662 करोड़ रुपये मूल्य के स्टीम जेनरेटर और टर्बाइन जेनरेटर के दो प्रमुख संयंत्र पैकेज पहले ही एवार्ड किए जा चुके हैं। बॉयलर यूनिट#1 का उत्थापन कार्य प्रगति पर है और बॉयलर यूनिट#2 का उत्थापन भी 17 अगस्त, 2021 से शुरू किया गया है। मुख्य विद्युत गृह भवन के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।
- 580 करोड़ रुपये मूल्य के स्विचयार्ड, कूलिंग टावर्स और रेलवे साइडिंग जैसे बीओपी पैकेज भी एवार्ड किए गए हैं और सभी मोर्चों पर कार्य भली–भांति चल रहा है। स्विचयार्ड पैकेज में नियंत्रण कक्ष भवन का निर्माण एवं टावर एवं उपकरण नींव का कार्य प्रगति पर है। कूलिंग टावर पैकेज में मुख्य संरचनाओं के लिए नींव का कार्य प्रगति पर है। रेलवे साइडिंग पैकेज में रेल लाईनों के सिविल कार्य एवं पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- हाल ही में, 3 अगस्त, 2021 को 805 करोड़ रुपये के कोल हैंडलिंग प्लांट पैकेज भी एवार्ड किए गए हैं और शेष बीओपी पैकेज अक्टूबर, 2021 तक एवार्ड किए जाने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग–91 को रिरूट करने का कार्य एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है और यह प्रगति पर है। संयंत्र के लिए मेकअप वाटर का कार्य यूपीजेएन और यूपीआईडी द्वारा किया जा रहा है। बिजली निकासी कार्य पीजीसीआईएल द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं और प्रगति पर हैं।

जुलाई–21 तक खुर्जा एसटीपीपी पर किया गया व्यय 2201.76 करोड़ रुपये है और पहली यूनिट के फरवरी –2024 तक चालू होने का अनुमान है।

अमेलिया कोयला खदान

- 5.6 एमटीपीए की कम की गई पीआरसी के लिए संशोधित खनन कोयला (खदान बंद करने की योजना सहित) को एमओसी द्वारा दिनांक 13.03.2020 का मंजूरी दी गई है।
- 12.12.2018 को कोयला ब्लॉक क्षेत्र की 843.76 हेक्टेयर वन भूमि के लिए चरण–I वन मंजूरी के बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 15.02.2021 को चरण–II वन मंजूरी भी प्रदान की है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 03.08.21 को टीएचडीसीआईएल को पर्यावरण मंजूरी के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।
- खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अमेलिया कोयला ब्लॉक का खनन पट्टा दिनांक 16.08.21 को स्वीकृत किया गया है।
- कुल 1412.37 हेक्टेयर भूमि [843.76 हेक्टेयर वन भूमि +337.35 हेक्टेयर निजी भूमि +178.13 हेक्टेयर लीज होल्ड भूमि +53.13 हेक्टेयर राजस्व भूमि (पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए)] अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में है।
- पीजीसीआईएल के माध्यम से अमेलिया कोयला खदान से गुजरने वाली मौजूदा 3 एचटी लाइनों के डायवर्जन/स्थानांतरण का कार्य प्रगति पर है।
- एमपीपीकेवीवीसीएम के साथ 8 एमवीए विद्युत आपूर्ति के करार पर दिनांक 02.05.2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- कोयला निकासी कॉरिडोर और रेलवे साइडिंग में पड़ने वाली कुल 27.47 हेक्टेयर (सरकारी, किरायेदारी और वन भूमि) की पहचान की गई है और इसका अधिग्रहण सिंगरौली के जिला प्राधिकरणों के साथ प्रक्रिया में है।
- एमडीओ की नियुक्ति के लिए 04.06.2021 को खोली गई बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
- अमेलिया कोयला खदान पर जुलाई, 2021 तक किया गया व्यय 505.57 करोड़ रुपये है।

अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपीएस)

एमएनआरई ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में एसपीवी/जेवीसी के माध्यम से अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क विकसित करने के लिए टीएचडीसीआईएल को आबंटित किया है। उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट और राजस्थान में 1500 मेगावाट यूएमआरईपीपीएस विकसित की जाने की क्षमता है।

उत्तर प्रदेश में

12.09.2020 को टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी टस्को लिमिटेड का निगमन किया गया था। अक्टूबर, 2020 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ललितपुर और झांसी जिलों में 600 मेगावाट के दो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। हाल ही में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इस प्रकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में कुल 2000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

सोलर पार्क स्थापित करने के लिए जिला ललितपुर एवं झाँसी में क्रमशः 2798 एकड़ एवं 2944 एकड़ भूमि अभिचिन्हित की गई है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों ने अभिचिन्हित भूमि के लिए पट्टा किराया को अंतिम रूप दे दिया है। झांसी सोलर पार्क के लिए जून, 2021 में किसानों के साथ पट्टा–करार पर हस्ताक्षर शुरू हो गए हैं, जबकि ललितपुर में, किसानों के साथ पट्टा–करार पर हस्ताक्षर भी जुलाई, 2021 में शुरू हो गए हैं।

झांसी और ललितपुर सोलर पार्कों की डीपीआर मार्च, 2021 में एसईसीआई और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दोनों को प्रस्तुत कर दी गई है। एसईसीआई/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उठाई गई अधिकांश टिप्पणियों का भी उत्तर दिया गया है। कोविड–19 महामारी के कारण, एसईसीआई और एनटीपीसी दोनों द्वारा डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने में बाधा उत्पन्न हुई। डीपीआर को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

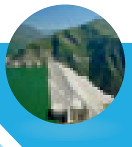

चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए मऊ तहसील में अब तक लगभग 3005 एकड़ भूमि अभिचिन्हित की जा चुकी है। चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट को स्थापित करने के लिए कुल लगभग 4000 एकड़ भूमि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक या दो अन्य गांवों में भूमि को अभिचिह्नित करने की भी योजना है।

जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट ने भी जुलाई, 2021 में तहसील मऊ, चित्रकूट में 800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए सूचित किया। डीएम चित्रकूट ने भूमि के पट्टा किराया को अंतिम रूप दे दिया है।

राजस्थान में

टीएचडीसीआईएल ने राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन (आरआरईसीएल) और प्रमुख सचिव, राजस्थान को टीएचडीसीआईएल को 1500 मेगावाट यूएमआरईपीपी के आबंटन और आरआरईसीएल के साथ आवश्यक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा आयोजित बैठक के दौरान, माननीय मंत्री महोदय ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और राजस्थान सरकार को एनटीपीसी और एसईसीआई के सोलर पार्कों की स्थापना के अनुरूप टीएचडीसीआईएल को सोलर पार्कों के लिए भूमि आबंटित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

राजस्थान सरकार/आरआरईसी ने विभिन्न बैठकों के दौरान सूचित किया है कि राजस्थान में 1500 मेगावाट के विद्युत संयंत्र के विकास के लिए भूमि आबंटन पर एसईसीआई और एनटीपीसी को भूमि आबंटन के बाद विचार किया जाएगा। भूमि का आबंटन प्रतीक्षित है।

सर्वेक्षणाधीन और अन्वेषणाधीन परियोजनाएं

बोकांग बेलिंग एचईपी (200 मेगावाट):

- बोकांग बैलिंग एचईपी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धौलीगंगा नदी पर प्रस्तावित है।
- उत्तराखंड सरकार ने बोकांग बेलिंग एचईपी के कार्यान्वयन का कार्य टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) को सौंपा और नवम्बर, 2005 में एमओयू पर सहमति बनी।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस परियोजना को 24 परियोजनाओं की सूची में से बाहर कर दिया और पर्यावरण, वन तथा जलवायु पारिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अस्कोट मस्क डियर सैंक्चुअरी और डब्ल्यूएलबी से अक्तूबर, 2015 में बाहर कर दिया गया।
- राज्य सरकार द्वारा एक लेन वाली सड़क (45 कि.मी.) के टिडांग गांव तक कटिंग का कार्य वर्ष 2018 में पूरा कर लिया गया।
- डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्शी कार्य मार्च, 2019 में एवार्ड कर दिया गया।
- डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
- डब्ल्यूएपीसीओएस के माध्यम से ईआईए/ईएमपी सरकार अध्ययन चल रहे हैं और डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा अगस्त, 2021 तक ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
- डीपीआर के जून–2022 तक पूरा होने की संभावना है।

टीएचडीसीआईएल में बांध की सुरक्षा के उपाय

टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी का बांध सुरक्षा कार्यक्रम काफी व्यापक है और हमारे देश के बांध सुरक्षा अधिनियम द्वारा अभिशासित किया जाता है। बांध की सुरक्षा की निगरानी इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा की जाती है। टिहरी और कोटेश्वर परियोजना की प्रवृत्ति के आंकलन और मानीटरिंग के लिए तथा डिजाइन चरण के दौरान लगाए गए अनुमानों का सत्यापन करने के लिए बांध और इसके सम्बद्ध ढांचों के मुख्य हिस्से में यंत्रीकरण (इंस्ट्रुमेंटेशन) की व्यापक स्कीम का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बांध के मुख्य हिस्से की प्रवृत्ति को देखकर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण गैलरियों की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त जलाशय (रिजर्वायर) को घेरने के पहले और बाद टिहरी क्षेत्र के मजबूत कंपन और सूक्ष्म भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय इंस्ट्रमेंटेशन नेटवर्क की व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के बांध सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार बांध और सम्बद्ध ढांचों का सुरक्षित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए बांध की सुरक्षा का निरीक्षण करना अनिवार्य है। वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों तथा अन्य संगठनों में मौजूद परिपाटियों के अनुसार ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दृश्य निरीक्षण हेतु मानसून से पहले और मानसून के बाद टीएचडीसीआईएल द्वारा बांध और सम्बद्ध ढांचों का आवधिक निरीक्षण/मानीटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली ने वर्ष 2009 और 2013 के दौरान टिहरी एचपीपी का वार्षिक बांध सुरक्षा निरीक्षण किया है और 2013 में कोटेश्वर एचईपी का सुरक्षा निरीक्षण किया। उपरोक्त के अतिरिक्त, मौजूदा सुरक्षा बांध परिपाटियों के सत्यापन के लिए एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसी नामतः यूएबीआर के माध्यम से टिहरी परियोजना की व्यापक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, कोटेश्वर एचईपी की सुरक्षा का मूल्यांकन करने तथा मौजूदा सुरक्षा परिपाटियों में सुधार करने पर व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान एचपीआई, मास्को द्वारा कोटेश्वर एचईपी की व्यापक समीक्षा की गई।

टीएचडीसीआईएल का बांध सुरक्षा कार्यक्रम बांधों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए मूल्यांकन और कार्यान्वयन कार्रवाइयों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

सुरक्षा संपरीक्षा

सुधार किए जा सकने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मानकों से विचलन अर्थात् लागू सांविधिक अधिनियमों, सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं) विनियम, 2011, आई एस 14489:1998 और टीएचडीसीआईएल, एसएचई (सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण) मैनुअल तथा अन्य लागू अधिनियमों में परियोजना सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुसार विचलन का पता लगाने के लिए सभी परियोजनाओं की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा की जाती है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी हमेशा ही मानवीय चेहरे के साथ परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध रही है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन इस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है कि तर्कसंगत संक्रमण अवधि के बाद बाढ़ प्रभावित परिवार के जीवन स्तर में सुधार से या कम से कम पूर्व स्तर बना रहे, आय क्षमता और उत्पादन स्तर में सुधार हो। टीएचडीसीआईएल पारस्परिक सहयोग या नियमित परामर्श के माध्यम से परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहा है।

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दिया जा रहा मुआवजा तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ लागू मानकों/दिशानिर्देशों के समकक्ष है। परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने के अतिरिक्त कौशल विकास कार्यक्रम, आय प्राप्त करने की गतिविधियों जैसी विभिन्न पहलें शुरु कर प्रभावित परिवारों के आर्थिक उत्थान पर भी बल दिया जा रहा है।

आर. ए. पी की मानीटरिंग और मूल्यांकन आवधिक आधार पर तीसरे पक्ष की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आवधिक आधार पर की गई थी ताकि इसका निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके। साथ ही, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पुनर्वास और स्थापन (आर ऐंड आर) नीति आरएपी के उद्देश्य उन लोगों के संदर्भ में प्राप्त किया जा रहा है जो भौतिक रूप से पुनः बसाए गए हैं, उनकी आय पुनः स्थापित हो रही है, जिन्होंने अपनी जमीन गंवा दी है, सामान्य संपत्ति के संसाधनों का पुनः निर्माण किया है, आदि।

वीपीएचईपी परियोजना के लिए नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी–2007) पर आधारित हैं जिसे बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक के दिशानिर्देश समाहित किए गए हैं। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा और दिए जा रहे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हितलाभ लागू मानकों/दिशानिर्देशों के समकक्ष तथा विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षोपाय नीतियों के अनुरूप है क्योंकि वीपीएचईपी में विश्व बैंक वित्तपोषित है।

वीपीएचईपी में लगभग मुआवजा की 94 प्रतिशत राशि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा वितरित की गई है और लगभग 88 प्रतिशत पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनुदान आपकी कंपनी द्वारा वितरित किया गया है। आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए लगभग 500 परियोजना प्रभावित लोगों को लाभान्वित करते हुए डेयरी विकास, मुर्गी पालन, सिलाई और कढ़ाई, ऊन से

बुनाई, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती जैसे विभिन्न कार्यकलापों को बढ़ावा दिया गया है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेधावी/गरीब/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है और अतिरिक्त कक्षाएं और प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण किया गया है और टीएचडीसीआईएल ने बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए आसपास के क्षेत्रों में जीएमआर फाउंडेशन, डॉ. रेड्डी फाउंडेशन ऐंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसी विख्यात संस्थाओं के माध्यम से होटल प्रबंधन, उत्खनक आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, रेफ्रीजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग आदि जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए परियोजना से प्रभावित लगभग 300 बेरोजगार युवाओं को प्रयोजित भी किया है। लगभग 20 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को कंपनी के रोल पर रोजगार दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के खुर्जा स्थित ***सुपर थर्मल पावर परियोजना*** की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा टीएचडीसीआईएल को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आबंटित अमेलिया कोयला ब्लाक विकसित कर रही है। अमेलिया कोयला खदान के परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को आयुक्त रीवा द्वारा 24 दिसम्बर, 2019 को अनुमोदित किया जा चुका है। प्रतिपूर्ति का संवितरण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कॉलोनियों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

अभियांत्रिकी परामर्श

विगत वर्षों में हासिल किए गए आंतरिक अनुभव और समृद्ध विशेषज्ञता को प्रभावी ढंग से आगे प्रसारित करने के उद्देश्य से, टीएचडीसीआईएल के डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग के भीतर एक समर्पित परामर्श विंग स्थापित किया गया है, जो अपने सम्मानित ग्राहकों को जलविद्युत परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर और इन्हें चालू करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबद्ध कार्यों तक एकीकृत तरीके से परामर्श सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने केंद्र/राज्य सरकार और अन्य सरकारी सांविधिक इकाइयों को अपनी पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की है और जल संसाधन इंजीनियरिंग एवं अत्याधुनिक इंजीनियरिंग कार्यों के क्षेत्र में पूर्ण अभियांत्रिकी समाधान प्रदान कर रही है। संदर्भ के तौर पर, टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग द्वारा अन्य सरकारी निकायों/एजेंसियों के साथ सहयोगी इंजीनियरिंग क्षेत्र में परामर्श सेवाओं में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कैस्केड में, टीएचडीसीआईएल ने भूटान की शाही सरकार को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने में अपनी विशेषज्ञता साझा की है और भूटान सरकार के लिए 2 डीपीआर अर्थात् भूटान में बुनाखा (180 मेगावाट) और संकोश (2585 मेगावाट) एचईपी के लिए तैयार/अद्यतन किए हैं। इसी प्रकार, टीएचडीसीआईएल ने उत्तरकाशी, उत्तराखंड में वरुणावत पर्वत के पहाड़ी स्थिरीकरण के लिए क्रमशः श्री माता वैष्णो देवीजी के ट्रैक पर उच्च पहाड़ी ढलानों के कार्यों और ढलान संरक्षण के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग समाधान प्रदान किए हैं।

परामर्शिता परियोजनाओं में, भारत में उत्तराखंड राज्य सरकार के विभाग, श्री माता वैष्णो देवीजी के श्राइन बोर्ड, जम्मू–कश्मीर तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के लिए परियोजनाओं की अवधारणा से शुरू होने तक भूस्खलन शमन उपायों पर 60 से अधिक डीपीआर तैयार किए गए हैं।

अनुसंधान और विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का अनुसंधान और विकास केन्द्र दिसम्बर, 2011 में ऋषिकेश में स्थापित किया गया। निदेशक मंडल ने वर्ष 2012 में अनुसंधान और विकास नीति को अनुमोदित किया। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिष्ठित संस्थाओ के माध्यम से अनुसंधान और विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही थी जिनके नाम हैं– टिहरी क्षेत्र के आस पास स्थापित भूकंप निगरानी स्टेशन, टिहरी एवं कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपकरण की वार्षिक स्थिति निगरानी, टिहरी के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का विस्तार और स्तरोन्नयन, जीरो ब्रिज और कोटेश्वर के बीच स्थित सड़क की ढलान स्थिरता के लिए व्यापक समाधान, टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र के लिए सैटेलाइट आधारित वास्तविक समय प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार के लिए परामर्श, हाइड्रो जनरेटर चलित पारेषण लाइनों में घट–बढ़ का विश्लेषण और उपशमन आदि।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर खर्चः वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर 3.22 करोड़ रु. खर्च किए गए।

टीएचडीसीआईएल वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट पर विशिष्ट संदर्भ के साथ टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन।
- ***टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र से तलछट के एकत्र होने का आकलन:*** टीएचडीसीआईएल आईआईटी–रुड़की के सहयोग से दो चरणों में इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना का संचालन कर रहा है। चरण–I पूरा हो चुका है और चरण–II प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 के दौरान अध्ययन पर 7.74 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।
- ***टिहरी और कोटेश्वर एचईपी में इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की स्थिति की निगरानी:*** टीएचडीसीआईएल ने मेसर्स सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआई), बेंगलुरु के सहयोग से वर्ष 2012–13 से वार्षिक आधार पर संयंत्रों के ईएम–उपकरण की स्थिति की निगरानी और स्वास्थ्य मूल्यांकन का आयोजन किया है। अध्ययन का उद्देश्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की आवधिक स्थिति की निगरानी और स्वास्थ्य मूल्यांकन करना है ताकि खराब होने, खराबी और स्थापना दोषों के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सके और इस प्रकार परियोजनाओं की वित्तीय विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान इस अध्ययन पर 36.39 लाख रूपये का व्यय किया गया।
- ***जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच स्थित सड़क की ढलान स्थिरता के लिए व्यापक समाधान:*** टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (टिहरी पीएसपी) निर्माण के अग्रिम चरण में है और कोटेश्वर एचईपी का जलाशय इस पीएसपी के लिए निचले जलाशय के रूप में कार्य करेगा। दोनों परियोजनाएं कोटेश्वर जलाशय के दाहिने किनारे से गुजरने वाली सड़क से जुड़ी हुई हैं और यह सड़क मुख्य रूप से मानसून के दौरान अक्सर भूस्खलन और अवतलन का सामना करती है। टिहरी पीएसपी के पूरा होने के बाद, कोटेश्वर जलाशय में अपने स्तर में लगभग 12 मीटर नियमित उतार–चढ़ाव होगा और यह पादाग्र के पास पानी के दबाव में अत्यधिक वृद्धि से बढ़ने वाली चक्रीय लोडिंग और अनलोडिंग के कारण दाहिने किनारे की ढलानों में अधिक अस्थिरता ला सकता है। कोई भी गहन भूस्खलन, यदि ट्रिगर होता है, तो भूस्खलन से उत्पन्न आवेग तरंगों के कारण कोटेश्वर बांध की सुरक्षा के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है और परिणामस्वरूप दोनों चालू परियोजनाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के भारी नुकसान के साथ डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम भी अपरिहार्य हो सकते हैं। टीएचडीसीआईएल ने इस अध्ययन को वैश्विक/बड़े ढलान संचलनों, यदि कोई हो, और शमन उपायों का आकलन करने के उद्देश्य से शुरू किया है। परियोजना को आईआईटी रुड़की और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के सहयोग से निष्पादित किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस पर 1.63 लाख रूपये का व्यय किया गया।
- ***भूकंपीय नेटवर्क का संचालन और अनुरक्षण:*** आसपास के क्षेत्र में भूकंपीय नेटवर्क स्थापित करने का मूल उद्देश्य टिहरी बांध स्थल के आसपास के क्षेत्र की सूक्ष्म भूकंप गतिविधि पर दीर्घकालिक डाटा एकत्र करना और टिहरी जलाशय में पानी भरने से पहले, इसके दौरान और बाद में भूकंप इंजीनियरिंग पर डाटा एकत्र करना है। टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में वर्तमान में स्थानीय भूकंपीय नेटवर्क में 12 स्टेशन स्थापित थे। क्षेत्र में जलाशय को परिबद्ध करने संबद्ध भूकंपीय परिवर्तनों, यदि कोई हों, का आकलन करने के लिए इस नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन काफी महत्वपूर्ण हैं। टीएचडीसीआईएल ने सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन 12 स्टेशनों से बढ़ाकर 18 स्टेशनों में किया है। 18 स्टेशनों के उन्नत नेटवर्क को 08.08.2019 को चालू कर दिया गया है और दोनों सीआरएस अर्थात न्यू टिहरी स्टेशन और डीईक्यू, आईआईटी रुड़की सीआरएस पर निरंतर ऑनलाइन डाटा प्राप्त किया जा रहा है। टिहरी और कोटेश्वर परियोजना में 13 स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोग्राफ (एसएमए) वाला एक अन्य नेटवर्क स्थापित किया गया है। अध्ययन के परिणाम इस क्षेत्र में अन्य अवसंरचना परियोजनाओं की योजना/

कार्यान्वयन के लिए भी लाभकारी हैं। वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल द्वारा आईआईटी–रुड़की के सहयोग से 18–स्टेशन पर भूकंपीय नेटवर्क का संचालन और अनुरक्षण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 में अध्ययन पर 1.50 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

- ***प्रचालनात्मक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करते हुए टिहरी बांध जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी करने के लिए परामर्श:*** टीएचडीसीआईएल द्वारा मेसर्स मेक्ट्रोनिक्स के माध्यम से जल विज्ञान विभाग, आईआईटी, रुड़की के मार्गदर्शन में टिहरी में अपने भू स्टेशन (नियंत्रण कक्ष) के साथ 11 स्वचालित मौसम स्टेशनों, 4 स्वचालित जीएंडडी स्टेशनों से युक्त एक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना की गई थी, जो जून, 2016 से कार्यशील है। प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय मौसम विज्ञान और हाइड्रोलॉजिकल डाटा का प्रेक्षण करना और इसे टिहरी में स्थापित भू–स्टेशन को प्रसारित करना है ताकि टिहरी जलाशय के लिए प्रवाह के पूर्वानुमान के लिए डाटा को आगे प्रसारित किया जाए। बेहतर पूर्वानुमान प्रणाली के साथ टिहरी जलाशय के अनुप्रवाह में बाढ़ को नियंत्रित करने में यह अध्ययन बहुत उपयोगी हो सकता है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान इस अध्ययन पर कुल 33.96 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण

संयंत्र के उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास एक पूर्ण और केन्द्रीकृत कारपोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग है। इस संबंध में एक आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यशील है जो कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासनों और निरीक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करती है ताकि विद्युत उत्पादन से जुड़ी सभी इकाइयों की चल रही परियोनाओं (टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी) के कार्य स्थलों को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी उपस्करों तथा अनुषंगी पुर्जों की गुणवत्ता आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका उपस्कर के प्रत्येक चरण अर्थात टेंडर डाक्यूमेंट के लिए क्यूए ऐंड आई आवश्यकता की तैयारी, क्यू ऐंड आई पक्ष के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रणाली को अंतिम रूप देने, उप विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं (विनिर्माण/क्षेत्र) के अनुमोदन, कार्य चरण और अंतिम निरीक्षण, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाण–पत्र (एमडीसीसी) पर है।

इसके अतिरिक्त कारपोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के अलग–अलग चरणों पर नियमित/आवधिक निरीक्षण कर कार्य स्थल पर उपस्करों के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दिनांक 31.03.2021 तक विक्रेता अनुमोदन, क्यूएपी, निरीक्षणों और एमडीसीसी अनुशंसाओं के लिए परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	उप विक्रेता	गुणवत्ता योजना (विनिर्माण एवं क्षेत्र)	पूर्व–प्रेषण निरीक्षण	एमडीसीसी अनुशंसाएं
टिहरी पीएसपी	670	106	299	343
वीपीएचईपी	1631	60	252	141

प्रमाणन

टीएचडीसीआईएल ने कारपोरेट कार्यालय, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, केएचईपी, विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी और ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन आईएसओ 14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएंडएस) का प्रमाणन आईएसओ 45001:2018 प्राप्त किया है। आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 प्रमाणन की वैधता मार्च 2021 तक है और इसके लिए पुनः प्रमाणन प्रक्रिया जारी है। आईएसओ 45001:2018 प्रमाणपत्र की वैधता मार्च, 2024 तक है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने हमेशा उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा के उपाय अपनाए हैं ताकि इसके विभिन्न कार्यालयों तथा परियोजना मोर्चों पर उसकी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके, न्यूनतम किया जा सके और कम किया जा सके। आपकी कंपनी जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा अपने सभी कार्यस्थलों पर सर्वोत्तम पद्धतियों का कार्यान्वयन करने के प्रति समर्पित है। आपकी कंपनी का उद्देश्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

1. वीपीएचईपी

- 444 मेगावाट के विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल निगरानी और पर्यावरण मूल्यांकन और सामाजिक मुद्दों के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल लगाया गया है।
- मेसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना (कैट) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।
- डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिज रिसर्च (डीसीएफआर), भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।
- वीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग को कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आसपास उचित वन स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की चारदीवारी के आसपास विद्युत गृह और टनेल बोरिंग मशीन साइट पर चिन्हित स्थानों पर 02 वाच टावर संस्थापित किए गए हैं।
- नियंत्रित विस्फोट करने वाली तकनीकें अपनाई जा रही है और इनकी निगरानी सीआईएमएफ, रूड़की के माध्यम से निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।
- वीपीएचईपी कॉलोनी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एचआरडीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से औषधीय पौधों का एक उद्यान विकसित किया जा रहा है।
- प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ ''जंगली'' के पर्यवेक्षण में वीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया है।

2. खुर्जा एसटीपीपी

आपकी कंपनी 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपरताप विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समान आधार पर कार्यान्वित की जानी है। खुर्जा एसटीपीपी में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर आपकी कंपनी ने खतरनाक गैसों और कणों को वातावरण में सीधे उत्सर्जन होने से बचाने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ तकनीके नीचे दी गई है।

- उड़ने वाली राख के कण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ईएसपी) संस्थापित किया जाएगा।
- कम Nox बर्नरों सहित ब्वालयर प्रदान किए जाएंगे और फ्लू गैस सेलेक्टिव कैटेलिक नोक्स रिडक्शन और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के जरिए गुजारा जाएगा ताकि Nox और SO_2 संकेंन्द्रणों को 100 एमजी/एनएम 3 से नीचे रखा जा सके।
- एक राख प्रबंधन स्कीम का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण प्रयोग के लिए पहले ही चिन्हित उद्यमियों को राख की आपूर्ति और राख (ऐश) का अधिकतम सीमा तक उपयोग और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल हैं। संयंत्र में राख के निपटान के लिए संयंत्र में भिन्न–भिन्न दो प्रणालियां होगी। परंपरागत गीला गाद निपटान जिसमें पेढ़े की राख के लिए राख जल का पुनः परिचालन और फ्लाई ऐश के लिए उच्च संकेन्द्रण गाद निपटान (एचसीएसडी)।

लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को केन्द्रीय कार्यालय तथा परियोजना के सभी स्थलों पर विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) मनाया जाता है।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिवेश के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए संबंधित जोखिमों के गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है और उनके शमन के लिए उपयुक्त कार्यनीति बनाई जानी चाहिए।

चूंकि, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्रों का भू–रूप मेगाफोल्ड, दोष, थ्रस्ट संरचनाओं आदि का प्रतिनिधित्व करता है जो हिमालयी विवर्तनिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इन भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के दौरान विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं। कंपनी ने जून 2012 में 'जोखिम प्रबंधन नियमावली' लागू की है, जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। मैनुअल में निष्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में कंपनी में एक समान और संरचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखने का आशय किया गया है।

चल रही निर्माण परियोजनाओं के लिए जोखिम प्रबंधन समितियां मौजूद हैं। प्रत्येक समिति में परियोजना स्थल (जोखिम अधिकारी के रूप में), परियोजना वित्त और कारपोरेट डिजाइन (सिविल और एचएम) के सदस्य शामिल होते हैं। चल रही परियोजनाओं में सुव्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित की जा रही जोखिम प्रबंधन योजनाओं की निगरानी के लिए एक कारपोरेट जोखिम प्रबंधन अधिकारी को भी नामित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट (***अनुलग्नक–I***) में अलग से संलग्न है। जोखिम के प्रमुख तत्व इस रिपोर्ट के ***अनुलग्नक–II*** के रूप में संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

टीएचडीसीआईएल में समग्र उत्पादकता तथा कुशलता को सुधारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण समझा जाता है। हमने उत्पादित की जाने वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम प्रयोग, निर्माण परियोजना के विकास में गति देने के लिए विभिन्न साफ्टवेयर सोल्यूशंस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ताकि इससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार आए। टीएचडीसीआईएल के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवसंरचना हैं। वित्त, मानव संसाधन, खरीद एवं संविदा, माल सूची, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण ऊर्जा बिक्री एवं लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि सभी मुख्य व्यवसायों के कार्य हेतु कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। सभी कंप्यूटराइज्ड प्रणालियां वेब आधारित हैं तथा इंटरनेट के माध्यम से एसेस किए जा रहे हैं।

सभी स्थानों पर साफ्टवेयर अनुप्रयोगों की निर्बाध एसेस के लिए डुअल हाई स्पीड, इंटरनेट लीज लाइनें मौजूद हैं। इसके साथ ही भुगतानों में पारदर्शिता के लिए विक्रेताओं/ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने वेब आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली भी कार्यान्वित की है। ठेकेदार/विक्रेता भी अपने बिलों की स्थिति जान लेते हैं, उनको कमियां भी पता चल जाती हैं। अपनी शिकायतों को दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता के लिए शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

वित्त वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित मूल्य–विवर्धन हासिल किए गए थे:

- एफएमएस एप्लीकेशन साफ्टवेयर को भारतीय लेखांकन मानक (इंड–ए एस) के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा, साफ्टवेयर को नए फीचर्स के साथ निरंतर अपग्रेड किया जाता है। अप्रैल, 2020 से राजस्व बजट के साथ–साथ पूंजीगत बजट के लिए ऑनलाइन बजट मॉड्यूल शुरू किया गया है। इससे पारदर्शिता और निर्णय लेने में तेजी आई है और यह बजट व्ययों को नियंत्रित करेगा।
- कार्यपालकों की तिमाही सतर्कता मंजूरी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास।
- सभी कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के लिए कंपनी में आनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का कार्यान्वयन।

- आई.टी. प्रणाली और साफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन तथा आई.टी. अवसंरचना की नियमित लेखा परीक्षा सी.ई.आर.टी.इन–पैनलबद्ध सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है तथा कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- नए स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षुओं के लिए साइबर सुरक्षा पर एक सत्र आयोजित किया गया है ताकि उन्हें साइबर सुरक्षा के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी जा सके।
- भिन्न–भिन्न परियोजना कार्यालयों के बीच वी. सी. आयोजित करने के लिए कंपनी में सुस्थापित मल्टी–प्वाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली है।
- प्रतिभा प्रबंधन और एग्जिट प्रोसीजर के लिए एच.आर. एम.एस. में नया साफ्टवेयर माड्यूल विकसित कर कार्यान्वित किया गया है।
- कोविड–19 लाकडाउन के दौरान, अधिकांश कार्य आनलाइन साफ्टेवयर जैसे ई–ऑफिस, एफएमएस, एचआरएमएस आदि द्वारा किए गए और वीडियो क्रान्फेंसिंग एप्लीकेशनों के माध्यम से बैठकें आयोजित की गई। यह सुविधा ठेकेदारों और अन्य हितधारकों को भी प्रदान की गई थी।
- इंटरनेट पर कमजोरियों/दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक का सामना करने वाले उपकरणों पर परामर्श प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने नियमित परामर्श प्राप्त करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र को शुरू किया है।
- दस्तावेजों पर बिना किसी परेशानी के कार्य करने की सुविधा के लिए ऑफिस 365 के कुछ लाइसेंस प्राप्त और संस्थापित किए गए हैं।

पुरस्कार और मान्यताएं

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थानों द्वारा समय–समय पर इसे विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के रूप में मान्यता दी गई एवं इसकी सराहना की गई है।

एनटीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के निष्पादन के लिए इसे 'बहुत अच्छा' रेटिंग मिलने की अपेक्षा है।

सीबीआईपी द्वारा प्रकाशित "वाटर एंड एनर्जी इंटरनेशनल" के "कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर विशेष अंक" का अनावरण समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 07.09.2020 को आयोजित किया गया था। इस विशेष अंक का अनावरण माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) और राज्य मंत्री (कौशल विकास और उद्यमिता), भारत सरकार द्वारा किया गया था। समारोह के दौरान सचिव (विद्युत), भारत सरकार के साथ विद्युत मंत्रालय, सीईए, सीडब्ल्यूसी, सीबीआईपी, अन्य गणमान्य व्यक्ति विद्युत क्षेत्र के सीपीएसई के सीएमडी और टीएचडीसीआईएल के सीएमडी, निदेशक मौजूद थे।

सचिव (विद्युत), भारत सरकार ने भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि जोखिम और लागत पद्धति पर इस पटरी से उतरी परियोजना के सिविल कार्यों को शुरू करने के लिए टीएचडीसीआईएल प्रबंधन के अभिनव निर्णय, नई तकनीक को शामिल करने और सभी इंजीनियरों और कर्मचारियों के चौबीसों घंटे समर्पित प्रयास से यह संभव हो सका। टीएचडीसीआईएल के प्रयासों की विद्युत मंत्रालय और संपूर्ण हाइड्रो सेक्टर समुदाय ने सराहना की। कोटेश्वर परियोजना को अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना के लिए पीएमआई पुरस्कार 2012 और सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2013 से भी सम्मानित किया गया।

इसके अलावा, यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि पिछले वर्षों की तरह, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न डोमेन के तहत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

1. ***सीएसआर स्वास्थ्य प्रभाव पुरस्कार 2020:*** एकीकृत स्वास्थ्य और कल्याण (आईएचडब्ल्यू) परिषद द्वारा कोविड–19 संस्करण,
2. ***स्वर्ण पुरस्कार:*** विद्युत समावेशी नवीकरण क्षेत्र–टीएचडीसीआईएल को 20.08.2020 को 7वें एक्सीड सीएसआर पुरस्कार 2020 के तहत माननीय मंत्री (एमओईएफ और सीसी) द्वारा सीएसआर में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

3. ***माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा सीआईआई:*** आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित सीआईआई–आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 के तहत सीएसआर में उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना। टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण गांवों में सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर प्रयासों के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अत्यधिक सराहना की गई। कम श्रम लागत और बढ़े हुए कृषि उत्पादन के माध्यम से महिला किसानों के स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करना।
4. आपकी कंपनी को वर्ष 2019–20 के लिए (नराकास की राजभाषा वैजयंती स्कीम के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया)। पुरस्कार की घोषणा नराकास, हरिद्वार की अर्धवार्षिक बैठक में 21 जनवरी, 2021 को की गई थी।

मानव संसाधन प्रबंधन

लोग प्राथमिक संसाधन हैं और इस संसाधन ने आपकी कंपनी को महामारी के समय में चुनौतियों के बीच लचीलापन विकसित करने में मदद की है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में, नई सीख मिली है और अधिक आत्मनिर्भरता विकसित हुई है। कंपनी की ब्रांड छवि बनाने के लिए, रणनीतिक योजना को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी को अत्याधुनिक बढ़त प्रदान करने, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि मानव एक मुख्य संसाधन है और आपकी कंपनी का प्रयास अपने कर्मचारियों को उनकी कैरिअर आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, व्यावसायिक आवश्यकताओं की प्रदायगी में सक्षम बनाना हैं। हमारे लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्पूर्ण कार्यबल के बीच देखभाल, प्रतिबद्धता, संलग्नता और एकता की संस्कृति विकसित करने पर केंद्रित होते हैं। 31.03.2021 को आपकी कंपनी की मानव पूँजी 1736 है, जिसमें कार्यपालक 842, पर्यवेक्षक 83 और कामगार 811 शामिल हैं। एक उच्च गुणवत्ता, प्रेरित कार्यबल कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है, इसलिए आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

प्रशिक्षण और विकास

आपकी कंपनी में एक सुपरिभाषित ज्ञानार्जन विकास प्रणाली है। आपकी कंपनी कार्यनीतिक मानव संसाधन हस्तक्षेप कर अपने कर्मचारियों को व्यापार से जोड़कर उनकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करती है। कंपनी व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की व्यक्तिगत विकास योजनाओं को जोड़ने में सक्षम रही है जो संगठन को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की दक्षताओं को अद्यतन रखने में मदद करती है। महामारी के समय में भी, आपकी कंपनी की सीखने और विकास की पहल निर्बाध रूप से जारी रही और आपकी कंपनी ने 3569 कार्य दिवसों के लिए बाहरी नामांकन, जिनमें से 2554 मानव दिवस ऑनलाइन मोड के माध्यम से और 1015 मानवदिवस ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए, के अलावा तकनीकी, प्रबंधकीय और व्यवहारिक डोमेन पर 80 समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कंपनी ने उच्च पदों के लिए कर्मचारियों की तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं के निर्माण के लिए पहल की है और इसलिए आपकी कंपनी ने प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए इन–हाउस डिजाइन किये गये नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित करने के साथ–साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद में लीडरशिप पाइपलाइन के विकास के लिए नेतृत्व कार्यक्रम का आयोजन किया।

महिला पेशेवरों के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कार्य जीवन संतुलन के साथ–साथ नेतृत्व विकास प्राप्त करने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए कई पहलें की गईं। नवनियुक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया और उनका अंतिम मूल्यांकन किया गया। आपकी कंपनी प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों में महिला कर्मचारियों के लिए समान अवसर और समान प्रतिनिधित्व के साथ समान अवसर

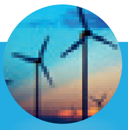

प्रदान करती है। कंपनी के सभी स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया और महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण के लिए पहलें की गई।

वेब लर्निंग प्रोग्राम पर विशेष ध्यान देने के साथ उच्च पदों के लिए उनकी तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं का निर्माण करने के लिए कर्मचारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल विकास के साथ–साथ आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों में निवेश कर रही है।

कर्मचारी संबंध और कल्याण

कंपनी के सतत विकास के लिए एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंध महत्वपूर्ण है। इससे निरंतर शानदार प्रदर्शन होता है और यह आपसी प्रयासों को सुनिश्चित करने में मदद करता है जिससे समग्र संगठनात्मक समृद्धि प्राप्त होती है। आपकी कंपनी में कर्मचारी संबंध न्याय, समानता, आपसी सम्मान पर आधारित है और आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को संवाद प्रक्रिया में शामिल करती है और कंपनी ने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यूनियनों/एसोसिएशन के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित करने के लिए सहभागी मंच और प्रणाली विकसित की है। इसने कंपनी में प्रचलित समग्र सद्भाव और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंधों को सुनिश्चित करने में मदद की है।

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/केंद्रों/इकाइयों में कर्मचारी संबंध सौहार्द्रपूर्ण और समरस बने रहे। प्रबंधन और कामगारों तथा कार्यपालकों के संघ/संगठनों के बीच लगातार विचार–विमर्श होता रहा। वर्ष के दौरान संगठित बैठकें आयोजित की गई जिनमें कार्य निष्पादन और उत्पादकता संबंधी मामलों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें प्रबंधन और कामगारों के समान संख्या में प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया। टीएचडीसीआईएल की क्वालिटी सर्कल टीम ने गुणवत्ता संकल्पनाओं के संबंध में मॉडल प्रस्तुत किए जिनकी प्रशंसा हुई और टीएचडीसीआईएल की टीमों ने राष्ट्रीय क्वालिटी सर्किल मीट में 05 अति उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किए। इस प्रकार इसने सतत सुधार और सामग्री उन्मुख दृष्टिकोण के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिबद्धता प्रमाणित किया।

आपकी कंपनी द्वारा कर्मचारी कल्याण को एक अलंघनीय जिम्मेदारी माना जाता है और महामारी के समय में आपकी कंपनी ने कर्मचारी कल्याण और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से सदैव अपने कर्मचारियों की खुशी और कल्याण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अंतर–सीपीएसयू स्पोर्ट आदि के आयोजन से लेकर कई कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया और बैडमिंटन सहित आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित कई खेल आयोजनों में पदक जीते, जहां वॉलीबॉल टूर्नामेंट में टीएचडीसीआईएल की महिला टीम ने प्रथम पुरस्कार जीता और पुरुष टीम वालीबॉल टूर्नामेंट में उपविजेता रही। कोविड–19 के कारण क्लबों की गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, हालाँकि, इन क्लबों द्वारा कर्मचारियों को कोविड–19 के बारे में जागरूक करने और मास्क, सैनिटाइजर आदि के वितरण द्वारा महामारी से लड़ने के लिए कई पहल की गईं।

आपकी कंपनी बेहतर जीवन के लिए योग के समग्र महत्व को समझती है इसलिए कर्मचारियों और उनके परिवारों को लगातार योग का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित और सुयोग्य योगाचार्य प्रतिनियुक्त किए गए हैं। योग दिवस का आयोजन, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक मुद्दों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था भिन्न–भिन्न इकाइयों में स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर आदि वर्ष भर चलने वाली अतिरिक्त गतिविधियां थीं।

अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहलें

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पूर्ण रूपेण समाधान किया है। आपकी कंपनी में अ.जा./अ.ज. अ.पि. व और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ है। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को

भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत लगातार प्रयास किए जाते हैं। आपकी कंपनी ने समूह– "क" में 13 उम्मीदवारों की भर्ती की, जिनमें से 09 सामान्य श्रेणी – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 01 सहित अ.पि.व. (एनसीएल), अ.जा.–01, अ.ज.जा.–01 और दिव्यांग श्रेणी से 01 उम्मीदवार शामिल था।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। आपकी कंपनी सुगम भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित दिशा– निदेशों का पालन कर दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध माहौल बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को नामित करती है। भिन्न रूप से सक्षम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने तथा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी ने संपर्क अधिकरियों को नामित किया है। आपकी कंपनी की नीति समान अवसर प्रदान करने की है जिसे पूर्ण रूप से लागू किया जाता है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किए हैं। आपकी कंपनी का विश्वास है कि हिंदी भाषा में सहयोग एवं राष्ट्रीय उत्साह सृजन करने की शक्ति है। इसलिए आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार एवं सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान परियोजनाओं एवं कारपोरेट कार्यालय में अनेक हिंदी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि सरकारी काम में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। सभी कार्यालय आदेश, फार्मेट एवं परिपत्र हिंदी में जारी किए गए। सामग्री, अधिकारिक वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में भी दर्शाई जा रही है। महत्वपूर्ण विज्ञापन और गृह पत्रिकाएं द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की गईं।

वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 13 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 336 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम्प्यूटरों/लैपटॉप में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर/फोंट संस्थापित किए गए हैं। कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी पखवाड़ा सहित वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों मे भाग लेकर गृह पत्रिकाओं में लेख, विनिबंध देकर हिन्दी को बढ़ावा देने में कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार स्कीमें भी लागू की गई हैं।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय में सर्वोत्तम पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय तथा कंपनी की विभिन्न संस्थापनाओं में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किए हैं जहाँ कर्मचारियों को लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। हिंदी इन–हाउस पत्रिका "पहल" भी प्रकाशित की जा रही है और निर्गत सामग्री को टीएचडीसी वेबसाइट पर मीडिया टैब में और राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ई–पत्रिका पुस्तकालय टैब में अपलोड किया गया था।

आपकी कंपनी 'नराकास' (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार और टिहरी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियाँ/कार्यक्रम जैसे छमाही बैठकें आयोजित की गईं। सभी गतिविधियाँ और कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। आपकी कंपनी को वर्ष 2019–20 के लिए नराकास की राजभाषा वैज्यंती स्कीम के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार की घोषणा नराकास, हरिद्वार की अर्धवार्षिक बैठक में 21 जनवरी, 2021 को की गई थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है।

टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। निगम के अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी के विवरण तथा सूचना प्राप्त करने के लिए तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है वर्ष 2020–21 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 154 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को 15 अपीलें प्राप्त हुई, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में 02 अपील दायर की गई और आयोग ने उसका निपटान किया।

महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियां गठित की जो महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और उनका ध्यान रखने वाला माहौल प्रदान करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2020–21 में आईसीसी को कोई शिकायत नहीं मिली थी। आपकी कंपनी ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला) समिति का भी गठन किया है और डब्ल्यूआईपीएस की आजीवन सदस्य है। आपकी कंपनी राष्ट्रीय सम्मेलनों, वेबिनार आदि में भाग लेने के लिए डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों को नामांकित करती है। महिला कर्मचारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

जन संपर्क पहलें और कार्यकलाप

वैश्विक महामारी ने विभिन्न मोर्चों पर चुनौतियां उत्पन्न की हैं और कोविड–19 के खिलाफ युद्ध लड़ने में प्रभावी संचार कार्यनीति की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी कंपनी ने महामारी के दौरान आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बारे में जागरूकता के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए सभी संचार चैनलों और प्लेटफार्मों का प्रभावी और व्यापक उपयोग किया है। टीएचडीसीआईएल ने एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में विवेकपूर्ण कोविड संचार प्रतिक्रिया के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों अर्थात् फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चैनलाइज किया है।

आपकी कंपनी का रचनात्मक संचार में दृढ़ विश्वास है तथा विभिन्न हितधारियों को संलग्न करने के लिए नवोन्मेषी और विविध साधनों को अपनाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान उत्पादक हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं।

टीएचडीसीआईएल द्वारा उठाए गए कदमों के साथ–साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा की गई पहलों को नियमित रूप से बढ़ावा देना और साझा करना। यह जागरूकता फैलाने के लिए सूचना ग्राफिक्स, लघु वीडियो/एनिमेशन प्रदर्शित करने के साथ–साथ पीएमओ, माई.गॉव (My.gov.), स्वास्थ्य मंत्रालय और पीआईबी आदि के महत्वपूर्ण अपडेट/घोषणाओं को भी मॉनीटर करता है।

किसी भी आपात स्थिति में कोविड संक्रमित/संदिग्धों के लिए आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर संचार के लिए व्हाट्स ऐप/फेसबुक समूह बनाना।

आपका निगम हितधारकों की पहुंच के लिए जुड़ाव के अभिनव और विविध साधनों को वास्तविक तौर पर अपनाता है। आपकी कंपनी ने सोशल मीडिया सेंटर (एसएमसी)–वन स्टॉप डेस्टिनेशन विकसित किया है ताकि विवेकपूर्ण सोशल मीडिया हस्तक्षेप किया जा सके और टीएचडीसीआईएल कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में इसके कार्यान्वयन और केंद्रीकृत प्रभावी निगरानी को

सुनिश्चित किया जा सके। निगम ने सक्रिय और विविध सोशल मीडिया एसेट्स जैसे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, बल्क मैसेज और वॉयस कॉल सर्विस विकसित किए हैं। आपकी कंपनी सूचना की शक्ति को स्वीकार करती है और इसलिए सभी हितधारकों तक पहुंचने और उन्हें सीएसआर, कल्याण पहल, कारपोरेट उपलब्धियों आदि के बारे में सूचित रखने के लिए ई–पत्रिकाओं के लिए ऑडियो/वीडियो सामग्री सहित कई तरीकों का उपयोग करती है।

आजादी का अमृत महोत्सव

15 अगस्त, 2022 को भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, भारत सरकार ने डेढ़ साल का अमृत महोत्सव शुरू किया है जो मार्च 2021 से शुरू हुआ है।

आजादी के अमृत महोत्सव में, विभिन्न सरकारी संगठन और सीपीएसई नियमित रूप से अभिनव हितधारक इंटरफेस के लिए गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। टीएचडीसीआईएल इस पहल में भारत सरकार की भागीदारी कर रहा है और 31 अक्टूबर 2021 तक विद्युत मंत्रालय द्वारा सौंपी गई 11 गतिविधियों का संचालन करने की योजना बनाई है। 11 योजनाबद्ध हस्तक्षेपों में से, 05 गतिविधियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं और बाकी की योजना के अनुसार योजना बनाई गई है।

टीएचडीसीआईएल पर कोविड–19 बीमारी का प्रभाव

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी ने आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया है और मार्च 2020 से पूरे विश्व को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालांकि परिस्थितियां कठिन थीं लेकिन कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए गए और परिणामस्वरूप, केरल के कासरगाड जिले में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 31.12.2020 को चालू किया गया है और 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित भी किया गया है। सौर परियोजना की इस 50 मेगावाट क्षमता के शामिल हो जाने के बाद, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की कुल प्रचालनात्मक क्षमता अब 1587 मेगावाट हो गई है।

इसके अलावा, कोविड संबंधी लॉकडाउन के कारण, वित्त वर्ष 20–21 की पहली तिमाही के अंत में कैपेक्स की उपलब्धि केवल 3.8% थी। हालांकि, टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए कठोर प्रयासों और विद्युत मंत्रालय की सूक्ष्म निगरानी और समर्थन के साथ, टीएचडीसीआईएल ने उत्कृष्ट रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2020–21 का कैपेक्स लक्ष्य हासिल किया है।

मार्च, 2020 से व्यापक कोविड महामारी के बावजूद, हमारी निर्माणाधीन परियोजनाओं के सभी कार्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देश को फिर से कोरोनवायरस की गम्भीर दूसरी लहर का सामना करना पड़ा। संकट के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, टीएचडीसीआईएल फिर से कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई में भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के साथ मजबूती से खड़ा रहा। टीएचडीसीआईएल के सभी स्थानों पर सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ–साथ संविदा/आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों, ठेकेदारों के कर्मचारियों/श्रमिकों आदि के लिए आइसोलेशन और क्वारंटाइन सुविधाओं, ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा और टीकाकरण आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएं बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे।

टीएचडीसीआईएल के कोविड संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की दैनिक स्थिति के साथ उनकी परिस्थितियों जैसे गंभीर मामलों को विशेष देखभाल सुविधा अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया/टीएचडीसीआईएल के ऑक्सीजन सुविधा वाले आइसोलेशन केंद्रों में व्यक्ति/टीएचडीसीआईएल क्वारंटाइन केंद्रों में व्यक्ति/होम क्वारंटाइन व्यक्ति आदि की स्थिति का आकलन किया गया और उन्हें हर जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों से टीएचडीसीआईएल में कोविड संक्रमित मामलों में लगातार कमी आई है और वर्तमान में कोई सक्रिय मामला नहीं है।

टीएचडीसीआईएल के सभी स्थानों पर सभी कर्मचारियों/संविदा कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी आयोजित किए गए। जहां भी संभव हो, टीएचडीसीआईएल के सभी स्थानों पर वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। कोविड–19 महामारी के विरूद्ध लड़ने के लिए सभी परियोजना स्थानों/इकाइयों के कर्मचारियों के लिए संगठन के भीतर सख्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार के लिए एसओपी भी जारी की गई थी।

कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान हमारे सभी निर्माणाधीन परियोजना कार्यों की प्रगति भी मुख्य रूप से कम मानव शक्ति के कारण धीमी हो गई थी, जिसमें इंजीनियरिंग प्रगति पर प्रभाव, समग्र वितरण तिथियां, कार्य रुकना और व्यवधान, संसाधनों/सामग्री की अनुपलब्धता आदि शामिल हैं।

हालांकि, टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए प्रयासों से अब सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और कार्य भली–भांति प्रगति पर है। टीएचडीसीआईएल द्वारा नियमित आधार पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है और अब तक 45 वर्ष से ऊपर के लगभग 100% कर्मचारियों और संविदा कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है और 45 वर्ष से कम आयु के लगभग 93% का टीकाकरण किया जा चुका है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य संगठन को सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रियाओं की ओर ले जाने में मदद करना है ताकि कर्मचारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया जा सके और व्यवसाय प्रथाओं के निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का सतर्कता विभाग संगठन की सभी प्रक्रियाओं के साथ कार्य को संरेखित करने और आंतरिक प्रक्रिया और इसके सुधार में सतर्कता कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर कर्मचारी की समझ में अंतर को पाटने के लिए काम कर रहा है।

टीएचडीसीआईएल नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यावसायिक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी हितधारकों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करता है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग दक्षता ला सकता है और इस तरह निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करके प्रणाली को मजबूत कर सकता है। टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में अपने प्रशासन में प्रभावी तंत्र के रूप में विभिन्न आईटी पैकेजों का उपयोग करने का पालन किया है।

निवारक सतर्कता

टीएचडीसीआईएल में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के साथ–साथ अच्छे (संगठनात्मक) शासन के लिए निवारक सतर्कता पर अधिक जोर दिया गया है। इसलिए, सतर्कता और संबद्ध मामलों पर जागरूकता लाने, शिक्षित करने और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, समय–समय पर विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

भ्रष्टाचार/कदाचार को मिटाने के लिए कंपनी द्वारा लागू/अपनाए गए कुछ निवारक उपाय नीचे दिए गए हैं:

(क) सतर्कता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे संगठन को विभिन्न प्रकार से मदद मिली।

(ख) कदाचार के लिए खामियों का पता लगाने के लिए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया था और प्रणाली और प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें उपयुक्त संशोधन की दिशा में उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। ऐसा करने में, प्रणाली और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कंपनी में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के बारे में सदैव प्रयास किया जाता है। टीएचडीसीआईएल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई प्रणालियों और प्रक्रियाओं को शुरू करने का लगातार प्रयास किया गया है।

अग्र सक्रिय सतर्कता

- नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना
- मनमाने व्यवहार में कमी लाना
- पारदर्शिता में सुधार करना

- संगठन में निष्पेक्षता, प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही लाना
- ठेकेदारों में जागरूकता लाना
- कर्मचारियों को शिक्षित करना/संवेदनशील बनाना
- संवेदनशील पदों पर कर्मचारियो के चक्रानुक्रम तैनाती की निगरानी

सुशासन: सुशासन का सीधा सा अर्थ है अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनका प्रभावी कार्यान्वयन। सुशासन की यथाचिह्नित प्रमुख विशेषताएं पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, भागीदारी और अनुक्रियता हैं।

ई–गवर्नेंस:

- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख उपाय के रूप में ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की गई है। यूआरएल http://www.thdc.co.in के माध्यम से सतर्कता एमआईएस प्रणाली और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली (जीटीएस) मार्च 2015 से कार्यशील है।
- विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल में वरिष्ठ अधिकारियों (एजीएम और ऊपर) के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता मंजूरी अद्यतन के लिए लिंक परिनियोजित किया गया है।
- ई–भुगतान प्रथा शुरू की गई है। 100% संविदात्मक भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जा रहे हैं। तदनुसार निविदा दस्तावेजों में शर्तें शामिल की जा रही हैं।
- कर्मचारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) ऑनलाइन जमा करने का कार्य किया जा रहा है।

प्रणालीगत सुधार: सतर्कता विभाग नेमी/सीटीई प्रकार के/औचक निरीक्षण नियमित रूप से करता है। पूछताछ/जांच के दौरान, कुछ मुद्दे संज्ञान में आते हैं। निरीक्षणों और फीडबैक से प्रेक्षणों/अनुभव के आधार पर, विभिन्न प्रणालीगत सुधार शुरू किए जाते हैं और प्रबंधन के साथ साझा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने विभिन्न मामलों से संबंधित 07 प्रणालीगत सुधार किए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सीवीसी द्वारा निर्दिष्ट विषय "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 के दौरान सभी परियोजनाओं/इकाइयों में कोविड–19 रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन किया गया और उनका अनुसरण किया गया। इस अवसर पर, सतर्कता विभाग ने अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए केस स्टडीज, सीवीसी के परिपत्र, प्रणालीगत सुधार और विवरण को कवर करते हुए "सूचित रहें, सतर्क रहें" एक पुस्तिका प्रकाशित की। ऋषिकेश में सभी कर्मचारियों को सीएमडी द्वारा और अन्य परियोजनाओं में परियोजनाध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टीएचडीसीआईएल ने व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए टीएचडीसीआईएल वेबसाइट और इंट्रानेट पर ई–प्रतिज्ञा और सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के लिए हाइपरलिंक प्रदान किया। टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं/कार्यालयों और टाउनशिप में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता जागरूकता पर पोस्टर/बैनर प्रदर्शित किए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'सतर्कता जागरूकता' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के लिए श्री वी.के. मित्रा, भूतपूर्व–सीवीओ (ओबीसी, इलाहाबाद बैंक, आईआईबीआई और आईआईएफसीएल) संकाय थे और 40 कार्यपालकों ने डिजिटल मोड और वेब लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान संगठन के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सतर्कता जागरूकता गतिविधियां/कार्यक्रम जैसे बच्चों के लिए डिजिटल पेंटिंग और निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान टीएचडीसी ने अपने कुल वार्षिक खरीदारी की 61.39% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों/उपस्करों/सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं हैं जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) प्रोपाइटरी उपस्कर और/या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं/उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार हैः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार निम्न प्रकार हैः–

क्रं. सं	विवरण	रूपए करोड़ में
I	कुल वार्षिक प्रापण (मूल्य में)' (बीमा सेवाओं को छोड़कर)	23.867
II	एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	14.6509
III	अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण किए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	0.4072
IV	कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	0.3106
V	कुल प्रापण में से (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	61.39%
VI	कुल प्रापण में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण प्रतिशत	1.71%
VII	कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	1.30%
VIII	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	
IX	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है	हां

*इसमें सामान एवं सेवाओं का प्रापण शामिल है।

संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं और प्रबंध

वित वर्ष 2020–21 में कंपनी ने अपने किसी संबद्ध पक्ष के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) और इस अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) के अनुपालन में और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) में संदर्भित संविदाओं/समझौतों के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित हैंः–

- ***आर्म्स लैंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौरा*** – शून्य
- ***आर्म्स लैंथ आधार पर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौराः*** समीक्षाधीन अवधि के दौरान आर्म्स लैंथ आधार पर कोई महत्वपूर्ण संविदा

या व्यवस्था या संव्यवहार नहीं किया गया था:

क. संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति – लागू नहीं

ख. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की प्रकृति – लागू नहीं

ग. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की अवधि– लागू नहीं

घ. संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित संव्यवहार, यदि कोई हो – लागू नहीं

ङ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो – लागू नहीं

च. अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो – लागू नहीं

- ***इंड–एएस–24 के तहत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 42 (8) में किया गया है।***

कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी ने अच्छे कारपोरेट सुशासन संव्यवहार अंगीकार करने का प्रयास किया है। आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समयबद्ध और संतुलित प्रकटन, वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, हितधारकों के अधिकार और हितों के संरक्षण पर आधारित है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनिमय, 2015 और लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट सुशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट ***अनुलग्नक–I*** के अनुसार संलग्न है।

डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालना के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र कॉर्पोरेटे सुशासन के भाग के रूप में संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास (एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित, पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है।

सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाता है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 23.01 करोड़ रू. का व्यय किया गया जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के निवल लाभ का 2% है। तथापि, वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय 23.11 करोड़ रूपये है।

सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट ***अनुलग्नक–II*** के रूप में संलग्न है।

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के ***अनुलग्नक–III*** के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण ***अनुलग्नक–IV*** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कारपोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण ***अनुलग्नक–V*** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार ***अनुलग्नक–VI*** में दिया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत है।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

सांवधिक प्रकटीकरण

(क) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ख) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

(ग) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, विचारार्थ विषय और संरचना के संबंध में जानकारी, सतर्कता तंत्र/सूचना प्रदाता नीति (ह्विसिल ब्लोअर नीति) और निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए वेब लिंक की स्थापना, संबद्ध पक्षकार लेन देन के महत्व तथा संबद्ध पक्षकार के साथ व्यवहार और महत्वपूर्ण राज सहायता निर्धारण करने संबंधी नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र नदेशकों को बैठक में भाग लेने का शुल्क आदि विवरण कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिए गए

हैं जो कंपनी अधिनियम, डीपीई के दिशानिर्देशों और समय–समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किए जाते हैं तथा ये वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनते हैं।

(घ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं।

(ड.) वित्त वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2020 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ या प्रतिबद्धता नहीं हुई है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(च) कंपनी के निदेशकों को या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(छ) सतर्कता मामलों, लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के उत्तर तथा सूचना का अधिकार से जुड़े मामलों से संबंधित ब्योरे आदि इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए जाते हैं।

(ज) इंसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाईन में कोई कमी नहीं पाई गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मेसर्स एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और धोखाधड़ी को रोकने और इसका पता लगाने के लिए कंपनी में पर्याप्त नीतियां मौजूद हैं।

ऋणों तथा दिए गए गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में धन उपलब्ध करवाने के व्यापार में संलग्न किसी कंपनी द्वारा किए गए ऋण गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति या अपने सामान्य व्यापार के क्रम में अवसंरचनात्मक कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी में लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने टस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयरों को सब्सक्राइब करने में 7.40 करोड़ रूपये का निवेश किया था।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

वर्ष 2020–21 के लिए आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिषष्ट लागत अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल दिनांक 22.12.2019 को पूर्ण हो चुका है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया में है।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड ए जी के दिनांक 14.08.2020 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल

गवर्नमेंट, टिहरी(1)/277 के द्वारा मेसर्स एस एन कपूर एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंशन, 1 मैत्री बिहार, हरिद्वार, बाई पास रोड, नागेसवती चिकित्सा केंद्र के सामने, देहरादून–248001 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथापेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक का भुगतान नियत करने के लिए प्रस्ताव वार्षिक आम सभा की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में शून्य टिप्पणियां दी हैं, तदनुसार प्रबंधन का उत्तर 'शून्य' है।

लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट

मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोशिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली एवं मेसर्स के.बी सक्सेना एवं एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी द्वारा मेसर्स एस. सी. मोहन्ती एवं एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन वित्त वर्ष 2020–21 के लिए क्रमशः टिहरी एवं ढुकवां यूनिट, कोटेश्वर यूनिट और जल विद्युत परियोजनाओं का लागत लेखांकन रिर्काडों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपरोक्त नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों में से मेसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली प्रमुख लागत लेखापरीक्षक है।

लागत लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई संदेह या शर्त नहीं लगाई है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2020–21 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मेसर्स पीएसआर मूर्ति, पेशेवर (प्रैक्टिसिंग) कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट ***अनुलग्नक–VII*** के रुप में संलग्न है।

डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कारपोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

ट्रस्टी का नाम और पता
विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एवं एफएस ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड) आईएल एवं एफएस फाइनेंसियल सेंटर प्लॉट–सी–22, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा पूर्व मुम्बई –400051

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों तथा डिस्काम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों की विशेष सराहना करता है।

आपकी कंपनी व्यावसायिकता, रचनात्मकता, अखंडता, नैतिकता, सुशासन की संस्कृति और सभी कार्यों और क्षेत्रों में निरंतर सुधार के साथ–साथ सतत और लाभदायक विकास के लिए कंपनी के संसाधनों के कुशल उपयोग के कारण जिम्मेदारी और कुशलता से काम करने में सक्षम है।

निदेशक गण, विशेष रूप से इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, एतद्द्वारा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुशल और निष्ठापूर्ण सेवाओं की सराहना करना चाहते हैं, जिनके सहृदय प्रयासों के बिना, समग्र संतोषजनक प्रदर्शन प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता।

आपके निदेशक गण, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग व सहायता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राजीव कुमार विश्नोई)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: 15.09.2021

दिनांक: एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी

कासरगॉड, केरल में टीएचडीसीआईएल सौर विद्युत का दृश्य

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

कारपोरेट सुशासन कंपनी के विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("टीएचडीसी" या "कंपनी") में हमारा मानना है कि कारपोरेट सुशासन कम्पनी के वास्तविक स्वामी के रूप में पणधारियों का अहस्तांतरणीय अधिकार है। कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करने के अलावा, हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, 2010, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों और सभी अनिवार्य और अधिकांश गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का भी अनुपालन करते हैं।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट और उसके बाद सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा कारपोरेट सुशासन पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। आपके साथ यह साझा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि कंपनी को वर्ष 2020–21 के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' रेटिंग मिली है।

1. कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कारपोरेट संरचना, व्यापार एवं प्रकटन पद्धतियां हमारी कारपोरेट सुशासन विचारधारा से जुड़ी है। कॉरपोरेट सुशासन पर कंपनी की विचारधारा व्यापार कार्यनीतियों की देखरेख करती है और नियामकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के लिए वित्तीय जवाबदेही, नैतिक कारपोरेट व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। कम्पनी के कारपोरेट सुशासन सिद्धांत सभी संगत एवं लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं और उनका पालन किया जाता है। हमारा मत है कि बेहतर कारपोरेट सुशासन हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए ठोस कारपोरेट सुशासन महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि हम अपने व्यवसायिक लक्ष्यनिष्ठा से प्राप्त करें। हमारी कम्पनी की कारपोरेट सुशासन नीति का मूलभूत प्रयोजन पणधारियों एवं अन्य भागीदारों के लिए विवेक एवं अभिज्ञता की कारपोरेट संस्कृति को जारी रखना है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता
- समयबद्ध और संतुलित प्रकटन
- मूल्यवर्धन में बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियां
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा
- नीतिपरक तथा उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा देना
- पर्यावरण के प्रति दायित्व
- हितधारकों के अधिकार और हित
- अनुपालन

निदेशक मंडल को कम्पनी प्रबंधन, इसके मामलों और कम्पनी के निदेशन एवं निष्पादन का सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड, कम्पनी अधिनियम, 2013, एओए, डीपीई और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों जो कम्पनी पर लागू हों, के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता है। टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

को प्रदत्त शक्तियां इस धारणा, इरादे एवं प्रयोजन के साथ पुनः विभिन्न कार्यपालकों को उप–प्रत्यायोजित की गई हैं कि इससे निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का निर्धारित नीतिगत ढ़ांचे में निर्बाध, शीघ्र एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हो सके। टीएचडीसीआईएल ने सामान एवं सेवाओं की खरीद के लिए मानक नीति एवं प्रक्रियाओं को भी तैयार कर लागू किया है जिससे प्रक्रिया–विधि को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी तथा आसान बनाकर उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ शीघ्र और विकेंद्रित रूप से निर्णय लिया जा सके।

एक कंपनी के रूप में हमने सदैव नैतिकता के साथ कार्य किया है और किसी भी रूप में प्रतिरोध को दूर किया है। हम मानते हैं कि यदि कोई कार्य किए जाने के लिए पर्याप्त महत्व रखता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे नैतिक रूप से करें। हम उचित नियमों और विनियमों के साथ नैतिक व्यवहार और नैतिक आचरण के हमारे पारंपरिक रूप से धारित मूल्यों को पूरक करते हैं जो वित्तीय, उपयुक्तता, ग्राहक सेवा और व्यावसायिक उत्कृष्टता में हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं। रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाओं और बजट, आंतरिक नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग की निष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्व प्रकटन पर जोर देने सहित सम्प्रेषण नीति तथा सभी सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनका वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी प्रणालियां न केवल सैद्धान्तिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कारपोरेट सुशासन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं की शर्तों का अनुपालन निम्नवत है:–

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.49 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग एनटीपीसी की है तथा 25.504 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के कारोबार का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। 25 मार्च, 2020 को एनटीपीसी लिमिटेड और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित शेयर खरीद करार के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। इसके अलावा, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक और गैर कार्यपालक के निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। टीएचडीसीआईएल निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित तीन प्रकार्यात्मक

निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक निदेशक और एनटीपीसी द्वारा नामित दो निदेशक होते हैं। टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के पास अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और बोर्ड में प्रभावी योगदान करने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 तक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की संरचना नीचे तालिका 1 में दी गई है:

तालिका 1: दिनांक 31.03.2021 के अनुसार, निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	डीआईएन नम्बर
1.	***श्री डी.वी. सिंह***	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	03107819
2.	***श्री विजय गोयल***	निदेशक (कार्मिक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	08073656
3.	***श्री जुधिष्ठिर बेहेरा***	निदेशक (वित्त) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	08536589
4.	***श्री राजीव कुमार विश्नोई***	निदेशक (तकनीकी) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	08534217
5.	***श्री राज पाल***	आर्थिक सलाहकार (विद्युत मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	02491831
6.	***श्री तुरामल्ला वेंकटेश***	अपर मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक	07551107
7.	***श्री अनिल कुमार गौतम***	एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	08293632
8.	***श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य***	एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	08734219

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

1. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या 14–11/30/2020–एचआई (255493) दिनांक 12.04.2021 के तहत श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल को 01.05.2021 से तीन महीने की अवधि के लिए, या पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था।

2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ.सं. 14–11/4/2020–एचआई (251966) दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से श्री राजीव कुमार विश्नोई, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, टीएचडीसीआईएल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त किए गए हैं।

3. अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद श्री डी. वी. सिंह, टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से 30.04.2021 को कार्यमुक्त हो गए हैं।

4. अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद श्री राज पाल 30.04.2021 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक, पद से कार्यमुक्त हो गए हैं।

5. भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक एफ.सं.14–37/22/2017–एचआई(238665) दिनांक 21.06.2021 द्वारा श्री जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय को टीएचडीसीआईएल

के बोर्ड में 21.06.2021 से उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

गैर–कार्यपालक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल में नियुक्त नामित निदेशकों का निदेशक पद एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक पद की सह–मीयादी (कोटर्मिनस) रहेगा। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसके अलावा, डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की है। कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है जिसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों को प्रखर बनाना तथा निदेशकों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना है जो क्रमिक रूप से नए निदेशकों को, कंपनी, इसके संचालन, कंपनी के विभिन्न प्रभागों और उनकी भूमिका व जिम्मेदारियों, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित अन्य संगत और महत्वपूर्ण सूचनाओं से परिचित कराता है।

2.5 निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए टीएचडीसीआईएल में निदेशक पद की नियुक्ति और समाप्ति का विवरण तालिका 2 में दिया गया है:

तालिका 2: निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति

श्री आनंद कुमार गुप्ता, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	नियुक्त	23.04.2020
श्री अनिल कुमार गौतम, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	नियुक्त	23.04.2020
श्री आनंद कुमार गुप्ता, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	कार्यमुक्त	31.07.2020
श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक	नियुक्त	26.08.2020
श्री डी.वी. सिंह	कार्यमुक्त	30.04.2021
श्री राजपाल	कार्यमुक्त	30.04.2021
श्री विजय गोयल	सीएमडी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया	01.05.2021 – 05.08.2021
श्री जितेश जॉन	नियुक्त	21.06.2021
श्री राजीव कुमार विश्नोई	नियुक्त	06.08.2021

2.6 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड की आठ बैठकें हुई थीं। बैठकों की तिथि, बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उपस्थिति निदेशकों की संख्या का विवरण ***तालिका–3*** में दिया गया है:

तालिका–3: वर्ष 2020–21 आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण:

क्र.सं.	बोर्ड के बैठकों की तिथि	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	24 जून, 2020	8	7
2.	16 जुलाई, 2020	8	7
3.	4 सितम्बर, 2020	8	7
4.	22 सितम्बर, 2020	8	6
5.	29 अक्टूबर, 2020	8	7
6.	14 दिसम्बर, 2020	8	7
7.	28 दिसम्बर, 2020	8	8
8.	20 फरवरी, 2021	8	7

वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद/समिति की सदस्यता की संख्या से संबंधित ब्यौरा ***तालिका–4*** में दिया गया है:

तालिका–4 निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति में धारित पद संबंधी विवरण:

क्र. सं.	निदेशकगण	आलोच्य अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड के बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली ए.जी. एम. में उपस्थिति	अन्य धारित निदेशक पद	अन्य पद	
						अध्यक्ष	सदस्य/ शेयर धारक
प्रकार्यात्मक निदेशक							
1.	विजय गोयल, सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार और निदेशक (कार्मिक) (01.05.2021 से – 05.08.2021 तक)	8	8	भाग लिया	–	1	1
2.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)	8	8	भाग लिया	1	–	1
3.	श्री राजीव कुमार विश्नोई, निदेशक (तकनीकी) ने 06.08.2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया	8	8	भाग लिया	1	1	1
4.	श्री डी.वी. सिंह, (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (30.04.2021 तक)	8	8	भाग लिया	–	1	1

			नामित निदेशक				
5.	श्री टी. वेंकटेश	8	1	भाग नहीं लिया	1	–	–
6.	श्री अनिल कुमार गौतम	8	8	भाग लिया	3	2	2
7	श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य (26.08.2020 से)	6	5	भाग नहीं लिया	4	–	1
8	श्री राज पाल (पूर्व नामित निदेशक) भारत सरकार	8	8	भाग लिया	–	–	–
9	श्री आनंद कुमार गुप्ता, भूतपूर्व नामित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	2	2	भाग नहीं लिया	–	–	–

2.7 निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटनः

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है। कंपनी के कार्यकारी निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों मे भाग लेने का शुल्क बोर्ड द्वारा तय किया जाता है तथा बैठकों में भाग लेने के लिए 20,000 रू. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड द्वारा बैठक शुल्क नियत किया जाता है। सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित अंशकालिक निदेशकों को कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

22.12.2019 से टीएचडीसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के कारण वर्तमान में, बोर्ड स्तर की समितियां कार्य नहीं कर रही हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अतः वर्ष 2020–2021 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भुगतान किए गए कंपनी के पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5: पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	बोनस/ कमीशन'	निष्पादन संबद्ध वेतन (पी. आर.पी.)	सकल योग
1.	श्री विजय गोयल	सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार और निदेशक (कार्मिक)	4879848	–	1711857	6591705
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)/ सीएफओ	3902036	–	1496058	5398094
3.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	4249933	–	1661688	5911621
4.	श्री डी.वी. सिंह (30.04.2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए)	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5288301	–	2283749	7572050
5.	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	1608508	–	193852	1802360

2.8 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

1. श्री राजीव कुमार विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे.बेहेरा, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

2.9 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:

i) निर्णय लेने की प्रक्रियाः कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) *बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयनः*

1. बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि इसकी बैठकों में बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य स्पष्टकारी विवरण आमतौर पर निदेशकों को पर्याप्त समय देते हुए सामान्यतः 07 दिन पूर्व परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।

2. विशिष्ट तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी–कभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं और नोटिस एवं एजेंडा की न्यूनतम अवधि का पालन करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में नोट किया जाता है।

3. जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते है। संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।

4. कार्यसूची के कतिपय मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

5. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुडे कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

iii) *बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करनाः*

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

iv) *अनुवर्ती कार्रवाई तंत्रः*

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

v) *अनुपालनः*

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष रखी गई कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) *निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:*

- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- निधियां जुटाने संबंधी प्रस्ताव।
- वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।
- कंपनी के तिमाही/अर्ध वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- पिछली बोर्ड बैठकों और सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या कार्यकाल समापन की जानकारी। लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- कारण बताओं, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण हैं,।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी सामग्री बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
- कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल है, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।
- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

3. *निदेशक मंडल की समितियां:*

बोर्ड या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों की देखरेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेती हैं। कंपनी की तीन बोर्ड स्तरीय समितियां हैं जो इस प्रकार हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) पारिश्रमिक समिति

iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

दिनांक 22.12.2019 से टीएचडीसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के कारण, वर्तमान में, उपरोक्त बोर्ड स्तर की समितियां कार्य नहीं कर रही हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया में है

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

(i) कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;

(ii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

(iii) वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

(iv) संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन;

(v) अंतर–कारपोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;

(vi) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;

(vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना;

(ix) समय–समय पर संशोधित डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन करना।

3.1.3 लेखा परीक्षा समिति की भूमिका:

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका और शक्तियों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल है:

क) कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए सिफारिश और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी;

ख) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

ग) सभी वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;

ङ) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण;

च) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

छ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

ज) नियुक्ति लेखा परीक्षा शुल्क, चार्टर्ड/लागत लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में लेखा परीक्षा के लिए विचारार्थ विषय, अचल संपत्तियों और स्टोरों के लिए अनुमोदन। सब–स्टोरों के लिए भौतिक सत्यापनकर्ता के लिए अनुमोदन;

झ) कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें के लिए अनुशंसा और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के अनुमोदन के लिए सिफारिश;

ञ) आंतरिक लेखापरीक्षा का सार/महत्वपूर्ण प्रेक्षण;

ट) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना। आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

ठ) आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के

निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बोर्ड की मंजूरी के लिए सूचित करना;

ड) संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन;

ढ) अंतर–कारपोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;

ण) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;

त) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

थ) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

द) लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा।

ध) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

न) व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज सहित अच्छे कारपोरेट सुशासन के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

न) सीएण्डएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

प) बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य मामले।

3.1.4 लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखा परीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेखा परीक्षा समिति के पास ऊपर निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुंच होगी;
- किसी भी कर्मचारी के बारे में और उससे जानकारी प्राप्त करना;
- यदि आवश्यक हो तो बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना;
- यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना;
- किसी भी मामले पर लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

3.1.5 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

- वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित) का विवरण;
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

3.2 पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप है। पारिश्रमिक समिति की संरचना, कार्यवाहक संख्या (कोरम), विषयक्षेत्र, आदि कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। पारिश्रमिक समिति की शक्तियां और विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 और कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

3.2.1 पारिश्रमिक समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 और कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, पारिश्रमिक समिति में तीन या उससे अधिक गैर–कार्यकारी निदेशक होंगे, जिनमें स्वतंत्र निदेशक की संख्या आधे से कम नहीं होंगी। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए।

3.2.2 पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

टीएचडीसीआईएल पर लागू सीमा तक पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैः

क) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

ख) डीपीई द्वारा यथा अधिसूचित और समय–समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन पर दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन करना, जिसमें पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालक और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन की मात्रा और ईएसओपी योजना, पेंशन योजना के लिए नीति का निर्धारण करना आदि शामिल है।

3.3 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षाओं और सततता (एसडी) पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करने के अलावा, सीएसआर और एसडी नीति में निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ बोर्ड को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है। सीएसआर और सततता पर टीएचडीसीआईएल की नीति वेब लिंक https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR&CD&policy28.05.13.pdf पर देखी जा सकती हैः

3.3.1 सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

3.3.2 सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर–एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

4. आम सभा की बैठकें

4.1 जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 6: पिछली तीन वार्षिक आम सभा के ब्यौरे:

वार्षिक आम सभाएं	22 सितंबर, 2020 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम सभा	27 सितंबर, 2019 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा	28 सितंबर, 2018 को आयोजित 30वीं वार्षिक आम सभा
समय	मध्याह्न 12:00 बजे	अपराह्न 6:00 बजे	अपराह्न 2:00 बजे
स्थान	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट–टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली
विशेष कार्य	• वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।	• वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।	• वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय गैर संयंत्री बांड, प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी करना

5. प्रकटीकरण

5.1 सहायक कंपनियां

टस्को लिमिटेड, टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क (ओं)/परियोजनाओं के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए 12.09.2020 को निगमित किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच क्रमशः 74:26 के अनुपात में इक्विटी शेयरधारिता साझा की जाती है। सहायक कंपनी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

5.2 सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स पी.एस.आर. मूर्ति, कार्यरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शेयरधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

5.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण के तहत कोई शिकायत सूचित नहीं की गई है।

5.4 सतर्कता तंत्र

कंपनी का अलग सतर्कता विभाग है जो टीएचडीसीआईएल के साथ व्यवसाय कर रहे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं या अन्य पक्षों के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध मामलों पर कार्रवाई करता है।

कंपनी में अनैतिक/अनुचित आचरण की जानकारी देने और इसकी जांच करने और दुरस्त करने के लिए एक परिभाषित एवं स्थापित सचेतक नीति (सतर्कता तंत्र) है। सचेतक नीति, कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान सचेतक नीति के अधीन कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, किसी भी कर्मचारी को टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति के पास जाने से वंचित नहीं किया गया है।

5.5 सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 एवं कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशः

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन पर जारी सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

5.6 लेखाकरण व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया।

5.7 बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) ने दिनांक 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को 178(2) के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है जो निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समितियों और नामित किए गए निदेशक तथा परिश्रमिक समिति के निष्पादन मूल्यांकन के तौर–तरीके के बारे में प्रावधान करते हैं। एम सी ए के उपरोक्त परिपत्र में सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को 134 (3) (पी) के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है जिसमें इसके अपने और इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के निष्पादन की बोर्ड द्वारा औपचारिक मूल्यांकन की रीति को बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने का प्रावधान है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी हो या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार अपनी मूल्यांकन प्रणाली से मूल्याकंन करती है। इस संबंध में लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) ने सभी कार्यात्मक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की है। डीपीई स्वतंत्र निदेशकों का मूल्याकंन भी करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि टीएचडीसी प्रति वर्ष एनटीपीसी लि. से समझौता ज्ञापन कार्यान्वित करता है जिसमें कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन प्राचल शामिल होते हैं। एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के लक्ष्यों को अलग कर व्यक्तियों के निष्पादन मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनाया जाता है। आंतरिक एम ओ यू में सभी प्रचालनात्मक और निष्पादन प्राचल जैसे संयंत्र निष्पादन और कार्यकुशलता, वित्तीय लक्ष्य, लागत कमी लक्ष्य, पर्यावरण, कल्याण, सामुदायिक विकास और अन्य संगत कारक शामिल होते हैं। कंपनी के निष्पादन का मूल्याकंन, लोक उद्यम विभाग द्वारा एनटीपीसी लि. के साथ किए गए एमओयू की तुलना में किया जाता है।

5.8 स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठकें

स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 22.12.2019 को समाप्त हो गया। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक मौजूद नहीं हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की अलग से कोई बैठक नहीं हुई।

5.9 निवेशकों के लिए सूचना

5.9.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैः

बीएसई लिमिटेड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बांड श्रृंखला	*क्रेडिट रेटिंग*	*आईएसआईएन*
कारपोरेट बांड श्रृंखला–I	इंडिया रेटिंग्स : एए आईसीआरएः एए	INE812V07013
कारपोरेट बांड श्रृंखला–II	इंडिया रेटिंग्स : एए आईसीआरएः एए	INE812V07021
कारपोरेट बांड श्रृंखला–III	केयरः एए आईसीआरएः एए	INE812V07039
कारपोरेट बांड श्रृंखला–IV	आईसीआरएः एए केयरः एए	INE812V07047
कारपोरेट बांड श्रृंखला–V	इंडिया रेटिंग्स : एए आईसीआरएः एए	INE812V07054

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए और कारपोरेट बांड सिरीज–V के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को नियत तारीख से पूर्व कर दिया गया है।

5.9.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स

केफिन टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

कार्वे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32

गाछीबाउली,

फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट जिला, नानाकर्मगुडा,

हैदराबाद–500 032

5.9.3 डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग,

नई दिल्ली –110014

मो.नं. 919619105439

ईमेल– Sanjay.Dodti@vstra.com

5.9.4 निवेशकों की शिकायतें

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी निवेशक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

5.9.5 केंद्रीयकृत वेब आधारित निवारक प्रणाली–स्कोर्स

सेबी की केंद्रीयकृत वेब आधारित शिकायत निवारक

प्रणाली अर्थात स्कोर्स कंपनी में प्रयोग में लाई जाती है। 'स्कोर्स' के माध्यम से बांड धारक कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत निवारण के लिए दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराई गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। यदि सेबी इस बात से संतुष्ट हो कि शिकायतों का समुचित रूप से निपटान किया गया है तो उसके द्वारा शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता है।

5.9.6 अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पदनाम

सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव, सूचीकरण अनुबंध के खंड 6 की मद में अनुपालन अधिकारी है।

6. लाभांश के विवरण:

लाभांश का वर्ष	*भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ में)*	*वार्षिक आम सभा जिसमें लाभांश घोषित किया गया*
2018–19	423.12	अंतरिम लाभांश
2018–19	126.00	27 सितम्बर, 2019
2019–20	402.71	22 सितम्बर, 2020
2020–21	305.04	अंतरिम लाभांश 20 फरवरी,2021
2020–21	190.84	15 सितम्बर, 2021

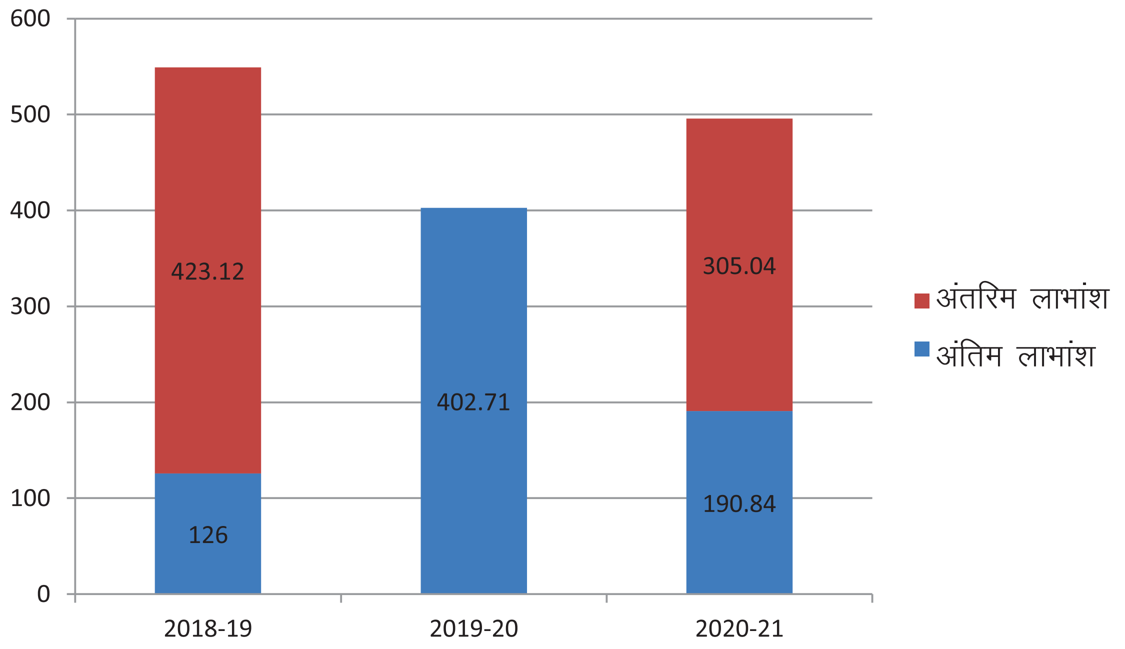

7. शेयरधारिता पैटर्नः

क्र.सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.49
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.50
3	अन्य नाममात्र के शेयरधारक	10	–

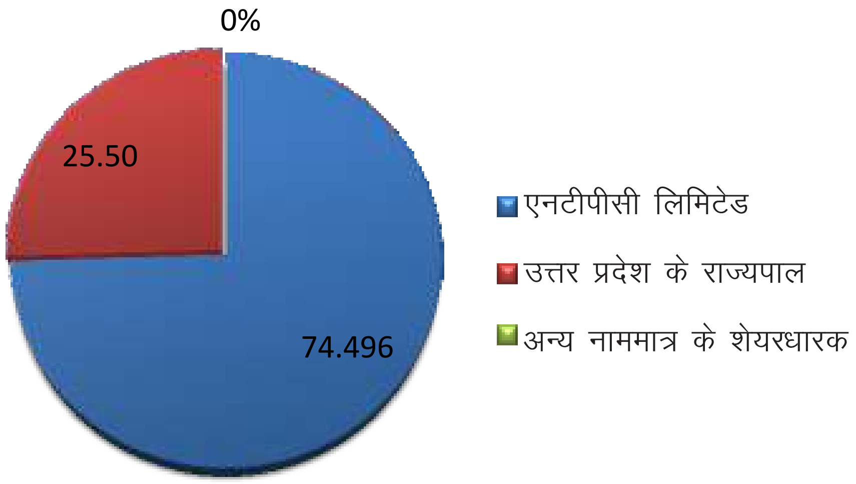

8. सचेतक नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, की जानकारी देने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। नीति में निर्दिष्ट रीति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्‌भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझकर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- यह कंपनी में उच्चतम स्तर का नैतिक और विधिक कार्य आचरण सुनिश्चित करती है।

9. शिकायत निवारण तंत्र

संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने तथा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि के लिए कर्मचारियों की शिकायत का शीघ्र निपटारा करने हेतु आसान और सुलभ व्यवस्था करने के उद्देश्य से डीपीई दिशा–निर्देश के अनुरूप शिकायत निवारण समिति गठित की गई है।

10. जोखिम प्रबंधन

भारत में सुशासन के अंतर्गत कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। यह मैनुअल, कंपनी में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप और स्रोत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखता है। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन और डिजाइन इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम

प्रबंधन समिति गठित की गई थी। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

नियमों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक परियोजना ने जोखिम रजिस्टर खोला है और "जोखिम प्रबंधन योजना" एवं "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर में रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में जोखिम की घटना में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा भी करता है।

11. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

12. संचार के माध्यम

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों और संचार के अधिकारों को समग्र कारपोरेट सुशासन ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करती है और इसलिए शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर देती है। कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक और अपनी वेबसाइट पर और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रकटीकरण के जरिए संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। कंपनी के संबंध में निवेशक से संबंधित जानकारी, घोषणाएं और नवीनतम अपडेट कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर देखे जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कारपोरेट प्रकटीकरण
- वार्षिक वित्तीय परिणाम
- आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियां।
- बांडधारक जानकारी
- वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी के अर्ध–वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के उद्धरण स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाते हैं और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कारपोरेट विकास पर प्रेस विज्ञप्तियां और कारपोरेट प्रस्तुतियां भी देती है और इसे इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

13. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं के परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

14. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों में अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानक को स्थापित करना है।

15. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के उच्चतम नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों को संचालित करने में पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है'।

राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

16. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,

ऋषिकेश–249201

उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं:

कंपनी सचिव	***सुश्री रश्मि शर्मा***
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2439309 , फैक्स– 0135–2439442
ई–मेल	rashmi@thdc.co.n
सार्वजनिक शिकायतों केलिए	***श्री नीरज वर्मा, प्रभारी अपर महाप्रबंधक (एनसीआर)/ निदेशक, लोक शिकायत***
संपर्क	0120–2776490, फैक्स नं.– 0120–2776433
ई–मेल	neerajverma@thdc.co.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

पी.एस.आर.मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सी.पी. 13090

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कारपोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिहरी–249001

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (ष्कंपनीष्) सीआईएन–U45203UR1988GOI009822 एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी की इक्विटी 74.496% की सीमा तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास और 25.504% की सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी एक ऋण–सूचीबद्ध कंपनी है।

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मई, 2010 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

1. कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक और अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किए जाने को छोड़कर आलोच्य अवधि के दौरान आमतौर पर कारपोरेट सुशासन की शर्तों का पालन किया। इसके अतिरिक्त जिन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 22 दिसम्बर, 2019 को पूरा हो गया था। उसके बाद वे निदेशक नहीं रह गए और रिपोर्ट की तारीख तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित है। इसी प्रकार, महिला निदेशक का कार्यकाल मई 2018 तक बोर्ड में था। वर्ष के दौरान, कंपनी रजिस्ट्रार, उत्तराखंड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के उल्लंघन के लिए दिनांक 09 फरवरी 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी ने 16 फरवरी, 2021 को अपने उत्तर में निवेदन किया कि संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार सरकार के पास है और तदनुसार नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार और विद्युत मंत्रालय को भेजा गया, जहां यह प्रस्ताव लंबित है।

3. स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा समिति जैसी सांविधिक समितियां, जहां स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष/सदस्य होने आवश्यक हैं कार्यरत नहीं है। इसलिए उपरोक्त उल्लिखित नियमों, विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत यथाधिदेशित स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों और प्रशिक्षण भी कार्यात्मक नहीं है।

4. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

(पी.एस.आर. मूर्ति)

ए5880 सीपी 13090

यूडीआईएनः **A005880C000877993**

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः 02 सितम्बर, 2021

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2008 में डीपीई दिशानिर्देशों से पहले अपनी सीएसआर यात्रा टिहरी के परियोजना प्रभावित गांवों में स्वेटर, सामुदायिक उपयोगिता की वस्तुओं जैसे बर्तन, कुर्सियों और टेंट आदि के वितरण जैसी परोपकारी गतिविधियों के साथ शुरू की थी। धीरे–धीरे, इसने अनुभव से सीखने के साथ संरचित आकार ले लिया और तदोपरांत, सीएसआर से संबंधित दिशानिर्देश और धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी आजीविका गतिविधियां की जाने लगी। अपने सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल में अब भली–भांति संरचित प्रणाली है। टीएचडीसीआईएल ने सतत आजीविका के लिए पारिस्थितिकीय बहाली और ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक सशक्तता के लिए गतिविधियों को शामिल कर दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर टुकड़ों में हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के बजाय समग्र विकास दृष्टिकोण पर हमेशा सीएसआर कार्यक्रमों को अपनाया है। तीनों क्षेत्रों अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास तथा लक्षित समुदायों के जीवन में सतत परिवर्तन पर विचार कर सभी सीएसआर हस्तक्षेप किए गए।

1. *कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा*

कंपनी की अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और सततता नीति, 2015 है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में है। इसके उपरांत कारपोरेट कार्य मंत्रालय/डीपीई द्वारा सीएसआर नियम और दिशानिर्देश जारी किए गए (वेब लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy 28.05.13.pdf) तथापि, अप्रैल, 2014 से उत्तरोत्तर अवधि के दौरान नए नियम/दिशानिदेशों का अनुसरण किया।

क. संस्थागत तंत्र

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में एक चार सदस्यीय बोर्ड स्तर की सीएसएस समिति (बीएलसी) एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत थी। एक स्वतंत्र निदेशक और दो प्रकार्यात्मक निदेशक अन्य सदस्य थे। कंपनी सचिव सीएसआर समिति का सचिव होता है।

सीएसआर समिति, कंपनी अधिनियम, भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित भूमिका एवं दायित्वों के अनुसार कार्य करती है और सीएसआर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती हैं।

बोर्ड से निचले स्तर की समिति

सीएसआर एवं सततता कार्यों की अध्यक्षता करने वाले महाप्रबंधक/ईडी स्तर के अधिकारी, जो इसकी अध्यक्षता करते है, को इसका नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाता है और वे बोर्ड से निचले स्तर की समिति (बीबीएलसी) के अध्यक्ष होते हैं। बीबीएलसी के अन्य सदस्य इसके विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों से होते हैं। सीएसआर एवं सततता विकास के क्षेत्र में स्वतंत्र विशेषज्ञ, संगठन के बाहर से भी बीबीएलसी में नामांकित किए जाते हैं।

ख. योजना

संसाधन

पिछले अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% इसके सीएसआर एवं सततता नीति के अनुपालन में खर्च होता है। खर्च से बची राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वित्तीय वर्ष के अग्रेनीत हो जाती है। बजट एवं वार्षिक सीएसआर एवं सततता योजना सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है ।

सीएसआर कार्यक्रम का चयन

सीएसआर कार्यक्रम का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित है। टीएचडीसीआईएल सीएसआर पहलों का शीर्षक ''टीएचडीसी सहृदय'' (मानव हृदय के साथ कॉर्पोरेट) है। मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल,

सीएसआर कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है उनके शीर्षक निम्नलिखित हैं:

- टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)– पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेय जल परियोजनाएं
- टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें)–शिक्षा पहलें
- टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें
- टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)– ग्रामीण विकास
- टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण)– सशक्तीकरण करने वाली पहलें
- टीएचडीसी सक्षम (सक्षम)– वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)– पर्यावरण संरक्षण पहलें

स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

सीएसआर एवं सततता परियोजना कार्यक्रमों की वरीयता स्थानीय क्षेत्र को दी जाती है अर्थात् (i) कंपनी संयत्र/परियोजना/क्रियाकलापों के निकट स्थान एवं (ii) व्यापक भौगोलिक क्षेत्र जो कंपनी के व्यापार प्रचालनों और क्रियाकलापों से सीधे रूप से प्रभावित हों।

ग. कार्यान्वयन

सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत सोसाइटियां है।

क. सेवा– टीएचडीसी

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के सीएसआर और सतत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण, 1860 के अंतर्गत कंपनी प्रायोजित गैर सरकारी संगठन ''सेवा–टीएचडीसी'' की स्थापना की है। सेवा–टीएचडीसी ने वर्ष 2009–10 से काम करना शुरु किया है। सोसाइटी के लक्ष्य और उद्देश्य परोपकार करना और लाभ न कमाना है। प्रबंधन समिति में टीएचडीसीआईएल के नामोदिृष्ट और टीएचडीसीआईएल द्वारा नामित 07 सदस्य है। टीएचडीसीआईएल के सीएमडी सोसाइटी के पदेन संरक्षक होते हैं।

ख. टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस)

टीएचडीसी ने शिक्षा प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1992 से टिहरी जिले में परियोजना से प्रभावित लोगों तथा आस–पास के वंचित और सुविधा वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा देना शुरु किया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण होने पर वर्ष 2010 में इसका पुनः नामकरण टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी के रूप में किया है। वर्तमान में सोसाइटी टीईएस के तत्वावधान में दो स्कूल चला रही है– एक स्कूल भागीरथीपुरम टिहरी में जहां कक्षा–6 से कक्षा–12 तक शिक्षा दी जाती है और दूसरा स्कूल प्रगतिपुर, ऋषिकेश में है जहां कक्षा 01 से कक्षा 10 तक शिक्षा दी जाती है।

घ. निगरानी

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट

ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट

iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग

iv. स्थल भ्रमण

v. फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य

vi. आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर समिति द्वारा किया गया है।

vii. निगरानी के लिए तृतीय पक्ष की भी नियुक्ति की जाती है।

ङ. रिपोर्टिंग

वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर एवं सततता रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें अधिनियम/नीति में यथा विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं और उक्त को

कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए गए हैं। सततता पहलों के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण भी सीएसआर पर बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होता है।

वार्षिक सततता रिपोर्ट भी 'टीएचडीसीआईएल' सीएसआर संप्रेषण रणनीति के अनुसार प्रकाशित की गई है और कंपनी की वेबसाइट पर डिस्प्ले की गई है।

सीएसआर संप्रेषण रणनीतिः सीएसआर और सततत गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों के साथ नियमित संवाद और संप्रेषण के लिए टीएचडीसीआईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संप्रेषण रणनीति है।

प्रभाव आकलन

5.00 लाख रूपए से अधिक सभी पूर्ण किए गए सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन विशेषज्ञता प्राप्त बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और सफलता/असफलता की रिपोर्ट भी बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष रखी जाती है।

2. ***सीएसआर समिति की संरचनाः***

   कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव होंगे।

   दिनांक 22.12.2019 से टीएचडीसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के कारण बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति वर्तमान में कार्य नहीं कर रही है। विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

3. ***वह वेब लिंक जिस पर कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है।***

   बोर्ड की सीएसआर समितिः https://thdc.co.in/content/board-level-committeesblcs

   सीएसआर नीतिः https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR&CD&policy28.05.13.pdf

   अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएंः https://thdc.co.in/csr/approved&project

4. ***कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में संचालित की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के ब्यौरे (रिपोर्ट संलग्न करें)***

   लागू नहीं। तथापि, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, अपनी सीएसआर नीति 2015 के प्रावधानों के अनुसार, 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सभी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करता है। वित्त वर्ष 2020–21 में एवं वित्त वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की गई 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया था।

5. ***कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014, के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि के ब्यौरे और वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो,***

   लागू नहीं

6. ***धारा 135 (5) के अनुसार, कंपनी का औसत निवल लाभः*** 1150.57 करोड़ रुपए

7. ***(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः*** 23.01 करोड़ रूपये

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई होः शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख + 7ग): 23.01 करोड़ रूपये

8. (क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रूपये में)	व्यय राशि (रूपये में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार व्यय न की गई सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि		धारा 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	कोष का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
23.11 करोड़ रूपये	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

8 (ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सीएसआर राशि के ब्यौरेः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रूपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए व्यय न की गई सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य												

8 (ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका–सीधे हां/नहीं	कार्यान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	(i) परियोजना प्रभावित क्षेत्र में 06 होम्पोपैथिक और 02 एलोपैथिक औषधालय चलाना	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 की मद संख्या (i) अर्थात् भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना और निवारक देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना	हां	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	16.67	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
			हां	उत्तराखंड	टिहरी	33.99	नहीं		
					देहरादून	4.98	नहीं		
	(ii) परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में बहु विशेषज्ञता वाले चिकित्सा शिविर का आयोजन		हां	उत्तराखंड	टिहरी	17.97	नहीं		
			हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	0.59	नहीं		
	(iii) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में सहभागिता		हां	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	3.17	नहीं		
			हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1.33	नहीं		
			हां	उत्तराखंड	हरिद्वार	3.53	नहीं		
					टिहरी	0.29	नहीं		
					देहरादून	15.01	नहीं		

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका–सीधे हां/नहीं	कार्यान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	(iv) उत्तराखंड सरकार को कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए शीतश्रृंखला उपकरणों की खरीद और आपूर्ति		हां	उत्तराखंड	देहरादून	97.21	नहीं		
	(v) कोविड–19 वायरस से सुरक्षा के लिए चिकित्सीय उपकरण अर्थात् मास्क एवं सैनिटाइजर आदि का वितरण और जागरूकता सृजन कार्यक्रम		हां	उत्तराखंड	देहरादून	9.00			
					टिहरी	2.72			
					हरिद्वार	0.22			
			हां	उत्तर प्रदेश	नोएडा	0.90	नहीं		
					लखनऊ	0.63			
					झांसी	1.19			
							नहीं		
			हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1.98	नहीं		
	(vi) कोविड–19 के तहत निवारक और कल्याण ाकारी उपायों के लिए जिला प्रशासन/राज्य सरकार को वित्तीय सहायता		हां	उत्तराखंड	टिहरी	38.17	नहीं		
				उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	22.00	नहीं		
				मध्य प्रदेश	सिंगरौली	5.00	नहीं		

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका–सीधे हां/नहीं	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	(vii) टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन/उन्नयन		हां	उत्तराखंड	टिहरी	13.97	नहीं		
	(viii) कुपोषित विद्यार्थियों एवं क्षय रोग के रोगी को पोषाहार पूरक का वितरण		हां	उत्तराखंड	देहरादून	0.38	नहीं		
					टिहरी	1.45	नहीं		
	(ix) ऋषिकेश में खुली व्यायामशाला के लिए उपकरणों की संस्थापना		हां	उत्तराखंड	देहरादून	2.98	नहीं		
	(x) कमजोर व्यक्तियों को खाद्यान्न का वितरण		हां	उत्तराखंड	देहरादून	31.24	नहीं		
					टिहरी	13.32	नहीं		
			हां	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	2.30	नहीं		
					लखनऊ	0.50	नहीं		
					झांसी	1.99	नहीं		
	(xi) गांवों के लिए जल आपूर्ति स्कीम तथा सरकारी स्कूलों को वाटर प्यूरिफायर का वितरण		हां	उत्तराखंड	टिहरी	23.62	नहीं		
2	(i) स्कूलों को चलाने के लिए बुनियादी सुविधाएं (फर्नीचर किताबें आदि) उपलब्ध करवाना	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची– VII की मद संख्या–(ii) विशेष शिक्षा और रोजगार वर्धक व्यावसायिक कौशलों सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	हां	उत्तर प्रदेश	झांसी	0.26	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका द्व कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
			नहीं	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	4.31	नहीं		
			हां	उत्तराखंड	देहरादून	12.72	नहीं		
					हरिद्वार	8.47	नहीं		
					टिहरी	17.16	नहीं		
	(ii) परियोजना प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम		हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1.73	नहीं		
			हां	उत्तराखंड	देहरादून	2.92	नहीं		
					टिहरी	13.97	नहीं		
					उत्तरकाशी	0.05	नहीं		
	(iii) ऋषिकेश, टिहरी और कोटेश्वर में तीन स्कूल चलाना		हां	उत्तराखंड	टिहरी	241.26	नहीं		
					देहरादून	202.50	नहीं		
	(v) आईटीआई कौशल विकास प्रशिक्षण आदि		हां	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	8.01	नहीं		
			हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	5.98	नहीं		
			हां	उत्तराखंड	टिहरी	21.57	नहीं		
					देहरादून	211.63	नहीं		
	(vi) सतत आजीविका और संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरणऔर परिस्थितिकीय पुनः बहाली के लिए विभिन्न गतिविधियां		हां	उत्तराखंड	देहरादून	3.34	नहीं		
					हरिद्वार	6.65	नहीं		
					टिहरी	92.36	नहीं		

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका दृ कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
3	(i) दीपा माई महिला क्रेडिट की कोआपरेटिव स्वायत्त सोसाइटी को सहायता	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII की मद सं. (iii) महिलाओं को सशक्त बना कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना	हां	उत्तराखंड	टिहरी	1.93	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
	(ii) महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम (कटाई, सिलाई, सौंदर्य प्रसाधन और मेकराम प्रशिक्षण आदि		हां	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	2.54	नहीं		
			हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	0.44	नहीं		
			हां	उत्तराखंड	देहरादून	10.07	नहीं		
					टिहरी	3.28	नहीं		
4	(i) पौध रोपण और नर्सरी का विकास ग्रामीणों को वितरण (चिकित्सीय और फलदार वृक्ष तथा पौधे तैयार करने के लिए)	कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची–VII की मद सं.(iv) पर्यावरणीय सततता, जीव एवं वनस्पति संतुलन, फ्लोरा तथा फौना का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी,प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा वायु तथा जल की गुणवत्ता बनाए रखना	हां	उत्तराखंड	देहरादून	2.16	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
					उत्तरकाशी	0.50	नहीं		
	(ii) हरिद्वार में सौर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र की संस्थापना				हरिद्वार	9.27	नहीं		
5	(i) राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति आदि का संरक्षण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII की मद सं. V राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति आदि का संरक्षण	हां	उत्तराखंड	देहरादून	0.12	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
					टिहरी	10.35	नहीं		

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (लाख रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका दृ कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	(ii) गंगा घाट के क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा ढांचे का फेसेड/सजावटी रोशनी से आकर्षक बनाना		हां	उत्तराखंड	देहरादून	30.25	नहीं		
6	सशस्त्र बलों सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के हितलाभ के लिए उपाय	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII की मद सं. VI सशस्त्र बलों सेवानिवृत्ति सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के हितलाभ के लिए उपाय	नहीं	दिल्ली	दिल्ली	5.00	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
7	खेलकूद को बढ़ावा देना (ग्रामीण खेलों के खेलखूद की सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान करना)	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII की मद संख्या (vii) ग्रामीण खेलों,राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देना	हां	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	0.17	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
			हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	0.54	नहीं		
			हां	उत्तराखंड	देहरादून	0.50	नहीं		
					टिहरी	0.50	नहीं		
8	कोविड–19 के पीएम केयर फंड में अंशदान	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII की मद सं. (viii) प्रधान मंत्री राहत कोष या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी कोष में आदि में अंशदान	नहीं	दिल्ली	दिल्ली	740.00	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (लाख रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका दृ कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
9	पाथवे, टिन शेड, वर्कशॉप, कम्युनिटी सेंटर, बरात घर का निर्माण और सोलर लाइट की संस्थापना	कंपनी अधिनिय, 2013 की अनुसूची–VII की मद संख्या (x) अर्थात् ग्रामीण विकास परियोजनाएं	हां	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	9.49	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
			हां	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	12.44	नहीं		
			हां	उत्तराखंड	देहरादून	8.58	नहीं		
					हरिद्वार	14.11	नहीं		
					टिहरी	16.63	नहीं		
10	(i) कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में अंशदान	कंपनी अधिनियमम, 2013 की अनुसूची–VII की मद संय(xii) आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियां शामिल हैं।	हां	उत्तराखंड	देहरादून	145.37	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाइटी)	प्रक्रियाधीन
	(ii) बाढ़ सुरक्षा, निर्माण कार्य				टिहरी	8.17	नहीं		
कुल	***2,255.59***								

8 *(घ) प्रशासनिक उपशीर्षों में व्यय की गई राशि:* 50.24 लाख रूपये

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: 5.61 लाख रूपये

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): 2311.44 लाख रूपये

(छ) सेट–ऑफ के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	23.01 करोड़
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	23.11 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	9.44 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	9.44 लाख

(क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने के लिए शेष राशि (रूपये में)
				कोष का नाम	राशि (रूपये में)	अंतरण की तारीख	
शून्य							

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोनजा का नाम	वह वित्तीय वर्ष जिसमें गतिविधि शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रूपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रूपये मे)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/ जारी
शून्य								

9. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अधिगृहीत परिसंपत्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति–वार विवरण)

क्रम सं.	*पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तारीख*	*पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि*	*उस संस्था या लोक प्राधिकरण या लाभग्राही का ब्यौरा जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत की गई है, और उसका पता आदि*	*सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के ब्यौरे प्रस्तुत करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित)*
1	19.01.2021	15,95,645.00	उत्तराखंड जल संस्थान, न्यू टिहरी	ट्रक पर लगा पानी का 01 टैंकर उत्तराखंड जल संस्थान, नई टिहरी, ब्लॉक चंबा, टिहरी गढ़वाल
2	02.02.2021	2,98,378.00	पार्षद, नगर निगम ऋषिकेश	ओपन जिम उपकरण नेहरूग्राम / मनेरीभाली कॉलोनी ऋषिकेश, ब्लॉक– डोईवाला, देहरादून
3	05.02.2021	79,33,994.00	जिला अस्पताल, उत्तराखण्ड सरकार एवं एम्स, ऋषिकेश	कोविड–19 टीकाकरण के लिए 106 डीप फ्रीजर (बड़ा) उत्तराखंड सरकार का जिला अस्पताल और एम्स ऋषिकेश
4	25.01.2021	17,87,000.00	आरवीएस, बेस अस्पताल, श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल	कोविड–19 टीकाकरण के लिए डीजी सेट–15 केवीए–सिंगल फेज वाला 01 वाक इन कूलर (16.5 घन मी.)– प्रभारी, आरवीएस, बेस अस्पताल, श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड–246174

10. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो इसके कारण (कारणों) का उल्लेख करें–

लागू नहीं

ह0 / – (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	ह0 / – (अध्यक्ष सीएसआर समिति)

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न प्रमुख सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसी निरामय–स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलें

भारत में, कोविड –19 महामारी, जिसके प्रतिकूल प्रभाव मुख्य रूप से लगभग वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च, 2020 माह के दौरान दिखने शुरू हुए, अभी भी कई नागरिकों के जीवन में या तो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से लंबे समय तक बनी रहने वाली दर्दनाक यादें बना रही है। महामारी ने विश्व की कुछ बेहतरीन स्वास्थ्य प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर किया है। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, जो विश्व में सबसे अधिक व्यस्त स्वास्थ्य प्रणाली है, यह महामारी एक महत्वपूर्ण क्षण बन गई है, क्योंकि सरकारी सुविधाएं पहले से ही अत्यधिक क्षीण, कम वित्त पोषित और भौगोलिक रूप से असमान स्वास्थ्य प्रणाली हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा लॉकडाउन, सार्वजनिक भीड़–भाड़ पर प्रतिबंध, कोविड –19 उचित व्यवहार पर जागरूकता पैदा करना, गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन आदि के रूप में विभिन्न कदम और उपाय किए रहे हैं। कोविड–19 महामारी से लड़ाई में सरकार का समर्थन करने के लिए व्यक्ति, कॉरपोरेट और संगठन भी आगे आए हैं। टीएचडीसी ने भी, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते, अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से इस लड़ाई में पीएम केयर्स फंड में 7.4 करोड़ रुपये के अंशदान के रूप में, उत्तराखंड राज्य आपदा राहत कोष में 1.45 करोड़ रुपये के अंशदान के रूप में गम्भीर प्रयास किए हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के जिला प्रशासन को अवसंरचनात्मक सहायता, उत्तराखंड सरकार को कोल्ड चेन उपकरण की खरीद और आपूर्ति, सूखे राशन के पैकेट, पके हुए भोजन के पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पीपीई किट आदि जैसे सुरक्षात्मक गियर का वितरण के रूप में लगभग 1.11 करोड़ रूपये की पहलें कार्यान्वित की गई थी। टीएचडीसीआईएल अभी भी कोविड –19 टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और भारत को कोविड –19 मुक्त घोषित करने तक मास्क और सैनिटाइजर जैसे सुरक्षात्मक गियर के वितरण में अपने परियोजना स्थानों की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का सहयोग करना जारी रखे हुए है।

कोविड –19 महामारी पर केंद्रित हस्तक्षेप के अलावा, टीएचडीसीआईएल ने यह ध्यान में रखते हुए कि अच्छा स्वास्थ्य लगभग हर उस चीज को उत्तेजित करता है जिसकी लोग, बीमारी से मुक्त होने के लिए और गरीबी, भूख से बचने के लिए, स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए कार्य करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बिना भेदभाव के उपचार के लिए, अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम होने के लिए और एक सुरक्षित परिवेश में रहने के लिए इच्छा करते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई अन्य सीएसआर पहल भी कीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसी की कुछ प्रमुख समुदायोन्मुख प्रयास इस प्रकार हैं:

दीन गांव, टिहरी में एलोपैथिक औषधालयः यह टिहरी जिले के दुर्गम के क्षेत्र में स्थित है और आसपास के लगभग 40 गांवों की 15000 जनसंख्या की जरूरतें पूरी करता है। औषधालय एमबीबीएस डाक्टर, अर्द्धचिकित्सीय स्टाफ, एक्सरे ईसीजी, आन काल एम्बुलेंस सुविधा जैसे बुनियादी पैथालाजिकल परीक्षणों, छोटे मोटे आपरेशन थिएटर और निरूशुल्क दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। वित्त वर्ष में ओ.पी.डी. में कुल 8099 पंजीकरण किए गए।

बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविरः प्रत्येक वर्ष सेवा–टीएचडीसी टिहरी और कोटेश्वर में स्थित परियोजनाओं, ऋषिकेश और निर्मल आई इंस्टीट्यूट, ऋषिकेश में तैनात डाक्टरों के माध्यम से टिहरी जिले में नेत्र चिकित्सा शिविर सहित 10–15 बहु–विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर आयोजित करता है। एम्स ऋषिकेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद सीएमओ से संपर्क कर दूर दराज स्थित स्थानों की चिकित्सा सुविधाओं का आंकलन करने के लिए टिहरी, कोटेश्वर और ऋषिकेश में भी चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे थे। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कोविड –19 लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण, उत्तराखंड के टिहरी जिला और हरिद्वार जिला, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में केवल 6 नेत्र शिविर आयोजित किए गए थे।

टेली मेडिसीन स्कीमः यह परियोजना जिला प्रशासन, टिहरी के साथ संपर्क कर दिसम्बर, 2017 में 20 केन्द्रों के साथ शुरु की गई। वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। ये केन्द्र 200 ग्राम सभाओं और लगभग एक लाख लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सभी टेलीमेडिसिन केन्द्रों में एक मेडिकल किट (ब्रीफ केस) होती है जिसमें पल्स आक्सीमीटर, ईसीजी मशीन, वाईफाई ईसीजी रिकार्डर, एक्सरे व्यू बॉक्स, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक उपकरण और एक व्यापक पैथोलाजिक किट होती है। इसके साथ ही एक एन्ड्रायडल टैबलेट होता है जिसमें 500 जरुरी दवाइयों की सूची और उठाकर ले जाने योग्य हॉट स्पाट होता है ताकि जिला अस्पतालों के साथ निदान, आंकड़ा हस्तांतरण और संप्रेषण किया जा सके। कोविड–19 महामारी के वर्तमान समय में जब सामाजिक दूरी की आवश्यकता थी और लॉकडाउन लागू किया गया था, इन टेली–मेडिसिन केंद्रों ने दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

होम्योपैथिक औषधालयः होम्योपैथी, दवाइयों की एक ऐसी वैकल्पिक पद्धति है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वस्थ लोगों में जो तत्व किसी बीमारी के लक्षण को प्रकट करता है वही तत्व रोगियों में उसी लक्षण का ईलाज करता है। निःशुल्क परामर्श और दवाइयां देने के लिए ऋषिकेश में एक औषधालय कार्यशील था। वित्त वर्ष में ओ.पी.डी. में पंजीकृत कुल मामलों की संख्या 26000 से अधिक थी।

टीएचडीसी जागृति–शिक्षा संबंधी पहलें

किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा का अर्थ – स्कूलों और कॉलेजों में मानव पूंजी के शिक्षण, ज्ञानार्जन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। यह ज्ञान में सुधार और वृद्धि करता है और कौशल विकास करता है जिससे मानव पूंजी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ***संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संख्या 4 अर्थात् "समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना में इस विचार को स्वीकार किया गया है और परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2030 तक, सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे प्रासंगिक और प्रभावी ज्ञानार्जन परिणाम प्राप्त होंगे।*** विद्युत क्षेत्र के एक जिम्मेदार सीपीएसयू के रूप में, आसपास के गांवों और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, टीएचडीसी वर्ष 1992 से अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट में से स्कूल का संचालन कर रहा है। ऋषिकेश में एक और टिहरी जिले में भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में दो के साथ, कुल 3 स्कूल, गरीब और जरूरतमंद छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यशील हैं। इन स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते, बैग, किताबें, स्टेशनरी, स्वेटर और पोषक मध्याह्न भोजन के रूप में अतिरिक्त सहायता के साथ लगभग मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

टीएचडीसी दक्ष कौशल विकास पहलें

सीएसआर गतिविधियों के आरम्भ से ही कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे होटल प्रबंधन, ए.एन.एम, आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लम्बर, बेल्डर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक, उत्खननकर्ता प्रचालक, एसी और रेफ्रीजरेशन आदि के प्रशिक्षण दिए गए। कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में, प्रशिक्षण संस्थानों के बंद होने और विभिन्न एजेंसियों में नामांकन प्रक्रिया स्थगित होने के कारण, वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कौशल प्रशिक्षणों के लिए कुल 163 युवाओं को ही प्रायोजित किया गया जिनमें 08 आईटीआई कोर्स, 10 एएनएम और 145 शिक्षुओं (एप्रेंटिंस) प्रायोजित किए गए थे।

टीएचडीसी उत्थान– ग्रामीण विकास पहलें

भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी और सतत विकास के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ***सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 विशेष रूप से 'भूखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार लाने और सतत कृषि को बढ़ावा देने का आह्वान करता है।*** उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध करवाता है, टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित

विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण विकास और कृषि समर्थन गतिविधियों के लिए समाधान लाने का भी प्रयास करता है जैसे – पॉली हाउसेज, अधिक पैदावार देने वाले बीज, वर्मी कंपोस्ट पिट, एलडीईपी टैंक ड्रिप सिंचाई, छिड़काव करने वालों उपकरण, सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन और विशेषज्ञों द्वारा प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह उपलब्ध करवाना आदि। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के गांवों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान टीएचडीसी के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक हस्तक्षेप अर्थात् भूमि का विखंडन, कृषि प्रौद्योगिकी की अवहनीयता, छोटे और सीमांत किसानों की एक बड़ी उपस्थिति; आसान खेती, अधिक उपज, समय बचाने और पलायन को रोकने में मदद करने के लिए अब तक 83 कस्टम हायरिंग सेंटर/फार्म मशीनरी बैंकों को बढ़ावा देना था। कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) मूल रूप से एक इकाई है जिसमें किसानों द्वारा कस्टम हायरिंग के लिए कृषि मशीनरी, उपस्कर और उपकरण का एक सेट शामिल है। हालांकि, कुछ उपस्कर और उपकरण फसल विशिष्ट होते हैं, इसलिए आम तौर पर ट्रैक्टर, पावर टिलर इत्यादि जैसी ट्रैक्शन इकाइयां और कंबाइन हार्वेस्टर इत्यादि जैसी स्व–चालित मशीनरी का उपयोग किया जाता है। इस परियोजना में परिकल्पित एक आदर्श मॉडल, जिसमें सभी फसलों के लिए जुताई करने वाली फार्म मशीनरी, बहु फसल उपस्कर और न्यूनतम फसल विशिष्ट मशीनरी शामिल हैं। प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक सरकारी निधियों और सीएसआर निधि के बीच 4:1 के अनुपात उपस्कर की लागत को साझा कर राज्य कृषि/बागवानी विभाग के साथ कनवर्जेंस मोड में स्थापित किया जाता है जिसमें लाभार्थियों का भी कुछ अंशदान होता है। ये बैंक स्थानीय समुदाय द्वारा स्व–सहायता समूह (एसएचजी) मोड में चलाए जा रहे हैं और इनसे लगभग 1125 किसानों को प्रत्यक्ष रूप और लगभग 7500 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। किसान उपकरण के रख–रखाव के लिए ली जाने वाली न्यूनतम लागत पर किसान संस्था से कृषि मशीनें किराए पर ले सकते हैं।

परियोजना प्रभावित गांवों के समग्र विकास के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह सायंकालीन कालेज, 20 गांवों के समाज के लोगों को सतत आजीविका का अवसर देने, महिलाओं को सशक्त बनाने तथा समाज के सर्वांगीण विकास में संलग्न हैं। तीन दीर्घकालिक परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की गई प्रमुख गतिविधियां, पाली हाउसों का संवर्धन, वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण, किसान गोष्ठियों का आयोजन, विशेषज्ञों के माध्यम से एक्सपोजर दौरे, तथा कृषि भूखंडों का प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम, सैनीटरी नैपकिनों का वितरण, करिअर काउंसेलिंग कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण, आजीविका के सृजन के लिए मशरूम के उत्पादन का प्रशिक्षण, सफाई के लिए स्वच्छ भारत के अंतर्गत किसान क्लबों की स्थापना आदि थी। उपरोक्त प्रयासों के क्रम में, वित्त वर्ष के दौरान 02 महिला सहकारी समतियों को भी 1 लाख रूपये की प्रारम्भिक राशि के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

टीएचडीसी समर्थ–महिला सशक्तीकरण संबंधी पहलें

एक नवाचारी प्रायोगिक पहल के रूप में टीएचडीसी ने 10 लाख रू. की आरंभिक राशि से वर्ष 2016 में टिहरी जिले के दुर्गम क्षेत्र में एक महिला क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी स्थापित की ताकि पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं अपनी पसंद के आजीविका विकल्पों के लिए छोटी मोटी उधार जरूरतों को पूरा कर सकें। सोसाइटी का प्रबंधन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में टीएचडीसी के मार्गदर्शन, विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण आधारित आजीविका प्रशिक्षणों तथा साजो सामान की सहायता से सोसाइटी सफलतापूर्वक चल रही है। वित्त वर्ष के दौरान सोसाइटी के सदस्यों की संख्या 97 हो गई।

टीएचडीसी प्रकृति– पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण सततता, सतत विकास लक्ष्यों 2030 में से एक अति महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि कुल 244 संकेतकों में से 93 संकेत पर्यावरण से संबंधित हैं। पर्यावरणीय सततता प्राप्त करने तथा सीएसआर विषयक प्रकृति के क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मृदा और जल संरक्षण, हरित ऊर्जा उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन तथा पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन

जैसे तीन विषयों सहित गतिविधियां शुरु की गई थी। टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में मृदा और जल का संरक्षण करने के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर वाटरशेड विकास संबंधी पहलों को कार्यान्वित किया गया था। इस पहल के अंतर्गत कंटूर ट्रेंचों, रिचार्ज पिटों, चाल (प्रिलोकेशन टैंक), गैबियन चेक डैम का निर्माण किया गया था। पर्यावरण टीएचडीसीआईएल का प्रमुख विचारणीय विषय रहा है इसलिए टीएचडीसी उत्थान थीम की सभी दीर्घकालिक सीएसआर आजीविका परियोजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण गतिविधियों को समाहित किया गया था ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके और वर्धित आजीविका अवसर को संरक्षित जल संसाधनों से जोड़ा

सीआईआई– आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवॉर्ड 2020

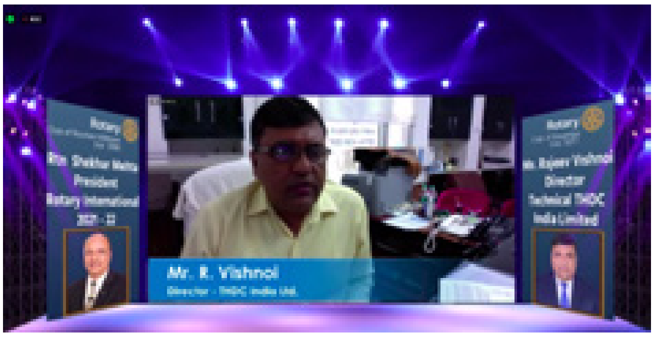

जा सके। विकसित की गई बड़ी जल संरक्षण परिसंपत्तियों में शामिल थे: जल संरक्षण टैंक (प्रत्येक की क्षमता 3000 लीटर), एलडीपीई (कम घनत्व वाले पोलीथिन) टैंक, चाल–खल जिन्हें वर्षा जल के संरक्षण के लिए परियोजना प्रभावित गांवों में संस्थापित किया गया था। भिन्न–भिन्न प्रकार के फलों चारे, ईंधन और औषधियों के पौधों को रोपने को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020–21 में आम, अमरुद, आंवला, बेल, नींबू, अनार, संतरा, किन्नू, मलबेरी, जामुन, अखरोट, हरड़ बहेरा, आवला आदि के 12500 पौधे लगाए। सतत पौधारोपण गतिविधि के लिए छोटे पौधों (सैपलिंग) को बनाए रखने के लिए टीएचडीसीआईएल के ऋषिकेश के परिसर में एक नर्सरी भी है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–3

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग विश्लेषण और दृष्टिकोण

विद्युत, अवसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो आर्थिक विकास और राष्ट्रों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए पर्याप्त अवसंरचना का अस्तित्व और विकास आवश्यक है। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, संस्थापित उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की आवश्यकता है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जिसने उद्योग के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया है, भारत में बिजली की मांग को बढ़ाने के लिए सतत आर्थिक विकास जारी है। 'सभी के लिए बिजली' के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भारत सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण (फोकस) ने देश में क्षमता वृद्धि में तेजी लाई है। साथ ही, बाजार और आपूर्ति दोनों पक्षों (ईंधन, रसद, वित्त और जनशक्ति) में प्रतिस्पर्धात्मक गहनता बढ़ रही है। सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावॉट तक बढ़ाने की योजना का प्रस्ताव रखा। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, भारत में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की संस्थापित क्षमता 382.15 गीगावाट है। नवीकरणीय विद्युत संयंत्र, जिसमें बड़े जलविद्युत संयंत्र भी शामिल हैं, भारत की कुल संस्थापित क्षमता का 36.8% है।

मई 2018 में, समग्र विद्युत का मापन करने वाले एक सूचकांक में भारत 25 देशों में से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चौथे स्थान पर था, इसके साथ देश को "भविष्य के विशाल" के रूप में आंका गया। वर्ष 2018 तक भारत पवन ऊर्जा में चौथे, सौर ऊर्जा में पांचवें और नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता में पांचवें स्थान पर था। भारत स्वच्छ ऊर्जा में 90 अरब अमेरिकी डॉलर में महत्वपूर्ण निवेश करने वाले देशों की सूची में छठे स्थान पर था। जी20 देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य हासिल करने की राह पर है।

ऊर्जा भंडारण

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने हाइड्रो सीपीएसयू और सिस्टम ऑपरेटर को विद्युत भंडारण के विकल्पों की जांच करने और ग्रिड में परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर प्रवेश के मद्देनजर लागत का सामाजिकीकरण करने का निर्देश दिया था। ***ऊर्जा भंडारण की योजना का फोकस निम्नानुसार है:***

क. दीर्घावधि संविदा, विद्युत के संबंध में विनियामक मानदंड, पंप स्टोरेज और पारंपरिक जल संयंत्रों की खरीद, प्रेषण और समय–निर्धारण के लिए वरीयता सहित, किंतु इन तक ही सीमित नहीं, भारतीय संदर्भ में नियामक ढांचे के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के साथ पंप स्टोरेज के एकीकरण के लिए भारत में उत्पादन फ्लीट मिश्रण और ट्रांसमिशन नेटवर्क पर विचार करके भारतीय विद्युत प्रणाली के लिए एक कार्यकारी मॉडल विकसित करना।

ख. संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों, यूरोप के विभिन्न देशों, चीन और ऑस्ट्रेलिया सहित, किंतु इन तक ही सीमित न रहते हुए, विभिन्न देशों में पीएसपी को कैसे लागू, संचालित, विनियमित किया जा रहा है इसकी अंतर्राष्ट्रीय तुलना। दुनिया भर में प्रचलित पीएसपी मॉडलों के गुण और दोष।

ग. भारतीय विद्युत बाजार के नियामक तंत्र, बाजार संरचना और बाजार डिजाइन को देखते हुए भारत में पीएसपी के लिए वैकल्पिक प्रतिपूर्ति तंत्र का निर्धारण करना।

घ. विभिन्न देशों में पीएसपी के स्वामित्व ढांचे की तुलना और भारत और विदेशों में पीएसपी के अभिशासन और संचालन पर स्वामित्व प्रभाव का निर्धारण।

ङ. पंप हाइड्रो स्टोरेज योजना और विभिन्न उभरती भंडारण तकनीकों के बीच तुलना।

अध्ययन के निष्कर्ष विद्युत मंगलय द्वारा गठित अधिकारियों के समूह की समिति को पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने, प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने के तरीकों और साधनों के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएंगे ।

वित्त वर्ष 2021 में, देश में कुल तापीय संस्थापित क्षमता 234.72 गीगावाट थी। नवीकरणीय, जलविद्युत और

क्षेत्र की तुलना

विद्युत के विभिन्न स्रोतों की संस्थापित क्षमता – वित्त वर्ष 2021 (गीगावाट)

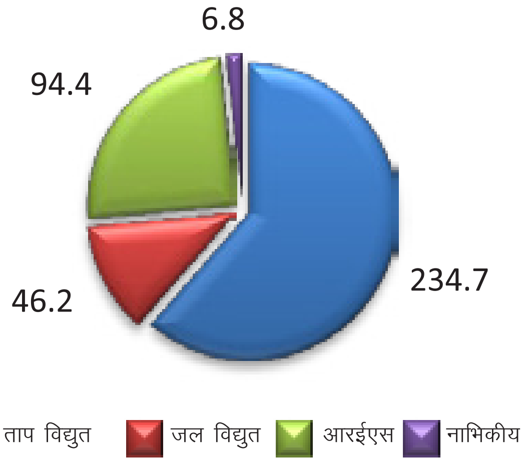

नाभिकीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता क्रमशः 94.43 गीगावाट, 46.21 गीगावाट और 6.78 गीगावाट थी।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा तेजी से बिजली के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रही है। वर्ष 2022 तक, सौर ऊर्जा से 114 गीगावॉट, इसके बाद पवन ऊर्जा से 67 गीगावॉट और बायोमास और जल विद्युत से 15 गीगावॉट की हिस्सेदारी का अनुमान है। वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ाकर 227 गीगावाट कर दिया गया है। मार्च 2021 तक, भारत में 94.4 गीगावाट की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थी।

सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के हिस्से को दोगुना करके 40 प्रतिशत तक करने की योजना है। सरकार वर्ष 2022 तक सौर रूफटॉप परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट विद्युत उत्पादन करने के अपने लक्ष्य का समर्थन करने के लिए 'रेंट ए रूफ' नीति तैयार कर रही है।

संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (गीगावाट)

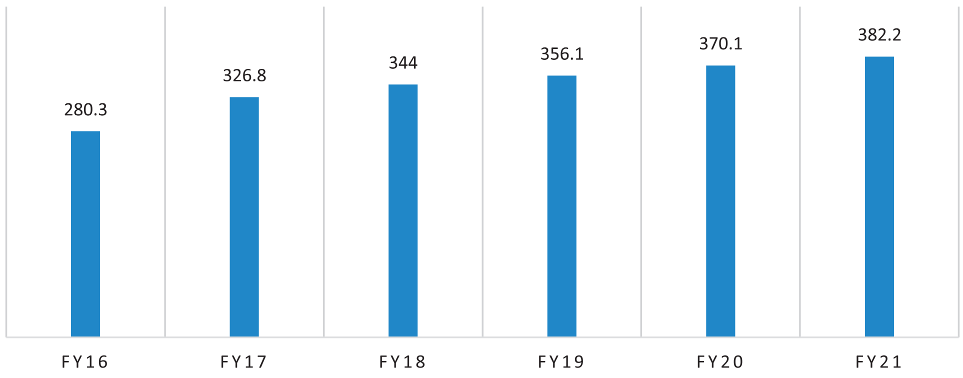

भारत में कम विद्युत टैरिफ के बावजूद प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है। हालाँकि, हाल के वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में लगातार वृद्धि हुई है, 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' से भी बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का एक कारण देश भर के गांवों और घरों का विद्युतीकरण है। आर्थिक गतिविधियों को बल प्रदान करने के लिए विद्युत आवश्यक है। पिछले पांच से 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति खपत में सुधार हुआ है, जो विकास को दर्शाता है, लेकिन यह अभी भी वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई है।

औद्योगिक और सेवा (जिसमें कृषि और वानिकी भी शामिल हैं) क्षेत्र भारत में बिजली के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं, जो कुल खपत का 74 प्रतिशत एक साथ प्रयोग करते हैं। आवासीय क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है जबकि बाकी का उपयोग रेल परिवहन के लिए किया जाता है। भारत की भविष्य की बिजली खपत बिजली की बढ़ती पहुंच, उपकरणों के स्वामित्व और आर्थिक विकास से प्रेरित होगी।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट घंटा)

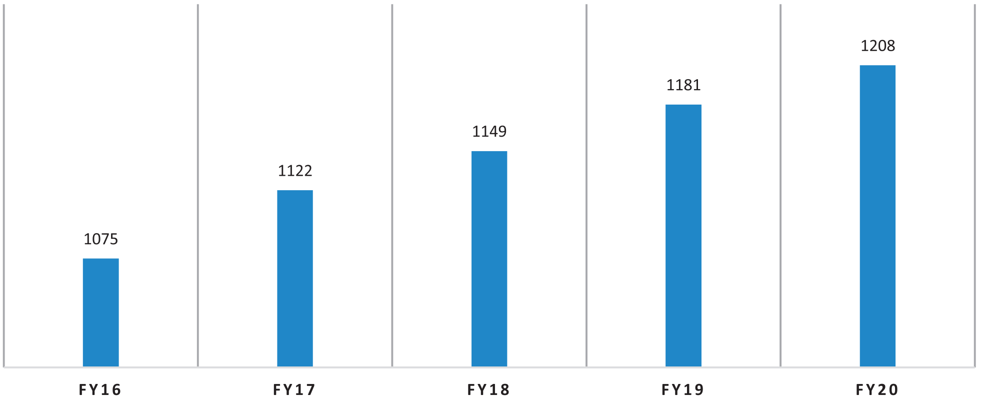

भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में नई जलविद्युत नीति का कार्यान्वयन निश्चित रूप से हाइड्रो सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। टीएचडीसीआईएल भारत सरकार द्वारा अनिवार्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगभग सभी प्रकार के विद्युत उत्पादन में प्रमुख व्यवसायी (प्लेयर) बनने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

विद्युत क्षेत्र में अवसर

वित्त वर्ष 2021–22 के केंद्रीय बजट के तहत, सरकार ने पवन के लिए 1,100 करोड़ रुपये और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,369.13 करोड़ रूपये के साथ–साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की क्षमता बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये का आबंटन किया है।

सरकार की वर्ष 2018 की राष्ट्रीय विद्युत योजना में उल्लेख किया गया है कि निर्माणाधीन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के चालू होने और पुराने कोयला–संचालित संयंत्रों के बंद होने के बाद कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के परिवर्धन के साथ देश को वर्ष 2027 तक उपयोगिता क्षेत्र में अधिक गैर–नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की आवश्यकता नहीं है।

सरकार की प्रमुख पहल

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुमानों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी 2029–30 तक 18% से बढ़कर 44% हो जाएगी, जबकि ताप (थर्मल) क्षमता की हिस्सेदारी 78% से घटकर 52% होने की उम्मीद है।
- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 111 लाख करोड़ रुपये (1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर) आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2019–25 में ऊर्जा क्षेत्र में 24% पूंजीगत व्यय होने की संभावना है।

- सरकार की 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है।
- भारत सरकार ने देश के सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) शुरू की थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना–सौभाग्य को भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- मसौदा विद्युत संशोधन विधेयक, 2021 पेश किया गया। इसमें कंटेंट और कैरेज को अलग करने, सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 24×7 बिजली आपूर्ति एक दायित्व के रूप में, पीपीए के उल्लंघन पर शास्ति, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर स्थापित करने के साथ–साथ इससे संबंधित नियमों पर चर्चा की गई।
- राष्ट्रीय विद्युत नीति का मसौदा

  विद्युत ने राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी–2021) का मसौदा प्रकाशित किया है और हितधारकों से मसौदा दस्तावेज पर अपनी टिप्पणियों और अभ्युक्तियों को प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। टीएचडीसीआईएल को विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी हाइड्रो पीएसयू के साथ विचार–विमर्श करने और एनईपी–2021 में शामिल करने के लिए सरकारी स्तर पर उठाए जाने वाले मुद्दों, चुनौतियों और उपायों पर प्रकाश डालते हुए देश में हाइड्रो सेक्टर के विकास के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया था। आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप, जो ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के विश्वसनीय, सतत और हरित स्रोत प्रदान करने के मामले में भविष्य की जरूरतों को प्राप्त करने के लिए हाइड्रो विकास को गति दे सकते हैं, विशेषज्ञ समूह को प्रस्तुत किए गए हैं। एनईपी–2021 के मसौदे पर टिप्पणियों/सुझावों को हाइड्रो सीपीएसयू के साथ उचित परामर्श के बाद विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है ताकि जलविद्युत परियोजनाओं के तेजी से विकास के लिए आम चिंताओं का समाधान किया जा सके और इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उपायों को राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2021 के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सके।

2020–21 के लिए केंद्रीय बजट

- 2020–21 के केंद्रीय बजट ने ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के लिए कई सुधारों और पहलों की शुरुआत की है:
- विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 22,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।
- नई विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत रियायती कर की दर तय की गई है।
- वित्तमंत्री ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से तीन वर्ष की अवधि में पारंपरिक ऊर्जा मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदलने का आग्रह किया। इससे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार आपूर्तिकर्ता और दर चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।
- पीपीपी मॉडल के जरिए पांच नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे।
- ताप संयंत्रों (थर्मल प्लांटों) को भी सलाह दी गई है कि अगर वे उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो वे प्रचालन बंद कर दें।
- रेल की पटरियों के किनारे और रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी।
- सरकार का लक्ष्य 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करना है।
- इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बंजर खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किए जाएंगे।

विद्युत क्षेत्र में जल विद्युत की भूमिका

जलविद्युत का एक नवीकरणीय आर्थिक, गैर–प्रदूषणकारी और पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है। जलविद्युत स्टेशनों में तत्काल शुरू करने, रोकने, लोड भिन्नता आदि के लिए अंतर्निहित सक्षमता है और विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करते हैं। शीर्ष मांग को पूरा करने के लिए जलविद्युत स्टेशन सबसे अच्छा

विकल्प हैं। उत्पादन लागत न केवल मुद्रास्फीति मुक्त है बल्कि समय के साथ कम होती जाती है। जलविद्युत परियोजनाओं का लंबे समय तक उपयोगी जीवन 50 वर्षों से अधिक है और दुर्लभ जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में मदद करता है। ये दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के अवसर सृजन करने में भी मदद करते हैं।

भारत 1,45,320 मेगावाट की बड़ी जलविद्युत क्षमता से संपन्न है, जिसमें से अब तक लगभग 46,300 मेगावाट का ही उपयोग किया जा सका है। पिछले 10 वर्षों में केवल लगभग 10,000 मेगावाट जलविद्युत शामिल की गई है। जलविद्युत क्षेत्र वर्तमान में एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और कुल क्षमता में जल विद्युत की हिस्सेदारी वर्ष 1960 के दशक के 50.36 प्रतिशत से घटकर वर्तमान में 12.1 प्रतिशत हो गई है।

पर्यावरण के अनुकूल होने के अलावा, जलविद्युत में कई अन्य अनूठी विशेषताएं हैं जैसे त्वरित रैंपिंग, ब्लैक स्टार्ट, प्रतिक्रियाशील अवशोषण इत्यादि की क्षमता, जो इसे पीकिंग पावर, स्पिनिंग रिजर्व और ग्रिड संतुलन/स्थिरता के लिए आदर्श बनाती है। इसके अलावा, जलविद्युत रोजगार के अवसर प्रदान करके और पर्यटन आदि को बढ़ावा देकर पूरे क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के अलावा जल सुरक्षा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण लाभ भी प्रदान करता है।

जलविद्युत का महत्व और भी अधिक बढ़ रहा है क्योंकि देश ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को स्वीकार करते हुए, वर्ष 2022 तक 160 गीगावाट आंतरायिक सौर और पवन ऊर्जा और वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल क्षमता का 40% शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

हालाँकि, डिस्कॉम उच्च टैरिफ के कारण, विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में, हाइड्रो पावर के लिए विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने से संकोच करते हैं। जलविद्युत के उच्च शुल्क के कारणों में से एक बाढ़ नियंत्रण की लागत का भार और परियोजना लागत में बुनियादी ढांचे को सक्षम करना है। इस पृष्ठभूमि में, जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसमें बाढ़ नियंत्रण लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान करना और बुनियादी ढांचे की लागत और टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपायों को सक्षम करना और इस प्रकार उपभोक्ता पर बोझ को कम करना शामिल है। सरकार विभिन्न स्रोतों से विद्युत की बंडलिंग की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है और जल विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही नवीकरणीय विद्युत के साथ हाइड्रो पावर को बंडल करने की अनुमति दी जाएगी।

आदर्श जल–ताप मिश्रण (हाइड्रो थर्मल मिक्स) 40:60 के अनुपात में होना चाहिए। विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जल–ताप मिश्रण (हाइडल थर्मल मिक्स) में असंतुलन के कारण, कई थर्मल पावर स्टेशनों को ऑफ पीक आवर्स के दौरान बैक डाउन करना पड़ता है। ताप संयंत्र (थर्मल प्लांट) की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्लांट लोड फैक्टर में लगभग 4 से 5 प्रतिशत की हानि होती है।

जल विद्युत क्षेत्र में नए विकास

क. सरकार ने देश में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2019 के दौरान निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी थी:

(i) बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (> 25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित किया।

(ii) गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग यूनिट के रूप में हाइड्रो क्रय दायित्व (एचपीओ)।

(iii) हाइड्रो पावर टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय

(iv) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।

(v) बुनियादी ढांचे, अर्थात् सड़कों/पुलों को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता।

क. 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट।

ख. 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रु. प्रति मेगावाट।

ख. ऋणों की अवधि बढ़ाना – मार्च 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित टैरिफ युक्तिकरण उपायों

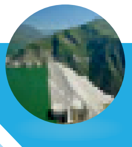

की प्रभावशीलता पर विचार–विमर्श करने के लिए 17.02.2020 को प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों और जलविद्युत उत्पादन सीपीएसयू के साथ माननीय एमओएसपी (आईसी) की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान, सीएमडी (पीएफसी) ने सूचित किया कि पीएफसी और आरईसी ने पहले ही ऋण अवधि को परियोजना के उपयोगी काल के 80% अर्थात् 32 वर्ष तक बढ़ा दिया है।

ग. कर्ज की अदायगी तक मुफ्त बिजली का आस्थगन– हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर जैसी राज्य सरकारों द्वारा।

घ. राज्य जीएसटी की छूट– हिमाचल प्रदेश जैसी राज्य सरकारों द्वारा

ड़. जल उपकर की छूट– जम्मू और कश्मीर

कंपनी के लिए दृष्टिकोण

टीएचडीसीआईएल 1587 मेगावाट की संस्थापित क्षमता और निर्माणाधीन 2764 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के साथ देश में विद्युत उत्पादन के आधारों में से एक है। आपकी कंपनी चल रही परियोजनाओं में निर्माण में तेजी लाने और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टीएचडीसीआईएल 2024–25 में उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा में 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट को चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यनीतिक व्यापार विविधीकरण योजना के तहत, टीएचडीसीआईएल ने ऊर्जा के पारंपरिक / गैर–पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर और पवन के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र में विशेष परामर्श सेवाएं प्रदान करने में भी विविधता लाई है।

टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड राज्य के साथ–साथ देश के अन्य जलविद्युत समृद्ध राज्यों में अधिक जलविद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित है। परिवर्तित विद्युत परिदृश्य में कंपनी के सतत आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रमुख एजेंडे में हैं। कंपनी भारतीय ऊर्जा बाजार में बहु–ऊर्जा (बंडल) और आरटीसी पेशकशों को पूरा करने की इच्छुक है। टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा में अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, जैसे जल निकायों पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं का विकास, हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विकास – में हमारे राष्ट्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए कंपनी 'कार्बन कैप्चर' तकनीक में भी उद्यम करेगी।

कोविड–19 महामारी संकट के दौरान 24×7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद, बिजली क्षेत्र के पूरे कार्यबल – उत्पादन, पारेषण, वितरण और सिस्टम संचालन – ने सभी घरों और प्रतिष्ठानों को रोशन रखने के लिए चौबीसों घंटे काम किया है। श्री आर.के.सिंह, माननीय विद्युत मंत्री जी ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में विद्युत मंत्रालय सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

लॉकडाउन के कारण, उपभोक्ता, वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को अपना बकाया भुगतान करने में असमर्थ थे। इससे डिस्कॉम की चलनिधि स्थिति प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन और पारेषण कंपनियों को भुगतान करने की उनकी क्षमता कम हो गई है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राहत उपायों को मंजूरी दी है। डिस्कॉमों की चलनिधि की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं–

क. सीपीएसयू उत्पादन/पारेषण कंपनियां उन डिस्कॉम्स को भी बिजली की आपूर्ति/पारेषण जारी रखेंगी जिन पर उत्पादन/पारेषण कंपनियों का बड़ा बकाया है। वर्तमान आपात स्थिति के दौरान, किसी भी डिस्कॉम को आपूर्ति में कटौती नहीं की जाएगी ।

ख. वितरण कंपनियों द्वारा उत्पन्न कंपनियों के साथ विद्युत के प्रेषण बनाए रखे जाने वाले भुगतान सुरक्षा तंत्र को 30 जून 2020, तक पचास प्रतिशत तक कम किया गया।

ग. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को डिस्कॉमों को उत्पादन कंपनियों और पारेषण लाइसेंसधारियों को भुगतान करने के लिए तीन महीने की रियायत प्रदान करने और देर से भुगतान अधिभार की दंडात्मक दरें न लगाने के निर्देश जारी किए गए थे।

आत्मनिर्भर भारत की घोषणाएं और मांग बढ़ाने के उपाय

देश में वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रकोप और डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार द्वारा 13.05.2020 को आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के तहत की गई घोषणा में पीएफसी/आरईसी द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों (जेनकोस) को डिस्कॉमों की देनदारियों के निर्वहन के विशेष उद्देश्य के लिए राज्य की गारंटी के सापेक्ष प्राप्तियों और ऋणों के सापेक्ष डिस्कॉमों को 90,000 करोड़ रुपये का चलनिधि प्रेरण भी शामिल है। 31.03.2021 तक, उक्त चलनिधि प्रेरण स्कीम के तहत टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कुल 1658.51 करोड़ रूपये (यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश से 1458.53 करोड़ रुपये और जेकेपीसीएल, जम्मू–कश्मीर से 199.98 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त की गई हैं। उपरोक्त चलनिधि प्रेरण ने कंपनी के नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति में सुधार किया और साथ ही बकाया राशि के भारी बोझ को भी कम किया।

कोविड–19 के कारण लॉकडाउन अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय के तहत उत्पादक कंपनियों द्वारा डिस्कॉमों को छूट

नकदी संकट से जूझ रही डिस्कॉमों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने उनकी मदद के लिए कई उपाय किए, जिसमें कोरोनावायरस महामारी के बीच लॉकडाउन अवधि के लिए छूट प्रदान करना शामिल है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15.05.2020 और 16.05.2020 के अपने पत्र के माध्यम से निर्णय लिया है कि विद्युत मंत्रालय के तहत सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन कंपनियां, जिनमें उनके संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की पारेषण कंपनियां शामिल हैं, कोविड –19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के लिए अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बिजली आपूर्ति बिल (निश्चित लागत) पर लगभग 20–25% छूट की पेशकश करने पर विचार कर सकती हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने डिस्कॉमों को कोविड –19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के लिए निश्चित लागत पर एकमुश्त छूट को मंजूरी दी। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने डिस्कॉमों को लॉकडाउन अवधि के लिए अंतिम उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए 35.65 करोड़ रुपये की छूट दी है।

वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

कंपनी मुख्य रूप से जलविद्युत और गैर–पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं के बिजली उत्पादन के लिए टैरिफ सीईआरसी टैरिफ विनियमों के संदर्भ में विनियमित किया जाता है।

कोविड महामारी के कारण, भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लेकिन कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, बिजली उत्पादन पर महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध विभिन्न आंतरिक और बाहरी सूचनाओं पर विचार किया था।

कंपनी के सुचारू व्यवसाय को जारी रखने की क्षमता पर कोविड–19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

निम्नलिखित पैराग्राफ में टिप्पणी (यों) के संदर्भ, इस रिपोर्ट में कहीं और रखे गए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में उल्लिखित है।

पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

क. प्रचालन के परिणाम

उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (एमयू)	वित्त वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
उत्पादन	4565.36	4526.85
बिक्री	4029.62	3993.49

आय रु. करोड़ में

1. सतत प्रचालन से राजस्व (नोट 32)	1796.01	2123.10
2. अन्य आय (नोट 33)		
क) लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	660.94	225.68
ख) अन्य	44.98	56.58
कुल आय	***2501.93***	***2405.36***

1. आयः

कंपनी की आय में बिजली की बिक्री से आय, लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज और अधिभार, परामर्श, आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सकल आय 2501.93 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष में 2405.36 करोड़ थी जिसमें 4.01% की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल आय में वृद्धि मुख्य रूप से लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार में वृद्धि के कारण है।

टैरिफ

कंपनी द्वारा जलविद्युत की बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित टैरिफ द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने टैरिफ विनियम, 2019 अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, जो 01.04.2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू है। टैरिफ, वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन और रखरखाव व्यय शामिल हैं। आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी आयकर दर के साथ जोड़ा जाता है ताकि आयकर भार की वसूली की जा सके। वसूली के उद्देश्य से, एएफसी को दो बराबर भागों अर्थात ऊर्जा प्रभार और क्षमता प्रभार में विभाजित किया गया है। ऊर्जा शुल्क की वसूली अनुसूचित बिक्री योग्य ऊर्जा पर निर्भर है और बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा स्तर प्राप्त होने पर पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाती है। बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक उत्पादन ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार के रूप में अतिरिक्त राजस्व के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से 1.20 रूपये/किलोवाट घंटा अधिक पर बिल किया जाता है। । क्षमता शुल्क की वसूली नॉर्मेटिव वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के संदर्भ में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र की वास्तविक उपलब्धता कारक पर निर्भर है, जिसे माननीय सीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 के लिए टिहरी एचपीपी के लिए 80% और कोटेश्वर एचईपी के लिए 68% निर्धारित किया गया है। कंपनी एनएपीएएफ के सापेक्ष उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार है।

प्रचालन से राजस्व में निम्नलिखित भी शामिल हैंः

(i) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में पाटन पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

(ii) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में द्वारका पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

(iii) उत्तर प्रदेश में ढुकवां एसएचपी से लघु जल विद्युत की बिक्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(iv) केरल में कासरगोड सौर परियोजना से सौर ऊर्जा की बिक्री, केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

प्रचालन से राजस्व (नोट 32)

माननीय सीईआरसी ने नियंत्रण अवधि 2019–2024 के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए 7 मार्च, 2019 के आदेश के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 अधिसूचित किए थे। टीएचडीसीआईएल ने 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिकाएं दायर की हैं। 2019–24 के लिए लंबित टैरिफ निर्धारण, चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री राजस्व को वित्त वर्ष 2020–21 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्यता दी गई है, जो सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 में लागू सिद्धांतों के अनुसार 2019–24 की अवधि के लिए लागू है। प्रचालन से राजस्व में कमी मुख्य रूप से त्वरित मूल्यह्रास अवधि के बारह वर्ष पूरे होने के बाद टिहरी एचईपी के मूल्यह्रास में कमी के कारण है।

पवन, लघु जलविद्युत और सौर परियोजनाओं के लिए बिक्री राजस्व को पीपीए के अनुसार टैरिफ के आधार पर मान्यता दी गई है।

कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटी शामिल हैं। बिजली की बिक्री आम तौर पर ऐसी उपयोगिताओं के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर आधारित होती है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने डिस्कॉमों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत विभागों को लॉकडाउन अवधि के लिए 35.65 करोड़ रुपये की एकमुश्त छूट को मंजूरी दी है।

उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	*टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)*		*कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)*	
	2020-21	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	2797	2797	1154.84	1154.84
सकल उत्पादन (एमयू)	3042.24	3041.73	1221.45	1203.21
मानक पीएएफ (%)	80	80	68	68
वास्तविक पीएएफ (%)	***86.092***	***82.767***	***70.132***	***76.282***

बिक्री में समय–समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर 11.19 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 9.87 करोड़ रूपये) का विचलन निपटान प्रभार भी शामिल है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राजस्व:

वर्ष के दौरान, केरल राज्य में कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने पर संस्थापित क्षमता में 50 मेगावाट की वृद्धि हुई है।

ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना से उत्पादन के प्रारंभ होने के कारण वित्त वर्ष 2021 में नवीकरणीय परियोजनाओं (पवन, लघु जलविद्युत और सौर ऊर्जा) की बिक्री से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 11.88 करोड़ तक की वृद्धि हुई है। ढुकवां एसएचपी और

कासरगोड सौर परियोजना ने क्रमशः 34.86 करोड़ और 5.36 करोड़ का योगदान दिया। हालांकि, कम सीयूएफ की वजह से पवन परियोजनाओं में 28.34 करोड़ रूपये की कमी देखी गई। कंपनी अपनी पवन परियोजनाओं पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ भी उठा रही है जो 10.56 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 13.56 करोड़ रूपये) है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से एमयू में उत्पादन और बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	पवन (113 मेगावाट) पाटन–50 मेगावाट, द्वारका 63 मेगावाट		दुकवां (24 मेगावाट)*	कासरगोड सोलर (50 मेगावाट)**
	वित्तीय वर्ष (2020–21)	वित्तीय वर्ष (2019–20)	वित्तीय वर्ष (2020–21)	वित्तीय वर्ष (2019–20)
उत्पादन (एमयू)	212.07	281.90	72.24	17.36
बिक्री (एमयू)	203.28	271.19	70.85	17.30

(*) सीओडी– 13.01.2020 (**) सीओडी– 31.12.2020

अन्य आय (नोट 33)

अन्य आय में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

आय	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
बैंकों से ब्याज	0.20	2.78
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	660.94	225.68
अन्य विविध आय (मशीन किराया शुल्क, किराया आय, विविध आय, अतिरिक्त प्रावधान प्रतिलेखित, संपत्ति की बिक्री पर लाभ, कर्मचारियों से ब्याज, अन्य और विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव समायोजन सहित)	44.78	53.80
कुल आय	***705.92***	***282.26***

वर्ष के लिए अन्य आय पिछले वर्ष के 282.26 करोड़ रूपये से 150.01% बढ़कर 705.92 करोड़ रूपये हो गई। यह मुख्य रूप से विलंबित भुगतान अधिभार में 435.26 करोड़ रूपये की वृद्धि के कारण है। इसके अतिरिक्त, बीवाईपीएल से संबंधित 11.01 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रतिलेखित प्रावधान में कमी हुई।

2. व्यय

व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं:

(करोड़ रुपये में)

व्यय	*वित्तीय वर्ष 2020–21*	*वित्तीय वर्ष 2019–20*
कर्मचारी हितलाभ व्यय (नोट 34)	388.78	360.30
वित्त लागत (नोट 35)	181.93	240.34
मूल्यह्रास और परिशोधन (नोट 2)	317.33	576.10
उत्पादन, प्रशासनिक और अन्य व्यय (नोट 36)	230.33	239.33
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर (नोट 37)	0.25	0.00
कुल व्यय	***1118.62***	***1416.07***
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन शेष–आय/(व्यय)	***42.83***	***41.06***

कर्मचारी हितलाभ व्यय (नोट 34)

कर्मचारी हितलाभ व्यय में वेतन और मजदूरी, भत्ते और लाभ, भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान और कल्याण व्यय और आस्थगित कर्मचारी लागत के परिशोधन व्यय शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह व्यय कुल व्यय का 34.76% है जबकि वित्तीय वर्ष 2019–20 में यह कुल व्यय का 25.44% था। वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ व्यय 388.78 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 360.30 करोड़ रुपये) है अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 28.48 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लगभग 7.90% की वृद्धि मुख्य रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि और डीए आदि में वृद्धि के कारण है।

वित्त लागत (नोट 35)

वित्त लागत में मुख्य रूप से बांड, घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, नकद ऋण आदि पर ब्याज शामिल है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, वित्त लागत में 58.41 करोड़ रुपये (चालू वर्ष 181.93 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष में 240.34 करोड़ रुपये) की कमी आई है। वित्त लागत में कमी मुख्य रूप से पी एंड एल खाते पर प्रभारित एफईआरवी [(01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए पीएंडएल खाते पर प्रभारित एफईआरवी (–16.50 करोड़ रुपये) है जबकि 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए यह 45.91 करोड़ रुपये था (अर्थात् इसमें 62.41 करोड़ रुपये की निवल कमी हुई), में कमी के कारण है। इसके अलावा नकद ऋण सीमा, अन्य का लाभ लेने में 1.09 करोड़ की कमी के कारण नकदी ऋण पर ब्याज में 9.58 करोड़ की कमी हुई। ढुकवां और सौर परियोजनाओं के सीओडी के बाद पीएंडएल पर प्रभार के कारण बांडों पर ब्याज में 14.67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (नोट 2)

कुछ मदों, जिनके लिए कंपनी द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, को छोड़कर कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद ऋजुरेखीय पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। ।

मूल्यह्रास लागत में 258.77 करोड़ रुपये (चालू वर्ष 317.33 करोड़; पिछला वर्ष 576.10 करोड़) रुपये की कमी आई है। निवल कमी मुख्य रूप से सीओडी के 12 वर्ष पूरे होने पर मूल्यह्रास दरों में कमी के कारण टिहरी एचपीपी के मूल्यह्रास में है। हालांकि, 31.03.2021 को समाप्त वर्तमान अवधि के दौरान ढुकवां, सौर ऊर्जा परियोजना केरल और अन्य के पूंजीकरण के कारण मूल्यह्रास में 18.78 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। ।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 40.68% की तुलना में वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान मूल्यह्रास हमारे कुल व्यय का 28.37% है।

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय (नोट 36)

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्ययों में मुख्य रूप से इमारतों, सड़कों और संयंत्र और मशीनरी का किराया, मरम्मत और रखरखाव, वाहन किराए पर लेना और संचालन, सुरक्षा, लेखा परीक्षकों को भुगतान, सर्वेक्षण और जांच, सीएसआर और सतत विकास गतिविधियों पर व्यय और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं।

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कुल व्यय का 20.59% है जबकि, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान यह कुल व्यय का 16.90% था। निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2020–21 में 230.33 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 239.33 करोड़ था अर्थात् इसमें 9.00 करोड़ रूपये की कमी हुई। यह कमी मुख्य रूप से यात्रा और वाहन पर व्यय में 3.45 करोड़ रुपये की कमी, अन्य सामान्य व्ययों जैसे पेशेवर शुल्क, वजीफा, और अन्य में 2.88 करोड़ रुपये की कमी के कारण हुई।

अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए प्रावधान (नोट 37)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 0% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर्स का प्रावधान कुल व्यय का 0.02% है। निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2020–21 में 0.25 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह शून्य था अर्थात् इसमें 0.25 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई, जो टिहरी यूनिट में नोन–मूविंग स्टोर और स्पेयर्स के प्रावधान से संबंधित है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन (नोट 39)

कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से अपने ग्राहकों को बेची जाने वाली बिजली के लिए कंपनी द्वारा वसूला जाने वाला मूल्य सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है जो टैरिफ के निर्धारण के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। टैरिफ इक्विटी पर निर्धारित आय के साथ स्वीकार्य लागत जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, संचलन और रखरखाव खर्च आदि पर आधारित है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान विनिमय दर भिन्नता के कारण, कोई लाभ या हानि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक पूंजीगत लागत का हिस्सा होगी। आस्थगित कर अंतर, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मद के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को तुलन पत्र में बिना छूट के आधार पर नियामक आस्थगित खाता डेबिट/क्रेडिट शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और निवल प्रभाव को लाभ और हानि खाते में नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन के रूप में मान्यता दी जाती है। उन्हें टैरिफ के हिस्से के रूप में उनके मटेरियलाइजेशन पर समायोजित किया जाता है। इसका लेखा–जोखा इंड एएस–114 के अनुसार है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 42.83 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 41.06 करोड़ रूपये है।

1.77 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण:

1. 31.03.2021 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, टिहरी ओ एंड एम यूनिट के मूल्यह्रास में कमी के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष 68.40 करोड़ रुपये से कम हो गया था और रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्यह्रास के कारण विनिमय दर भिन्नता लाभ के कारण 31.03.2021 को समाप्त वर्तमान अवधि के दौरान 16.50 करोड़ रूपये के विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष को मान्यता दी गई थी। इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान विनियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन 51.90 करोड़ रूपये है। निवल संचलन पर कर 9.07 करोड़ है, इस प्रकार विनियामक आस्थगन खाता शेष में कर का निवल संचलन 42.83 करोड़ रूपये है।

2. 31.03.2020 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान 48.66 करोड़ रुपये के विनियामक आस्थगित क्रेडिट शेष को आस्थगित कर संपत्ति के कारण मान्यता दी गई थी, रुपये के मुकाबले डॉलर की मूल्यवर्धन के कारण विनिमय दर भिन्नता हानि के कारण 45.91 करोड़ रुपये के विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष को

मान्यता दी गई थी और वेतन संशोधन के कारण 52.50 करोड़ रुपये के विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष को मान्यता दी गई थी। इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन 49.75 करोड़ रुपये है। निवल संचलन पर कर की राशि 8.69 करोड़ रुपये है, इस प्रकार विनियामक आस्थगन खाता शेष में कर का निवल संचलन 41.06 करोड़ रूपये है।

कर पूर्व लाभ

उपरोक्त उल्लिखित कारणों की वजह से, वित्त वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 989.29 करोड़ रुपये के मुकाबले 358.37 करोड़ रुपये बढ़कर वित्त वर्ष 2020–21 में 1347.66 करोड़ रुपये हो गया।

कर व्यय (नोट 38):

i) चालू कर व्ययः कंपनी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय पर कर को मान्यता देती है। पिछले वर्ष के 163.12 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के लिए चालू कर 229.60 करोड़ रुपये है।

ख. वित्तीय स्थिति

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को 'गैर–चालू' और 'चालू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और इसमें अनुवर्ती संशोधन के अनुसार वित्तीय और अन्य श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तुलन–पत्र की मदें इस प्रकार हैं:

संपतियां:

1. गैर–चालू परिसंपत्ति

(रु. करोड़ में)

विवरण	*31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 2)	6561.85	6591.99
पूंजीगत कार्य–प्रगति पर (नोट 3)	6414.30	4989.80
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (नोट 2)	410.50	380.71
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (नोट 2)	0.36	0.20
सहायक कंपनी में निवेश (नोट 4)	7.40	0.00
वित्तीय परिसंपत्तिया		
– ऋण (नोट 5)	39.24	38.89
– अग्रिम (नोट 6)	0.01	0.01
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (नोट 7)	871.31	939.71
गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (नोट 8)	32.49	24.55
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (नोट 9)	1906.22	1582.89
कुल	***16243.68***	***14548.75***

गैर–चालू परिसंपत्तियों में 11.65% की वृद्धि होकर यह 16243.68 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 14548.75 करोड़ रूपये) हो गई हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) (नोट 2)

पीपीई में भूमि, भवन, सड़क और पुल, संयंत्र और मशीनरी, उत्पादन संयंत्र और मशीनरी, विद्युत कार्य, हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि), वाहन, विद्युत/कार्यालय उपकरण, फर्नीचर/फिक्सचर्स आदि के संबंध में मूल्यह्रास के बाद निवल ब्लॉक शामिल हैं। पीपीई का सकल ब्लॉक वर्ष के दौरान 359.40 करोड़ रुपये बढ़कर 13958.64 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 13599.24 करोड़ रुपये) हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से सौर ऊर्जा परियोजना केरल से संबंधित 229.03 करोड़ रुपये की विभिन्न परिसंपत्तियों के पूंजीकरण और 49.04 करोड़ रुपये की टिहरी यूनिट से संबंधित परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार–भूमि के कारण हुई है। 81.33 करोड़ रुपये की शेष वृद्धि विभिन्न विविध परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण है। हालांकि, 31.03.2021 को समाप्त अवधि के दौरान प्रभारित 360.08 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास के कारण कमी और सकल ब्लॉक में 359.40 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण निवल ब्लॉक में वृद्धि के संचयी प्रभाव के साथ चालू वर्ष के अंत में पीपीई का निवल ब्लॉक 6972.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6972.90 करोड़ रूपये) है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति पर और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (नोट 3)

चालू वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण 1424.50 करोड़ रुपये (4989.80 करोड़ रुपये से 6414.30 करोड़ रुपये) की वृद्धि दर्ज की गई :

1. टिहरी पीएसपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 491.49 करोड़ रुपये की वृद्धि।
2. अमेलिया यूनिट में 59.29 करोड़ रुपये की वृद्धि।
3. वीपीएचईपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 153.80 करोड़ रुपये की वृद्धि।
4. खुर्जा यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 746.56 करोड़ रुपये की वृद्धि।

वित्तीय परिसंपत्तियां

व्यापार प्राप्य और सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य प्लस या माइनस लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती हैं। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि के विवरण में व्यय में दर्शाया जाता है।

गैर–चालू परिसंपत्तियां–सहायक कंपनियों में निवेश (नोट 4)

निवेश लंबी अवधि के लिए अभिप्रेत है और उस लागत पर किया जाता है जिसमें सहायक कंपनियों में निवेश शामिल होता है। वर्ष के अंत में कुल निवेश 7.40 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2020–21 में यूपीनेडा के साथ एक नवगठित सहायक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स टस्को लिमिटेड में किया गया है।

गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण (नोट 5)

गैर–चालू ऋण ऐसे ऋण हैं जिनके तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के बाद वसूल किए जाने की उम्मीद है। इन ऋणों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर उनका उचित मूल्यांकन किया गया है। चालू वर्ष के अंत में ऋण 39.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.89 करोड़ रुपये) है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (नोट 7)

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों के रिवर्स होने पर लागू होने की उम्मीद है, जो उन कानूनों के आधार पर लागू होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग की तारीख तक लागू किया गया है। निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति में 68.40 करोड़ रुपये (चालू वर्ष 871.31 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष 939.71 करोड़ रुपये) की कमी हुई। कमी मुख्य रूप से टिहरी ओ एंड एम यूनिट के मूल्यह्रास में कमी के कारण आस्थगित कर देयता की मान्यता के कारण है। चूंकि टिहरी ओ एंड एम यूनिट ने सीओडी से अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए परियोजना के शेष उपयोगी जीवन पर 10% को

अवशिष्ट मूल्य के रूप में छोड़कर पीपीई की वहन राशि को बढ़ाकर मूल्यह्रास की दरों को फिर से तैयार किया गया है ।

गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (नोट 8)

यह आयकर विभाग के पास जमा की गई राशि को दर्शाती है, जिसका मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें 7.94 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह विगत वर्ष से 24.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 32.49 करोड़ रुपये तक हो गई है।

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (नोट 9)

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत, ठेकेदारों को दिए गए पूंजीगत अग्रिम, सरकारी विभागों/संगठनों, ठेकेदारों को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से ठेकेदारों को 189.11 करोड़ रुपये और सरकारी एजेंसियों को 132.42 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अग्रिमों के कारण पिछले वर्ष के 1582.89 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 1906.22 करोड़ रुपये हो गई हैं।

2. चालू परिसंपत्तियां

(रू. करोड़ में)

विवरण	*31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
इंवेन्ट्री (नोट 10)	34.94	32.42
वित्तीय परिसंपत्तियां		
– व्यापार प्राप्य (नोट 11)	1055.48	1868.94
– नकदी और नकदी समकक्ष (नोट 12)	225.08	25.20
– नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष (नोट 13)	0.00	0.58
– ऋण (नोट 14)	9.43	8.36
–अग्रिम (नोट 15)	505.88	500.99
– अन्य (नोट 16)	357.57	257.06
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (नोट 17)	60.79	60.37
अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट 18)	54.35	59.73
कुल	***2303.52***	***2813.65***

31 मार्च, 2021 को वर्तमान संपत्ति 510.13 करोड़ रुपये घटकर 2303.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2813.65 करोड़ रुपये) हो गई है। मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

सूची (नोट 10)

इन्वेंटरी में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर शामिल होते हैं जो संयंत्र के प्रचालन के लिए अनुरक्षित किए जाते हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत आधार और निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर कम लागत पर किया जाता है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, इन्वेंटरी का मूल्य 34.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 32.42 करोड़ रुपये) था।

वित्तीय परिसंपत्ति

व्यापार प्राप्य (नोट 11)

व्यापार प्राप्यों में मुख्य रूप से ऊर्जा की बिक्री के कारण प्राप्तियां शामिल होती हैं। व्यापार प्राप्यों में बिल न किए गए राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है जिसे अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (नोट 16) के तहत अलग से दर्शाया गया है। चालू वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों में 813.46 करोड़ रुपये की कमी आई है जिससे यह 1055.48 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 1868.94 करोड़ रूपये) हो गई। निवल कमी मुख्य रूप से भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभार्थियों से वसूली के कारण है।

नकदी और नकदी समकक्ष तथा नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष (नोट 12 और 13)

नकदी और नकदी समकक्ष तथा नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष में मुख्य रूप से बैंकों में शेष राशि शामिल होती है। चालू वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समकक्ष तथा नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक शेष पिछले वर्ष के 25.78 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 225.08 करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार इसमें 199.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभार्थियों से वर्ष के अंत में संग्रह के कारण है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण (नोट 14)

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण 9.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8.36 करोड़ रुपये) है। इस प्रकार इसमें 1.07 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो मुख्य रूप से कर्मचारी ऋण में वृद्धि के कारण है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम (नोट 15)

अग्रिम में मुख्य रूप से कर्मचारियों को अग्रिम, अन्य, सरकार के पास जमा, न्यायालय, प्रतिभूति जमा और अन्य जमा शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पिछले वर्ष 500.99 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 505.88 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार इसमें 4.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य (नोट 16)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां बिल न किए गए राजस्व को दर्शाती हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां पिछले वर्ष के 257. 06 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बढ़कर 357.57 करोड़ रुपये हो गईं। इस प्रकार इनमें 100.51 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (नोट 17)

यह वह राशि है जो मूल्यांकन के पूरा होने के कारण अंततः आयकर प्राधिकरणों की ओर से रिफंड के रूप में देय है। इसमें निर्धारण वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए देय धनवापसी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान इसमें 0.42 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट 18)

अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से प्रीपेड व्यय, अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। अन्य चालू परिसंपत्तियों में चालू वर्ष के दौरान 5.38 करोड़ रुपये की कमी आई है।

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुवर्ती अवधियों में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय की सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "दर विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन" के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप और इंड एएस–114 विनियामक आस्थगित खातों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि उस वर्ष से समायोजित की जाती है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में, अनुवर्ती अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य–सीमा तक, उधार लागत के रूप में मानी गई विदेशी मुद्रा ऋण पर विदेशी मुद्रा दर भिन्नता और 01.01.2017 से बाद वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी हितलाभ व्यय शामिल हैं।

वर्ष के अंत में विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 169.72 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 186.22 करोड़ रूपये) है।

3. *इक्विटी और देयताएं*

कुल इक्विटी

वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2019–20 के अंत में कंपनी की कुल इक्विटी इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	*31 मार्च 2021 तक*	*31 मार्च, 2020 तक*
इक्विटी शेयर पूंजी (नोट 20)	3665.88	3665.88
अन्य इक्विटी (नोट 21)	6251.55	5866.59
कुल इक्विटी	***9917.43***	***9532.47***

अन्य इक्विटी (नोट 21)

अन्य इक्विटी के विवरण में 6189.69 रुपये (पिछला वर्ष 5845.53 करोड़ रुपये) की प्रतिधारित आय, 79.50 करोड़ रुपये की (पिछला वर्ष 39.00 करोड़ रुपये) ऋणपत्र विमोचन आरक्षिति और 17.64 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष–17.94 करोड़ रुपये) की अन्य व्यापक आय शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने 707.75 करोड़ रुपये का लाभांश का भुगतान किया है और प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया है।

देयताएं

गैर–चालू देयताएं

विवरण	*31 मार्च 2021 तक*	*31 मार्च , 2020 तक*
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (नोट 22)	5023.41	3956.96
– गैर–चालू वित्तीय देयताएं (नोट 23)	28.11	25.38
अन्य गैर–चालू देयताएं (नोट 24)	796.53	821.97
प्रावधान (नोट 25)	190.37	190.85
कुल	***6038.42***	***4995.16***

गैर–वर्तमान–वित्तीय देयताएं – उधार (टिप्पणी 22)

31 मार्च, 2021 को उधारियां 5023.41 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह 3956.96 करोड़ रुपये थी और इसमें 1066.45 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, बांड सीरीज III और IV जारी करने के कारण 1560 करोड़ रुपये की उधारियां बढ़ गई है। उधारियों के अन्य स्रोत अर्थात् वित्तीय संस्थानों (घरेलू और विदेशी) से ऋण के मामले में, ऋण चुकौती के कारण इसमें 493.55 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है।

अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 23)

अन्य वित्तीय देयताओं में ठेकेदारों से जमा और प्रतिधारण राशि शामिल है और चालू वर्ष के लिए यह 28.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 25.38 करोड़ रुपये) है। इस प्रकार, इसमें 2.73 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि हुई है ।

अन्य गैर–चालू देयताएं (नोट 24)

अन्य गैर–चालू देयताओं में मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी), सिंचाई घटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान और प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि पर आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ शामिल हैं। एएडी और सिंचाई घटक के समायोजन के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में अन्य गैर–चालू देयताओं में 25.44 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है ।

गैर–चालू प्रावधान (नोट 25)

गैर–चालू प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के आधार पर प्रदान किए गए कर्मचारी हितलाभों के कारण हैं, जिन्हें तुलनपत्र की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद निपटाने की उम्मीद है। चालू वर्ष (पिछले वर्ष 190.86 करोड़ रुपये) के दौरान गैर–चालू प्रावधान 0.49 करोड़ रुपये से 190.37 करोड़ रुपये हो गए। इंड एएस–19 "कर्मचारी हितलाभ" के अनुसार प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 42.17 में दिए गए हैं।

4. चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च , 2020 तक
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (नोट 26)	700.00	1115.06
– व्यापार देय	25.07	22.03
– अन्य (नोट 27)	1001.19	891.54
अन्य चालू देयताएं (नोट 28)	142.95	94.26
प्रावधान (नोट 29)	341.63	279.47
चालू कर देयताएं (निवल) (नोट 30)	0.00	0.00
कुल	***2210.84***	***2402.36***

31 मार्च, 2021 और 2020 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान देयताएं क्रमशः 2210.84 करोड़ रूपये और 2402.36 करोड़ रूपये हैं। वर्तमान देयताओं में 7.97% की कमी आई है और मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है –

चालू – वित्तीय देयताएं – उधारिया (नोट 26)

इसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं से सुरक्षित और असुरक्षित अल्पावधि ऋण और बैंकों से प्राप्त ओवरड्राफ्ट सुविधा शामिल है। इसमें 415.06 करोड़ रुपये की कमी आई है जिससे यह 700.00 करोड़ (पिछले वर्ष 1115.06 करोड़ रुपये) हो गई हैं। यह कमी मुख्य रूप से एसटीएल की अदायगी और ओवरड्राफ्ट सीमा के कम उपयोग के कारण थी।

चालू – वित्तीय देयताएं – अन्य (नोट 27)

अन्य वित्तीय देयताएं जिनमें मुख्य रूप से तुलनपत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर देय दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता, कर्मचारियों के पारिश्रमिक

और हितलाभों के लिए देयताएं, अचल परिसंपत्तियों की खरीद/निर्माण के लिए देयताएं और जमा, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं शामिल हैं, में 109.65 करोड़ रुपये की वृद्धि होकर यह 1001.19 करोड़ (पिछला वर्ष रुपये 891.54 करोड़) हो गई है, वृद्धि का मुख्य कारण ठेकेदारों से जमा और प्रतिधारण आय में वृद्धि है।

अन्य चालू देयताएं (नोट 28)

अन्य चालू देयताओं में मुख्य रूप से मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम का वर्तमान अवधि में, बाद में जमा की गई अन्य वसूली और सिंचाई घटक का समायोजन शामिल है। वर्ष के अंत में अन्य वर्तमान देयताएं 142.95 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 94.26 करोड़ रूपये) थीं। इस प्रकार इसमें 48.69 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से अन्य वसूली में वृद्धि के कारण हुई।

चालू प्रावधान (नोट 29)

अल्पावधि प्रावधानों में बीमांकिक मूल्यांकन, प्रदर्शन संबंधित वेतन और संबंधित कार्यों के अनुसार बारह महीने के भीतर देय अनफंडेड कर्मचारी हितलाभ शामिल हैं। प्रावधान में वित्त वर्ष 2021 में 62.15 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिससे यह 341.63 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 279.48 करोड़ रुपये) हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान के कारण थी।

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष

वर्ष के अंत में आस्थगित खाता क्रेडिट शेष 550.23 करोड़ रुपये (पिछला वर्ष 618.63 करोड़ रुपये) है।

31.03.2021 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, आस्थगित कर परिसंपत्ति के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष मुख्य रूप से टिहरी ओ एंड एम यूनिट के मूल्यह्रास में कमी के कारण 68.40 करोड़ रुपये कम हो गया था ।

ग. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के समक्ष दावों के निम्नलिखित घटक हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	*निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार*	
	31.03.2021	*31.03.2020*
पूंजीगत कार्य	860.93	504.72
भूमि मुआवजा मामले	65.03	64.58
राज्य/केंद्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1106.88	713.48
अन्य	2789.17	2820.11
उपरोक्त क से घ के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य
विवादित कर मामले	8.90	8.23
कुल	***4830.91***	***4111.12***

आकस्मिक देयताओं में 719.79 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जल कर और हरित ऊर्जा उपकर से संबंधित दावा राशि में वृद्धि और कंपनी के समक्ष दावों पर ब्याज के कारण हुई।

घ. सहायक कंपनी का व्यवसाय और वित्तीय समीक्षा

सहायक कंपनियां

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने दिनांक 16.07.2020 और 26.07.2020 के अपने पत्र के माध्यम से अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आबंटित किया था। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के संगठनों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य यूएमआरईपीपी के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल के साथ जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरण ीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) को अभिचिह्नित किया। संयुक्त उद्यम के गठन के लिए 06.08.2020 को टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर 2000 मेगावाट सौर पार्क विकसित करने के लिए यूपीएनईडीए के साथ 74:26 में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स टस्को लिमिटेड का गठन किया है ।

ङ. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–110) के अनुसार तैयार किए गए हैं – “समेकित वित्तीय विवरण” इंड एएस –28 – सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश, इंड एएस –112 “अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण” और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं। कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़कर, इंट्रा–ग्रुप बैलेंस, इंट्रा–ग्रुप लेनदेन, अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त करने के बाद लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ा गया है।

कंपनी द्वारा उधार की मूल राशि की परिपक्वता प्रोफाइल

(रु. करोड़ मे)

विवरण	घरेलू उधार	विदेशी उधार	कुल
1 वर्ष तक	483.28	50.23	533.51
1 वर्ष से आगे और 3 वर्ष के भीतर	432.94	100.46	533.4
3 वर्ष से आगे और 5 वर्ष के भीतर	0	100.46	100.46
5 वर्ष से आगे और 10 वर्ष के भीतर	3650.00	251.15	3901.15
10 वर्ष से आगे	0	479.22	479.22
कुल	***4566.22***	***981.52***	***5547.74***

आपकी कंपनी को अगले 1 वर्ष में 533.51 करोड़ रुपये की अदायगी करनी है। अदा की जाने वाली राशि पीएफसी, आरईसी और पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है। इसी तरह, एक वर्ष के बाद लेकिन अगले तीन वर्षों के भीतर उधार की आगामी चुकौती 533.40 करोड़ रूपये है, जो पीएफसी, आरईसी, पंजाब नेशनल बैंक और विश्व बैंक से संबंधित है। तीन वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष के भीतर चुकौती की जाने वाली राशि 100.46 करोड़ रुपये है जो विश्व बैंक से संबंधित है। उसके बाद कॉरपोरेट बॉन्ड (श्रृंखला – I, II, III, IV) जारी करके जुटाए गए धन की अदायगी पांच वर्ष के बाद की जानी है, जो परिपक्वता की तारीख के आधार पर दस वर्ष तक बढ़ जाएगी। इस अवधि में चुकाई जाने वाली कुल राशि 3901.15 करोड़ रुपये है। और दस वर्ष के बाद 479.22 करोड़ रुपये की निर्धारित अदायगी विश्व बैंक से लिए गए उधार से संबंधित है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

आपकी कंपनी के अवसर एवं चुनौतियों बनाम मजबूती और कमजोरी का विश्लेषनात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है।

(क) मजबूती

- ***सुदृढ़ तकनीकी कौशल आधार***

क) *परियोजना कार्यान्वयनः* टीएचडीसीआईएल के पास जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास और संयंत्र प्रचालन के लिए मजबूत तकनीकी कौशल है। कुल संस्थापित क्षमता 1424 मेगावाट है। इसमें 1000 मेगावाट टिहरी बांध और एचपीपी (इसकी श्रेणी में दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध) शामिल है, जिसे इसकी तकनीकी जटिलताओं के लिए आई–कोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी, जिसे वर्ष में पीएमआई पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ परियोजना से सम्मानित किया गया था। संस्थापित क्षमता में 113 मेगावाट पवन और 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल हैं जो निर्धारित समय से पहले चालू हो गए हैं।

टिहरी एचपीपी और बांध (इसकी श्रेणी में दुनिया में तीसरा सबसे ऊंचा) सहित 1424 मेगावाट के तीन जल विद्युत संयंत्र, 113 मेगावाट के दो पवन ऊर्जा संयंत्र और 50 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही चालू है। टीएचडीसीआईएल ने विद्युत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और विशेषज्ञता साबित की है। इस अनुभव ने तकनीकी ज्ञान के विशेषज्ञ तैयार किए हैं और टीएचडीसीआईएल को विद्युत क्षेत्र में अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच असाधारण रूप से मजबूत तकनीकी आधार से युक्त कंपनी की स्थापना की है।

ख) *विद्युत संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षणः* अपने प्रचालनात्मक विद्युत संयंत्रों के आंतरिक प्रचालन और रखरखाव में प्राप्त विशाल अनुभव के साथ, टीएचडीसीआईएल ने विशेषज्ञता विकसित की है जिसके परिणामस्वरूप निरंतर निर्बाध गुणवत्ता वाली विद्युत उत्पादन और मानक मूल्यों से उच्च स्तर पर संयंत्र की उपलब्धता की उपलब्धि प्राप्त हुई है।

टीएचडीसीआईएल के दो प्रचालनात्मक जलविद्युत स्टेशनों (टिहरी एचपीपी और केएचईपी) ने 05.04.2020 को रात 9 बजे "प्रधानमंत्री जी द्वारा 09 मिनट स्विच ऑफ लाइट कॉल" के दौरान ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने एक त्वरित उत्पादन रैंप अप और रैंप डाउन का लचीलापन प्रदान किया।

- ***जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरणीय और पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जटिल मुद्दों को संभालने की क्षमता***

टीएचडीसीआईएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करता है। परियोजना निर्माण और संयंत्र प्रचालन के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार, सक्रिय दृष्टिकोण जटिलताओं को कम करता है और हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है।

एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दों से निपटने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ, टीएचडीसीआईएल ने नवीन टिहरी नगर (भारत के पहाड़ी क्षेत्र में एकमात्र नियोजित शहर) के विकास के साथ पुराने टिहरी नगर के पुनर्वास सहित टिहरी जल विद्युत परिसर के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया था। अनुभव और ज्ञानार्जन को वर्तमान में वीपीएचईपी और खुर्जा एसटीपीपी में कार्यान्वित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए, टीएचडीसीआईएल बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में विभिन्न पहल करके स्थानीय समुदायों की मदद कर रहा है।

- ***जटिल हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में अपवादिक इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल***

जल विद्युत परियोजनाएं आम तौर पर युवा हिमालयी क्षेत्र में स्थित होती हैं जहां जल विज्ञान बहुत जटिल है। वर्ष 2006–07 में टिहरी बांध एवं एचपीपी, वर्ष 2011–12 में कोटेश्वर एचईपी के शुरू हो जाने के बाद, सफलतापूर्वक भूवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करते हुए, 1000 मेगावाट टिहरी पीएसपी में विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, जहां सभी भूवैज्ञानिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक

सामना करने का प्रयास किया है। इंजीनियरिंग और निर्माण में इस समृद्ध अनुभव को उचित मान्यता मिल रही है और टीएचडीसीआईएल राज्य सरकारों को उनकी परियोजनाओं में विभिन्न इंजीनियरिंग परामर्श प्रदान कर रहा है।

- ***प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षण***

टीएचडीसीआईएल ने अपने प्रचालनरत संयंत्रों के आंतरिक प्रचालन और अनुरक्षण में बहुत अधिक अनुभव हासिल कर लिया है। संयंत्र के निष्पादन को अधिक से अधिक करने, कारगर ढंग से निगरानी करने, दुर्घटनाएं कम करने तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने की दिशा में लगातार काम करते हुए टीएचडीसीआईएल प्रभूत विशेषज्ञता प्राप्त की है। इससे सामान्य स्तर से काफी ज्यादा निरंतर निर्बाध गुणवत्तायुक्त विद्युत उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता की उपलब्धि प्राप्त हुई।

टीएचडीसी आईएल के दो प्रचालनरत जल विद्युत स्टेशनों टिहरी एचपीपी और केएचईपी ने दिनांक 05.04.2020 रात्रि 9.00 बजे ''प्रधानमंत्री के 09 मिनटों के बत्ती बुझाने के आह्वान'' के दौरान ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इसने त्वरित जनरेशन रैंप डाउन एवं रैंप अप का लचीलापन प्रदान किया क्योंकि उनके ऑन एवं ऑफ में बहुत कम समय लगता है।

- ***स्वचालित संयंत्र निगरानी***

संयंत्र की निगरानी एससीएडीए (पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आंकड़े अर्जन) प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। यह एक ऐसी स्वचालित पर्यवेक्षीय प्रणाली है जिसमें आरेखीय प्रयोक्ता अंतरानीक द्वारा समर्थित कप्यूटर एवं नेटवर्क आंकड़े संचार का उपयोग किया जाता है जिससे संयंत्रों का उच्च स्तरीय पर्यवेक्षीय प्रबंधन हुआ।

- ***सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल***

टीएचडीसीआईएल के पास अत्यधिक तकनीकी पेशेवर प्रबंधन टीम तथा सहायक स्टाफ की उत्कृष्ट टीम है जिसमें (31.03.2021 को) 1736 कर्मचारी थे।

- ***सुदृढ़ वित्तीय स्थिति***

वर्ष 2006–07 में टिहरी एचपीपी के प्रारंभ के समय से ही आपकी कंपनी लाभ कमाने वाली कंपनी है। संदत्त पूंजी से अधिक आरक्षित और अधिशेष निधि में कंपनी की भावी विस्तार क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधनों को निवेश करने का प्लेटफार्म प्रदान किया है।

- ***उच्च कर्मचारी प्रतिधारण दर***

टीएचडीसीआईएल में अत्यधिक कुशल एवं अनुभवी तथा प्रेरित कर्मचारियों का प्रतिधारण बहुत अधिक है।

ख. कमजोरियां

- ***डिस्कॉमों से बकाया राशि की धीमी वसूली***

(भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार डिस्कॉमों द्वारा एलसी खोलने के बावजूद, डिस्कॉमों की बकाया राशि, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

- जटिल हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजना होने के कारण भूगर्भीय चुनौतियां आती हैं जिनके परिणामस्वरूप विलंब होता है और समय एवं लागत में बढ़ोत्तरी होती है जिससे प्रशुल्क (टैरिफ) में बढ़ोतरी होती है।
- निर्माणपूर्ण की अवधि में बहुत अधिक समय लगता है, जो जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।
- संभाव्य अवसरों को प्राप्त करने में विलंब।
- आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां
- ***प्राकृतिक संघर्षण***–कंपनी में बड़ी संख्या में अनुभवी कार्मिक वर्ष 2024–25 तक सेवानिवृत्ति हो जाएंगे, जो कंपनी में ज्ञान के अभाव की स्थिति पैदा करेगा। समय से और पर्याप्त भर्ती, ज्ञान के अभाव की स्थिति को रोकने में कंपनी की मदद कर सकेगी।

ग. अवसर

- ***अत्यधिक अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता एवं अस्थिर नवीकरणीय इंजेक्शन का बढ़ता हुआ भाग:***

भारत में जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभावना है जो अप्रयुक्त है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिए जाने से ग्रिड को शीर्षतम सहायता प्रदान करने के लिए और अधिक जल विद्युत/पंप स्टोरेज संयंत्र

के त्वरित कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होता है।

- ***अन्य देशों में अवसर:*** भारत के बाहर व्यापार के विकास की भारी संभावना है, विशेषकर नेपाल और भूटान जैसे उन देशों में जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है। अपने व्यापारिक विकास को मजबूत करने और अपनी भौगोलिक पहुंच में विस्तार करने के लिए अन्य फर्मों के साथ सहयोग कर संभाव्यतायुक्त बाजार विकसित किए जा सकते हैं।

- ***रणनीतिक विविधीकरण***

  टीएचडीसीआईएल ने पहले ही भारत में परंपरागत (तापीय) और गैर–परंपरागत (पवन तथा सौर) स्रोतों का विविधिकरण किया है तथा विदेशों में ऐसे ही अवसरों की संभावना तलाश रहा है।

  - ***ताप विद्युत:*** 1320 मेगावाट का खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2024–25 तक तैयार हो जाएगा जिसकी वार्षिक क्षमता 9828 एमयू है।

  - ***पवन विद्युत:*** पहले ही 113 मेगावाट की दो पवन विद्युत परियोजनाएं शुरु की जा चुकी हैं। अन्य परियोजनाओं के लिए आगे विचार किया जा रहा है।

  - ***सौर विद्युत:*** टीएचडीसीआईएल ने कासरगोड, केरल में 50 मेगावाट सौर पीवी परियोजना 10 वर्ष के ओएंडएम के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को चालू की और 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय को समर्पित की गई।

  - पवन, सौर और ताप विद्युत में सफलतापूर्वक उद्यम करने के बाद, एसपीवी के माध्यम से यूएमआरईपीपी के विकास के अवसरों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी के निष्पादन के साथ–साथ, राजस्थान राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम के गठन के जरिए 1500 मेगावाट यूएमआरपीपी विकसित किया जाएगा।

  - ***इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी:*** उत्तराखंड/हिमांचल राज्य सरकारों को भारी बारिश के कारण पहाड़ी ढलानों को सुधारने में अधिक इंजीनियरिंग परामर्श प्रदान करने का अवसर है। पुरानी पहाड़ी ढलान स्थिरीकरण को सुधारने में उपलब्ध विशाल विशेषज्ञता और अनुभव के साथ, टीएचडीसीआईएल ने अन्य सरकारी संगठनों के लिए विभिन्न परामर्श परियोजनाओं और इंजीनियरिंग समाधानों को पूरा किया है और बहुत–से अन्य पाइपलाइन में हैं।

घ. *चुनौतियां*

- ***जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध:*** पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर स्थानीय समुदाय के निहित स्वार्थों के आधार पर विद्युत क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होते है।

- ***जटिल प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने में समय लगना:*** विद्युत क्षेत्र की सभी कंपनियों को ज्ञात है कि पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के भारत सरकार के कठोर मानदंड और जटिल प्रक्रिया होने करने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है।

  इसके अतिरिक्त प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ई–फ्लो में वृद्धि के जोखिम होते हैं जिनके कारण व्यवहार्यता अध्ययन/अन्वेषणों पर भारी व्यय के बाद भी परियोजना छोड़ने का खतरा बना रहता है।

- ***जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया:*** अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें काफी समय लगता है। वास्तव में परियोजना उस समय एवार्ड की जानी चाहिए जब सभी सांविधिक अनुमति प्राप्त हो गई हो, 80% भूमि अधिग्रहण कर ली गई हो।

- ***हाइड्रो क्षेत्र के सिविल ठेकेदारों की खराब वित्तीय स्थिति:*** भारत में हाइड्रो क्षेत्र के अनुभवी ठेकेदारों को नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जो परियोजना निर्माण में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

- ***प्राकृतिक आपदाएं और भौगोलिक अनिश्चितताएं:*** चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए भूस्खलन पर्वतीय ढलानों के बह जाने, सड़कों के अवरूद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जटिल और नए हिमालयी क्षेत्र में भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएं निर्माण गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करती हैं।

  ये प्राकृतिक आपदाएं और भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएं, निर्माण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिससे समय और लागत में भारी वृद्धि होती है जिससे अंततः टैरिफ बढ़ जाता है।.

- ***कुशल कामगारों की कमी की समस्या:*** कोविड–19 लाकडाउन के कारण परियोजना में काम कर रहे मजदूर अपने मूल निवास स्थानों/गृह नगर वापिस जा रहे हैं, जिसके कारण कोविड–19 लाकडाउन में ढील दिए जाने पर भी कार्यस्थल कार्य की गति को गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुआ है।

- ***राज्य डिस्कामों की खराब वित्तीय स्थिति:*** विद्युत प्रापण, विशेषकर महंगी टाइड अप बिजली के लिए डिस्कॉमों द्वारा समय पर भुगतान न कर पाना। तथापि सरकार द्वारा कोविड–19 लाकडाउन के दौरान इस मामले में कुछ कदम उठाए गए हैं/पहलें की गई हैं।

- ***बाजार की बदलती परिस्थितियां:*** सस्ते दर पर लघु अवधि बाजार में विद्युत की उपलब्धता।

- ***विनियामक जोखिम:*** एक बड़ा जोखिम यह है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों में समय–समय पर परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह और प्रचालनात्मक लाभ प्रभावित हो सकते है।

भावी दृष्टिकोण:

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पहचान अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है ताकि सतत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। चूंकि भारत एक कोविड–प्रेरित मंदी से उबर रहा है, ऊर्जा विकास के बेहतर तरीके के बारे में सोचने का यह उचित समय है। अगले बीस वर्षों में बिजली की मांग में वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत को अपनी प्रणाली में यूरोपीय संघ के आकार की एक विद्युत प्रणाली को जोड़ने की आवश्यकता होगी।

एक विस्तारित अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और औद्योगीकरण का मतलब है कि भारत में वर्ष 2040 तक हमारे सभी परिदृश्यों में ऊर्जा मांग में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बड़ी वृद्धि होगी। भारत की बिजली की मांग इसकी समग्र ऊर्जा मांग की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। भारत के बैटरी भंडारण में वैश्विक अग्रणी बनने से, बिजली क्षेत्र में परिवर्तन की गति मजबूत ग्रिड और लचीलेपन के अन्य स्रोतों को लाभान्वित करती है। निकट भविष्य में, भारत का बड़ा ग्रिड और जल विद्युत और गैस–संचालित क्षमता की सहायता के साथ इसके कोयला–संचालित विद्युत फ्लीट भारत की लचीलेपन की अधिकांश जरूरतों को पूरा करते हैं। अगले दो दशकों में सड़क परिवहन के लिए ऊर्जा की मांग दोगुने से अधिक होने का अनुमान है। इसके विपरीत, सतत विकास परिदृश्य में, विद्युतीकरण पर और अधिक बल देना होगा।

सबको 24×7 बिजली उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की पहल, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की योजना के पटरी पर आने की संभावना है, पंप भंडारण जल विद्युत ऊर्जा को महत्व प्राप्त होने की संभावना है और यह सिस्टम आपरेटर को भिन्न–भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने का प्रबंधन करेगी। आगामी वर्षों में स्वच्छ पर्यावरण के लिए तापीय परिसंपत्तियां में उत्सर्जन मानकों को पूरा करने तथा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) में निवेश पर नए सिरे से बल दिया जाएगा।

आपकी कंपनी चल रही परियोजनाओं में निर्माण में तेजी लाने और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टीएचडीसीआईएल, खुर्जा में अपनी ताप विद्युत परियोजना (1320 मेगावाट) पर गम्भीरता से ध्यान केंद्रित कर रहा है। टीएचडीसीआईएल ने वर्ष के दौरान परियोजना के संबंध में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। टीएचडीसीआईएल 2024–25 में उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा में 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल विद्युत संयंत्र को चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है। रणनीतिक व्यापार विविधीकरण योजना के तहत, टीएचडीसीआईएल ने ऊर्जा के पारंपरिक/गैर–पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और पवन के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र में विशेष परामर्श

सेवाएं प्रदान करने में भी विविधता लाई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने टीएचडीसीआईएल को एसपीवी/जेवीसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट और राजस्थान में 1500 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क विकसित करने के लिए आबंटित किया है। उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी के विकास के लिए 74:26 के अनुपात में टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की इक्विटी भागीदारी के साथ टस्को नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है।

इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल राजस्थान राज्य में 1500 मेगावाट यूएमआरईपीपी के विकास के लिए राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम के गठन की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2025 तक 4300 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता और वर्ष 2030 तक 6000 मेगावाट प्राप्त करने की हमारी पोषित दृष्टि को पूरा करने के लिए योजना के एक भाग के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने गहन रणनीति तैयार की है जिसमें विकास के लिए जैविक और अजैविक दोनों तरीके शामिल हैं।

वर्ष 2030 तक भारत सरकार द्वारा 500 जीडब्ल्यू के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना के साथ कंपनी का भावी दृष्टिकोण कंपनी के सतत विकास को गति देना है। जिसके लिए कंपनी को आवश्यकता है:—

- और अधिक समय और लागत वृद्धि के बिना टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) और वीपीएचईपी (444 मेगावाट) के निर्माण कार्य में तेजी लाकर उसे पूरा करना।
- कंपनी की समग्र व्यापारिक विकास गतिविधियों में भारी वृद्धि करना।
- डिस्कामों की बकाया देनदारियों में कमी लाने पर पर्याप्त ध्यान देना।
- उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मेगा सोलर पार्कों के विकास में तेजी लाना। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों में सोलर पार्कों के विकास की संभावना तलाशना।
- भूटान में बुनाखा एचईपी के लिए कार्यान्वयन करार करने हेतु भारत सरकार को समझाना।
- उत्तराखंड तथा देश के अलग—अलग भागों में हरित और अप्रयुक्त जल विद्युत स्रोतों की संभावना तलाशना।
- जैव—रणनीतिक पहुंच के लिए भारत सरकार के द्वारा बल दिए जाने के अनुरूप शेष विश्व में व्यापार की संभावनाओं की तलाश करना।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – IV

ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण एवं समावेश विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण उपाय

ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबंधन उपाय ऊर्जा की चरम और औसत मांग को घटा सकते हैं। संरक्षित ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और इसके संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायक है। मार्जिन में ऊर्जा संरक्षण में निवेश ऊर्जा आपूर्ति में निवेश बेहतर प्रतिफल देता है।

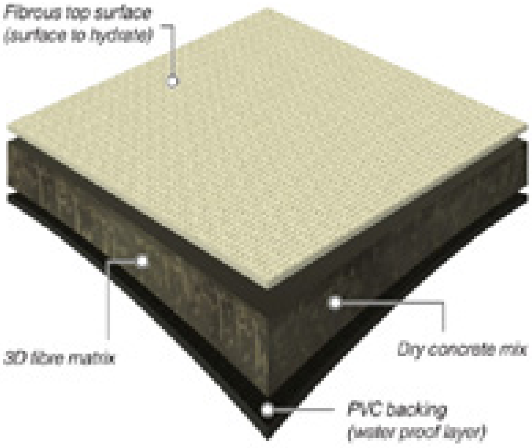

टीएचडीसीआईएल का विद्युत की मांग कम करने के लिए इसके दक्षतापूर्वक उपयोग में विश्वास है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी बेहतर प्रचालन और अनुरक्षण प्रथाओं के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने की निरंतर प्रक्रिया में लगी हुई है और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रभावी उपाय भी किए हैं और उपायों के परिणामस्वरूप बिजली, ईंधन और कोयले की कम खपत हुई है/होगी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ऊर्जा की बचत हुई है/होगी।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए:–

ऊर्जा संरक्षण के प्रभाव के लिए किए गए उपाय	(i) टीएचडीसीआईएल की सभी टीएचडीसीआईएल इकाइयों में सड़क लाइटों सहित पुराने बल्बों को बदलने का काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित टिहरी एवं कोटेश्वर में 90% कार्य पूरा हो गया है। (ii) टीएचडीसीएआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालीय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी बिजली उपकरणों के बदलने का कार्य पूरा हो चुका है। (iii) 500 कि.वा. रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान यूपीसीएल द्वारा 2.67 लाख रूपए की ऊर्जा की आपूर्ति अपनी स्वयं की खपत के अतिरिक्त नौ माह तक ग्रिड को निर्यात की आपूर्ति करने के लिए दी गई है। (iv) सभी नए गैर आवासीय परिसरों में एलईडी प्रकाश के प्रावधान हैं। (v) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया। (vi) गैर आवासीय भवनों में स्टार स्तर के एसी लगाए गए हैं तथा बिना सितारा रेटिंग वाले एसी को पांच सितारा रेटिंग वाले एसी से बदला गया। (vii) अतिथि गृह के प्रत्येक कमरे में और महाप्रबंधक/विभागाध्यक्षों में कार्यालय में की फॉब स्विचिंग की गई है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम;	पार्क क्षेत्र में लाइटिंग और कार्यालय और रिहायशी क्षेत्र की फेंसिंग सौर प्रणाली से की गई है। सभी नए भवनों में दिन के उजाले का उचित उपयोग करने के लिए दिन के उजाले की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने और नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर स्थापित किया गया है। उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से यूनिटों की खपत में 10–13% की कमी आई है। कंपनी अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एलईडी लैंप के उपयोग और ऊर्जा का कुशल उपयोग कर रही है और इसका प्रचार कर रही है।
ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश;	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई बड़ा निवेश नहीं किया है

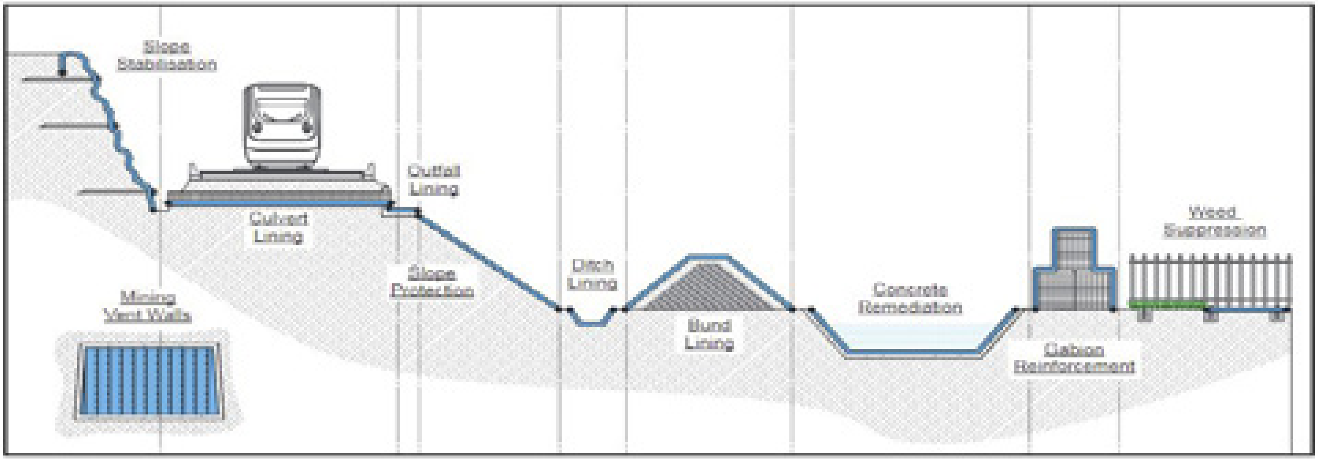

कार्यालय परिसर और अतिथिगृहों में लगभग 619 एसी काम कर रहे हैं, जिसमें से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 509 एसी को स्टार स्तर के एसी में बदला गया। विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान शेष एसी को भी स्टार स्तर के एसी से बदले जाने की योजना है।

पारंपरिक लिंक लीवर आधारित गवर्नर के स्थान पर टिहरी पीएसपी, ढुकवां एसएचईपी और वीपीएचईपी परियोजनाओं में सर्वो वाल्व गवर्नर सिस्टम को अपनाना

पारंपरिक ईएचटी आधारित इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर्स का उपयोग भारत के अधिकांश जलविद्युत संयंत्रों में किया गया है, जिसमें टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी शामिल हैं। पारंपरिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की प्रगति और सीमाओं के साथ, टीएचडीसीआईएल ने टिहरी पीएसपी, ढुकवां एसएचईपी और वीपीएचईपी के लिए अत्याधुनिक सर्वो वाल्व आधारित गवर्निंग सिस्टम का उपयोग किया है। यह तकनीक तेजी से प्रतिक्रिया, स्थिर प्रचालन और उच्च सटीकता प्रदान करती है। इस प्रणाली में नो लिंक लीवर व्यवस्था है जो प्रचालन को सटीक और स्थिर बना देता है। इसके अलावा, यांत्रिक लिंक की अनुपस्थिति के कारण इसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। फिल्टर की बार–बार सफाई की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इस प्रकार के सर्वो वाल्व आधारित गवर्नर में उच्च ग्रेड फिल्टर्ड तेल का उपयोग किया जाता है।

इस डिजाइन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टर्बाइन के सभी प्रमुख विनिर्माताओं द्वारा अपनाया जा रहा है।

ख. तकनीकी नवाचार, अनुकूलन एवं आमेलन

1. कंक्रीट कैनवास (सीसी)/(जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट)

(i) ***प्रकार्यः*** कंक्रीट कैनवास (सीसी), एक लचीला, ठोस अंतर्भरित कपड़ा है जो हाइड्रेटेड होने पर कठोर हो जाता है और एक पतली, टिकाऊ, जलरोधी और अग्निरोधी कंक्रीट परत बनाता है। कंक्रीट कैनवास कंक्रीट को संयंत्र या मिश्रण उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह सतह पर स्थित होता है और पानी के साथ मिलाया जाता है। कंक्रीट कैनवास में एक 3–आयामी फाइबर मैट्रिक्स होता है जिसमें विशेष रूप से तैयार सूखा कंक्रीट मिश्रण होता है। कैनवास की एक सतह पर एक पीवीसी की परत यह सुनिश्चित करती है कि सामग्री पूरी तरह से जलरोधी है। सामग्री को या तो छिड़काव करके या पूरी तरह से पानी में डुबो कर हाइड्रेटेड किया जा सकता है। एक बार सेट होने के बाद, फाइबर कंक्रीट को मजबूत करते हैं, दरार के प्रसार को रोकते हैं और सुरक्षित प्लास्टिक फेल्योर मोड प्रदान करते हैं।

(ii) ***अनुप्रयोगः*** कंक्रीट कैनवास का उपयोग आमतौर पर अपरदन नियंत्रण, उपचार और निर्माण अनुप्रयोगों के लिए पारंपरिक कंक्रीट (इन–सीटू, प्रीकास्ट या स्प्रेड) के स्थान पर किया जाता है। कंक्रीट कैनवास 3 मोटाई – सीसी5, सीसी8 और सीसी13 में – उपलब्ध हैः, जो क्रमशः 5, 8 और 13 मिमी मोटे होते हैं। कंक्रीट कैनवास हाइड्रो, जिसमें एक पीवीसी बैकिंग झिल्ली शामिल है, हाइड्रोकार्बन अनुप्रयोगों के लिए भी उपलब्ध है। यह तीन प्रारूपों में, मैन पोर्टेबल बैचेड रोल्स, बल्क रोल्स और वाइड रोल्स भी उपलब्ध है। कंक्रीट कैनवास का उपयोग विभिन्न प्रकार की सिविल अवसंरचना, अर्थात चैनल/डिच लाइनिंग, ढलान संरक्षण और स्थिरीकरण, बंड लाइनिंग, कंक्रीट रेमेडिएशन, वीड दमन, कल्वर्ट लाइनिंग, आउटफॉल/स्पिलवे प्रोटेक्शन, गेबियन प्रोटेक्शन, माइनिंग वेंट वॉल, पाइप प्रोटेक्शन आदि के अनुप्रयोगों में किया जाता है।

(iii) ***कंक्रीट कैनवास के गुण/प्रकारः विभिन्न मोटाई के कंक्रीट कैनवास निम्नानुसार उपलब्ध हैं;***

उत्पाद मोटाई (मिमी)	रोल चौड़ाई (मीटर)	सूखा भार (किलो/वर्गमीटर)	थोक रोल कवरेज (वर्गमीटर)	थोक रोल लंबाई (मीटर)	घनत्व (अनसेट) (किलो/घनमीटर)	घनत्व (सेट) (किलो/घनमीटर)
5	1.0	7	200	200	1500	+30-35%
8	1.1	12	125	114	1500	+30-35%
13	1.1	19	80	73	1500	+30-35%

(iv) ***कंक्रीट कैनवास का चयन:***

- ***खाई की परत:*** आमतौर पर 8 मिमी मोटे कंक्रीट के कैनवास की सिफारिश की जाती है, जब तक कि निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति मौजूद न हो:
  - 5 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग मौजूदा कंक्रीट चैनलों, कठोर सब्सट्रेट जैसे रॉक, या अस्थायी कार्यों के लिए किया जा सकता है।
  - 13 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है जहां प्रवाह की गति 8.6 मीटर/सेकेंड से अधिक हो, भूमि पर भारी यातायात हो या विशेष रूप से अस्थिर या खड़ी हो।
- ***ढलान संरक्षण:*** 5 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है, जब तक कि जमीन अस्थिर न हो या उच्च प्रवाह की स्थिति मौजूद न हो। ऐसे मामलों में, 8 मिमी मोटे कंक्रीट के कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।
- ***आउटफॉल्स/स्पिलवे:*** सामान्य तौर पर 8 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। हालांकि, उच्च स्तर के मलबे के साथ या उच्च प्रवाह की स्थिति के मामले में, 13 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।
- ***कंक्रीट उपचार:*** सामान्य परिस्थितियों में 5 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। हालांकि, 8 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है जहां दरार बड़ी होती हैं या अंतिम उपयोग में उच्च प्रवाह दर शामिल होती है।
- ***खरपतवार दमन:*** 5 मिमी मोटे कंक्रीट के कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।
- ***पुलिया अस्तर:*** सामान्य परिस्थितियों के लिए 8 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। 13 मिमी मोटी का उपयोग उच्च प्रवाह स्थितियों या उच्च स्तर के मलबे के लिए किया जा सकता है। कम प्रवाह की स्थिति और मलबे के निम्न स्तर के लिए 5 मिमी मोटी का उपयोग किया जा सकता है।
- ***बंड अस्तर:*** 5 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। भारी यातायात वाले क्षेत्रों के लिए 8 मिमी या 13 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।

(v) ***संस्थापन प्रक्रियाविधि:*** कंक्रीट कैनवास मैन पोर्टेबल रोल में उपलब्ध है जो साइट पर संयंत्र की आवश्यकता को समाप्त करता है और सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में कंक्रीट स्थापना की अनुमति देता है। जलयोजन से पहले, उच्च जोखिम वाले वातावरण में बिजली उपकरणों के उपयोग से जुड़े खतरों को समाप्त करने वाले बुनियादी हैंड टूलों का उपयोग करके कंक्रीट कैनवास परतों को लंबाई में काटा जा सकता है। कंक्रीट पूर्व–मिश्रित है इसलिए मिश्रण, मापने या कॉम्पैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा पानी डाले। एक बार हाइड्रेटेड होने के बाद, सीसी, ठंडी जलवायु में लगभग 1–2 घंटे तक कार्य करने योग्य रहता है। गर्म मौसम में, कार्य करने का समय कम हो सकता है। सीसी 24 घंटे में अपनी 28 दिन की क्षमता के 80: तक सख्त हो जाएगा और उपयोग के लिए तैयार है।

(vi) ***अनुकूलन:*** प्रणाली को 50 मीटर पट्टी में एक पायलट परियोजना के रूप में चिन्यालीसौर– प्राथमिकता–IV– निर्माण कार्यों में ऊर्ध्वाधर ढलानों पर संस्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।.

2. वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली

परियोजना में अब अत्याधुनिक "वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली" शामिल की गई है। जल कुण्ड स्तर एवं इसमें जल भरने की मात्रा की छह घंटे पूर्व का अनुमान जारी किया जा रहा है। यह पूर्वानुमान जनव्यापी रूप से उपलब्ध है। कोई भी इसकी वेबसाइट यूआरएल 117.239.95.84 के माध्यम से देख सकता है।

इस प्रणाली के प्रथम चरण में टिहरी जल भराव क्षेत्र गंगोत्री तक 11 एडब्ल्यूएस (ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन) एवं 4 ऑटोमैटिक नदी स्तर एवं डिस्चार्ज रडार सेंसर संस्थापित किए गए हैं। बारिश, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, हवा की गति, सौर संवहन और वायुमंडलीय दबाव आंकड़े आटोमैटिक सेंसरों के जरिए एकत्र किए जाते हैं और डाटा लाग में एकत्र किए जाते हैं। बांध के ऊपर स्थित अर्थ स्टेशन को जीपीआरएस/जीपीएस प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को आईआईटी, रूड़की एवं टीएचडीसी, ऋषिकेश के डिजाईन विभाग में स्थित मॉडलिंग केंद्रों द्वारा प्रदत्त वेबसाइट के माध्यम से देखा जाता है। इनको संसाधित करने और मॉडलिंग के बाद पूर्वानुमान जारी किया जाता है और प्रशासनिक एवं इंजीनियरिंग प्राधिकारियों को प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग भारत में पहली बार किया जा रहा है। जब जलाशय का स्तर एफआरएल के पास होता है तो इससे उस समय की जानकारी मिलती है जिससे बांध प्राधिकारी इस पर निर्णय ले सकते हैं। उन स्थानों पर जल को फैलाकर 2 से 3 मीटर कंजर्वेशन स्थान को बाढ़ स्थान में और विलोमतः परिवर्तित किया जा सकता है। लीड टाइम रचना का उपयोग कर अतिरिक्त उर्जा पैदा की जा सकती है।

दूसरे चरण में कुछ और एडब्ल्यूएस और स्वचालित नदी स्तर और डिस्चार्ज सेंसर संस्थापित किए जाएंगे। जहां मोबाइल सिग्नल उपलब्ध नहीं हैं, वहां वीएसएटी प्रौद्योगिकी के जरिये आंकड़े प्रेषित किए जायेंगे। फोरकास्ट प्रेसीपिटेशन माडल का उपयोग बढ़ाया जाएगा और 12, 24 तथा 48 घंटे पूर्व पूर्वानुमान प्रकाशित किया जाएगा।

संस्थापन दृश्य

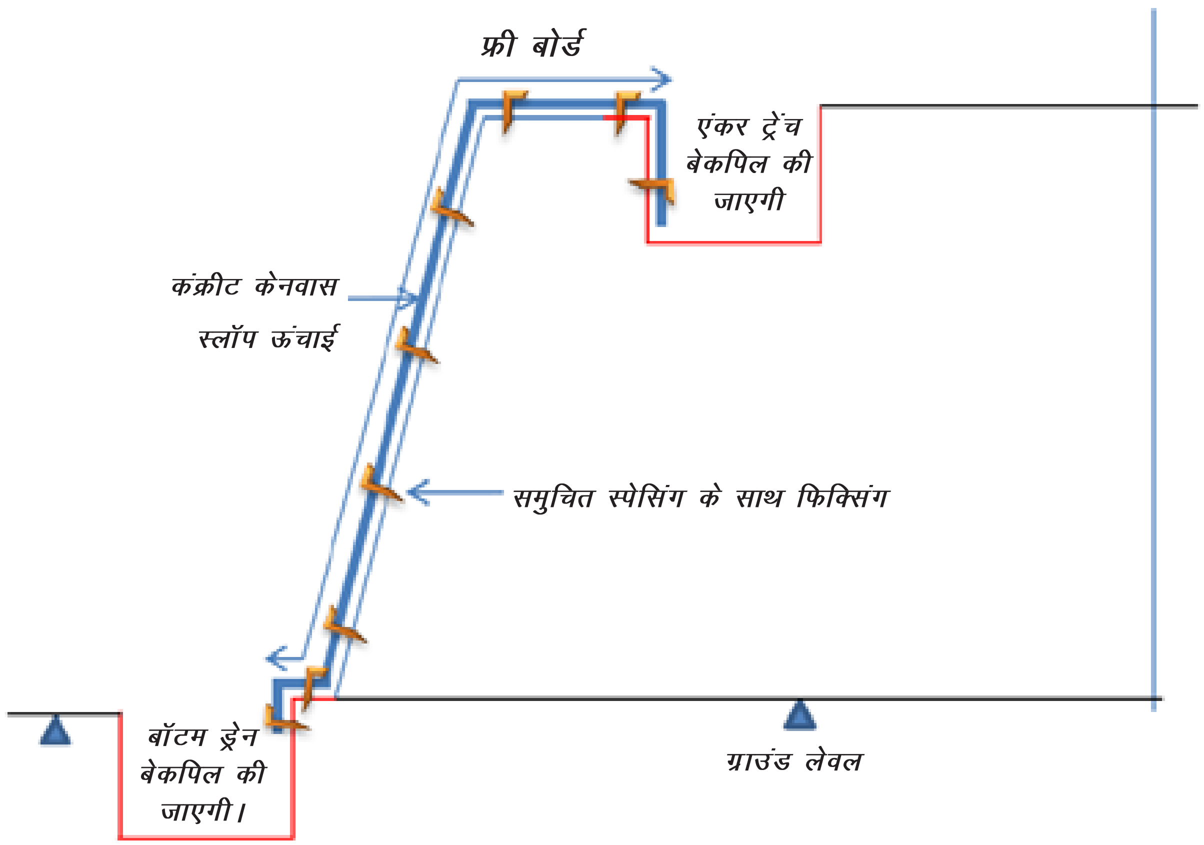

3. अंकीय उत्थान प्रतिमान

अंकीय उत्थान प्रतिमान, संख्यात्मक आंकड़ों की फाइल है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र की भूमि की सतह पर किसी निर्धारित ग्रिड अंतराल की भौगोलिक सतह का उत्थान शामिल होता है। अंकीय उत्थान प्रतिमान (डीईएम) का उपयोग अनेक अनुप्रयोगों जैसे जलीय, मॉडलिंग, रेल, सिविल इंजीनियरिंग, व्यापक स्तर के मानचित्रण एवं दूरसंचार में भूमि की सतह को दर्शाने के उपकरण के रूप में किया जाता है।

बोकांग बैलिंग एच.पी.पी. में पहुंच पाना सीमित है। इस स्थान पर क्षेत्र का सर्वेक्षण अंकीय उत्थान प्रतिमान का उपयोग करके 15 मी. की सटीकता के साथ किया गया है।

4. सेल्फ ड्रिलिंग होलो सॉयल/रॉक एंकर (एसडीआरए)

काफी समय से रोक एंकरों/बोल्टों का उपयोग सुरंगों, ढालों में खुदाई को सहारा देने/स्थिरता प्रदान करने या स्थायी प्रतिधारण दीवारों या बुनियाद पर उठाने वाली शक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम केस युक्त या केस रहित वेधन प्रणाली के साथ संस्थापित किया जाता है जिससे सतह पर बोरहोल बनाया जा सके जिसमें सहारा देने/स्थिर बनाने के लिए एंकर घटक (बार या स्ट्रैंड) अंतःस्थापित किए जाएं और पतले मसाले के जरिए उसके बाद रखे जाएं।

हाल ही में ''सेल्फ ड्रिलिंग होलो सॉयल/राक एंकर्स'' रिइनफोर्समेंट प्रणाली सहारा देने/स्थिर बनाने के लिए व्यापक तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है क्योंकि यह सिस्टम ढीले और अत्यधिक भार से लदे और क्षतिग्रस्त चट्टानों की सतहों के लिए उपयुक्त होता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों का बुनियादी अनुप्रयोग मृदा/चट्टान की स्थितियों के अंतर्गत संस्थापन होता है जिसमें ड्रिल बिट के खिंचने के कारण ड्रिल होल के धराशायी होने का खतरा नहीं होता जैसा कि एंकर संस्थान प्रक्रिया की पूर्व प्रक्रिया में होता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों को पुराने रॉड एंकरों (कंपलिंग नटों से जुड़े) से अधिक लंबाई में संस्थापित किया जा सकता है। सेल्फ–ड्रिलिंग तकनीक में रिइनफोर्समेंट के प्लेसमेंट के साथ सिंगल पास में फंसाना होता जिसमें ग्राउंड स्थितियों में केजिंग करने की आवश्यकता नहीं होती जिसमें बोरहोलों के धराशायी होने का खतरा रहता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकर में सेक्रीफाइसल ड्रिलबिट समुचित बाहरी और भीतरी व्यास का खोखला स्टील बार और कंपलिंग नट होते हैं।

एंकर बाडी खोखली स्टील ट्यूब की बनी होती है जिसके बाहरी हिस्से में राउंड थ्रेड होता है। स्टील, ट्यूब में एक सिरे पर होता है और समनुरुपी नट स्टील एंड वाली प्लेट में होता है। सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि खोखली स्टील बार (रॉड) के शीर्ष पर समनुरुपी सैक्रीफाइसल ड्रिल बिट होता है न कि क्लासिक ड्रिल बिट। खोखला स्टील बार, रोटरी पर कर्सिव ड्रिलिंग के माध्यम से आवश्यक गहराई तक चालित किया जाता है। खोखले स्टील बार के जरिए सीमेंट ग्राउट का इंजेक्शन बढ़ाया जाता है। इंजेक्शन का मिश्रण सेक्रीफाइसल ड्रिल बिट के होल तक बहता है और वेधित छेद (होल) को स्वतः स्थिर बना देता है। 2.0, 3.0 या 4.0 मीटर की मानक लंबाई के सेक्शन एसडीआरए में उपलब्ध है। खोखले स्टील बारों के मानक बाहरी व्यास 30.0 मि.मी. से 127.0 मि.मी. के बीच होता है। यदि आवश्यक हो तो खोखले स्टील बारों को कपलिंग नटों के साथ जारी रखा जाता है। मृदा या राक मास की प्रकृति के आधार पर भिन्न–भिन्न प्रकार के सेक्रीफाइसल ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। समान क्रास सेक्शनल क्षेत्र वाले सालिड बार की अपेक्षा खोखला स्टील बार बेहतर होता है क्योंकि बकलिंग, परिधि (बांड एरिया) और बेंडिंग

स्टिफनेस की दृष्टि से इसकी बेहतर संरचनात्मक प्रकृति होती है। समान स्टील की मात्र (सामग्री की लागत) के लिए अधिक बकलिंगऔर फ्लेक्सुरल स्थिरता आती है।

इस सिस्टम का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड का परामर्शदाता होने के कारण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजभवन, नैनीताल के कमजोर ढालों पर कार्य के प्रथम चरण के दौरान किया गया था और इसे सफलतापूर्वक संस्थापित कर दिया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(रू. करोड़ में)

	विवरण	2020–21	2019–20
क	***विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)***		
	यात्रा	0.01	0.29
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	2.11	1.82
	ऋण एवं ब्याज की चुनौती	48.67	46.57
	वस्तुओं का आयात	42.70	57.31
	अन्य	62.63	0.00
	कुल	***156.12***	***105.98***
ख	***विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)***		
ग	***सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य***		
i)	पूंजीगत वस्तुएं	47.01	59.57
ii)	अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे	0.00	0.00
	कुल	47.01	59.57
घ	***खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य***		
i)	आयातित	0.10	0.02
	(%)	2.43%	0.22%
ii)	स्वदेशी (रू. लाख में)	3.97	7.00
	(%)	97.57%	99.78%
ङ.	***निर्यात का मूल्य***	–	–

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–V

व्यापार उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2020–21

खंड–क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

1 कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन यू45203यूआर1988जीओआई00982

2 कंपनी का नाम : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

3 पंजीकरण का वर्ष : 1988

4 पंजीकृत पता : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल

5 कॉरपोरेट पता : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखंड

6 ई मेल आई डी: : cmd@thdc.co.in

7 दूरभाष संख्या : 0135–2473204

8 वेबसाइट : www.thdc.co.in

9 जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है: 2020–21

10 उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं: लागू नहीं

11 संदत्त पूंजी: 3665.88 करोड़ रूपये (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)

12 उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:

श्री. पी.के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी),

गंगा भवन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, बाईपास

रोड, ऋषिकेश

(ईमेल– pkaggarwal@thdc.co.in

दूरभाष– 0135–2473204)

13. रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है): समेकित

I. उत्पाद और सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री	100

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	विद्युत शक्ति	3510	100

II. प्रचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों/निर्माणाधीन/विकास परियोजनाएं की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	15	10 (परियोजना कार्यालयों के अलावा)	25
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

17. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन में लगी हुई है। राज्यों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	11
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण–

उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों, गुजरात और केरल को बिजली की आपूर्ति की जाती है।

III. *कर्मचारी*

18. *वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:*

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)
	कर्मचारियों					
1	स्थायी (घ)	842	793	94.18	49	5.82
2	स्थायी के अलावा (ङ)	6	4	66.66	2	33.33
3	*कुल कर्मचारी (घ + ङ)*	848	797	93.98	51	6.02
	कामगार					
4	स्थायी (च)	894	837	93.62	57	6.38
5	स्थायी के अलावा (छ)	4030	3819	94.76	211	5.24
6	*कुल कामगार (च + छ)*	4924	4656	94.56	268	5.44

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)
	दिव्याग कर्मचारी					
1	स्थायी (घ)	11	10	90.91	1	9.09
2	स्थायी के अलावा (ङ)	उपलब्ध नहीं				
3	*कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)*	11	10		1	
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	21	18	85.71	3	14.29
5.	स्थायी के अलावा (छ)	लागू नहीं				
6.	*कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)*	21	18		3	

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्वः

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	8	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33

20. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

		वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2018–19 (पिछले वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	सेवानिवृत्त	22	0	**22**	15	1	**16**	13	0	**13**
	इस्तीफा दिया	5	1	**6**	8	3	**11**	7	1	**8**
स्थायी कामगार	सेवानिवृत्त	59	7	**66**	35	7	**42**	45	3	**48**
	इस्तीफा दिया	0	0	**0**	0	0	**0**	13	1	**14**

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	धारक / सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या/ धारक/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी	74.49	हां
2.	टस्को लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)

(ii) कारोबार (रुपये में):– (कुल राजस्व)– 2501.93 करोड़ रुपए

(iii) नेट वर्थ (रुपये में):– 9917.43 करोड़ रुपये

VI. *पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन*

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवादः

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां , तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	i. वीपीएचईपी (हां) (आर एंड आर) (ऑफलाइन रजिस्टर एंट्री) ii. केएसटीपीपी (नहीं) iii. कॉर्पोरेट एस एंड ई (सीएसआर) (https://www.thdc.co.in/content/feedback&form)	i. 4 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. 4 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. जीआरसी प्रमुख (राजपत्रित अधिकारी) की पुनर्नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।	i. 5 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. 5 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. पिछली बैठक दिनांक 15.11.2019 को आयोजित की गई थी

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां , तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हां						
शेयरधारक	https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html	शून्य	शून्य	शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।	शून्य	शून्य	शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
कर्मचारी और कामगार	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र आधिकारिक वेबसाइट पर कर्मचारी लॉगिन के तहत उपलब्ध है	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
ग्राहक	वार्षिक फीडबैक फॉर्म और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ आमने–सामने बैठक के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्य श्रृंखला भागीदार	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

24. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें:

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1	राख (ऐश) का निपटान	अवसर	अवसर अब फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है।	फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उप–उत्पाद है। इसलिए, विनिर्माण उद्योगों में इसके 100% उपयोग के अवसर को राजस्व क्षमता के रूप में महसूस किया जा सकता है। खुर्जा संयंत्र के प्रचालन के दौरान 25 वर्षों में लगभग 56.8 मिलियन क्यूबिक राख का उत्पादन होने की उम्मीद है क्योंकि परियोजना निर्माण चरण में है और वित्तीय वर्ष 2024–25 में बाजार की मांग की वर्तमान स्थिति के संबंध में टीएचडीसीआईएल द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, दोनों उद्योगों से लगभग 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रतिवर्ष की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।	बाजार की मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार फ्लाई ऐश की दर 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जो वास्तविक बिक्री के समय भिन्न हो सकती है) को देखते हुए, 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का संभावित वित्तीय प्रभाव आता है।

खंड–ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	*	*	वेब पर नहीं	*	*	*	वेब पर नहीं	*	–
2. क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)	कृपया नीचे तालिका–1 का अवलोकन करें								
4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएच–एमएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।									
5. विशिष्ट समय–सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।									
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ–साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख।	सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका–1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।								
सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार उत्तरादायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है)									

प्रकटीकरण प्रश्न	*पी 1*	*पी 2*	*पी 3*	*पी 4*	*पी 5*	*पी 6*	*पी 7*	*पी 8*	*पी 9*
8. व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	लागू नहीं								
9. क्या संस्था में बोर्डधनिदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	लागू नहीं								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा के लिए विषय	*इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी*									*आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)*								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है।									जब भी आवश्यक हो।								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	जब भी आवश्यक हो।								

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हां/नहीं) । यदि हां , तो एजेंसी का नाम दें।	नहीं

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:

प्रश्न	
संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हां/नहीं)	टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत–9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण नीचे तालिका–1 में दिया गया है।
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय याध्मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

***पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/content/environment-policy

**आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:*

https://thdc.co.in/content/rr-policy

**सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:*

https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf

**टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:*

https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf

**टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मूल्य निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:*

https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues

**कारपोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:*

https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf

**सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:*

https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf

**व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:*

https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

तालिका 1

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक
सिद्धांत 1 (पी1)	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और सुशासित करना चाहिए।	• विजन, मिशन और मान्यताएं • आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कारपोरेट आचार नीति • व्यापार आचार और नैतिकता संहिता • सीडीए नियम • सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति • सत्यनिष्ठा समझौता • टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल • टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति।	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति/नीतियां	उत्तरदायी निदेशक
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	• सुरक्षा नीति • सीएसआर और सततता नीति • ओएचएसएएस 18001:2007	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	• मानव संसाधन नीतियां • भर्ती और स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	• आर एंड आर नीति • विजन और मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	• विजन, मिशन और मान्यताएं • मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी 6)	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।	• पर्यावरण नीति • आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी 7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।	• आचार संहिता • मूल्य मान्यताएं	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	• सीएसआर और सततता नीति • सीएसआर संचार कार्यनीति	निदेशक (तकनीकी)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	सिद्धांत–9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि: • टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है। • विद्युत का आबंटन कुछ नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। • टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है। • मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं। • ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है।	

खंड – गः सिद्धांत–वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासन करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेजः

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	01	1) नेतृत्व प्रबंधन और कल्याण	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	01	1) नेतृत्व प्रबंधन और कल्याण	100%
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	04	1) किसी संगठन में नैतिकता और मूल्य 2) नेतृत्व विकास कार्यक्रम 3) कोविड के समय के दौरान नेतृत्व की चुनौती 4) नेतृत्व विकास और कार्य जीवन संतुलन	6.49%
कर्मी	शून्य	शून्य	शून्य

2. ***निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/शास्ति/एवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण [नोटः संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी]:***

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	*विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम*	*राशि (भारतीय रूपये में)*	*मामले का संक्षिप्त विवरण*	*क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)*
शास्ति/जुर्माना					
समझौता	शून्य				
कंपाउंडिंग शुल्क					

गैर–मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	*विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम*	*मामले का संक्षिप्त विवरण*	*क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)*
गैर–मौद्रिक	शून्य			
कारावास				

3. ***उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।***

   – लागू नहीं

4. ***क्या संस्था में भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।***

निगम में कोई विशिष्ट और अधिसूचित भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति नहीं है। हालांकि, सभी कर्मचारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा शासित हैं।

संगठन के कर्मचारी संगठन की आचार संहिता के साथ प्रवर्तनीय नीतियों के प्रति बाध्य हैं। आचार संहिता विशिष्ट नियमों का समूह है जिसे विशिष्ट प्रथाओं और व्यवहारों, जिन्हें प्रोत्साहित या प्रतिबंधित किया जाना है, को रेखांकित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आचार संहिता में यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है कि क्या संहिता का उल्लंघन हुआ है और विशिष्ट उल्लंघनों के लिए क्या दंड लगाया जाएगा।

विभिन्न नियमों/नीतियों/संहिताओं/विनियमों के रूप में निर्धारित आचार संहिता क विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(क) विजन, मिशन और मान्यताएं:

प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी के विजन और मिशन को पेशेवर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संगठन के मिशन को पूरा करने में सम्मान, चिंता, शिष्टाचार और जवाबदेही के साथ सेवा करना कर्मचारियों का कर्तव्य है। कर्मचारी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। निगम के विजन और मिशन को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जा रहा है और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

वेब–लिंक: https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues

(ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियम:

इन नियमों को टीएचडीसीआईएल का आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 कहा जाता है। ये नियम अनियमित नियोजन या आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कंपनी के स्थायी आदेशों द्वारा शासित होने वाले कामगारों को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

इन नियमों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है, और इस प्रकार कंपनी के हितधारकों द्वारा अधिकारियों में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दैनिक कार्यकरण में इस संहिता और मानकों के निर्धारित प्रावधानों से अवगत हों, इनका पालन करें, इन्हें अपनाएं और इन्हें बनाए रखें। इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित करते हैं।

कामगारों के लिए मानक आदेश

इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बाद स्थायी आदेशों के रूप में उनके अधीन नियोजन की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना अपेक्षित है। यह प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 100 या अधिक कामगार (केंद्र सरकार ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में कम करके 50 कर दिया है जिनके लिए यह उपयुक्त सरकार है) कार्यरत हैं। स्थायी आदेश होने का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है। ये आदेश औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के नियोजन की शर्तों, शिकायतों, कदाचार आदि को नियंत्रित करते हैं।

(ग) कारपोरेट आचार नीति:

टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण के महत्व को बरकरार रखता है। ऐसा अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लेनदेन में व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर किया जाता है। टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष व्यवहार और व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने कारपोरेट नैतिकता नीति, जो कंपनी और कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, को अपनाया है।

यह नैतिकता नीति कथन, आकस्मिक रोजगार, संविदाकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक संबंधों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को छोड़कर, निदेशक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्ति/ग्रहणाधिकार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। सभी संबंधितों से अखंडता, निष्पक्षता और विवेक के मूल्यों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्तव्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों से टीएचडीसीआईएल, और इसके उद्देश्यों, प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

वेब– लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf

(घ) व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता:

व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता बोर्ड के सदस्यों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी

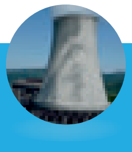

प्रक्रिया को बढ़ाना है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष रूप से तैयार की गई है।

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की मेरिट का न्याय करने के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य कर सकती है।

वेब– fyad: https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

(ङ) सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीतिः

सीपीएसई द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने "सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश" को अनिवार्य बनाने और सभी सीपीएसई पर लागू करने का निर्णय लिया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति में उल्लेख किया गया है कि "कंपनी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। यह तंत्र, तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के अस्तित्व को संगठन के भीतर उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।"

यह नीति कंपनी में नैतिक, सदाचारी और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य निम्नानुसार हैः

– कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण की जानकारी होने की स्थिति में, सद्भावस्वरूप प्रबंधन या असाधारण मामलों में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को पहुंचने का अवसर प्रदान करना।

– सद्भाव में सूचना प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना

– प्रबंधकीय कार्मिकों को उन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने से रोकना।

वेब– लिंकः https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf

(च) सत्यनिष्ठा समझौताः

टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल प्रशासन में विभिन्न पैकेजों को प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने या लाभ उठाने का पालन किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इसने भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने के लिए आपसी संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया है। इस समझौते में, संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी तरह के भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के लिए, दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों / अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच समझौते की अनिवार्य रूप से परिकल्पना की गई है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जिन्होंने क्रेता के साथ ऐसा सत्यनिष्ठा समझौता किया है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते को निष्पादित करना प्रारंभिक योग्यता होगी। किसी विशेष संविदा के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा के आमंत्रण के चरण से संविदा के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।

सत्यनिष्ठा समझौते में संगठन के लिए स्वीकृत स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल की परिकल्पना की गई है। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

5. ***ऐसे निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/ कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरूद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:***

	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. ***हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:***

	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य			
मुख्य प्रबंधकीय कार्मकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				

7. ***भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।***

– लागू नहीं

सिद्धांत 2 व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमशः आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) निवेश का प्रतिशत, कुल आरएंडडी और यूनिट द्वारा किए गए निवेश।

आर एंड डी विभाग	परियोजना का नाम	चालू वित्तीय वर्ष (2020–21) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय– 330.63 लाख रुपये	पिछला वित्तीय वर्ष (2019–20) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय– 610.63 लाख रुपये	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
1.	टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में परिनियोजित 18–स्टेशन भूकंपीय नेटवर्क तथा टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध में स्थापित 13–स्टेशन स्ट्रॉन्ग मोशन नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण ।	45.66%	23.12%	क्षेत्र के भूकंपीय परिवर्तन, यदि कोई हो, जो जलाशयों की बाड़ाबंदी (इम्पाउंडमेंट) से जुड़ा हो, का आकलन करने के लिए यह नेटवर्क काफी महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग मोशन नेटवर्क टिहरी के आसपास के क्षेत्र में मध्यम और बड़े आकार के भूकंपों की घटना के दौरान मजबूत ग्राउंड मोशन डाटा भी एकत्र करता है । अध्ययन के परिणामों से पता चला कि इस क्षेत्र में जलाशय प्रेरित भूकंपीयता का कोई संकेत नहीं है। यह भूकंपीय डाटा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजित/विकसित की जा रही अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होगा।
2.	टिहरी क्षेत्र (दीर्घकालिक) के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन ।	26.95%	53.85%	भूकंपीय नेटवर्क स्टेशनों के विस्तार और उन्नयन ने नेटवर्क को 07 फरवरी, 2021 के चमोली ग्लेशियर के विस्फोट, 12 फरवरी, 2021 के कजाकिस्तान भूकंप और कुछ अन्य दूरस्थ घटनाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाया।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	चालू वित्तीय वर्ष (2020–21) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय– 330.63 लाख रुपये	पिछला वित्तीय वर्ष (2019–20) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय– 610.63 लाख रुपये	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
3.	प्रचालन अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करते हुए टिहरी बांध जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी करने के लिए परामर्श	12.79%	13.33%	प्रणाली वास्तविक समय में टिहरी जलाशय के प्रवाह के पूर्वानुमान में सक्षम है । इसलिए, निचले स्तर की आबादी के लिए बाढ़ प्रबंधन आदि द्वारा वित्तीय लाभ और पर्यावरणीय/सामाजिक लाभों को अधिकतम करने के लिए जलाशय का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
4.	टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र से तलछट लब्धि का आकलन ।	2.34%	1.54%	अध्ययन का लाभ टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में कटाव के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और उपयुक्त जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का सुझाव देना है। इस प्रकार, अध्ययन के परिणाम जलग्रहण क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में उपयोगी होंगे।

2. क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)

– हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

लगभग सभी खरीद स्थायी सोर्सिंग विधियों जैसे जीईएम पोर्टल, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से की जाती हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) – ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए बनाए गए हैं। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

(ख)ई–कचरा: टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई–अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई–कचरे का निपटान किया जाता है।

(ग) खतरनाक अपशिष्ट: खतरनाक अपशिष्ट नहीं है।

(घ) अन्य अपशिष्ट: उपरोक्त बिंदु (क) के समान अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां , तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

– लागू नहीं

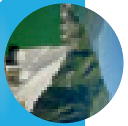

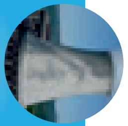

सिद्धांत 3 व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा	दुर्घटना बीमा	मातृत्व लाभ	पितृत्व लाभ	डे केयर सुविधाएं	स्वास्थ्य बीमा	दुर्घटना बीमा	मातृत्व लाभ	पितृत्व लाभ	डे केयर सुविधाएं
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	793	लागू नहीं	लागू नहीं	793	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	04	0.005%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	49	लागू नहीं	लागू नहीं	49	100%	01	0.02%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	842	लागू नहीं	लागू नहीं	842	100%	01	0.001%	04	0.005%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. कामगारों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	द्वारा कवर किए गए कामगारों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	837	लागू नहीं	लागू नहीं	837	100%	शून्य	शून्य	02	0.0023%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	57	लागू नहीं	लागू नहीं	57	100%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	894	लागू नहीं	लागू नहीं	894	100%	शून्य	शून्य	02	0.002%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के% के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के% के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के% के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के% के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ग्रेच्युटी	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
1)जीएसएलआई:– क) परिपक्वता ख) दुर्घटना दावा	86.22%	92.17%	हां	86.27%	92.93%	हां
2).जीएसएलआई के एवज में क) नए कर्मचारी के लिए जीआई योजना ख) नए कर्मचारी के लिए दुर्घटना बीमा	13.78%	7.83%	हां	13.73%	7.07%	हां

3. कार्यस्थलों की पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर/कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिगम के कार्यान्वयन के अनुपालन में, कंपनी ने कंपनी के अधिकांश भवनों में रैंप बनाकर आसान पहुंच प्रदान की है। सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सभी प्रयास कर रही है। कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। कंपनी की समान अवसर नीति है और इसे अक्षरशः लागू किया जाता है।

4. *क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।*

हां, https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf

5. *पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।*

	स्थायी कर्मचारी		*स्थायी कर्मचारी*	
लिंग	*कार्य दर पर लौटें*	*प्रतिधारण दर*	*कार्य दर पर लौटें*	*प्रतिधारण दर*
पुरुष	100%(4कर्मचारी)	100%	100%(2कर्मचारी)	100%
महिला	100%(1कर्मचारी)	100%	शून्य	शून्य
कुल	***100% (5कर्मचारी)***	***100%***	***100% (2कर्मचारी)***	***100%***

6. *क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां , तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।*

	हां / नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हां, कर्मचारियों की शिकायतों के लिए नीति दिशा–निर्देश और प्रक्रिया है जो शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आसानी से सुलभ तंत्र प्रदान करने पर लक्षित है और इससे कार्य पर संतुष्टि में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार हुआ है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां , सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक दिशा निर्देशों जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र क्रम में है।
स्थायी कर्मचारी	हां, कर्मचारियों की शिकायतों के लिए नीति दिशा–निर्देश और प्रक्रिया है जो शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आसानी से सुलभ तंत्र प्रदान करने पर लक्षित है और इससे कार्य पर संतुष्टि में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार हुआ है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां , सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक दिशा निर्देशों जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र क्रम में है।

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यताः

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	842	303	35.98%	845	315	37.27%
– पुरुष	793	303	38.20%	801	315	39.32%
– महिला	49	0	0%	44	0	0%
कुल स्थायी कामगार	894	786	87.91%	990	882	89.09%
– पुरुष	837	786	93.9%	923	882	95.57%
– महिला	57	0	0%	67	0	0%

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्त वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	%(ख/क)	संख्या (ग)	%(ग/क)		संख्या (ङ)	%(ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	793	152	19.17%	238	30.01%	801	152	18.97%	437	54.55%
महिला	49	39	79.59%	45	91.83%	44	09	20.45%	23	52.27%
कुल	842	191	**22.68%**	283	**33.61%**	**845**	161	19.05%	460	**54.44%**
कामगार										
पुरुष	837	188	22.46%	04	0.48%	923	177	19.18%	503	54.50%
महिला	57	36	63.16%	0	शून्य	67	13	19.40%	38	56.72%
कुल	**894**	224	**25.06%**	04	**0.45%**	**990**	190	**19.19**	541	**54.65%**

9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	संख्या (ख)	%(ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	%(घ/ग)
कर्मचारी						
पुरुष	793	793	100%	801	801	100%
महिला	49	49	100%	44	44	100%
कुल	842	842	100%	845	845	100%
कामगार						
पुरुष	837	837	100%	923	923	100%
महिला	57	57	100%	67	67	100%
कुल	894	894	100%	990	990	100%

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां , ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?

- हां, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कवरेज "जल विद्युत परियोजनाएं / जल विद्युत संयंत्रों और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए डिजाइन, संविदा, गुणवत्ता आश्वासन, परामर्श और सहायता सेवा प्रदान करना हैं।"
- सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली परियोजनाओं के सभी कार्यपालकों को परिचालित कर दी गई है।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

- संबंधित इकाइयां अपने कार्य संबंधी खतरों की पहचान करती हैं और तदनुसार कार्रवाई करती हैं।

ग. क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

– हां

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)।

– हां

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी फरीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति मिलियन–व्यक्ति के द्वारा कार्य किए गए घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
गम्भीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

- स्थल निरीक्षणः– संबंधित परियोजनाओं के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित स्थल निरीक्षण।
- सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावलीः– सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली परियोजना के सभी कार्यपालकों को परिचालित कर दी गई है।
- कानूनीआवश्यकताओंकाकार्यान्वयनः–परियोजना में सभी कानूनी आवश्यकताओं अर्थात् कारखाना अधिनियम–1948, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम–1996 और सीईए विनियमन–2010 और अन्य अपेक्षाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- सुरक्षा समितिः–कार्य स्थल पर उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने में कामगारों और प्रबंधन के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उसके लिए किए गए उपायों की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए परियोजनाओं में सुरक्षा समितियों का गठन ।
- सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमः– परियोजनाओं में समय–समय पर कामगारों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- मॉक ड्रिलः– आपात स्थिति को कम करने के लिए कार्रवाई और प्रतिक्रिया समय का विश्लेषण करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	शून्य
काम करने की स्थिति	शून्य

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हों) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

वर्ष में एक बार सभी परियोजनाओं की बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा की जाती है। संपरीक्षा की टिप्पणियों और निष्कर्षों को आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने दृष्टिकोण, संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों को उपयुक्त के रूप में अपनाते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग–अलग हितधारकों के अलग–अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।

टिहरी बांध परियोजना को 'डैम सेफ्टी प्रोजैक्ट ऑफ दि ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संरचना कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. ***आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति***

हितधारक समूह	*क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)*	*संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य*	*जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)*	*इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा*
सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी	***नहीं***	• एमओयू पर हस्ताक्षर • पत्र–व्यवहार • वार्षिक रिपोर्ट • बैठकें • प्रस्तुतियां • साइट विजिट	• वार्षिक रूप से • पूरे वर्ष • वार्षिक रूप से • आवश्यकता पड़ने पर • आवश्यकता पड़ने पर • आवश्यकता पड़ने पर	पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सभी परियोजना अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए कार्य–निष्पादन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक अपेक्षाएं।
कर्मचारी	नहीं	• पत्रिकाओं का प्रकाशन • शिकायत निवारण तंत्र • परिपत्र और कार्यालय आदेश • सांप्रदायिक कार्यक्रम • फीडबैक • सुझाव मेला	• त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • वार्षिक	कर्मचारी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए समय–समय पर संवाद आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	***नहीं***	• पीपीए पर हस्ताक्षर • प्रतिक्रिया सर्वेक्षण • बैठक • पत्र – व्यवहार • बिल भेजना	• किसी भी परियोजना के चालू होने से ठीक पहले • वार्षिक • आवश्यकता पड़ने पर • वार्षिक	टीएचडीसीआईएल अन्य संबंधित संगठनों/ एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रनाइज करके अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए त्वरित उपाय करता है और सहायता प्रदान करता है

हितधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार	नहीं	• निविदाएं • खुली बोली चर्चा • नीति और प्रक्रियाएं • बैठक • संयुक्त चर्चा	• आवश्यकता पड़ने पर • प्रत्येक एवार्ड पर • पूरे वर्ष • नियमित आधार पर • नियमित आधार पर	टीएचडीसीआईएल का मानना है कि परियोजना कार्यान्वयन में ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं की चिंताओं का नियमित रूप से समाधान किया जा रहा है।
परियोजना प्रभावित व्यक्ति / स्थानीय और स्वदेशी समुदाय	हां	• सीएसआर कार्यक्रम • बैठक • शिकायत निवारण • पत्रिका • पैम्फलेट/वेबसाइट प्रकटीकरण • जन सूचना केंद्र	• पूरे वर्ष • आवश्यकता पड़ने पर • पूरे वर्ष • त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक • पूरे वर्ष • परियोजना स्थलों – प्रचालनात्मक संयंत्रों पर खोला गया	टीएचडीसीआईएल का एक मिशन "मानवीय दृष्टिकोण के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना" है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अपने सीएसआर कोष का 90% खर्च कर रहा है।
मीडिया	नहीं	• प्रेस वार्ता • आयोजनों के लिए आमंत्रण	• पूरे वर्ष • पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल ने संरचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के साथ बातचीत के लिए कारपोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है।
बड़े पैमाने पर समाज	नहीं	• प्रेस समाचार • सूचना • प्रचार • सीएसआर कार्यक्रम • वेबसाइट पर प्रदर्शन • फेसबुक और ट्विटर पेज	• पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

सिद्धांत: 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी	842	25	2.97%	845	84	9.94%
स्थायी के अलावा	6	-	-	5	-	-
कुल कर्मचारी	848	25	2.95%	850	84	9.89%
कामगार						
स्थायी	894	-	-	990	-	-
स्थायी के अलावा	4030	-	-	3200	-	-
कुल कर्मचारी	4924	-	-	4190	-	-

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष					वित्त वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	842	-	-	842	100%	845	-	-	845	100%
पुरुष	49	-	-	49	100%	801	-	-	801	100%
महिला	793	-	-	793	100%	44	-	-	44	100%
स्थायी के अलावा	6	-	-	6	100%	5	-	-	5	100%
पुरुष	4	-	-	4	100%	4	-	-	4	100%
महिला	2	-	-	2	100%	1	-	-	1	100%
कामगार										
स्थायी	894	-	-	894	100%	990	-	-	990	100%
पुरुष	837	-	-	837	100%	923	-	-	923	100%
महिला	57	-	-	57	100%	67	-	-	67	100%
स्थायी के अलावा	4030	4030	100%	-	-	3200	3200	100%	-	-
पुरुष	3819	3819	100%	-	-	3005	3005	100%	-	-
महिला	211	211	100%	-	-	195	195	100%	-	-

3. *पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:–*

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	0.57 करोड़	–	–
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*	2	0.00	1	0.19 करोड़
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	913	0.25 करोड़	47	0.19 करोड़
कामगार	821	0.16 करोड़	56	0.14 करोड़

*02 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है

4. *क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)*

– नहीं

5. *मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।*

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कॉर्पोरेशन में उपलब्ध शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

6. *कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:*

	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) है। सचेतक (व्हिसलब्लोअर) नीति और आईसीसी के कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों के अंतर्गत भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए अंतर्निहित तंत्र है।

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?

– हां

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	कोई बाहरी / तृतीय पक्ष संपरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि आंतरिक लेखा परीक्षा का एक मजबूत तंत्र है।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरण:

प्राचल	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियां
कुल बिजली खपत (क)	26.565513 एमयू	27.137634 एमयू	कारपोरेट कार्यालय और 100 मेगावाट से ऊपर के संयंत्र/परियोजनाएं शामिल हैं
कुल ईंधन खपत (ख)	81445 लीटर	65082 लीटर	
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	7.971465 एमयू	7.334462 एमयू	
कुल ऊर्जा खपत (क+ग)	34.536978 एमयू	34.472096 एमयू	
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में)	0.162 किलोवाट/रू.	0.163 किलोवाट/रू.	कारपोरेट कार्यालय

2. *क्या संस्था में भारत सरकार के प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।*

नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कारपोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. *जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:*

प्राचल	*वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)*	*वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)*
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1457550	1464850
(ii) भूजल	98550	100350
(iii) तृतीय पक्ष जल	-	-
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	2880	2880
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	1476180	1483480
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1217605	1228380
टर्नओवर के प्रति रुपये में जल की प्रबलता (जल की खपत / टर्नओवर)	-	-
जल की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-

4. *क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें ।*

– नहीं

5. *कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :*

प्राचल	*कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें*	*वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष)*	*वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)*
नाइट्रस ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों यानि जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
सल्फर ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
सूक्ष्म कण (पीएम)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:

प्राचल	यूनिट	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों यानि जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन		
टर्नओवर के प्रति रूपये कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रवणता (वैकल्पिक)			
– संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			

7. क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां , तो विवरण प्रस्तुत करें।

– लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	*वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)*	*वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)*
उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	1.81	1.13
ई–कचरा (ख)	0.254	0.184
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	1.3915	0.469
निर्माण तथा विध्वंस (घ)	679200	820800.65
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	3.4	3.76
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ)	59.837	61.35
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय / संयंत्र का गैर–बिक्री योग्य स्क्रैप) (ज)।	8.894	1.43
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	679275.5865	820868.973
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	1.46	0.77
(ii) पुनरूप्रयुक्त	88853.9	156057.1
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	6.42	6.74
कुल	88861.78	156064.61
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.5	0.45
(ii) लैंडफिलिंग	590401.6715	664801.067
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	0.944	0.372
कुल	590403.1155	664801.889

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

कारपोरेट कार्यालय/टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ निम्नानुसार हैं:

1. कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन

जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण / विभाजन स्थान मौजूद है।

2. बायो–गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना

टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो–गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग करते हैं। बायो–कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन करने के लिए बायो–गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में दिनांक 07.07.2019 को एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं ।

4. अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है।

परियोजना स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।

10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालनाधीन कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	*प्रचालन/कार्यालयों का स्थान*	*प्रचालन के प्रकार*	*क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है?(हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।*
1.	हेलोंग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी	निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट)	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीवन अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	*ईआईए अधिसूचना संख्या*	*दिनांक*	*क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)*	*सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार (हां / नहीं)*	*प्रासंगिक वेब–लिंक*
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	ईआईए अधिसूचना 2006 और इसके विभिन्न संशोधन	नवंबर–2020	हां	ईआईए अध्ययन प्रगति पर है	parivesh.nic.in
बोकांग बालिंग (200 मेगावाट)		सितंबर–2020	हां		

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है। (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां। संस्था, भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

क्र.सं.	*कानून/विनियम / दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था*	*गैर–अनुपालन का विवरण दें*	*प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई*	*की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो*
लागू नहीं				

सिद्धांत 7 व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

–लागू नहीं

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके/जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर के तहत कवर किए गए (पीएएफ) %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रूपये में)
1	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	1725	91.76%	2.83 करोड़
2	विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना	उत्तराखंड	चमोली	559	94%	1.88 करोड़

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे https://www.thdc.co.in/content/feedback&form पर आसानी से पहुँचा जा सकता है । टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इसे https://www.thdc.co.in/content/communication&strategy पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2019–20 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री	61.38%	35.49%
सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री	उपलब्ध नहीं है	

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।

मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से पूरे वर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2019–20 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी						
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी			शून्य			
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापिसी मंगाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापिस मंगाने के कारण
स्वेच्छा से वापिस मंगाने की घटना	लागू नहीं	
विवशता से वापिस मंगाने की घटना		

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

वर्तमान में टीएचडीसीआईएल में साइबर सुरक्षा नीति नहीं है। तथापि, साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुनः होना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति/की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। लागू नहीं

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VI

प्रपत्र सं.एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

i	सीआईएन	U45203UR1988GOI009822
ii	पंजीकरण की तिथि	12 जुलाई,1988
iii	कंपनी का नाम	टीएचडीसी इंडिया लि.
iv	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता	भगीरथी भवन, टाप टेरेस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड (249001)
vi	संपर्क ब्यौरे	कंपनी सचिव, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बाईपास रोड, प्रगतिपुरम गंगा भवन, ऋषिकेश–249201 फोन– 0135–2439309
vii	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हां, ऋण सूचीबद्ध
viii	आरटीए का नाम, पता और संपर्क सूत्र	**के फिन टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टावर–बी, प्लाट 31–32 गाछीबावली, फाइनेंसियल जिला नानकामुड हैदराबाद–500032 दूरभाषः 91–40–33211000

II. कंपनी की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान करने वाले व्यवसाय निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	बिजली का उत्पादन	3510	100 प्रतिशत

III. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनी के ब्यौरे

क्र.सं.	नाम और पता	सीआईए	धारक/सहायक/एसोसिएट	धारण का प्रतिशत	वर्ग
1.	एनटीपीसी लिमिटेड नई दिल्ली	L40101DL1975GOI007966	धारक कंपनी	74.496	2(46)
2.	टस्को लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	U40106UP2020GOI134504	सहायक कंपनी	74	2(87)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
क. प्रमोटर्स								
1. भारतीय								
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	4	6	10	0.00	4	6	10	0.00
ख) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) राज्य सरकार (रें)	शून्य	9349401	9349401	25.504%	शून्य	9349401	9349401	25.504
घ) निकाय निगम	27309406	शून्य	27309406	74.496%	27309406	Nil	27309406	74.496
उप–योग क(1):–	27309410	9349407	36658817	100%	27309410	9349407	36658817	100%
2. विदेशी								
क) अनिवासी–भारतीय व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (क)(2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रमोटर की कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1)+(क)(2)	27309410	9349407	36658817	100%	27309410	9349407	36658817	100%

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग								
(1) संस्थाएं								
क) म्युचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक / वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार (रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड) वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) एफआईआईएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी वेचर कंपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(झ) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (ख)(1):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(2) गैर संस्थाएं								
क) निकाय निगम								
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. तथा कम मात्र शेयरपूंजी रखते है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. से अधिक शेयर रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड़ (ख)(2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)= (ख)(1) + (ख)(2)								
ग. अभिरक्षक द्वारा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए / धारित शेयर्स	शून्य				शून्य			
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**27309410**	**9349407**	**36658817**	**100%**	**27309410**	**9349407**	**36658817**	**100%**

(ii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1	*उत्तर प्रदेश के राज्यपाल*	9349401	25.504	शून्य	9349401	25.504	शून्य	शून्य
2	*एनटीपीसी लिमिटेड*	27309406	74.496	शून्य	27309406	74.496	शून्य	शून्य
3.	*एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती*	06	0.00	शून्य	06	0.00	शून्य	शून्य
4.	*उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती*	04	0.00	शून्य	04	0.00	शून्य	शून्य
	कुल	***36658817***	***100***	***शून्य***		***36658817***	***100***	***शून्य***

(iii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
1)	*एनटीपीसी लिमिटेड*				
क	वर्ष के प्रारंभ में	27309406	74.496	27309406	74.496
ख	शेयरों का आबंटन/अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग	वर्ष की समाप्ति पर *(क+ख) = ग*	27309406	74.496	27309406	74.496
2)	*उत्तर प्रदेश के राज्यपाल*				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349401	25.504	9349401	25.504
ख	शेयरों का आबंटन/अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग	वर्ष की समाप्ति पर *(क+ख) = ग*	9349401	25.504	9349401	25.504
3)	*एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती*				
क	वर्ष के आरंभ में	06	0.0	06	0.0
ख	शेयरों का आबंटन/अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग	वर्ष की समाप्ति पर *(क+ख) = ग*	06	0.0	06	0.0
4)	*उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती*				
क.	वर्ष के आरंभ में	04	0.0	04	0.0
ख	शेयरों का आबंटन/अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग	वर्ष के अंत में *(क+ख) = ग*	04	0.0	04	0.0

(iv)शीर्ष दस शेयर होल्डरों की शेयर होल्डिंग पद्धति (निदेशकगण प्रोमटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) – शून्य

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.
1.	श्री डी.वी.सिंह	0	0.0	0	0.0
2.	श्री विजय गोयल	0	0.0	0	0.0
3.	श्री जुधिष्टिर बेहरा	0	0.0	0	0.0
4.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	0	0.0	0	0.0
5.	श्री राज पाल	0	0.0	0	0.0
6.	श्री टी.वेंकटेश	2	0.0	2	0.0
7.	श्री अनिल कुमार गौतम	0	0.0	0	0.0
8.	श्री उज्जवल कांत भट्टाचार्य	0	0.0	0	0.0

V. ऋणग्रस्तता

दिनांक 31.03.2021 की बकाया/उपर्जित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

विवरण	जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	पट्टा दायित्व	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता					
i) मूलधन*	46788066521	9781067965	158776040	0	56727910526
ii) ब्याज देय परंतु प्रदत्त नहीं	0	0	0	0	0
iii) उपार्जित ब्याज परंतु दवा नहीं	1126302992	88827657	0	0	1215130649
कुल (i+ii+iii)	***47914369513***	***9869895622***	***158776040***	***0***	***57943041175***
वित्त वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में बदलाव					
i) मूल धनः					
– वृद्धि	16400000000	5020872614	0	0	21420872614
– कमी	15025885183	486725690	26281147	0	15538892020
ii) ब्याज देय परंतु प्रदत्त नहीं					
– वृद्धि	0	0			0
– कमी	0	0			0
iii) ब्याज उपार्जित परंतु प्रदत्त नहीं					
– वृद्धि	1566477338	39732952	0	0	1606210290
– कमी	1126302992	88827657	0	0	1215130649
निवल परिवर्तन	***1814289163***	***4485052219***	***(26281147)***	***0***	***6273060235***
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता					
i) मूलधन*	48162181338	14315214889	132494893	0	62609891120
ii) ब्याज देय परंतु प्रदत्त नहीं	0	0	0	0	0
iii) ब्याज उपर्जित परंतु देय नहीं	1566477338	39732952	0	0	1606210290
कुल (i+ii+iii)	***49728658676***	***14354947841***	***132494893***	***0***	***64216101410***

नोटः

1. सुरक्षित ऋणों के अंतर्गत मूलधन के अंतर्गत एसएलटी और ओवरड्राफ्ट तथा बांड शामिल है
2. वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तनों में विदेशी मुद्रा ऋणों के सापेक्ष एफईआरवी शामिल है।

VI *निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक*

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक

(रू. लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	सीएमडी/पूर्णकालिक निदेशक का नाम				
		सीएमडी	पू.का.नि.	पू.का.नि.	पू.का.नि.	कुल राशि
		श्री डी.वी.सिंह	श्री विजय गोयल	श्री जे. बेहेरा	श्री आर. के. विश्नोई	
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	75.72	65.92	53.98	59.12	**254.74**
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	0	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	0	0	0	0	**0**
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वॉट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन					
	– लाभ के प्रतिशत के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	– अन्य, उल्लेख करें.....	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	*75.72*	*65.92*	*53.98*	*59.12*	*254.74*
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक)	लागू नहीं				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

दिनांक 22.12.2019 को टीएचडीसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी: टीएचडीसीआईएल में सिटिंग फीस का भुगतान रू. 20,000 प्रति सिटिंग की दर से किया जाता है

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

(रू. लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंध की कार्मिक	
		कंपनी सचिव सुश्री रश्मि शर्मा	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्ये (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	18.02 – 0	18.02 - 0
2.	स्टॉक विकल्पध	शून्य	शून्य
3.	स्वॉट इक्विटी	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के अनुसार – अन्य, उल्लेख करें.....	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेलख करें	शून्य	शून्य
	कुल	**18.02**	**18.02**

VII शास्तिया/दंड/दोषों में वृद्धिः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति/दंड आरोपित वर्धित शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकार (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
वर्ष के दौरान कंपनी या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई दंड/शास्ति/अपराधों की कंपाउंडिंग नहीं की गई थी।					

कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के सार का लिंक–

https://thdc.co.in/sites/default/files/MGT%207_1.pdf

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – VI

फार्म नं. एमआर–3

सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम,2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिहरी गढवाल,

टिहरी–249001

मैंने मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') सीआईएन नं. यू45203यूआर1988जीओआई009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सकारात्मक निगमित प्रचालनों के अनुपालन हेतु सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। कंपनी, भारत सरकार के एक उद्यम है और निजी प्लेसमेंट पर जारी की गई इसकी ऋण प्रतिभूतियों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। अब तक कंपनी ने बांडों की V श्रृंखलाएं जारी की हैं। टीएचडीसी की 74.496% इक्विटी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा और 25.504% इक्विटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धारित है। इस प्रकार, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो मुझे कारपोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कोविड–19 के कारण, कंपनी द्वारा प्रदान की गई सुविधा के अनुसार, मैंने, लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी के प्रयोजनार्थ अभिलेखों का सत्यापन और जांच ऑनलाइन की है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन साधन भी है।

मैंने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i). कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii). डिपोजटरीज अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

(iii). प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी व्यावसायिक उधारियों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(iv). सूक्ष्म, लघु और मध्य म उद्यम लेन–देन का कार्यान्वायन और मॉनिटरिंग तथा यथाधिसूचित एमसीए के साथ रिटर्न फाइल करना।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू हैं।

(v). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम (निर्गम और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) 2008;

(vi). प्रतिभूति और एक्सचेंज बैंक आफ इंडिया निर्गम और (शेयर स्थानन्तरण एजेंटो के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(vii). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और मांगों का प्रकटीकरण) विनियम, 2015;

(viii). कंपनी तथा डिबेंचर न्यासी मेसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 26 फरवरी, 2021 और 23 अगस्त, 2021 को क्रमशः कारपोरेट बांड श्रृंखला IV और V के लिए हस्ताक्षरित डिबेंचर न्यास विलेख

(ix). क्षेत्र विशिष्ट कानून – विद्युत अधिनियम, 2003 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम।

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों की लागू धाराओं और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन दिशानिर्देशों के पालन की भी जांच की है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और आश्वासनों के आधार पर कंपनी ने आमतौर पर उपरोक्त विषयो का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं थी। इसके अतिरिक्त,जिन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 22 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो गया था वे निदेशक नहीं रहे, उसके बाद रिपोर्ट की तारीख तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित है। वर्ष के दौरान, कंपनी पंजीयक, उत्तराखंड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के उल्लंघन के लिए दिनांक 9 फरवरी, 2021 को एक कारण–बताओ नोटिस जारी किया था। कंपनी ने दिनांक 16 फरवरी, 2021 के अपने उत्तर के माध्यम से निवेदन किया कि संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार निदेशक की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है और तदनुसार नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय को भेज दिया गया था, जहां यह लंबित हैं।

भारत सरकार अपनी सारी साम्या् एनटीपीसी लिमिटेड को बेचने के बाद 26 मार्च, 2020 को साम्या अंशदान के रूप में 1400 लाख रू. की राशि जमा करवाई। चूंकि सरकार ने अपनी सारी साम्या को डाईवेस्ट कर दिया था इसलिए कंपनी ने उक्त रेमिटेंस के लिए मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण न मिलने पर कंपनी ने साम्याक अंशदान को जमा मान लिया। वर्ष 2020–21 के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.01.2021 के पत्र के माध्यम से 1400 लाख रूपये की उक्त राशि की वापिसी की मांग की और कंपनी ने दिनांक 21.01.2021 को राशि वापिस कर दी।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों एवं बोर्ड की महिला निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों, जिनके लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के समक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव की शुरूआत की है, सहित कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशकों से मिलकर बना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के निर्धारण की पर्याप्त सूचना दी जाती है, कुछ बैठकों को छोड़कर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे। बैठकों से पहले एजेंडे की मदों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि में बोर्ड की कार्यसूची में कोई विसम्मति नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के द्वारा अनुसरण किए गए अनुपालन तंत्र के आधार पर तथा बोर्ड के समक्ष रखी गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मेरी राय है कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, निजी प्लेसमेंट में 2500 करोड़ रू. तक के सुरक्षित अपरिवर्तनीय, गैर संचयी बांडों के निर्गम को अनुमोदित करते हुए कंपनी ने 22 सितम्बर, 2020 को आयोजित

अपनी 32वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया था, जिसमें से कंपनी ने 20 जनवरी, 2021 और 24 अगस्त, 2021 को बांड (श्रृंखला–IV और V) जारी कर 1950 करोड़ रू. अर्जित किए ताकि चल रही परियोजनाओं आदि की जरुरतें पूरी की जा सकें। रिपोर्ट की तारीख तक जारी किए गए संचयी बांडों का मूल्य 4,850 करोड़ रूपये है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 12 सितंबर 2020 को 74% की इक्विटी भागीदारी के साथ एक सहायक कंपनी की स्थापना की। 26% की अन्य इक्विटी की धारक उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी हैं। वर्तमान अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है। सहायक कंपनी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अवसंरचना निर्माण करना है।

उपरोक्त को छोड़कर, अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां नहीं थी जिनका कंपनी के कार्यों पर प्रभाव पड़ा।

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880 सी.पी. नं. 13090
यूडीआईएन: **A005880C000876255**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: **02/09/2021**

इस रिपोर्ट को हमारे समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक क

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा दायित्व इन सचिवालीय रिकार्ड पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। मुझे विश्वास है कि मैने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती है।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक हुआ, मैने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है ।

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13090
यूडीआईएन: **A005880C000876255**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: **02/09/2021**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2020–21

तुलन पत्र

लाभ एवं हानि का विवरण

नगदी प्रवाह विवरण

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	2		6,561.85		6,591.99
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		6,414.30		4,989.80
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		0.36		0.20
(घ) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	2		410.50		380.71
(ड.) सहायक कंपनी में निवेश	4		7.40		0.00
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) ऋण	5	39.24		38.89	
(ii) अग्रिम	6	0.01	39.25	0.01	38.90
(छ)आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		871.31		939.71
(ज) निवल गैर–चालू परिसंपत्तियां	8		32.49		24.55
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9		1,906.22		1,582.89
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	10		34.94		32.42
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
i) प्राप्य व्यापार	11	1,055.48		1,868.94	
ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	12	225.08		25.20	
iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	13	0.00		0.58	
iv) ऋण	14	9.43		8.36	
v) अग्रिम	15	505.88		500.99	
vi) अन्य	16	357.57	2,153.44	257.06	2,661.13
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	17		60.79		60.37
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18		54.35		59.73
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	19		169.72		186.22
कुल योग			**18,716.92**		**17,548.62**
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	20		3,665.88		3,665.88
ख) अन्य इक्विटी	21		6,251.55		5,866.59
कुल इक्विटी			**9,917.43**		**9,532.47**
गैर चालू देनदारियां					
क) वित्तीय देनदारियां					
(i) ऋण	22	5,023.41		3,956.96	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	23	28.11	5,051.52	25.38	3,982.34
ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	24		796.53		821.97

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
ग) प्रावधान	25		190.37		190.85
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
i) ऋण	26	700.00		1,115.06	
ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं		0.42		0.66	
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं		24.65		21.37	
(iii) अन्य	27	1,001.19	1,726.26	891.54	2,028.63
(ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	28		142.95		94.26
(ग) प्रावधान	29		341.63		279.47
चालू देनदारियां	30		0.00		0.00
नियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	31		550.23		618.63
कुल योग			**18,716.92**		**17,548.62**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां,	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	41				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां	42				
1 से 42 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन: 08536589	डीआईएन: 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	32		1,796.01		2,123.10
अन्य आय	33		705.92		282.26
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		18.80		63.74	
घटाएं : सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	18.80	0.00	63.74	0.00
कुल राजस्व			**2,501.93**		**2,405.36**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	34		388.78		360.3
वित्त लागत	35		181.93		240.34
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		317.33		576.10
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	36		230.33		239.33
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	37		0.25		0.00
कुल व्यय			**1,118.62**		**1,416.07**
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष, विशेष मदें एवं कर			**1,383.31**		**989.29**
विशेष मदें – (आय)/व्यय–निवल			35.65		0.00
कर पूर्व लाभ और नियामक आस्थगित खाता शेष			**1,347.66**		**989.29**
कर व्यय	38				
चालू कर					
आयकर			229.60		163.12
आस्थगित कर–(परिसंपत्ति)/देयता			68.48		(53.02)
I *विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व अवधि के लिए लाभ*			**1,049.58**		**879.19**
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय)–निवल कर	39		42.83		41.06
I *लगातार परिचालनों से अवधि के लिए लाभ*			**1,092.41**		**920.25**
II *अन्य बृहत आय*					
(i)मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएंगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	40		0.23		(12.47)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
(ii)परिभाषित हित लाभ योजनाओं पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं–आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			0.08		(4.35)
अन्य बृहत् आय			**0.31**		**(16.82)**
कुल बृहत् आय (I+II)			**1,092.72**		**903.43**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (रूपये)			297.99		251.22
तनुकृत (रूपये)			297.99		251.14
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन रहित)					
बेसिक (रूपये)			286.31		240.01
तनुकृत (रूपये)			286.31		239.94
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन, जोखिम प्रबंधन	41				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां	42				
1 से 2 तक की टिप्पणी इन लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि करोड़ ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
विशेष मदों और कर पूर्व लाभ		**1,383.31**		**989.29**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास	317.33		576.10	
मूल्यह्रास – सिंचाई घटक	18.80		63.74	
प्रावधान	0.25		-	
विलंबित भुगतान अधिभार	(66.94)		(225.68)	
वित्तीय लागत	181.93		240.34	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	0.23		(0.24)	
अन्य बृहत आय (ओसीआई)	0.23		(12.47)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	(42.83)		(41.06)	
विशेष मदें	(35.65)		0.00	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.07)	(229.72)	(8.69)	592.04
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,153.59**		**1,581.33**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	(2.77)		(1.82)	
प्राप्य व्यापार (अनबिल्ड राजस्व सहित)	712.95		(424.72)	
अन्य परिसंपत्तियां	4.32		(471.59)	
ऋण और अग्रिम (चालू गैर चालू)	(9.78)		8.90	
माइनोरिटी ब्याज	-		-	
व्यापार देय और देनदारियां	201.87		(46.97)	
प्रावधान (वर्तमान गैर चालू)	61.68		(47.44)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	42.83	1,011.10	41.06	(942.58)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**2,164.69**		**638.75**
कारपोरेट कर		(229.60)		(163.12)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,935.09**		**475.63**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन				

संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(1,760.45)		(1,227.21)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(0.23)		0.24	
पूँजी अग्रिम	(327.16)		(373.86)	
सहायक कंपनी में निवेश	(7.40)		0.00	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(2,095.24)**		**(1,600.83)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	-		7.00	
उधारियां	1,005.88		1,345.47	
पट्टा संबंधी दायित्व	(2.63)		15.88	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(181.93)		(240.34)	
विलंबित भुगतान अधिभार	660.94		225.68	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(707.75)		(151.90)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**774.51**		**1,201.79**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क + ख + ग)		614.36		76.59
ङ. आरंभिक नकदी तथा नकदी समकक्ष		(1,089.28)		(1,165.87)
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ङ.)		(474.92)		(1,089.28)

टिप्पणीः

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में शून्य रूपये (गत वर्ष में 0.58 करोड़ रूपये) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध/पुनः दर्शित किया गया है।
3. नकदी और नकदी समकक्ष का नोट सं. 42.20 (क) में समाधान कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	*(जे. बेहेरा)*	*(विजय गोयल)*
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		3,665.88

ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

			01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय			
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
अथ शेष (1)		0.00	5,845.53	39.00	(17.95)	5,866.58	0.00	5,866.58
वर्ष के लिए लाभ			1,092.41			1,092.41	0.00	1,092.41
अन्य बृहत् आय					0.31	0.31		0.31
कुल बृहत् आय			1,092.41		0.31	1,092.72	0.00	1,092.72
गैर–नियंत्रित ब्याज से ईक्विटी अंशदान							0.00	
लाभांश			707.75			707.75		707.75
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			384.66			384.97		384.97

			01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय			
विवरण	**नोट सं.**	**शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन**	**प्रतिधारित आय**	**डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य**	**बीमांकिक लाभ/(हानि)**	**कुल**	**गैर–नियंत्रित ब्याज**	**कुल**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित/ समायोजन			(40.50)			(40.50)		(40.50)
(iii) अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				40.50		40.50		40.50
अंतशेष (I+II+III+IV)		0.00	6,189.69	79.50	(17.64)	6,251.55	0.00	6,251.55

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,654.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		11.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,665.88**

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय			
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
अथ शेष (1)		4.00	5,071.18	45.00	(1.12)	5,119.06	0.00	5,119.06
वर्ष के लिए लाभ			920.25			920.25	0.00	920.25
अन्य बृहत् आय					(16.82)	(16.82)		(16.82)
कुल बृहत् आय			**920.25**		**(16.82)**	**903.43**	**0**	**903.43**
गैर नियंत्रित ब्याज से इक्विटी अंशदान							0	
लाभांश			126.00			126.00		126.00
लाभांश पर कर			25.90			25.90		25.90
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**768.35**			**751.53**		**751.53**

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य बृहत् आय		
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित (iii)			6.00			6.00		6.00
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				(6.00)		(6.00)		(6.00)
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूँजी आबंटन जमा/(आबंटित) (V) (निवल)		(4.00				(4.00)		(4.00)
अंत शेष **(I+II+III+IV+V)**		**0.00**	**5,845.53**	**39.00**	**(17.94)**	**5,866.59**	**0.00**	**5,866.59**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

टिप्पणी संख्या–1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः यू45203 यूआर 1988 जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. ये वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 09.06.2021 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2. इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये(आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त की गई विशिष्ट लेखांकन नीतियों का सार निम्नानुसार है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी अवधियों में लगातार प्रयुक्त की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से

अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया हो, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में उन्हें मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, यदि यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता हो। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष अग्रेषण राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृह्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृह्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से अनपेक्षित आर्थिक लाभ अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

2.6 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपीई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. *चल रहे पूंजीगत कार्य*

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के

पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति को व्यावसायिक प्रचालन तिथि से डूब के अंतर्गत भूमि के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती हैं।

4. *कोयला खानों के विकास पर व्यय*

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत “कोयला खानों के विकास” को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

5. *अमूर्त परिसंपत्तियां*

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। “पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने” की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों को लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटाकर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. *विदेशी मुद्रा लेन–देन*

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक 101 (इंड एएस) के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत की माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर–1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर–2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ/हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 ***प्रारंभिक पहचान और माप:*** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां, प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 ***तदन्तर माप:*** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 ***अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)*** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल–सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को

एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देनदारियां

11.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 उत्तरवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

12.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव

हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

14. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

14.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

14.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

14.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

14.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

14.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

14.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

14.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

15.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

15.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

16. कर्मचारियों के हितलाभ

16.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

16.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

16.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

17. ऋण लागत

17.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

17.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो। ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

18. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक, जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध हैं, प्रभारित किया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

18.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

18.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

18.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

18.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

18.7 भूमि के प्रयोग के अधिकार की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

18.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

18.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

19. माल सूची की अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों के अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को

हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. *आय कर*

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि अनिश्चितता के सर्वोत्तम समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

22.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

24. विनियामक आस्थगित खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

24.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

25. प्रति शेयर आय

25.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी

किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

26. लाभांश

26.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

27. प्रचालन खंड

27.1 इएएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता'' या ''सीओडीएम'' कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड के परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

28. विविध

28.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी–2

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
क– संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	1.58	-	39.83	-	-	-	-	39.83	38.25
2. जलमग्र भूमि	1,687.60	10.73	-	1,698.23	669.62	38.86	-	708.48	989.75	1,017.88
3. भवन	1,049.38	19.96	-	1,069.34	287.09	34.41	-	321.50	747.84	763.29
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.39	0.25	-	24.84	24.39	0.11	-	24.50	0.14	-
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	173.65	13.05	(0.02)	186.68	44.39	7.32	-	51.71	134.97	129.26
6. ड्रेनेज सिवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	0.32	-	22.67	9.14	1.10	-	10.24	12.43	13.21
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	24.46	0.01	-	24.47	14.70	1.40	-	16.10	8.37	9.76
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,177.93	240.73	(0.02)	3,418.64	1,501.82	106.01	-	1,607.83	1,810.81	1,676.11
9. ई.डी.पी. मशीनें	18.17	1.41	(0.38)	19.20	11.31	2.47	(0.32)	13.46	5.74	6.86
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	0.78	-	46.55	10.42	1.13	-	11.55	35.00	35.35
11. पारेषण लाइनें	26.66	5.55	-	32.21	16.12	1.32	-	17.44	14.77	10.54
12.कार्यालय तथा अन्य उपकरण	61.17	8.75	(0.06)	69.86	46.98	5.37	(0.05)	52.30	17.56	14.19
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	29.06	5.03	(0.04)	34.05	16.61	2.76	-	19.37	14.68	12.45
14. वाहन	22.53	0.79	-	23.32	10.77	1.72	-	12.49	10.83	11.76
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.52	0.07	-	0.59	0.63	0.70
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,190.62	-	-	5,190.62	3,063.29	105.30	-	3,168.59	2,022.03	2,127.33
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,606.20	-	-	1,606.20	880.16	29.57	-	909.73	696.47	726.04
उप–योग	13,199.31	308.94	(0.52)	13,507.73	6,607.33	338.92	(0.37)	6,945.88	6,561.85	6,591.98

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
पिछले वर्ष के आंकड़े	12,756.51	444.99	(2.18)	13,199.32	5,959.74	649.26	(1.67)	6,607.33	6,591.99	6,796.77
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां– साफ्टवेयर	4.71	0.39	-	5.10	4.51	0.23	-	4.74	0.36	0.20
उप–योग	4.71	0.39	-	5.10	4.51	0.23	-	4.74	0.36	0.20
पिछले वर्ष के आंकड़े	4.71	-	-	4.71	3.86	0.65	-	4.51	0.20	0.85
ग.परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	384.01	49.04	-	433.05	12.45	15.77	-	28.22	404.83	371.56
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	3.85	0.21	(0.07)	3.99	1.22	1.22	(0.04)	2.40	1.59	2.63
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	7.35	1.51	(0.09)	8.77	0.84	3.94	(0.09)	4.69	4.08	6.51
उप–योग	395.21	50.76	(0.16)	445.81	14.51	20.93	(0.13)	35.31	410.50	380.70
पिछले वर्ष के आंकड़े	39.05	356.16	-	395.21	5.68	8.82	-	14.50	380.71	33.37
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		विगत वर्ष			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					23.95		18.89			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					317.33		576.10			
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					18.80	360.08	63.74	658.73		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया।					0.16		0.21			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए है।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए है।

टिप्पणी: 2

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2019के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
क– संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	-	-	38.25	-	-	-	-	38.25	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,651.32	36.18	-	1,687.50	614.30	55.32	-	669.62	1,017.88	1,037.02
3. भवन	1,005.15	44.23	-	1,049.38	252.90	34.19	-	287.09	762.29	752.25
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.18	0.21	-	24.39	24.18	0.21	-	24.39	-	-
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	162.58	11.07	-	173.65	38.40	5.99	-	44.39	129.26	124.18
6. ड्रेनेज सिवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	-	-	22.35	7.59	1.55	-	9.14	13.21	14.76
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	22.45	2.17	(0.16)	24.46	13.49	1.31	(0.10)	14.70	9.76	8.96
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,051.28	127.14	(0.49)	3,177.93	1,335.02	167.11	(0.31)	1,501.82	1,676.11	1,716.26
9. ई.डी.पी. मशीनें	16.09	3.46	(1.38)	18.17	10.05	2.45	(1.19)	11.31	6.86	6.04
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	-	-	45.77	9.14	1.28	-	10.42	35.35	36.63
11. पारेषण लाइनें	25.84	0.82	-	26.66	11.74	4.38	-	16.12	10.54	14.1
12.कार्यालय तथा अन्य उपकरण	58.66	2.58	(0.07)	61.17	29.03	18	(0.05)	46.98	14.19	29.63
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	26.69	2.40	(0.02)	29.07	12.30	4.31	-	16.61	12.46	14.39
14. वाहन	20.73	1.86	(0.06)	22.53	8.74	2.05	(0.02)	10.77	11.76	11.99
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.45	0.07	-	0.52	0.70	0.77
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,184.15	6.47	-	5,190.62	2,789.25	274.04	-	3,063.29	2,127.33	2,394.90
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,399.80	206.40	-	1,606.20	803.16	77.50	-	880.16	726.04	596.64

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2019के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
उप–योग	12,756.51	444.99	(2.18)	13,199.32	5,959.74	649.26	(1.67)	6,607.33	6,591.99	6,796.77
पिछले वर्ष के आंकड़े	12,619.85	139.5	(2.84)	12,756.51	5,327.52	634.67	(2.45)	5,959.74	6,796.77	7,292.33
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां 1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	4.71	-	-	4.71	3.86	0.65	-	4.51	0.20	0.85
उप–योग	4.71	-	-	4.71	3.86	0.65	-	4.51	0.20	0.85
पिछले वर्ष के आंकड़े	3.97	0.74	-	4.71	3.64	0.22	-	3.86	0.85	0.33
ग.परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार 1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	39.05	344.96	-	384.01	5.68	6.77	-	12.45	371.56	33.37
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	-	3.85	-	3.85	-	1.21	-	1.21	2.64	-
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	-	7.35	-	7.35	-	0.84	-	0.84	6.51	-
उप–योग	39.05	356.16	-	395.21	5.68	8.82	-	14.5	380.71	33.37
पिछले वर्ष के आंकड़े	39.05	-	-	39.05	3.82	1.86	-	5.68	33.37	35.23
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					विगत वर्ष		-			
ई.डी.सी को हस्तांरित मल्यह्रास					18.89		12.60			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					576.10		555.00			
पी एंड एल विवरण को हस्तांतरति मूल्यह्रास					63.74	658.73	69.15	636.75		
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान										
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया।					0.21		0.29			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए हैं।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए हैं।

टिप्पणी:3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2020 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान वृद्धि	वर्ष 01 अप्रैल,2020 से 31 मार्च,2021 के दौरान समायोजन	वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		117.72	39.5	(2.17)	(19.42)	135.63
सड़क– पुल तथा पुलिया		25.04	22.87	(0.01)	(12.94)	34.96
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		5.04	0.24	0.94	(0.11)	6.11
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		1,672.55	998.43	(2.70)	(239.10)	2,429.18
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवेज, जलमार्ग		2,866.39	452.41	(0.11)	-	3,318.69
चैनल्स, वियर्स, सर्विस गेट तथा अन्य हाइड्रोलिक कार्य		-	-	-	-	-
जलागम क्षेत्र वनीकरण		88.00	-	-	-	88
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		0.86	0.06	-	-	0.92
परियोजना निर्माण से सीधे जुड़े अन्य व्यय		0.00	149.17	0.00	0.00	149.17
कोयला खान का विकास		37.61	1.75	0.00	0.00	39.36
सौर ऊर्जा का विकास		0.00	0.00	0.00	0.00	0
अन्य		3.87	0.65	(0.95)	(0.62)	2.95
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		98.09	0.36	(0.23)	-	98.22
निर्माण के दौरान व्यय	31.1	41.99	247.24			289.23
घटाएं: पी एंड एल को आबंटित/प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय	31.1		218.57			218.57
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		67.47	20.48	(0.08)	(12.59)	75.28
घटाएं : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		34.83	0.00	0.00	0.00	34.83
कुल योग		4,989.80	1,714.59	(5.31)	(284.78)	6,414.30
पिछले वर्ष के आंकड़े		4,544.34	1,153.66	7.43	(715.63)	4,989.80
पूर्वावधि के आंकड़े		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, बीपीए और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन लगातार जारी परियोजनाएं शामिल हैं। चूँकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी: 4

गैर चालू परिसंपत्तियां–सहायक कंपनी में निवेश

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
सहायक कंपनी में निवेश टस्को			7.40		0.00
कुल			**7.40**		**0.00**

टिप्पणी: 5

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		17.79		16.50	
शोध्य समझे गए –अप्रतिभूत		6.99		9.45	
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए –प्रतिभूत		23.04		25.49	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.06		1.89	
कर्मचारियों को कुल ऋण		49.88		53.33	
घटाएं: प्रतिभूति ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		8.90		11.86	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.80	39.18	2.66	38.81
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.05		0.08	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.01	
निदेशकों को कुल ऋण		0.07		0.09	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
उप–योग			**39.24**		**38.89**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल योग– अग्रिम			**39.24**		**38.89**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
मूलधन		0.05		0.08	
ब्याज		0.02		0.01	
कुल योग		**0.07**		**0.09**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.01	
ब्याज		0.01		0.01	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02

टिप्पणी: 6

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद रूप में, वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय)					
अग्रिम कर्मचारियों को		0.01		0.01	
अन्य को		0.00	0.01	0.00	0.01
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग			**0.01**		**0.01**

टिप्पणी: 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(29.75)		(29.75)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		901.06	871.31	969.46	939.71
कुल योग			**871.31**		**939.71**

टिप्पणी: 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			32.49		24.55
कुल योग			**32.49**		**24.55**

टिप्पणीः 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			10.70		14.53
उप–योग			10.70		14.53
अग्रिम पूँजी					
अप्रतिभूत					
(i) बैंक गारंटी के विरुद्ध (951.57 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		858.38		933.55	
(ii) पुनर्वास/पुनः स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		423.88		287.46	
(iii) अन्य		579.26		393.88	
(iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		157.39	2,018.91	77.49	1,692.38
घटायें : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			123.39		124.02
उप–योग– पूँजी अग्रिम			1,895.52		1,568.36
कुल योग			**1,906.22**		**1,582.89**

टिप्पणीः 10

माल सामग्री

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
माल सामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		1.68		1.00	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		28.92		28.35	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		4.44		3.01	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		0.17	35.21	0.09	32.45
घटाएंः अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			0.27		0.03
कुल योग			**34.94**		**32.42**

टिप्पणी: 11

व्यापार प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		448.92		1,257.14	
उधारी में हानि		67.39	516.31	100.76	1,357.90
घटाएं: –अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			67.39		100.76
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		606.56		611.8	
उधारी में हानि		0.00	606.56	0.00	611.80
कुल योग			**1,055.48**		**1,868.94**

टिप्पणी: 12

*नकदी और नकदी सम*कक्ष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
नकदी एवं नकदी समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			225.07		25.18
पास में चैक, ड्राफ्ट्स			0.01		0.02
कुल योग			**225.08**		**25.20**

टिप्पणी:13

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध बैंक में शेष)			0.00		0.58
कुल योग			**0.00**		**0.58**
13.1 बैंक में शेष, जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, में एलसी/न्यायालय आदेश के विरूद्ध लिअन शेष है।					

टिप्पणी: 14

चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		6.54		6.16	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.53		2.71	
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		1.87		1.74	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.09	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**11.02**		**10.7**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.21		1.87	
घटाएं:अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.32	9.49	0.41	8.42
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप–योग			**9.51**		**8.44**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल अग्रिम			**9.43**		**8.36**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		**0.00**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी: 15

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.42		4.78	
अन्य को		3.91	10.33	0.35	5.13
जमा					
प्रतिभूति जमा		14.65		12.72	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		480.88		483.12	
अन्य जमा		0.02	495.55	0.02	495.86
कुल योग			**505.88**		**500.99**

टिप्पणी: 16

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य					
अन्य अनबिल्ड राजस्व			357.57		257.06
कुल योग			**357.57**		**257.06**

16.1 अनबिल्ड राजस्व में अप्रैल, 2021 में बिल की गई मार्च, 2021 के लिए 106.55 करोड़ रूपये की बिक्री (अप्रैल, 2020 में बिल की गई मार्च, 2020 के लिए 111.56 करोड़ रूपये की बिक्री) एवं 251.02 करोड़ रु. की लंबित प्रशुल्क याचिका के एवज में लाभार्थियों से शेष शामिल है (वसूलनीय 267.50 करोड़ रु. एवं देय 16.48 करोड़ रु.) (पूर्वावधि में 145.48 करोड़ रु. था जिसमें वसूलनीय 161.96 करोड़ रु. था और देय 16.48 करोड़ रु. था)

टिप्पणी: 17
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
जमा किया गया कर		60.79	60.37
कुल योग		**60.79**	**60.37**

टिप्पणी: 18
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
पूर्व भुगतान व्यय		42.44	40.07
उपार्जित ब्याज		0.04	0.06
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां		0.23	0.44
उचित मूलयांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत		1.53	2.28
उप योग		**44.24**	**42.85**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)			
कर्मचारियों को		0.49	0.18
खरीद के लिए		5.66	12.4
अन्य को		18.37	18.71
घटाएं: विविध वसूलियों के प्रावधान		24.52 14.41	31.29 14.41
उप योग–अन्य अग्रिम		**10.11**	**16.88**
कुल योग		**54.35**	**59.73**

टिप्पणी: 19
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
अथ शेष		186.22	87.81
वर्ष के दौरान निवल संचालन		(16.50)	98.41
अंत शेष		**169.72**	**186.22**

19.1 विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 125.08 करोड़ रूपये विनिमय दर परिवर्तन के कारण 42.21 करोड़ और कर तथा अन्य 2.43 करोड़ रूपये है

टिप्पणी: 20
शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		40,000,000	4,000.00	40,000,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त		36,658,817	3,665.88	36,658,817	3,665.88
1000/– रूपये प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

(वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 109.85 रुपये (पिछले वर्ष 34.37 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर अंतिम लाभांश के रूप में 402.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 305.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 190.84 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के 135.27 रु. (पिछले वर्ष 109.85 रु.) की दर से कुल लाभांश 495.88 करोड़ रु. है। यह प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर होल्डरों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी 20.1
कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	%	शेयरों की सं.	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
1. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		27,309,412	74.496	27,309,412	74.496
2. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		9,349,405	25.504	9,349,405	25.504
कुल		**36,658,817**	**100**	**36,658,817**	**100**

टिप्पणी: 20. 2
शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		36,658,817	3,665.88	36,548,817	3,654.88
जारी		0.00	0.00	110,000	11.00
समाप्ति पर		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

20.3 कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणीः 21

अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,189.69		5,845.53
डिवेंचर मोचन आरक्षिती			79.50		39.00
अन्य व्यापक आय			(17.64)		(17.94)
कुलयोग			**6,251.55**		**5,866.59**

21.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय सं.जी.एस.आर 574(इ) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन के वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणीः 22

गैर चालू– वित्तीय देयताएं – उधारियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
क. बाँड्स					
****बॉड्स निर्गम श्रृंखला–I–प्रतिभूत***					
(7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) (प्रतिदान की तारीख 03.10.2026)			622.46		622.46
*****बांड निर्गम श्रृंखला–II–प्रतिभूत***					
(8.75 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 05.09.2029			1,574.08		1,574.59
******बांड निर्गम श्रृंखला–III–प्रतिभूत***					
(7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 23.07.2030			839.55		0.00
^बांड निर्गम श्रृंखला–IV–प्रतिभूत					
(7.45 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 20.01.2031			760.87		0.00
कुल योग (क)			**3,796.96**		**2,197.05**

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
ख. प्रतिभूत					
*******पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)*** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			230.27		322.30
#पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–783020002 (केएचईपी के लिए)। (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)			89.53		208.85
#(रूरल इलेक्ट्रफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए) (यूए–जीई पीएसयू–033–2010–3754) (30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			87.62		157.71
******(रूरल इलेक्ट्रफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) 330001 (टिहरी– एचपीपी के लिए)*** (सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			95.21		190.41
पंजाब नेशनल बैंक (पी एस पी के लिए) पंजाब नेशनल बैंक (30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/एम सी एल आर प्रतिवर्ष 6.90 प्रतिशत			422.66		599.23
कुल योग (ख)			**925.29**		**1,478.50**
ग. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
$विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए) (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/एलआईबीओआर भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में 0.95 प्रतिशत			985.06		986.99
कुल योग (ग)			**985.06**		**986.99**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
घ. पट्टा दायित्व					
अपूतिभूत			13.25		15.88
कुल (क+ ख+ ग+ घ)			**5,720.56**		**4,678.42**
घटाएं					
वर्तमान परिपक्वताएं:					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण–प्रतिभूत			483.28		547.53
विदेशी मुद्रा ऋण–अप्रतिभूत			50.23		47.62
पट्टा दायित्व–अप्रतिभूत			4.06		5.62
प्रोद्भूत किंतु उधारियों पर अदेय ब्याज			159.58		120.69
कुल योग			**5,023.41**		**3,956.96**

*टिहरी एचपीपी चरण की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–I प्रतिभूत हैं।

**टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–II प्रतिभूत हैं।

***कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–III प्रतिभूत हैं ।

^सीडब्ल्यूआईपी की चल परिसंपत्तियों और टिहरी स्थित पम्प स्टोरेज संयंत्र की भावी चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–IV प्रतिभूत हैं ।

****टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

#कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण

@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्ताक्षरित प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।

$संबंधित ऋण रैंकिंग समरुप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित

22.1 इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी: 23

गैर चालू वित्तीय देनदारियां ***राशि करोड़ ₹ में***

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
देनदारियां					
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		31.26		27.57	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		3.15	28.11	2.19	25.38
कुल योग			**28.11**		**25.38**

टिप्पणी: 24
अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
मूल्य ह्रास के विरुद्ध अग्रिम की मद में					
आस्थगित राजस्व			197.51		205.11
सिंचाई क्षेत्र के लिए उ.प्र. सरकार से प्राप्त अंशदान			595.87		614.67
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			3.15		2.19
कुल योग			**796.53**		**821.97**

टिप्पणी: 25
गैर चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार				
	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2020	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31.03.2021 के अनुसार
1. कर्मचारियों से संबंधित		184.2	5.47	(1.05)	(4.91)	183.71
2. अन्य		6.66	0.00	0.00	0.00	6.66
कुल योग		**190.86**	**5.47**	**(1.05)**	**(4.91)**	**190.37**
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		**220.25**	**43.24**	**(37.91)**	**(34.73)**	**190.85**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.17 में कर दिया गया हैं ।
25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 26
चालू–वित्तीय देनदारियां –उधार

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक					
क. प्रतिभूत ऋण					
$भारतीय स्टेट बैंक (90 दिन के साथ संयुक्त फ्लोरिंग ब्याज दर, बिल दर वर्तमान में 6% की दर से 90 करोड़ एवं 4.5% की दर से 160 करोड़ रु.)			250.00		160.00

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
@ पंजाब नेशनल बैंक (06 माह एमसीएलआर के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर)			0.00		235.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)					
पंजाब नेशनल बैंक (03 माह एमसीएलआर वर्तमान में 6.90% की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर)			0.00		720.06
कुल योग (क)			**250.00**		**1,115.06**
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
एक्सिस बैंक लिमिटेड (रेपो रेट +1% के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 5%)			100.00		0.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (रेपो रेट एवं प्रसार के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 4.45%)			350.00		0.00
उप योग (ख)			**450.00**		**0.00**
कुल			**700.00**		**1,115.06**

$भारतीय स्टेट बैंक से अल्पकालिक ऋण कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्य के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
@पंजाब नेशनल बैंक में अल्पकालिक ऋण टिहरी चरण–1 और कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्ति ब्लाक के द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
*परियोजना स्थल पर मशीनरी, स्पेयर्स, औजार और अनुषंगियों, ईधन, स्टाक, स्पेयर्स एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–। और कोटेश्वर (एचईपी) की कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लाक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्रतिभूत किया जाता है।

टिप्पणी: 27
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत (भारतीय मुद्रा में ऋण)			483.28		547.53
कुल (क)			**483.28**		**547.53**
ख. अप्रतिभूत			50.23		47.62
कुल (ख)			**50.23**		**47.62**
ग. पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता–अप्रतिभूत			4.06		5.62
कुल (क+ख+ग)			**537.57**		**600.77**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.02		0.05	
अन्य के लिए		142.71	142.73	100.99	101.04
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		160.27		68.22	

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
घटाएंः उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	160.27	0.00	68.22
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
बांडधारक और वित्तीय संस्थाएं		160.62		121.51	
अन्य देनदारियां		0.00	160.62	0.00	121.51
कुल			**463.62**		**290.77**
कुल देनदारियां			**1,001.19**		**891.54**
*प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–22 में दिए गए हैं।					

टिप्पणीः 28
अन्य चालू देयताएं

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
देयताएं					
मूल्यह्रास के प्रति लिए गए अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			116.55		67.86
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		845.31		826.51	
घटाएंः					
मूल्यह्रास के लिए समायोजन		826.51	18.80	807.71	18.80
कुल योग			**142.95**		**94.26**

टिप्पणी: 29
चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*			*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*
			वृद्धि	*समायोजन*	*उपयोग*	
1. कार्य		18.32	16.24	(1.13)	(13.92)	19.51
2. कर्मचारियों से संबंधित		244.54	137.12	(5.19)	(74.32)	302.15
3. अन्य		16.62	6.19	(0.80)	(2.04)	19.97
कुल		**279.48**	**159.55**	**(7.12)**	**(90.28)**	**341.63**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**297.50**	**96.20**	**(11.16)**	**(103.07)**	**279.47**

29.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.17 में कर दिया गया है।
29.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 30
चालू कर देताएं (निवल)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
आय कर					
प्रारंभिक शेष			0.00		44.94
अवधि के दौरान वृद्धि			243.05		172.55
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(243.05)		(217.49)
अंत शेष			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 31
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
प्रारंभिक शेष			618.63		569.97
अवधि के दौरान निवल संचलन			(68.40)		48.66
अंत शेष			**550.23**		**618.63**
31 क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है					

टिप्पणी: 31.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	34				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		140.77		147.20	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		9.66		9.95	
पेंशन निधि		8.42		13.41	
उपदान		4.15		5.99	
कल्याण		3.39		4.10	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.67	167.06	0.02	180.67
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		0.13		0.15	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		0.89	1.02	1.01	1.16
दर एवं कर			0.00		1.30
विद्युत एवं ईंधन			7.77		9.27
बीमा			0.11		0.28
संचार			0.71		0.97
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		0.04		0.02	
स्टोर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की खपत		0.00		0.00	

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
भवन		1.06		3.97	
अन्य		2.58	3.68	1.81	5.80
यात्रा एवं वाहन			0.56		1.60
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			4.73		4.64
सुरक्षा			11.50		1.98
प्रचार तथा जनसंपर्क			0.70		0.19
अन्य सामान्य व्यय			8.82		35.06
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.01		0.02
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			7.70		2.82
कंसल्टेंसी परियोजना/संविदा पर व्यय			14.68		0.00
ब्याज अन्य			3.12		1.56
मूल्यह्रास	2		23.95		18.89
कुल व्यय (क)			**256.12**		**266.21**
प्राप्तियां					
अन्य आय	33				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.04		0.11	
कर्मचारियों से		0.62		0.61	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिमः प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		0.67		0.02	
अन्य से		0.15	1.48	0.00	0.74
मशीन किराया प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			0.97		0.75
विविध प्राप्तियां			3.48		3.35
प्रावधान की गई अधिकार राशि को हटाना			0.00		0.01
उचित मूल्यलाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			2.84		1.28
कुल प्राप्तियां (ख)			**8.83**		**6.14**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**247.29**		**260.07**
कराधान के लिए प्रावधान	38				
कराधान सहित निवल व्यय			**247.29**		**260.07**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		**0.05**		**(2.32)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			41.99		28.56
कुल ईडीसी			**289.23**		**290.95**
घटाएं:					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति को आबंटित ईडीसी		218.57		241.84	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		0.00	218.57	7.12	248.96
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**70.66**		**41.99**

टिप्पणी: 32

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		1,770.33		2,074.79	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत् बिक्री के लाभार्थियों से आय		0.00		28.51	
जोड़ें					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		0.00	
घटाएं :					
ग्राहकों को छूट		3.61	1,774.32	3.79	2,099.51
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			21.35		23.44
परामर्श से आय			0.34		0.15
कुल			**1,796.01**		**2,123.10**

32.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

32.2 टिहरी चरण–1 परियोजना के 12 वर्ष के वाणिज्यिक प्रचालन के पूरा होने के कारण, एडीडी ने पूर्व की आस्थिगत आय को अनुमति दी है और माना गया है और परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात् 28 वर्ष के यथानुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 33

अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
ब्याज					
बैंक जमा राशि पर (इसमें टीडीएस 101865.00 रूपये शामिल हैं, पिछले वर्ष 255932.00 रूपये)		0.24		2.89	
कर्मचारियों से		2.05		2.23	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		4.93		1.77	
अन्य		0.38	7.60	0.09	6.98
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			1.73		1.45
विविध प्राप्तियां			7.18		5.59
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			34.38		45.38
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.01		0.30
देर से भुगतान पर अधिभार			660.94		225.68
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			3.05		3.01
कुल योग			**714.95**		**288.4**
घटाएं:					
लाभग्राहियों के साथ साझा की गई गैर–प्रशुल्क आय			0.20		0.00
ईडीसी को अंतरित	31.1		8.83		6.14
कुल			**705.92**		**282.26**

टिप्पणी: 34
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ		468.26	430.87
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान		29.10	30.20
पेंशन निधि		23.18	41.56
उपदान		17.86	19.68
कल्याण व्यय		12.51	16.90
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		4.93	1.76
कुल		**555.84**	**540.97**
घटाएं:			
ईडीसी को अंतरित	31.1	167.06	180.67
कुल		**388.78**	**360.30**

टिप्पणी: 35
वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
वित्त लागत			
बाँडों पर ब्याज		226.70	120.13
घरेलू ऋणों पर ब्याज		146.24	190.78
विदेशी ऋणों पर ब्याज		13.57	24.67
कैश क्रेडिट पर व्यय		36.02	45.60
एफईआरवी		(24.92)	71.17
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान		2.67	1.95
ब्याज अन्य		4.58	4.53
कुल		**404.86**	**458.83**
घटाएं:			
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत		219.81	216.93
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज		3.12	1.56
कुल		**181.93**	**240.34**

टिप्पणी: 36

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
किराया					
कार्यालय किराया		0.28		0.25	
कर्मचारी आवास किराया		2.16	2.44	2.54	2.79
दर एवं कर			3.00		3.11
विद्युत एवं ईंधन			16.94		19.99
बीमा			29.11		21.22
संचार			3.83		3.12
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		43.98		33.48	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		4.07		7.01	
भवन		18.41		16.30	
अन्य		20.74	87.2	20.70	77.49
यात्रा एवं वाहन			1.89		6.36
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			7.91		11.85
सुरक्षा			54.82		53.26
प्रचार तथा जनसंपर्क			1.66		1.32
अन्य सामान्य व्यय			33.15		67.26
लेखापरीक्षकों को भुगतान			0.26		0.28
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.26		0.08
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			7.70		9.95
अनुसंधान और विकास			4.52		4.80
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			14.62		0.06
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			23.01		21.48
कुल			**292.32**		**304.42**
घटाएं:					
ईडीसी को अंतरित	31.1		61.99		65.09
कुल			**230.33**		**239.33**

टिप्पणी: 37
प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
संदिग्ध, ऋणों, सीडब्लूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान			0.25		0.00
कुल			**0.25**		**0.00**
घटाएं:					
ई डी सी को अंतरित	31.1		0.00		0.00
कुल			**0.25**		**0.00**
37.1 भंडारों का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।					

टिप्पणी: 38
कराधान के लिए प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
चालू वर्ष			229.60		163.12
उप–योग			229.60		163.12
कुल			229.60		163.12

टिप्पणी: 39

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन *राशि करोड़ ₹ में*

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन		51.90	49.75
विनियामक अस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर		(9.07)	(8.69)
कुल		**42.83**	**41.06**

टिप्पणी: 40

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन *राशि करोड़ ₹ में*

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)		0.28	(14.79)
उप–योग		0.28	(14.79)
घटाएं:			
ई डी सी को अंतरित	31.1	0.05	(2.32)
कुल		0.23	(12.47)

41.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय लिखतों के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालम गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्शिविक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम– यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।

3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।

4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्‌त होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।

5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।

7. रिपोर्ट की जाने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

41.2 वित्तीय आस्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि ईसीएल मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कालांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है।

41.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

41.4 कोविड–19 जोखिम

कोविड–19 के कारण लाकडाउन अवधि के दौरान कंपनी की प्रचालन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि कार्यबल की कमी हो गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामग्री, उपस्कर आदि के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया

गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार काम के घंटे घटाने तथा कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के कारण उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा।

टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माण परियोजनाएं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), वीपीएचईपी (440 मेगावाट), खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) और सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगाड (50 मेगावाट) से संबंधित कार्य पूरी तरह से लाकडाउन लगाए जाने की अवधि के दौरान ठप्प हो गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार, सभी अनुशंसित सुरक्षा उपाय अपनाकर 20 अप्रैल, 2020 से कार्य आंशिक रूप से शुरु किया गया क्योंकि परिवहन में कठिनाई के कारण कार्यबल और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीमित हो गई थी। इससे कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे परियोजनाओं पर लगभग 6 माह का विलंब हो सकता है।

प्रचलनात्मक परियोजनाओं के संबंध में लाकडाउन के दौरान उत्पादन, नियोजित उत्पादन से कम था क्योंकि मांग कम हो गई थी। परंतु वर्ष 2020–21 के लिए नियोजित उत्पादन बढ़ा दिया गया है और उत्तरवर्ती महीनों में आरंभिक उत्पादन हानि की भरपाई कर ली जाएगी।

माननीय सीईआरसी ने 2019 प्रशुल्क विनियमन के विनियम 59 के प्रावधानों को शिथिल कर दिया है। उपरोक्त शिथिलीकरण के अनुसार दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 के बीच बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद वितरण कंपनियों द्वारा देर से भुगतान किए जाने के लिए संबंधित वितरण कंपनियां 1.5 की बजाय प्रति माह 1 प्रतिशत कम की गई दर पर एलपीएस सहित भुगतान करेगी। इससे निलंबित भुगतानों के कारण कंपनी का राजस्व प्रभावित होगा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 15.05.2020 के पत्र और दिनांक 16.05.2020 के शुद्धि पत्र द्वारा सलाह दी है कि केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादक कंपनियां डिस्कामों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के लिए लाकडाउन अवधि में प्रस्तुत बिजली के बिलों (नियत लागत) के लिए वितरण कंपनियों (डिस्काम) को 20 से 25 प्रतिशत तक छूट दे सकती है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल डिस्कामों को लगभग 35.65 करोड़ रूपये की छूट की अनुमति दी है और इसे अपवादात्मक मदों के रूप में दर्ज किया गया है।

42. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यातमक टिप्पणियांरू

1.पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 6297.31 करोड़ रूपये (गत वर्ष 6805.51 करोड़ रूपये) है।

2. *आकस्मिक देयताएं*

राशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	*विवरण*	*तारीख को*	
		31.03.2021	**31.03.2020**
क	पूंजीगत कार्य	860.93	504.72
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	65.03	64.58
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1106.88	713.48
घ	अन्य	2789.17	2820.11
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	Nil	NIL
च	विवादित कर संबंधी मामले	8.90	8.23
छ	***कुल***	**4830.91**	**4111.12**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	460.77	455.50

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं । कंपनी ने 1.72 करोड़ रुपये एवं 3.63 करोड़ रूपये (गत वर्ष 1.41 करोड़ रूपये तथा 3.32 करोड़ रुपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 27 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 191.54 करोड़ रुपये (गत वर्ष 95. 79 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों के अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.16 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.46 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद टिप्पणी सं. 35 के अनुसार वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये (गत वर्ष 216.93 करोड़ रूपये और 1.56 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 16.50 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 45.91 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत 3139.70 हेक्टेयर (गत वर्ष 3139.70 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2143.98 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 995.72 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है। 995.72 हेक्टेयेर भूमि में से, 583.94 हेक्टेयर भूमि को नियत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्शाया गया है जिसका सकल

और निवल मूल्य क्रमशः 311.99 करोड़ रूपये और 298.66 करोड़ रूपये है और शेष 411.78 हेक्टयेर भूमि निमज्जनाधीन है और इस भूमि का मूल्य औसत आधार 38.53 करोड़ रूपये माना गया है।

(ii) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8–32/06 एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। लेन–देन को अंतिम रूप और पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है। 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 21 फ्लैट (गत वर्ष 24 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.05 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्मीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका । ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को

अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 151.205 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 548 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2019 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

iii) वर्ष 2020–21 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने 31.12.2020 को कासरगौड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की है, परियोजना के प्रचालन से प्रशुल्क याचिका राजस्व को अंतिम रूप दिया जाने के लंबित होने को, राज्य डिस्कॉम के साथ परस्पर सहमति से 3.10 रूपये की अनंतिम दर पर दर्ज किया गया है। तथापि, प्रति यूनिट के लिए 3.10 रूपये की दर निर्धारित करते हुए दिनांक 17.03.2021 के अंतिम प्रशुल्क आदेश को केएसईआरसी द्वारा 05.05.2021 को जारी किया गया।

(iv) कंपनी को भारत सरकार की ओर से इक्विटी निषेचन के रूप में 26.03.2020 को 14.00 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। मैसर्स एनटीपीसी के नामिती के शेयरों सहित भारत सरकार द्वारा रणनीतिक बिक्री को ध्यान में रखते हुए और परिणामस्वरूप दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की 2730.94 करोड़ रूपये की इक्विटी, जो 74.496% का प्रतिनिधित्व करती है, के एनटीपीसी को अंतरण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार से प्राप्त की गई इस राशि को वित्त वर्ष 2020–21 को भारत सरकार को वापिस कर दिया गया।

8. इंडएएस–24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी / संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एमटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी – टस्को लिमिटेड

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021 तक
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* / निदेशक (कार्मिक)	पद पर बने हुए हैं।
3	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	पद पर बने हुए हैं।
4	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	पद पर बने हुए हैं।
ख.	**नामिती निदेशक**		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	26.08.2020 से
2	श्री ए. के. गौतम	गैर–कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से
3	श्री टी. वेंकटेश	गैर–कार्यकारी निदेशक	14.05.2018 से
4	श्री राजपाल	गैर–कार्यकारी निदेशक	30.04.2021 तक
5	श्री ए. के. गुप्ता	गैर–कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से 31.07.2020 तक
ग.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव**		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	पद पर बने हुए हैं।
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	पद पर बनी हुई हैं

*दिनांक 01.05.2021 से अतिरिक्त प्रभार

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं:

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(अ) अन्य

सेवा–टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संवद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर)– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 23.01 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2019 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	*सम्बद्ध पक्षकारों के नाम*	*सम्बध की प्रकृति*
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	*सहायक कंपनी*
	31 मार्च, 2021
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	3.56
किया गया इक्विटी अंशदान	7.40
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	0.31
अन्य	0.40

(ii) एक ही सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	*कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति*	*31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
एनटीपीसी लि.	परामर्शी सेवा	27.35	13.71
बीएचईएल	उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	163.65	80.99
आईओसीएल	ईधन की खरीद	1.67	2.32
बीपीसीएल	ईधन की खरीद	0.94	0.58
पीजीसीआईएल	पावर लाइन डायवर्जन	53.79	0.32
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	6.64	1.63

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एमटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	0.50	0.52
आरआईटीईएस	कंसल्टेंसी सेवाएं	4.27	0.13
एनटीपीसी	लाभांश का भुगतान	527.25	
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंसल्टेंसी	1.09	0
अन्य	विविध	1.08	0.77

(iii) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
क	***वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि***		
	– एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
	– टस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख	***ऋण और अग्रिमों को छोड़कर वसूलनीय राशि***		
	– मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.11	0.14
	– सहायक कंपनी	3.56	शून्य

(iv) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूतिः स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 3.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4.29 करोड़ रुपये) है।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.93	3.72
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.49	0.57
3	सेवांत लाभ	0	0
4	शेयर आधारित भुगतान	0	0
	कुलयोग	3.42	4.29

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श

के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

9. इंड एएस 27 "पृथक वित्तीय विवरण" के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
टस्को लिमिटेड		
(12.09.2020 को निगमित)	भारत	74.00

10) इंडएएस 33 – "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:–

	2020–21	2019–20
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रूपये)	1049.57	879.19
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	1092.41	920.25
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक : 36658817 तनुकृत : 36658817	बेसिक : 36631822.46 तनुकृत : 36642751.43
प्रति शेयर आय रूपये जिसमें विनियामक आय शामिल नहीं हैं। रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	286.31 286.31	240.01 239.94
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रूपया बेसिक रूपया तनुकृत	297.99 297.99	251.22 251.14
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹ 1000	₹ 1000

11. (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	238.66	171.81
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन	0	0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	(9.06)	(8.69)
कुल चालू कर व्यय (ख)	229.60	163.12

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2021 को मान्य नहीं, एमएटी क्रेडिट 580.97 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2020 – 712.91 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 68.40 करोड़ रूपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 48.66 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

12. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

13) (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	लाख रूपये में
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	3.70
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	0.00
	(i) शिक्षा विकास	5.42
	(ii) ग्रामीण विकास (विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित)	3.14
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.19
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.11
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.41
6.	सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	0.05
7.	खेलकूद का संवर्धन	0.02
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	7.40
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण	0.00
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.58
11.	आपदाएं	1.54
12.	एसटीपीपी खुर्जा परियोजना संबंधी व्यय	0.02
	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.54
	कुल योग	***23.10***

Þटीएचडीसीआईएल के 23.01 करोड़ रूपये के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रिबोल्विंग के लिए धन 0.09 करोड़ रूपये से 'सेवा' द्वारा किया गया व्यय।

ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

ग) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय (पूँजी या राजस्व) का ब्यौराः

क्र. स.		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुल योग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए	23.01	0.00	23.01

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटनः–

कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 4.52 करोड़ रूपये (पूँजी– 4.52 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 6.12 करोड़ रूपये) (पूँजी–1.32 करोड़ रूपये) राजस्व 4.80 करोड़ रूपये) राशि व्यय की है।

14) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत अपेक्षित 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि करोड़ रूपये में)

	2020-21	2019-20
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	0.45	0.71
ii) उस पर ब्याज	0.00	0.00
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	0.00	0.00
ग. देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद भुगतान किया जा चुका है। परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	0.00	0.00
घ. प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	0.00	0.00
ड. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि और उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से स्मॉल इंटरप्राइजेज को किया गया हो।	0.00	0.00

15. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1	प्रकटीकरण अपेक्षाओं में सुधार के लिए मौजूदा लेखांकन नीति संख्या 20 में कतिपय संशोधन किए गए	इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

16. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा' को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में हैः–

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर, कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैम्प पट्टे पर लिए जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित करती है जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैंः–

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**15.88**	**0.00**
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	**1.72**	**43.14**
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	**1.53**	**1.51**
–पट्टा देयताओं का भुगतान	**5.87**	**28.78**
अंत शेष	**13.26**	**15.88**
चालू	**4.20**	**5.62**
गैर–चालू	**9.06**	**10.26**

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि करोड़ रूपये में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
3 माह या कम	1.13	**1.70**
3–12 माह	3.42	**5.06**
1–2 वर्ष	5.21	**6.02**
2–5 वर्ष	2.05	**2.13**
5 वर्ष से अधिक	7.22	**7.89**
31 मार्च, 2020 को पट्टा देयताएं	19.04	**22.80**

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	17.19	8.82
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	1.53	1.52
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.44	2.79

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	5.87	28.78
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.43	2.79

17. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन शून्य रूपये (गत वर्ष –3.73 करोड़ रूपये) के आधार पर चूँकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान

मूल्य से 0.21 करोड़ रूपये (गत वर्ष में –3.73 करोड़ रूपये क्योंकि दायित्वों का वर्तमान मूल्य परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 3.73 करोड़ रूपये अधिक है) अधिक है, इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी):

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) को बही में दर्ज किया गया है क्योंकि दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) अधिक है।

(v) अन्य (असबाब/एलएसए/एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2021 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान एवं जैखिम प्रकटीकरणः–

(रूपए करोड़ में)

विवरण	*31.03.21*	*31.03.2020*	*31.03.2019*	*31.03.2018*	*31.03.2017*
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	6.75%	6.75%	7.75%	7.60%	7.50%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	6.5%	8.00%	8.00%	8.00%

जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोजर) का ब्यौराः मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन की आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)*	*अन्य–बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड /एफबीएस*
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	191.01 {178.93}	56.07 {43.04}	109.06 {98.83}	79.85 {70.02}	12.63 {12.43}
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					1.18
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
लाभ का भुगतान	(17.94) {(16.35)}	(13.31) {(14.69)}	(4.11) {(2.78)}	(3.42) {(2.85)}	(1.33) {(1.51)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}

सारणी –3
तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य–बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड /एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	83.01 (74.02)	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता/ प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	83.01 (74.02	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई एवं ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य–बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड /एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
सेवा उपरांत लागत					118.44
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	17.97 {19.68}	23.42 {27.71}	11.18 {13.00}	2.95 {3.07}	3.19 {2.14}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(राशि करोड़ रूपये में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	*उपदान*		*अर्जित अवकाश (ईएल)*		*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*		*पीआरएमवी*		*अन्य*	
	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(5.09)	(5.42)	(2.09)	(1.82)	(3.20)	(3.23)	(10.17)	(9.30)	(0.38)	(0.35)
0.50% की घटोत्तरी	5.36	5.72	2.23	1.93	3.37	3.40	10.34	9.46	0.39	0.36
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.24	1.46	2.22	1.93	3.36	3.40	लागू नहीं	लागू नहीं	0.18	1.80
0.50% की घटोत्तरी	(1.34)	(1.56)	(2.10)	(1.83)	(3.22)	(3.32)	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.17)	(1.70)
चिकित्सा लागत/समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	10.37	9.49	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की घटोत्तरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(10.21)	(9.33)	लागू नहीं	लागू नहीं

अन्य प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रूपये में)

उपदान	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	189.99	191.01	178.93	174.87	170.03
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	17.97	19.68	19.35	19.59	30.76

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	66.18	56.07	43.04	27.72	53.98
बीमांकिक (लाभ/हानि)	6.26	11.60	11.38	4.52	16.68
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	23.42	27.71	25.85	10.03	22.63

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	116.13	109.06	98.83	88.81	123.88
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.88)	0.83	1.78	(46.16)	8.61
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	11.18	13.00	12.79	(32.84)	22.34.

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.30	79.85	70.02	62.70	56.39
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.34	2.76	3.85	1.22	6.43
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.95	3.07	6.94	6.44	5.25

अन्य असबाब भत्ता/लंबी सेवा/एफबीएस	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.29	12.63	12.43	8.92	8.62
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.19	2.14	5.16	1.38	1.12
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					

18. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 (संशोधित) बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधक वर्ग की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(राशि करोड़ रूपए में)

		2020-21	2019-20
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.13*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.02
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.06	0.10
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.03

लेखापरीक्षकों को भुगतान में 0.02 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष से संबंधित 0.02 करोड़ रूपये) शामिल हैं।

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

20. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021	31.03.2020
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	225.08	25.19
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष	13	0.00	0.58
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	26	700.00	1115.05
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		474.92	–1089.28

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में प्रारंभिक और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2020–21	प्रारंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88		3665.88		
दीर्घकालिक उधारियाँ (बॉंड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	4557.74		5560.99	1003.25	आहरित ऋण बांड – 1550.00 करोड़ रूपये विश्व बैंक – 77.00 करोड़ रूपये चुकौती घरेलू : 547.53 करोड़ रूपये विश्व – 48.67 करोड़ रूपये विनिमय दर –24.92 करोड़ रूपये (एफएवी) निवल परिवर्तन – 1005.87 करोड़ रूपये पट्टा – 2.63 करोड़ रूपये (निवल कमी)
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें – सीडब्ल्यूआईपी		404.86 (222.93)		(181.93)	लाभ और हानि में प्रभारित
विलंबित भुगतान अधिभार		660.94		660.94	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश		(707.75)		(707.75)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				774.51	

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 026692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय ववरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ–साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट मेल संसूचित किया जाएगा।

क्र. सं.	*लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला*	*लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण*
1.	***ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन*** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं । सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 32 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते हैं, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।
2.	***आकस्मिक देयताएँ*** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है।	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं – लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। – प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। – विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है।
	(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.2 देखें)	– प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। – जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। – प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा(i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 995.72 हेक्टेयर भूमि के संबंध में टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5(i) का टीएचडीसीआईएल द्वारा उपयोग परियोजना कार्यो के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5 (ii) 44.426 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि के संबंध मे है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है, 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है। तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 28 में 49.03 करोड़ रूपये की राशि की देयता को निर्धारित किया गया है।

(ग) कंपनी के कार्यनिष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.4। इसके अलावा, कंपनी ने डिस्कॉमों को 35.65 करोड़ रूपये की एक विशेष रियायत दी है जिसे अपवादात्मक मद के रूप में माना गया है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियों सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त के अनुसार सूचनाएं देते हैं तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के

बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी के वित्तिय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

स्टैडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमनेः

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अभिभावी होना शामिल हो सकता है।

- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिन्हित गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के

संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं । हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण ***अनुलग्नक "क"*** में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका ***अनुलग्नक "ख"*** में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं

(घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया ***अनुलग्नक "ग"*** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.400460

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 10.06.2021
यूडीआईएन: 21400460एएबीएलएक्स7670

अनुलग्नक "क"

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i) (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं ।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखा – बही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन सयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यातपन, उनकी अचल प्रकृति टिहरी/कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि/ढुकवां/कासरगॉड के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) निम्नलिखित को छोड़कर सभी अचल संपत्तियां स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैः

परिसंपत्ति का नाम	क्षेत्र, हेक्टेयर में	31.03.2021 को सकल ब्लॉक (करोड़ रूपये में)	31.03.2021 को निवल ब्लॉक (करोड़ रूपये में)
पूर्ण स्वामित्व	97.98	2.50	2.50
उपयोग का अधिकारी (पट्टे पर भूमि)	485.96	309.49	296.15
डूब के अंतर्गत भूमि	411.78	38.63	22.37
उपयोग का अधिकारी (सिविल सोयम भूमि)	44.429	49.04	47.28

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधक वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ –3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –73 से 76 तक तथा उसमे निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख–रखाव निर्धारित किया है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखाओं और रिकॉर्डों को तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या ये सटीक और सत्य है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रकियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सम्पंत्ति कर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2021 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पैष्टीकरण के आधार पर विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर और उप कर, यदि कोई हो, का ब्यौरा 31 मार्च, 2021 के अनुसार निम्नानुसार हैः–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (रूपये लाख में)	जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं	विरोध सहित जमा (रूपये लाख में)	मंच जहां मामला लंबित हैं
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	634.43	2015–16 से 2020–21	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	196.47	2015–16 से 2020–21	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	7.18	2004–05 से 2014–15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234 बीसी के अंतर्गत छूट	1.72	2006–07	शून्य	एसीआईटी, देहरादून
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995	पेंशन अंशदान	3.53	जुलाई, 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एवं ईडीएलआई स्कीम, 1976	विलंबित भुगतान / निरीक्षण प्रभार	14.84	जुलाई, 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ

(viii) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

(ix) कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण लिखितों अर्थात् निजी प्लेसमेंट आधार पर कारपोरेट बांड (श्रृंखला–3 और 4) के माध्यम से जुटाए गए धन का इस्तेमाल पहले से किए जा चुके व्यय और सावधि ऋणों को पूरा करने सहित निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया।

(x) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची–V प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवतनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3(XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

(xv) हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया। अतएव आदेश के खंड–3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने के आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड 3 (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

एम नं.: 400460

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 10.06.2021

अनुलग्नक "ख"

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के क्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी निर्देश

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रौसेस करने का सिस्टम मौजूद है? यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है?	हमारे सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का मामले नहीं था जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सभी किश्तों और उन पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान पर ऋण स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी है। टीएचडीसी इंडिया लि. ने पीएनबी से मध्यावधि ऋण और अल्पावधि ऋण के लिए उपरोक्त ऋण स्थगन सुविधा प्राप्त की है तथा एसबीआई से कार्यशील पूंजी सीमा प्राप्त की है। कंपनी ने अदायगी की संशोधित अनुसूची का पालन किया है और इसका उचित लेखा–जोखा दिया गया है।

क्र. सं.	निर्देश	उत्तदर
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया / उपयोग किया गया।	लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई निधियों (इक्विटी) का हिसाब किताब भली–भांति रखा गया तथा संबंधित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं. 001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

एम नं. 400460

स्थानः लखनऊ

दिनांक 10.06.2021

अनुलग्नक "ग"

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(च) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2021 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी हैं । इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतरित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है ।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्यकंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय

व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है ।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय प्रणाली 31 मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

प्रबंधन वर्ग द्वारा कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 41.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसका उल्लेख स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट के 'मामले पर बल' संबंधी पैराग्राफ में किया गया है।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

एम नं.400460

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 10.06.2021

सत्यमेव जयते

गोपनीय

संख्या.:DGA (Energy)/Rep/01-56/THDC-SFS/2021-22/Vol. V/31

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिनांक/Dated: 13.08.2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड
ऋषिकेश

महोदय,

विषय:- **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

मैं, टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

[signature]

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्त्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 10 जून, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

(डी. के. शेखर)
महालेखा परीक्षक (ऊर्जा)
दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 13 अगस्त, 2021

समेकित वित्तीय विवरण 2020–21

तुलन पत्र

लाभ एवं हानि का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां

31 मार्च, 2021 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

राशि करोड़ रूपये में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	2		6,562.04		6,591.99
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		6,420.71		4,989.80
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		0.39		0.20
(घ) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	2		410.83		380.71
(ड.) सहायक कंपनी में निवेश	4		0.00		0.00
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) ऋण	5	39.24		38.89	
(ii) अग्रिम	6	0.01	39.25	0.01	38.9
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		871.39		939.71
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	8		32.49		24.55
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9		1,906.22		1,582.89
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	10		34.94		32.42
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
i) प्राप्य व्यापार	11	1,055.48		1,868.94	
ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	12	232.30		25.2	
iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	13	0.00		0.58	
iv) ऋण	14	9.43		8.36	
v) अग्रिम	15	502.32		500.99	
vi) अन्य	16	357.57	2,157.10	257.06	2,661.13
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	17		60.81		60.37
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18		54.35		59.73
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	19		169.72		186.22
कुल योग			**18,720.24**		**17,548.62**
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	20		3,665.88		3,665.88
ख) अन्य इक्विटी	21		6,251.36		5,866.59
मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी			**9,917.24**		**9,532.47**
गैर–नियंत्रणीय हित			2.53		0
कुल इक्विटी			**9,919.77**		**9,532.47**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
गैर चालू देनदारियां					
क) वित्तीय देनदारियां					
(i) ऋण	22	5,023.69		3,956.96	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	23	28.11	5,051.80	25.38	3,982.34
ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	24		796.53		821.97
ग) प्रावधान	25		190.37		190.85
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
i) ऋण	26	700.00		1,115.06	
ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं		0.42		0.66	
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं		24.65		21.37	
iii) अन्य	27	1,001.78	1,726.85	891.54	2,028.63
(ख) अन्य चालू देयताएं	28		143.04		94.26
(ग) प्रावधान	29		341.65		279.47
(घ) गैर कर चालू देनदारियां (निवल)	30		0.00		0.00
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	31		550.23		618.63
कुल योग			**18,720.24**		**17,548.62**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	41				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां	42				
1 से 42 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021

स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का समेकित विवरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	32		1,796.01		2,123.10
अन्य आय	33		706.00		282.26
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		18.80		63.74	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	18.80	0.00	63.74	0.00
कुल राजस्व			**2,502.01**		**2,405.36**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	34		388.78		360.30
वित्त लागत	35		181.93		240.34
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		317.33		576.10
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	36		230.75		239.33
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, डब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	37		0.25		0.00
कुल व्यय			**1,119.04**		**1,416.07**
विनियामक आस्थगित खाता शेष, विशेष मदें और कर पूर्व लाभ			**1,382.97**		**989.29**
विशेष मदें–(आय)/व्यय–निवल			35.65		0.00
कर पूर्व लाभ और नियामक आस्थगित खाता शेष			**1,347.32**		**989.29**
कर व्यय	38				
चालू कर					
आयकर			229.60		163.12
आस्थगित कर–(परिसंपत्ति)/देयता			68.40		(53.02)
I *विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व अवधि के लिए लाभ*			**1,049.32**		**879.19**
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय)–निवल कर	39		42.83		41.06
लगातार परिचालनों से अवधि के लिए लाभ			**1,092.15**		**920.25**
II *अन्य बृहत आय*					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएंगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	40		0.23		(12.47)
परिभाषित हित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं– आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			0.08		(4.35)
अन्य बृहत् आय			**0.31**		**(16.82)**

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
कुल बृहत् आय (I+II)			**1,092.46**		**903.43**
निम्नलिखित को आरोप्य लाभ					
मूल कंपनी के स्वामी			1,092.22		920.25
गैर–नियंत्रणीय हित			(0.07)		0.00
कुल			**1,092.15**		**920.25**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय:					
मूल कंपनी के स्वामी			0.31		(16.82)
कुल			**0.31**		**(16.82)**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय					
मूल कंपनी के स्वामी			1,092.53		903.43
गैर–नियंत्रणीय हित			(0.07)		0.00
कुल			**1,092.46**		**903.43**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (रूपये)			297.94		251.22
तनुकृत (रूपये)			297.94		251.14
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन रहित)					
बेसिक (रूपये)			286.26		240.01
तनुकृत (रूपये)			286.26		239.94
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन	41				
जोखिम प्रबंधन	42				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां, 1 से 42 तक की टिप्पणी इन लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
विशेष मदों और कर पूर्व लाभ		**1,382.97**		**989.29**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास	317.33		576.10	
मूल्यह्रास – सिंचाई घटक	18.80		63.74	
प्रावधान	0.25		–	
विलंबित भुगतान अधिभार	(660.94)		(225.68)	
वित्तीय लागत	181.93		240.34	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	0.23		(0.24)	
अन्य बृहत आय (ओसीआई)	0.23		(12.47)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	(42.83)		(41.06)	
विशेष मदें	(35.65)		0.00	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(9.07)	(229.72)	(8.69)	592.04
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,153.25**		**1,581.33**
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
माल सूची	(2.78)		(1.82)	
प्राप्य व्यापार (अनबिल्ड राजस्व सहित)	712.95		(424.72)	
अन्य परिसंपत्तियां	7.88		(471.59)	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(9.80)		8.90	
माइनोरिटी हित	0.07		-	
व्यापार देय और देनदारियां	202.48		(46.97)	
प्रावधान (वर्तमान + गैर चालू)	61.70		(47.44)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	42.83	1,015.33	41.06	(942.58)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**2,168.58**		**638.75**
कारपोरेट कर		(229.60)		(163.12)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,938.98**		**475.63**

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन				
संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(1,767.40)		(1,227.21)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(0.23)		0.24	
पूँजी अग्रिम	(327.16)		(373.86)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(2,094.79)**		**(1,600.83)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	–		7.00	
उधारियां	1,005.88		1,345.47	
पट्टा संबंधी दायित्व	(2.28)		15.88	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(181.93)		(240.34)	
विलंबित भुगतान अधिभार	660.94		225.68	
गैर–नियंत्रणीय हित से पूंजीगत अंशदान	2.53		0.00	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(707.75)		(151.90)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**777.39**		**1,201.79**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**621.58**		**76.59**
ङ. आरंभिक नकदी तथा नकदी समकक्ष		**(1,089.28)**		**(1,165.87)**
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ+ङ.)		**(467.70)**		**(1,089.28)**

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में शून्य रूपये (गत वर्ष में 0.58 करोड़ रूपये) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध/पुनः दर्शित किया गया है।
3. नकदी और नकदी समकक्ष का नोट सं. 42.21 (क) में समाधान कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,665.88**

ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)			
अथ शेष (1)		**4.00**	**5,845.53**	**39.00**	**(17.95)**	**5,866.58**	**0.00**	**5,866.58**
वर्ष के लिए लाभ			1,092.22			1,092.22	(0.07)	1,092.15
अन्य बृहत् आय					0.31	0.31		0.31
कुल बृहत् आय			**1,092.22**		**0.31**	**1,092.53**	**(0.07)**	**1,092.46**
गैर नियंत्रित ब्याज से इक्विटी अंशदान							2.60	
लाभांश			707.75			707.75		707.75
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)			
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**384.47**			**384.78**		**384.71**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित/समायोजन (iii)			(40.50)			(40.50)		(40.50)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग/समायोजित) (IV)				40.50		40.50		40.50
अंतशेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,189.50**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.36**	**2.53**	**6,251.29**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,654.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		11.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,665.88**

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बिमांकिक लाभ/(हानि)			
अथ शेष (1)		**4.00**	**5,071.18**	**45.00**	**(1.12)**	**5,119.06**	**0.00**	**5,119.06**
वर्ष के लिए लाभ			920.25			920.25	0.00	920.25
अन्य बृहत् आय					(16.82)	(16.82)		(16.82)
कुल बृहत् आय			**920.25**		**(16.82)**	**903.43**	**0.00**	**903.43**
गैर नियंत्रित ब्याज से इक्विटी अंशदान							0.00	
लाभांश			126.00			126.00		126.00
लाभांश पर कर			25.90			25.90		25.90

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	कुल	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बिमांकिक लाभ/(हानि)			
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**768.35**			**751.53**		**751.53**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित (iii)			6.00			6.00		6.00
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				(6.000)		(6.000)		(6.000)
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूँजी आबंटन जमा/(आबंटित) (V) (निवल)		(4)				(4)		(4)
अंत शेष (I+II+III+IV+V)		**0.00**	**5,845.53**	**39.00**	**(17.94)**	**5,866.59**	**0.00**	**5,866.59**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

टिप्पणी संख्या–1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

टीएचडीसी लिमिटेड ('कंपनी' या 'धारक कंपनी') भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः यू45203यूआर1988जीओआई009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.1 ये समेकित वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 09.06.2021 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.2 इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तु की गई सभी वित्तीय सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है, जबकि अन्यथा न कहा गया हो।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

1.1 विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए तैयार किए गए हैं जिसके लिए कंपनी के विवरण तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी वह संस्था है जिस पर समूह का नियंत्रण है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह का उस संस्था में शामिल होने से अस्थिर प्रतिफल का अधिकार होता है या निवेशी की संगत गतिविधियों को निर्देशत करने के लिए अपने अधिकारों के माध्यम से ऐसे प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनी समूह द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण की तारीख से पूर्ण

समेकित है और तब तक समेकित रहेगी जब तक कि ऐसे नियंत्रण समाप्त न हो जाएं।

समूह, मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों जैसे परिसंपत्तियों की मदें, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकीकृत करता है। समूह की कंपनियों के बीच संव्यवहारों पर अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष और अप्राप्य लाभों को निकाल दिया जाता है। अप्राप्य हानियों को भी निकाल दिया जाता है जब तक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित में परिवर्तन, जिनके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेन–देन के रूप में दर्ज किया जाता है।

जब किसी सहायक कंपनी से समूह का नियंत्रण हट जाता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं और किसी संबंधित एनसीआई एवं इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देता है। पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में बरकरार किसी अन्य हित का नियंत्रण हटने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। उस सहायक कंपनी के संबंध में पूर्व में अन्य विस्तृत आय में मान्य अन्य सभी राशियों को ऐसे दर्ज किया जाता है जैसे समूह ने प्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं को निस्तारित किया है अर्थात् लागू इंड एएस द्वारा यथानिर्दिष्ट लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनःवर्गीकृत किया है या इक्विटी में अंतरित किया है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिधारित हित के लिए अनुवर्ती लेखांकन के प्रयोजनों के लिए आरम्भिक वहन राशि बना जाता है।

3. *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर*

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया हो, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित

नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में उन्हें मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, यदि यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करती हो। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष अग्रेषण राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृह्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृह्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 पीपीई की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से अनपेक्षित आर्थिक लाभ अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपीई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति को व्यावसायिक प्रचालन तिथि से डूब के अंतर्गत भूमि के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती हैं।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत "कोयला खानों के विकास" को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। "पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस)" को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों को लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटाकर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों

को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. *उचित मूल्य माप*

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत की माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. *संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां*

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ/हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 ***प्रारंभिक पहचान और माप:*** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती

हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 ***तदन्तर माप:*** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 ***अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)*** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल–सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देनदारियां

12.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 उत्तरवर्ती माप

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हस्तांरित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के संबंध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके संबंध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध है, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

19.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

19.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/– रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.7 भूमि के प्रयोग के अधिकार की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची की अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों के अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन

हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 आस्थगित कर

22.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि

भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चितता कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चितता का परिणाम भली–भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि अनिश्चितता के सर्वोत्तम समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

23.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को “विनियामक आस्थगित लेखा शेष” के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

26.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

28.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता'' या ''सीओडीएम'' कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड के परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर

परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

29.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता हैद्य आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जबतक वे गौण न हों।

टिप्पणी: 2

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	1.58	-	39.83	-	-	-	-	39.83	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,687.50	10.73	-	1,698.23	669.62	38.86	-	708.48	989.75	1,017.88
3. भवन	1,049.38	19.96	-	1,069.34	287.09	34.41	-	321.5	747.84	762.29
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.39	0.25	-	24.64	24.39	0.11	-	24.5	0.14	-
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	173.65	13.05	(0.02)	186.68	44.39	7.32	-	51.71	134.97	129.26
6. ड्रेनेज/सीवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	0.32	-	22.67	9.14	1.10	-	10.24	12.43	13.21
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	24.46	0.01	-	24.47	14.70	1.40	-	16.1	8.37	9.76
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,177.93	240.73	(0.02)	3,418.64	1,501.82	106.01	-	1,607.83	1,810.81	1,676.11
9. ई.डी.पी. मशीनें	18.17	1.51	(0.38)	19.30	11.31	2.47	(0.30)	13.48	5.82	6.86
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	0.78	-	46.55	10.42	1.13	-	11.55	35	35.35
11. पारेषण लाइनें	26.66	5.55	-	32.21	16.12	1.32	-	17.44	14.77	10.54
12. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	61.17	8.76	(0.06)	69.87	46.98	5.37	(0.05)	52.3	17.57	14.19
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	29.06	5.13	(0.04)	34.15	16.61	2.76	-	19.37	14.78	12.45
14. वाहन	22.53	0.79	-	23.32	10.77	1.72	-	12.49	10.83	11.76
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.52	0.07	-	0.59	0.63	0.70
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,190.62	-	-	5,190.62	3,063.29	105.3	-	3,168.59	2,022.03	2,127.33
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,606.20	-	-	1,606.20	880.16	29.57	-	909.73	696.47	726.04
उप–योग	**13,199.31**	**309.15**	**(0.52)**	**13,507.94**	**6,607.33**	**338.92**	**(0.35)**	**6,945.90**	**6,562.04**	**6,591.98**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**12,756.51**	**444.99**	**(2.18)**	**13,199.32**	**5,959.74**	**649.26**	**(1.67)**	**6,607.33**	**6,591.99**	**6,796.77**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	4.71	0.42	-	5.13	4.51	0.23	-	4.74	0.39	0.20
उप–योग	**4.71**	**0.42**	**-**	**5.13**	**4.51**	**0.23**	**-**	**4.74**	**0.39**	**0.20**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**4.71**	**-**	**-**	**4.71**	**3.86**	**0.65**	**-**	**4.51**	**0.2**	**0.85**
ग. परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	384.01	49.04	-	433.05	12.45	15.77	-	28.22	404.83	371.56
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	3.85	0.59	(0.07)	4.37	1.22	1.27	(0.04)	2.45	1.92	2.63
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	7.35	1.51	(0.09)	8.77	0.84	3.94	(0.09)	4.69	4.08	6.51
उप–योग	**395.21**	**51.14**	**(0.16)**	**446.19**	**14.51**	**20.98**	**(0.13)**	**35.36**	**410.83**	**380.7**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**39.05**	**356.16**	**-**	**395.21**	**5.68**	**8.82**	**-**	**14.5**	**380.71**	**33.37**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		पूर्व वर्ष			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					24.00		18.89			
पी एंड एल विवरण को हस्तांतरित मूल्यह्रास					317.33		576.1			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					18.8	360.13	63.74	658.73		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					0.16		0.21			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए है।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए है।

टिप्पणी : 2

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	-	-	38.25	-	-	-	-	38.25	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,651.32	36.18	-	1,687.50	614.30	55.32	-	669.62	1,017.88	1,037.02
3. भवन	1,005.15	44.23	-	1,049.38	252.90	34.19	-	287.09	762.29	752.25
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.18	0.21	-	24.39	24.18	0.21	-	24.39	-	-
5. सड़क, पुल तथा पुलिया	162.58	11.07	-	173.65	38.40	5.99	-	44.39	129.26	124.18
6. ड्रेनेज/सीवरेज तथा जलापूर्ति	22.35	-	-	22.35	7.59	1.55	-	9.14	13.21	14.76
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	22.45	2.17	(0.16)	24.46	13.49	1.31	(0.10)	14.70	9.76	8.96
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,051.28	127.14	(0.49)	3,177.93	1,335.02	167.11	(0.31)	1,501.82	1,676.11	1,716.26
9. ई.डी.पी. मशीनें	16.09	3.46	(1.38)	18.17	10.05	2.45	(1.19)	11.31	6.86	6.04
10. विद्युत संस्थापनाएं	45.77	-	-	45.77	9.14	1.28	-	10.42	35.35	36.63
11. पारेषण लाइनें	25.84	0.82	-	26.66	11.74	4.38	-	16.12	10.54	14.10
12.कार्यालय तथा अन्य उपकरण	58.66	2.58	(0.07)	61.17	29.03	18.00	(0.05)	46.98	14.19	29.63
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	26.69	(2.40)	(0.02)	29.07	12.30	4.31	-	16.61	12.46	14.39
14. वाहन	20.73	1.86	(0.06)	22.53	8.74	2.05	(0.02)	10.77	11.76	11.99
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.45	0.07	-	0.52	0.70	0.77
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,184.15	6.47	-	5,190.62	2,789.25	274.04	-	3,063.29	2,127.33	2,394.90
17. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,399.80	(206.40)	-	1,606.20	803.16	77.00	-	880.16	726.04	596.64
उप–योग	**12,756.51**	**444.99**	**(2.18)**	**13,199.32**	**5,959.74**	**649.26**	**(1.67)**	**6,607.33**	**6,591.99**	**6,796.77**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**12,619.85**	**139.50**	**(2.84)**	**12,756.51**	**5,327.52**	**634.67**	**(2.45)**	**5,959.74**	**6,796.77**	**7,292.33**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 के अनुसार	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	4.71	-	-	4.71	3.86	0.65	-	4.51	0.20	0.85
उप–योग	**4.71**	**-**	**-**	**4.71**	**3.86**	**0.65**	**-**	**4.51**	**0.20**	**0.85**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**3.97**	**0.74**	**-**	**4.71**	**3.64**	**0.22**	**-**	**3.86**	**0.85**	**0.33**
ग. परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	39.05	344.96	-	384.01	5.68	6.77	-	12.45	371.56	33.37
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	-	3.85	-	3.85	-	1.21	-	1.21	2.64	-
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	-	7.35	-	7.35	-	0.84	-	0.84	6.51	-
उप–योग	**39.05**	**356.16**	**-**	**395.21**	**5.68**	**8.82**	**-**	**14.50**	**380.71**	**33.37**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**39.05**	**-**	**-**	**39.05**	**3.82**	**1.86**	**-**	**5.68**	**33.37**	**35.23**
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					***पिछले वर्ष***		-			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					18.89		12.60			
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					576.10		555.00			
पी एंड एल विवरण को हस्तांतरित मूल्यह्रास उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					63.74	658.73	69.15	636.75		
वर्ष के दौरान रूपये 1500.00 से अधिक परंतु रूपये 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					0.21		0.29			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 × 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित की गई है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अयोग्य सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.5 में दिए गए है।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 42.6 में दिए गए है।

टिप्पणी: 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी सं.*	*01 अप्रैल 2020 की स्थिति अनुसार*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि*			*31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार*
			वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान वृद्धि	*वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान समायोजन*	*वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान पूंजीकरण*	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		117.72	39.5	(2.17)	(19.42)	135.63
सड़क–पुल तथा पुलिया		25.04	22.87	(0.01)	(12.94)	34.96
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		5.04	0.24	0.94	(0.11)	6.11
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		1,672.55	998.43	(2.70)	(239.10)	2,429.18
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवेज, जलमार्ग चैनल्स वियर्स, सर्विस गेट तथा अन्य हाइड्रोलिक कार्य		2,866.39	452.41	(0.11)	–	3,318.69
जलागम क्षेत्र वनीकरण		88.00	–	–	–	88.00
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		0.86	0.06	–	–	0.92
परियोजना निर्माण से सीधे जुड़े अन्य व्यय		0.00	149.17	0.00	0.00	149.17
कोयला खान का विकास		37.61	1.75	0.00	0.00	39.36
अन्य		3.87	0.65	(0.95)	(0.62)	2.95
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		98.09	2.19	(0.23)	–	100.05
निर्माण के दौरान व्यय	31.1	41.99	251.82			293.81
घटाएं: पी एंड एल को आबंटित/ प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय	31.1		218.57			218.57
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		67.47	20.48	(0.08)	(12.59)	75.28
घटाएं : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		34.83	0.00	0.00	0.00	34.83
कुल योग		**4,989.80**	**1,721.00**	**(5.31)**	**(284.78)**	**6,420.71**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**4,544.34**	**1,153.66**	**7.43**	**(715.63)**	**4,989.80**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, बीपीए और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन लगातार जारी परियोजनाएं शामिल हैं। चूँकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी: 4

गैर चालू परिसंपत्तियां–सहायक कंपनी में निवेश

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी में निवेश					
टस्को			7.40		0.00
घटाएं: सहायक कंपनी टस्को द्वारा आबंटित शेयर पूंजी			7.40		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 5

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		17.79		16.50	
शोध्य समझे गए –अप्रतिभूत		6.99		9.45	
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए –प्रतिभूत		23.04		25.49	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.06		1.89	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**49.88**		**53.33**	
घटाएं: प्रतिभूति ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		8.90		11.86	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.80	39.18	2.66	38.81
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.05		0.08	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.01	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.07**		**0.09**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
उप–योग			**39.24**		**38.89**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल योग– अग्रिम			**39.24**		**38.89**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
मूलधन		0.05		0.08	
ब्याज		0.02		0.01	
कुल योग		**0.07**		**0.09**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.06	0.01	0.08
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.01		0.01	
ब्याज		0.01		0.01	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	
घटाएं : उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02

टिप्पणी: 6

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम *राशि करोड़ ₹ में*

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद रूप में, वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय)					
कर्मचारियों को		0.01		0.01	
अन्य को		0.00	0.01	0.00	0.01
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग			**0.01**		**0.01**

टिप्पणी: 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति *राशि करोड़ ₹ में*

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(29.75)		(29.75)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		901.14	871.39	969.46	939.71
कुल योग			**871.39**		**939.71**

टिप्पणी : 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां *राशि करोड़ ₹ में*

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			32.49		24.55
कुल योग			**32.49**		**24.55**

टिप्पणी : 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			10.70		14.53
उप–योग			**10.70**		**14.53**
अग्रिम पूँजी					
अप्रतिभूत					
(i) बैंक गारंटी के विरुद्ध (951.57 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		858.38		933.55	
(ii) पुनर्वास/पुनः स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		423.88		287.46	
(iii) अन्य		579.26		393.88	
(iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		157.39	2,018.91	77.49	1,692.38
घटायें : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			123.39		124.02
उप–योग– पूँजी अग्रिम			**1,895.52**		**1,568.36**
कुल योग			**1,906.22**		**1,582.89**

टिप्पणी: 10

माल सामग्री

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
माल सामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		1.68		1.00	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		28.92		28.35	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		4.44		3.01	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		0.17	35.21	0.09	32.45
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			0.27		0.03
कुल योग			**34.94**		**32.42**

टिप्पणी: 11

व्यापार प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		448.92		1,257.14	
उधारी में हानि		67.39	516.31	100.76	1,357.90
घटाएं: –अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			67.39		100.76
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		606.56		611.80	
उधारी में हानि		0.00	606.56	0.00	611.80
कुल योग			**1,055.48**		**1,868.94**

टिप्पणी : 12

नकदी और नकदी समकक्ष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
नकदी एवं नकदी समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			232.29		25.18
पास में चैक, ड्राफ्ट्स			0.01		0.02
कुल योग			**232.30**		**25.20**

टिप्पणी :13

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध बैंक में शेष)			0.00		0.58
कुल योग			**0.00**		**0.58**
13.1 बैंक में शेष, जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, में एलसी/न्यायालय आदेश के विरूद्ध लिअन शेष है।					

टिप्पणी : 14

चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–ऋण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		6.54		6.16	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2.53		2.71	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		1.87		1.74	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.08		0.09	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**11.02**		**10.7**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.21		1.87	
घटाएं:अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.32	9.49	0.41	8.42
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप–योग			**9.51**		**8.44**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल अग्रिम			**9.43**		**8.36**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		**0.00**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी :15

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.42		4.78	
अन्य को		0.35	6.77	0.35	5.13
जमा					
प्रतिभूति जमा		14.65		12.72	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		480.88		483.12	
अन्य जमा		0.02	495.55	0.02	495.86
कुल योग			**502.32**		**500.99**

टिप्पणी :16

चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अन्य					
अन्य अनबिल्ड राजस्व			357.57		257.06
कुल योग			**357.57**		**257.06**

16.1 अनबिल्ड राजस्व में अप्रैल, 2021 में बिल की गई मार्च, 2021 के लिए 106.55 करोड़ रूपये की बिक्री (अप्रैल, 2020 में बिल की गई मार्च, 2020 के लिए 111.56 करोड़ रूपये की बिक्री) एवं 251.02 करोड़ रु. की लंबित प्रशुल्क याचिका के एवज में लाभार्थियों से शेष शामिल है (वसूलनीय 267.50 करोड़ रु. एवं देय 16.48 करोड़ रु.) (पूर्वावधि में 145.48 करोड़ रु. था जिसमें वसूलनीय 161.96 करोड़ रु. था और देय 16.48 करोड़ रु. था)

टिप्पणी :17

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			60.81		60.37
कुल योग			**60.81**		**60.37**

टिप्पणी : 18

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
पूर्व भुगतान व्यय			42.44		40.07
उपार्जित ब्याज			0.04		0.06
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.23		0.44
उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			1.53		2.28

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
उप योग			**44.24**		**42.85**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.49		0.18
खरीद के लिए			5.66		12.40
अन्य को			18.37		18.71
			24.52		**31.29**
घटाएं: विविध वसूलियों के प्रावधान			14.41		14.41
उप योग–अन्य अग्रिम			**10.11**		**16.88**
कुल योग			**54.35**		**59.73**

टिप्पणी : 19

विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
अथ शेष			186.22		87.81
वर्ष के दौरान निवल संचालन			(16.50)		98.41
अंत शेष			**169.72**		**186.22**

19.1 विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 125.08 करोड़ रूपये विनिमय दर परिवर्तन के कारण 42.21 करोड़ और कर तथा अन्य 2.43 करोड़ रूपये है

टिप्पणी :20

शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत 1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	40,000,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 1000/–रूपये प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

(वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 109.85 रुपये (पिछले वर्ष 34.37 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर अंतिम लाभांश के रूप में 402.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 305.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 190.84 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 135.27 रुपये (पिछले वर्ष 109.85 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 495.88 करोड़ रुपये है।) यह प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर होल्डरों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी 20.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	%	शेयरों की सं.	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
1. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
2. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी 20.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,65,48,817	3,654.88
जारी		0.00	0.00	110,000	11.00
समाप्ति पर		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

20.3 कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000ध–रूपये सम मूल्य के हैं। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी: 21

अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,189.50		5,845.53
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			79.50		39.00
अन्य व्यापक आय			(17.64)		(17.94)
कुलयोग			**6,251.36**		**5,866.59**

21.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय सं.जी.एस.आर 574(इ) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन के वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी: 22

गैर चालू–वित्तीय देयताएं–उधारियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*
क. बाँड्स			
***बॉड्स निर्गम श्रृंखला–I–प्रतिभूत** (7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक रूपये 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (प्रतिदान की तारीख 03.10.2026)		622.46	622.46
****बांड निर्गम श्रृंखला–II–प्रतिभूत** (8.75 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 05.09.2029		1,574.08	1,574.59
*****बांड निर्गम श्रृंखला–III–प्रतिभूत** (7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 23.07.2030		839.55	0.00
^बांड निर्गम श्रृंखला–IV–प्रतिभूत (7.45 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तिनीय 10 वर्षीय बांड) प्रतिदान की तारीखः 20.01.2031		760.87	0.00
कुल योग (क)		**3,796.96**	**2,197.05**
ख. प्रतिभूत			
******पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)		230.27	322.30
#पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–783020002 (केएचईपी के लिए)। (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)		89.53	208.85
#(रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए) (यूए–जीई–पीएसयू–033–2010–3754) 30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)		87.62	157.71

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
****(रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) 330001 (टिहरी– एचपीपी के लिए) (सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			95.21		190.41
@पंजाब नेशनल बैंक (पी एस पी के लिए) @पंजाब नेशनल बैंक (30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षो में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/एम सी एल आर प्रतिवर्ष 6.90%			422.66		599.23
कुल योग (ख)			**925.29**		**1,478.50**
ग. अप्रतिभूत **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)** **$विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)** (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/ एलआईबीओआर + भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में 0.95 प्रतिशत			985.06		986.99
कुल योग (ग)			**985.06**		**986.99**
घ. पट्टा दायित्व अप्रतिभूत			13.60		15.88
कुल (क+ख+ग+घ)			**5,720.91**		**4,678.42**
घटाएं: **वर्तमान परिपक्वताएं:**					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण – प्रतिभूत			483.28		547.53
विदेशी मुद्रा ऋण – अप्रतिभूत			50.23		47.62
पट्टा दायित्व – अप्रतिभूत			4.13		5.62
प्रोद्भूत किंतु उधारियों पर अदेय ब्याज			159.58		120.69
कुल योग			**5,023.69**		**3,956.96**

*टिहरी एचपीपी चरण की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला -I प्रतिभूत हैं।

**टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–II प्रतिभूत हैं ।

***कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–III प्रतिभूत हैं ।

^सीडब्ल्यूआईपी की चल परिसंपत्तियों और टिहरी स्थित पम्प स्टोरेज संयंत्र की भावी चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–IV प्रतिभूत हैं ।

****टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

#कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण

@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्ताक्षरित प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।

$संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित

22.1 इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणीः 23

गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
देनदारियां					
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		31.26		27.57	
घटाएंः उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		3.15	28.11	2.19	25.38
कुल योग			**28.11**		**25.38**

टिप्पणीः 24

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
मूल्य ह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व			197.51		205.11
सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			595.87		614.67
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			3.15		2.19
कुल योग			**796.53**		**821.97**

टिप्पणीः 25

गैर चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*			*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*
			वृद्धि	*समायोजन*	*उपयोग*	
1. कर्मचारियों से संबंधित		184.20	5.47	(1.05)	(4.91)	183.71
2. अन्य		6.66	0.00	0.00	0.00	6.66
कुल योग		**190.86**	**5.47**	**(1.05)**	**(4.91)**	**190.37**
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		**220.25**	**43.24**	**(37.91)**	**(34.73)**	**190.85**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.18 में कर दिया गया हैं ।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 26

चालू–वित्तीय देनदारियां–उधार

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक					
क. प्रतिभूत ऋण					
*भारतीय स्टेट बैंक (90 दिन के साथ संयुक्त फ्लोटिंग ब्याज दर, बिल दर वर्तमान में 6% की दर से 90 करोड़ रु. एवं 4.5% की दर से 160 करोड़ रु.)			250.00		160.00
#पंजाब नेशनल बैंक 06 माह एमसीएलआर के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर			0.00		235.00
*****बैकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)***					
पंजाब नेशनल बैंक (03 माह एमसीएलआर वर्तमान में 6.90% की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर)			0.00		720.06
कुल योग (क)			**250.00**		**1,115.06**
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
एक्सिस बैंक लिमिटेड (रेपो रेट +1% के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 5%)			100.00		0.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (रेपो रेट . प्रसार के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 4.45%)			350.00		0.00
कुल योग (ख)			**450.00**		**0.00**
कुल			**700.00**		**1,115.06**

*भारतीय स्टेट बैंक से अल्पकालिक ऋण कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्य के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
#पंजाब नेशनल बैंक में अल्पकालिक ऋण टिहरी चरण–I और कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्ति ब्लाक के द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत किया जाता है।
**परियोजना स्थल पर मशीनरी, स्पेयर्स, औजार और अनुषंगियों ईधन, स्टाक, स्पेयर्स एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I और कोटेश्वर (एचईपी) की कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लाक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्रतिभूत किया जाता है।

टिप्पणीः 27

अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत (भारतीय मुद्रा में ऋण)			483.28		547.53
कुल (क)			**483.28**		**547.53**
ख. अप्रतिभूत			50.23		47.62
कुल (ख)			**50.23**		**47.62**
ग. पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता– अप्रतिभूत			4.13		5.62
कुल (क+ख+ग)			**537.64**		**600.77**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0.14		0.05	
अन्य के लिए		142.94	143.08	100.99	101.04
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		160.44		68.22	
घटाएंः उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	160.44	0.00	68.22
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
बांडधारक और वित्तीय संस्थाएं		160.62		121.51	
अन्य देनदारियां		0.00	160.62	0.00	121.51
कुल			**464.14**		**290.77**
कुल देनदारियां			**1,001.78**		**891.54**

*प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–22 में दिए गए हैं।

टिप्पणी: 28

अन्य चालू देयताएं

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के प्रति लिए गए अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			116.64		67.86
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		845.31		826.51	
घटाएं:					
मूल्यह्रास के लिए समायोजन		826.51	18.80	807.71	18.80
कुल योग			**143.04**		**94.26**

टिप्पणी: 29

चालू प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
1. कार्य		18.32	16.24	(1.13)	(13.92)	19.51
2. कर्मचारियों से संबंधित		244.54	137.12	(5.19)	(74.32)	302.15
3. अन्य		16.62	6.21	(0.8)	(2.04)	19.99
कुल		**279.48**	**159.57**	**(7.12)**	**(90.28)**	**341.65**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**297.5**	**96.2**	**(11.16)**	**(103.07)**	**279.47**

29.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 42.18 में कर दिया गया है।
29.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय एवं कार्यों के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी: 30

चालू कर देताएं (निवल)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
आय कर					
प्रारंभिक शेष			0.00		44.94
अवधि के दौरान वृद्धि			243.05		172.55
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(243.05)		(217.49)
अंत शेष			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 31

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार*		*31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार*	
प्रारंभिक शेष			618.63		569.97
वर्ष के दौरान निवल संचलन			(68.40)		48.66
अंत शेष			**550.23**		**618.63**
31 क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है					

टिप्पणी : 31.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	34				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		144.13		147.20	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		9.81		9.95	
पेंशन निधि		8.53		13.41	
उपदान		4.25		5.99	
कल्याण		3.51		4.10	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.67	170.90	0.02	180.67
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		0.13		0.15	

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		0.94	1.07	1.01	1.16
दर एवं कर			0.00		1.30
विद्युत एवं ईंधन			7.78		9.27
बीमा			0.11		0.28
संचार			0.73		0.97
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		0.04		0.02	
स्टोर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की खपत		0.00		0.00	
भवन		1.06		3.97	
अन्य		2.58	3.68	1.81	5.80
यात्रा एवं वाहन			0.63		1.60
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			4.91		4.64
सुरक्षा			11.5		1.98
प्रचार तथा जनसंपर्क			0.70		0.19
अन्य सामान्य व्यय			9.15		35.06
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.01		0.02
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			7.70		2.82
कंसल्टेंसी परियोजना / संविदा पर व्यय			14.68		0.00
ब्याज अन्य			3.15		1.56
मूल्यह्रास	2		24.00		18.89
कुल व्यय (क)			**260.70**		**266.21**
प्राप्तियां					
अन्य आय	33				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.04		0.11	
कर्मचारियों से		0.62		0.61	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिमः प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		0.67		0.02	
अन्य से		0.15	1.48	0.00	0.74
मशीन किराया प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			0.97		0.75
विविध प्राप्तियां			3.48		3.35
प्रावधान की गई अधिकार राशि को हटाना			0.00		0.01
उचित मूल्यलाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			2.84		1.28
कुल प्राप्तियां (ख)			**8.83**		**6.14**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**251.87**		**260.07**

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
करधान के लिए प्रावधान	38				
करधान सहित निवल व्यय			**251.87**		**260.07**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		**0.05**		**(2.32)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			41.99		28.56
कुल ईडीसी			**293.81**		**290.95**
घटाएं :					
ईडीसी को सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति आबंटित		218.57		241.84	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		0.00	218.57	7.12	248.96
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**75.24**		**41.99**

टिप्पणी: 32

सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		1,770.33		2,074.79	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत बिक्री के लाभार्थियों से आय		0.00		28.51	
जोड़ें					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		0.00	
घटाएं :					
ग्राहकों को छूट		3.61	1,774.32	3.79	2,099.51
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			21.35		23.44
परामर्श से आय			0.34		0.15
कुलयोग			**1,796.01**		**2,123.10**

32.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

32.2 टिहरी चरण–1 परियोजना के 12 वर्ष के वाणिज्यिक प्रचालन के पूरा होने के कारण, एडीडी ने पूर्व की आस्थिगत आय को अनुमति दी है और माना गया है और परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात् 28 वर्ष के यथानुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

टिप्पणी: 33

अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा राशि पर (इसमें टीडीएस 160808.00 रूपये शामिल हैं, पिछले वर्ष 255932.00 रूपये)		0.32		2.89	
कर्मचारियों से कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		2.05		2.23	
कर्मचारियों से कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		4.93		1.77	
अन्य		0.38	7.68	0.09	6.98
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			0.06		0.01
किराया प्राप्तियां			1.73		1.45
विविध प्राप्तियां			7.18		5.59
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			34.38		45.38
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.01		0.30
देर से भुगतान पर अधिभार			660.94		225.68
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			3.05		3.01
कुल योग			**715.03**		**288.40**
घटाएं :					
लाभग्राहियो के साथ साझा की गई गैर–प्रशुल्क आय			0.20		0.00
ईडीसी को अंतरित	31.1		8.83		6.14
कुल			**706.00**		**282.26**

टिप्पणी: 34

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			471.62		430.87
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			29.25		30.20
पेंशन निधि			23.28		41.56
उपदान			17.97		19.68
कल्याण व्यय			12.63		16.90
आस्थगित कर्मचारी लागत की परिशोधन व्यय			4.93		1.76
कुल			**559.68**		**540.97**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	31.1		170.90		180.67
कुल योग			**388.78**		**360.30**

टिप्पणी: 35

वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
वित्त लागत					
बाँडों पर ब्याज			226.7		120.13
घरेलू ऋणों पर ब्याज			146.24		190.78
विदेशी ऋणों पर ब्याज			13.57		24.67
कैश क्रेडिट पर व्यय			36.02		45.60
एफईआरवी			(24.92)		71.17
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			2.67		1.95
ब्याज अन्य			4.61		4.53
कुल			**404.89**		**458.83**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			219.81		216.93
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			3.15		1.56
कुल योग			**181.93**		**240.34**

टिप्पणी: 36

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
किराया					
कार्यालय किराया		0.28		0.25	
कर्मचारी आवास किराया		2.21	2.49	2.54	2.79
दर एवं कर			3.00		3.11
विद्युत एवं ईंधन			16.95		19.99
बीमा			29.11		21.22
संचार			3.85		3.12
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		43.98		33.48	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		4.07		7.01	
भवन		18.41		16.30	

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
अन्य		20.74	87.20	20.70	77.49
यात्रा एवं वाहन			1.96		6.36
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			8.09		11.85
सुरक्षा			54.82		53.26
प्रचार तथा जनसंपर्क			1.66		1.32
अन्य सामान्य व्यय			33.48		67.26
लेखापरीक्षकों को भुगतान			0.28		0.28
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.26		0.08
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			7.70		9.95
अनुसंधान और विकास			4.52		4.80
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			14.62		0.06
बट्टे खाते में प्राथमिक व्यय			0.40		0.00
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			23.01		21.48
कुल			**293.40**		**304.42**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	31.1		62.65		65.09
कुल योग			**230.75**		**239.33**

टिप्पणी: 37

प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
संदिग्ध, ऋणों, सीडब्लूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान			0.25		0.00
कुल			**0.25**		**0.00**
घटाएं :					
ई डी सी को अंतरित	31.1		0.00		0.00
कुल योग			**0.25**		**0.00**
37.1 भंडारों का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।					

टिप्पणी: 38

कराधान के लिए प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
आयकर					
चालू वर्ष			229.60		163.12
उप–योग			**229.60**		**163.12**
कुल योग			**229.60**		**163.12**

टिप्पणी: 39

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			51.90		49.75
विनियामक अस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(9.07)		(8.69)
कुल योग			**42.83**		**41.06**

टिप्पणी: 40

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	*टिप्पणी संख्या*	*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*		*31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			0.28		(14.79)
उप–योग			0.28		(14.79)
घटाएं :					
ई डी सी को अंतरित	31.1		0.05		(2.32)
कुल योग			**0.23**		**(12.47)**

41.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय लिखतों के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालम गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्शिविक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम: यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम: यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल: कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।

3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।

4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्‌त होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।

5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।

7. रिपोर्ट की जाने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

41.2 वित्तीय आस्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि ईसीएल मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियां जो ऋण विलेख है और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कालांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है।

41.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

41.4 कोविड–19 जोखिम

कोविड–19 के कारण लाकडाउन अवधि के दौरान कंपनी की प्रचालन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि कार्यबल की कमी हो गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामग्री, उपस्कर आदि के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार काम के घंटे

घटाने तथा कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के कारण उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा।

टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माण परियोजनाएं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), वीपीएचईपी (440 मेगावाट), खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) और सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगाड (50 मेगावाट) से संबंधित कार्य पूरी तरह से लाकडाउन लगाए जाने की अवधि के दौरान ठप्प हो गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार, सभी अनुशंसित सुरक्षा उपाय अपनाकर 20 अप्रैल, 2020 से कार्य आंशिक रूप से शुरु किया गया क्योंकि परिवहन में कठिनाई के कारण कार्यबल और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीमित हो गई थी। इससे कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे परियोजनाओं पर लगभग 6 माह का विलंब हो सकता है।

प्रचलनात्मक परियोजनाओं के संबंध में लाकडाउन के दौरान उत्पादन, नियोजित उत्पादन से कम था क्योंकि मांग कम हो गई थी। परंतु वर्ष 2020–21 के लिए नियोजित उत्पादन बढ़ा दिया गया है और उत्तरवर्ती महीनों में आरंभिक उत्पादन हानि की भरपाई कर ली जाएगी।

माननीय सीईआरसी ने 2019 प्रशुल्क विनियमन के विनियम 59 के प्रावधानों को शिथिल कर दिया है। उपरोक्त शिथिलीकरण के अनुसार दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 के बीच बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद वितरण कंपनियों द्वारा देर से भुगतान किए जाने के लिए संबंधित वितरण कंपनियां 1.5 की बजाय प्रति माह 1 प्रतिशत कम की गई दर पर एलपीएस सहित भुगतान करेगी। इससे निलंबित भुगतानों के कारण कंपनी का राजस्व प्रभावित होगा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 15.05.2020 के पत्र और दिनांक 16.05.2020 के शुद्धि पत्र द्वारा सलाह दी है कि केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादक कंपनियां डिस्कामों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के लिए लाकडाउन अवधि में प्रस्तुत बिजली के बिलों (नियत लागत) के लिए वितरण कंपनियों (डिस्काम) को 20 से 25 प्रतिशत तक छूट दे सकती है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल डिस्कामों को लगभग 35.65 करोड़ रूपये की छूट की अनुमति दी है और इसे अपवादात्मक मदों के रूप में दर्ज किया गया है।

42. *लेखा संबंधी अन्य व्याख्यातमक टिप्पणियां:*

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 6297.31 करोड़ रूपये (गत वर्ष 6805.51 करोड़ रूपये) है।

2. *आकस्मिक देयताएं*

राशि करोड़ रूपये में

क्र. सं.	विवरण	तारीख को	
		31.03.2021	31.03.2020
क	पूंजीगत कार्य	860.93	504.72
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	65.03	64.58
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1106.88	713.48
घ	अन्य	2789.17	2820.11
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य
च	विवादित कर संबंधी मामले	8.90	8.23
छ	***कुल***	**4830.91**	**4111.12**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	460.77	455.50

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं । कंपनी ने 1.72 करोड़ रुपये एवं 3.63 करोड़ रूपये (गत वर्ष 1.41 करोड़ रूपये तथा 3.32 करोड़ रुपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 27 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 191.54 करोड़ रुपये (गत वर्ष 95.79 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों के अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.16 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.46 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद टिप्पणी सं. 35 के अनुसार वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये (गत वर्ष 216.93 करोड़ रूपये और 1.56 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 16.50 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 45.91 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत 3139.70 हेक्टेयर (गत वर्ष 3139.70 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2143.98 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 995.72 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है। 995.72 हेक्टेयर भूमि में से, 583.94 हेक्टेयर भूमि को नियत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्शाया गया है जिसका सकल और निवल मूल्य क्रमशः 311.99 करोड़ रूपये और 298.66 करोड़ रूपये है और शेष 411.78 हेक्टेयर भूमि निमज्जनाधीन है और इस भूमि का मूल्य औसत आधार 38.53 करोड़ रूपये माना गया है।

(ii) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफसी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/

प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। लेन–देन को अंतिम रूप और पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है। 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 21 फ्लैट (गत वर्ष 24 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.05 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्मीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेसर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 151.205 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 548 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2019 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड

ने मैमर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

iii) वर्ष 2020–21 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने 31.12.2020 को कासरगौड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की है, परियोजना के प्रचालन से प्रशुल्क याचिका राजस्व को अंतिम रूप दिया जाने के लंबित होने को, राज्य डिस्कॉम के साथ परस्पर सहमति से 3.10 रूपये की अनंतिम दर पर दर्ज किया गया है। तथापि, प्रति यूनिट के लिए 3.10 रूपये की दर निर्धारित करते हुए दिनांक 17.03.2021 के अंतिम प्रशुल्क आदेश को केएसईआरसी द्वारा 05.05.2021 को जारी किया गया।

(iv) कंपनी को भारत सरकार की ओर से इक्विटी निषेचन के रूप में 26.03.2020 को 14.00 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। मैसर्स एनटीपीसी के नामिती के शेयरों सहित भारत सरकार द्वारा रणनीतिक बिक्री को ध्यान में रखते हुए और परिणामस्वरूप दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की 2730.94 करोड़ रूपये की इक्विटी, जो 74.496% का प्रतिनिधित्व करती है, के एनटीपीसी को अंतरण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार से प्राप्त की गई इस राशि को वित्त वर्ष 2020–21 को भारत सरकार को वापिस कर दिया गया।

8. इंड एएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	*प्रचालन का प्रमुख स्थान*
एमटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	*नाम*	*धारित पद*	*अवधि*
क.	***पूर्णकालिक निदेशक***		
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021 तक
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (कार्मिक)	पद पर बने हुए है
3	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	पद पर बने हुए है
4	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	पद पर बने हुए है
ख.	***नामिती निदेशक***		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर–कार्यकारी निदेशक	26.08.2020 से
2	श्री ए. के. गौतम	गैर–कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से
3	श्री टी. वेंकटेश	गैर–कार्यकारी निदेशक	14.05.2018 से
4	श्री राजपाल	गैर–कार्यकारी निदेशक	30.04.2021 तक

ग.	मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	पद पर बने हुए है
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	पद पर बनी हुई हैं
	सहायक कंपनी–टस्को लिमिटेड		
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12.09.2020 से 30.04.2021 तक
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (कार्मिक)	01.05.2021 से
3	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	12.09.2021 से
4	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	12.09.2021 से
5	श्री भवानी सिंह	गैर–कार्यकारी निदेशक	12.09.2020 से
6	श्री शैलेन्द्र सिंह	सीईओ	08.10.2020 से
7	श्री के. के. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	08.10.2020 से
8	श्री एच. बाजपेई	कंपनी सचिव	08.10.2020 से

*दिनांक 01.05.2021 से अतिरिक्त प्रभार

(iii) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा–टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संवद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर)– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 23.01 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2019 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार हैः

(i) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
एनटीपीसी लि.	परामर्शी सेवा	27.35	13.71
बीएचईएल	उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	163.65	80.99
आईओसीएल	ईधन की खरीद	1.67	2.32
बीपीसीएल	ईधन की खरीद	0.94	0.58
पीजीसीआईएल	पावर लाइन डायवर्जन	53.79	0.32
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	6.64	1.63
यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एमटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	0.50	0.52
आरआईटीईएस	कंसल्टेंसी सेवाएं	4.27	0.13
एनटीपीसी	लाभांश का भुगतान	527.25	
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंसल्टेंसी	1.09	0
अन्य	विविध	1.08	0.77
एनटीपीसी लि.	कंसल्टेंसी सर्विस –टस्को के लिए डीपीआर	1.12	

(ii) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार हैः

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क	***वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि***		
	एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) से	शून्य	शून्य
ख	***ऋण और अग्रिमों को छोड़कर वसूलनीय राशि***		
	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.11	0.14
ग	***वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए देय राशि***		
	टस्को द्वारा एनटीपीसी को	0.11	

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्तिः स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 4.63 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4.29 करोड़ रूपये) है।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.02.2020 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	4.05	3.71
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.49	0.58
	टस्को	0.09	–
3	सेवांत लाभ	0.00	0.00
4	शेयर आधारित भुगतान	0.00	0.00
	कुल	4.63	4.29

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

9. इंड एएस–110 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष 2020–21 के दौरान, मैसर्स टस्को लिमिटेड को 12.9.20202 को यूपीएनईडीए के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में प्रमोट किया गया है, जिसमें 74:26 के इक्विटी अनुपात में 74% इक्विटी टीएचडीसी और 26% इक्विटी यूपीएनईडीए द्वारा धारित की गई है। इंड एएस 110 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में, टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों का पालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और लेखाओं के लिए टिप्पणियां शामिल हैं।

10. इंड एएस 112 'अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण' के अनुसार प्रकटीकरण

(क) मैसर्स टस्को लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी है, जिसे यूपीएनईडीए के साथ 74:26 (कंपनी:यूपीएनईडीए) के इक्विटी अनुपात में प्रमोट किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश भी इसके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

(ख) गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई)

सहायक कंपनी के लिए वित्तीय सूचना, जिसमें गैर–नियंत्रणीय हित शामिल है, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। मैसर्स टस्को लिमिटेड के लिए प्रकट की गई राशि अंतर–कंपनी निर्मूलन से पहले है।

संक्षिप्त तुलन पत्र

विवरण	टस्को लिमिटेड 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
चालू परिसंपत्तियां	7.24
चालू देयताएं	4.26
निवल चालू परिसंपत्तियां / (देयताएं)	2.99
गैर–चालू परिसंपत्तियां	7.03
गैर–चालू देयताएं	0.28
निवल परिसंपत्तियां	9.74
संचयी एनसीआई	2.53

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	टस्को लिमिटेड 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
कुल आय	0.08
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(0.26)
अन्य विस्तृत आय / (व्यय)	-
एनसीआई को आबंटित लाभ / (हानि)	(0.07)
एनसीआई को संदत्त लाभांश	-

नकदी प्रवाह की समाप्त अवधि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	टस्को लिमिटेड 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	3.82
निवेश गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(6.95)
वित्तपोषण गतिवधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	10.34
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	7.22

(ग) महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे

जब तक यूपीएनईडीए के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

(घ) सहायक कंपनी में मूल कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन–

(करोड़ रूपये में)

विवरण	स्वामित्व हित		माइनोरिटी हित		कुल	
	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार						
अवधि के दौरान इक्विटी निवेश	7.40	0.00	2.60	0.00	10.00	
अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शेयर	(0.19)		(0.07)		(0.26)	
स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव						
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	7.21	0.00	2.53	0.00	9.74	

11) इंडएएस 33 'प्रति शेयर आय (ईपीएस)' के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

	2020-21	2019-20
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रूपये)	1049.38	879.19
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	1092.22	920.25
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है	बेसिक : 36658817 तनुकृत : 36658817	बेसिक : 36631822.46 तनुकृत : 36642751.43

	2020-21	2019-20
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल नहीं है। ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 286.26 286.26	 240.01 239.94
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 297.94 297.94	 251.22 251.14
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	₹ 1000	₹ 1000

12. ***(क) आय कर व्यय***

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	238.66	171.81
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन	0.00	0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	(9.06)	(8.69)
कुल चालू का व्यय (ख)	229.60	163.12

(ख) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2021 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 580.97 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2020 – 712.91 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 'आयकर' के अनुसरण में 68.32 करोड़ रूपये की आस्थगित कर देयता (पिछले वर्ष 48.66 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

13. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

14) (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्र. सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	करोड़ रूपयों में
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	3.70
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	0.00
	(i) शिक्षा विकास	5.42
	(ii) ग्रामीण विकास (विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित)	3.14
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.19
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	0.11
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	0.41
6.	वायु सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	0.05
7.	खेलकूद का संवर्धन	0.02
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	7.40
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण	0.00
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.58
11.	आपदाएं	1.54
12.	एसटीपीपी खुर्जा परियोजना संबंधी व्यय	0.02
	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.54
	कुलयोग	***23.10***

"टीएचडीसीआईएल के 23.01 करोड़ रूपये के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय 0.09 करोड़ रूपये से 'सेवा' द्वारा किया गया व्यय।

ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में 23.01 करोड़ रूपये (गत वर्ष 21.48 करोड़ रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

ग) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय (पूँजी या राजस्व) का ब्यौराः

क्र.स.		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुलयोग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए	23.01	0.00	23.01

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटनः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 4.52 करोड़ रूपये (पूँजी– 4.52 करोड़ रूपये) (गत वर्ष 6.12 करोड़ रूपये) (पूँजी–1.32 करोड़ रूपये, राजस्व 4.80 करोड़ रूपये)) व्यय किए हैं।

15) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम), के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि करोड़ रूपये में)

	2020-21	2019-20
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	0.56	0.71
ii) उस पर ब्याज	0.00	0.00
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	0.00	0.00
ग. देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	0.00	0.00
घ. प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	0.00	0.00
ङ. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	0.00	0.00

16. एएस 116–'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित करती है जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया

जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**15.88**	**0.00**
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	**2.10**	**43.14**
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	**1.56**	**1.51**
–पट्टा देयताओं का भुगतान	**5.94**	**28.78**
–अंत शेष	**13.60**	**15.88**
–चालू	**4.26**	**5.62**
–गैर–चालू	**9.34**	**10.26**

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि करोड़ रूपये में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
3 माह या कम	**1.15**	**1.70**
3–12 माह	**3.48**	**5.06**
1–2 वर्ष	**5.36**	**6.02**
2–5 वर्ष	**2.17**	**2.13**
5 वर्ष से अधिक	**7.22**	**7.89**
पट्टा देयताएं	**19.38**	**22.80**

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है:

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	**17.24**	8.82
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	**1.56**	1.52
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	**2.44**	2.79

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है:

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	*31 मार्च, 2021 को*	*31 मार्च, 2020 को*
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	**5.94**	28.78
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	**2.44**	2.79

17. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना:

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन शून्य रूपये (गत वर्ष –3.73 करोड़ रूपये) के आधार पर चूँकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान मूल्य से ***0.21 करोड़*** रूपये (गत वर्ष में –***3.73*** करोड़ रूपये क्योंकि दायित्वों का वर्तमान मूल्य परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से ***3.73 करोड़*** रूपये अधिक है) अधिक है, इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी):

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) – नवीन

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके

लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) को बही में दर्ज किया गया है क्योंकि दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 4.29 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 5.83 करोड़ रूपये) अधिक है।

(v) अन्य (असबाब/एलएसए/एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2021 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान एवं जोखिम प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31.03.21	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	6.75%	6.75%	7.75%	7.60%	7.50%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	6.5%	8.00%	8.00%	8.00%

जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोजर) का ब्यौराः मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(रूपए करोड़ में)
(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	191.01 {178.93}	56.07 {43.04}	109.06 {98.83}	79.85 {70.02}	12.63 {12.43}
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
पिछली सेवा की लागत					1.18
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
लाभ का भुगतान	(17.94) {(16.35)}	(13.31) {(14.69)}	(4.11) {(2.78)}	(3.42) {(2.85)}	(1.33) {(1.51)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के अंत में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}

सारणी –3

तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (सीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नही	लागू नही	लागू नही	83.01 (74.02)	लागू नही
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	83.01 (74.02	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/ प्रावधान	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	4.29 {5.83}	14.29 {12.63}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	*उपदान*	*अर्जित अवकाश (ईएल)*	*अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)*	*सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)*	*असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस (पीआरएमबी)*
वर्तमान सेवा लागत	5.08 {5.81}	13.38 {12.78}	4.69 {4.51}	2.56 {2.36}	1.15 {1.18}
सेवा उपरांत लागत					118.44
ब्याज लागत	12.89 {13.87}	3.78 {3.33}	7.36 {7.66}	5.39 {5.43}	0.85 {0.96}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05) {8.74}	6.26 {11.60}	(0.88) {0.83}	2.93 {4.88}	(0.20) {0.44}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	17.97 {19.68}	23.42 {27.71}	11.18 {13.00}	2.95 {3.07}	3.19 {2.14}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(रू. करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	*उपदान*		*अर्जित अवकाश (ईएल)*		*अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)*		*पीआरएमवी*		*अन्य*	
	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(5.09)	(5.42)	(2.09)	(1.82)	(3.20)	(3.23)	(10.17)	(9.30)	(0.38)	(0.35)
0.50% की घटोत्तरी	5.36	5.72	2.23	1.93	3.37	3.40	10.34	9.46	0.39	0.36
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.24	1.46	2.22	1.93	3.36	3.40	लागू नहीं	लागू नहीं	0.18	1.80
0.50% की घटोत्तरी	(1.34)	(1.56)	(2.10)	(1.83)	(3.22)	(3.32)	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.17)	(1.70)
चिकित्सा लागत/समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	10.37	9.49	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की घटोत्तरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(10.21)	(9.33)	लागू नहीं	लागू नहीं

अन्य प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

उपदान	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	189.99	191.01	178.93	174.87	170.03
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)	(1.37)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	17.97	19.68	19.35	19.59	30.76

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	66.18	56.07	43.04	27.72	53.98
बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.26	11.60	11.38	4.52	16.68
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	23.42	27.71	25.85	10.03	22.63

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	116.13	109.06	98.83	88.81	123.88
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.88)	0.83	1.78	(46.16)	8.61
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	11.18	13.00	12.79	(32.84)	22.34

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.30	79.85	70.02	62.70	56.39
अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.34	2.76	3.85	1.22	6.43
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.95	3.07	6.94	6.44	5.25

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.29	12.63	12.43	8.92	8.62
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.20	0.43	(0.29)	(0.28)	0.38
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.19	2.14	5.16	1.38	1.12

18. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधक वर्ग की राय के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(रू. करोड़ में)

		2020-21	2019-20
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.17	0.13*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.02
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.06	0.10
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	0.03

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पिछले वर्ष से संबंधित 0.02 करोड़ रूपये (0.02 करोड़ रूपये) शामिल हैं।
वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

20. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार हैः

(रू. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2021	31.03.2020
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	232.30	25.19
जोड़ें रू लियन के तहत बैंक शेष	13	0.00	0.58
घटायें : एसटीएल सहित ओवर ड्राफ्ट शेष	26	700.00	1115.05
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		467.70	-1089.28

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(रू. करोड़ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2020–21	प्रारंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88		3665.88		
अनियंत्रित ब्याज		2.53	2.53	2.53	नि. पूंजी–2.60 करोड रूपये अन्य इक्विटी में शेयर – 0.07 करोड़ रूपये
दीर्घकालिक उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	4557.74		5560.99	1003.25	आहरित ऋण बांड–1550.00 करोड़ रूपये विश्व बैंक–77.00 करोड़ रूपये चुकौती– घरेलू–547.53 करोड़ रूपये विश्व–48.67 करोड़ रूपये विनिमय दर–24.92 करोड़ रूपये (एफएवी) निवल परिवर्तन–1005.87 करोड़ रूपये पट्टा–2.63 करोड़ रूपये (निवल कमी)
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें–सीडब्ल्यूआईपी		404.86 (222.93)		(181.93)	लाभ और हानि में प्रभारित
विलंबित भुगतान अधिभार		660.94		660.94	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश		(707.75)		(707.75)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				777.39	

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

समूह में शामिल संस्था का नाम	*निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति माइनस कुल देयताएं*		*समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा*		*समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा*		*समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा*	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	*रू. करोड़ में*	*समेकित लाभ या हानि के % के रूप में*	*रू. करोड़ में*	*समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में*	*रू. करोड़ में*	*समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में*	*रू. करोड़ में*
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड								
31 मार्च, 2021	99.97%	9917.24	100.01%	1092.22	100%	0.31	100.01%	1092.53
31 मार्च, 2020	100%	9532.47	100%	920.25	100%	-16.83	100%	903.43
सहायक कंपनी								
टस्को लिमिटेड								
31 मार्च, 2021	0.026%	2.53	-0.01%	-0.07		0		-0.07
31 मार्च, 2020	100%	0	0	0		0		0
कुल								
31 मार्च, 2021	100%	9919.77	100%	1092.15	100%	0.31	100%	1092.46
31 मार्च, 2020	100%	9532.47	100%	920.25	100%	-16.83	100%	903.43

22. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

23. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम, 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण फॉर्म एएओसी–I में संलग्न है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	***(जे. बेहेरा)***	***(विजय गोयल)***
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

फॉर्म एओसी–1

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम, 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग "क": सहायक कंपनियां रू. करोड़ में

1.	सहायक कंपनी का नाम	टस्को लिमिटेड
2.	सहायक कंपनी के अधिग्रहण करने की तारीख	12.09.2020*
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2020 – 31.03.2021) के समान
4.	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	10.00
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	–0.260
7.	कुल परिसंपत्तियां	14.27
8.	कुल देयताएं	4.53
9.	निवेश	0.00
10.	टर्नओवर / अन्य आय	–0.35
11.	कराधान पूर्व लाभ	–0.35
12.	कराधान के लिए प्रावधान	0.09
13.	कराधान पश्चात् लाभ	–0.26
14.	प्रस्तावित लाभांश	0.00
15.	शेयरधारिता का %	0.74

(*निगमन की तारीख)

भाग "ख" : एसोसिएट और संयुक्त उद्यम

– कोई नहीं–

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

(विजय गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08073656

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी
(अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 400460

दिनांक : 10.06.2021
स्थान : लखनऊ

स्वंतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ इसमें इसके बाद "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (जिन्हें इसमें इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, समूह के कार्यो की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), इसके समेकित निवल लाभ (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय निष्पादन) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, समूह से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। नीचे दिए गए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटक के अन्य लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं दिया गया है:–

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान
1.	***ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन*** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं । सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन क्रिया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 32 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं:– • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।
2	***आकस्मिक देयताएँ*** कंपनी के विरूद्व अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है।	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में धारक कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं:– • लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। • प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान
	(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.2 देखें)	• विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। • प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। • जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। • प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए धारक कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 995.72 हेक्टेयर भूमि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5(i) का टीएचडीसीआईएल द्वारा उपयोग परियोजना कार्यो के लिए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 का पैरा 5 (ii) 44.426 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि के संबंध मे है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है, 49.03 करोड़ रूपये की राशि की इस भूमि को मौजूदा सर्किल रेट पर पट्टा भूमि के तहत अनंतिम रूप से पूंजीकृत किया गया है और उत्तरव्यापी प्रभाव अर्थात् वित्त वर्ष 2020–21 से परियोजना के लिए लाभकारी शेष पर परिशोधित किया जा रहा है। तुलन पत्र की टिप्पणी संख्या 28 में 49.03 करोड़ रूपये की राशि की देयता को निर्धारित किया गया है।

(ग) कंपनी के कार्यनिष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.4। इसके अलावा, कंपनी ने डिस्कॉमों को 35.65 करोड़ रूपये की एक विशेष रियायत दी है जिसे अपवादात्मक मद के रूप में माना गया है।

(घ) चालू परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए शेषों सहित व्यापार / अन्य प्राप्य राशियों और ऋण एवं अग्रिम आदि के खाते में शेषों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.18 (क)। ऋण एवं अग्रिम और चालू देयताएं पुष्टि और समाधान के अध्यधीन हैं। वित्तीय विवरणों में पुष्टि और समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकने वाले समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित किए गए सहायक कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, 14.28 करोड़ रूपये की कुल परिसंपत्ति 0.08 करोड़ रूपये का कुल राजस्व और 7.22 करोड़ रूपये की राशि का निवल नकदी प्रवाह,जिस पर समेकित वित्तीय विवरणओं में विचार किया गया है, दर्शाया गया है, के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और जहां तक सहायक कंपनी का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में यथाउल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है।

इस मामले पर हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचना में समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की गई सूचना शामिल है, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की प्रक्रिया में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त के अनुसार सूचनाएं पढ़ते हैं यदि हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त कार्रवाई करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा समेकित सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में समूह में शामिल सभी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू

प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्रासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने

के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं । हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकं की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण समेकित वित्तीय विवरणों कौ तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता–बहियों के अनुरूप हैं

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया ***अनुलग्नक "क"*** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नही होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42.2 देखें।

ii. समूह का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.400460

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 10.06.2021
यूडीआईएनः 21400460एएबीएलएक्स7670

अनुलग्नक "क"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च,2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लि. (जिसे इसके बाद धारक कंपनी कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ जिसे इसके आगे समूह कहा गया है) के इसी तारीख को समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी हैं। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए समेकित वित्तीय लेखांकन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे समेकित वित्तीय लेखांकन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरित नियंत्रण में जोखिम अनुमान

के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है ।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया हमारा लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित सहायक कंपनी के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा 'अन्य मामले' संबंधी पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य, समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के सदंर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय लेखांकन का विश्वसनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्तिथियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

प्रबंधन वर्ग द्वारा कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों

की टिप्पणी 41.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसका उल्लेख स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट के मामले पर बल संबंधी पैराग्राफ में किया गया है।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभाकारिता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, जहां तक सहायक कंपनी का संबंध है, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर धारित है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सी.ए. अविचल एस.एन. कपूर)

साझेदार

एम नं.400460

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 10.06.2021

सत्यमेव जयते

गोपनीय

संख्या.:DGA (Energy)/Rep/01-55/THDC-CFS/2021-22/Vol. II /313

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (ENERGY)

DELHI

दिनांक/Dated: 13.08.2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड
ऋषिकेश

महोदय,

विषय:- **31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

मैं टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

डी.के. शेखर

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 10 जून, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लि. के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा तो की है परन्तु अनुलग्नक में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संस्था द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–

(डी.के.शेखर)

महालेखा परीक्षक, दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 13 अगस्त, 2021

अनुलग्नक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई थी।

क. सहायक कंपनी:

1. टस्को (टीयूएससीओ) लिमिटेड

भारत वर्ष 2020 से कोविड–19 संकट से लड़ रहा है। आपकी कंपनी के कार्यस्थल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष के दौरान कर्मचारी भी इस घातक वायरस से संक्रमित हुए थे। महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरा है।

आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, कर्मचारियों के आश्रितों के साथ–साथ संविदा कर्मचारियों के आश्रितों और आसपास के समुदाय के लिए टीकाकरण अभियान चलाया है। कंपनी की सभी इकाइयों में अब तक कुल 11 टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए हैं जिनमें 18–44 और 45+ आयु वर्ग में 6500+ खुराक दी गई है।

इसके अलावा, टिहरी स्थित औषधालय अप्रैल, 2021 से समुदाय के लिए टीकाकरण स्थल के रूप में कार्य कर रहा है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान और जागरूकता अभियान के कारण, अब तक लगभग 96% नियमित कर्मचारियों और 91% संविदा कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है।

कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय करने और टीकाकरण अभियान चलाने में एनईजीवीएसी (NEGVAC) के दिशानिर्देशों को अपनाने और लागू करने के अलावा, आपकी कंपनी ने कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित पहलें भी लागू की हैं:

1) *कोविड देखभाल केंद्र*

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए आइसोलेशन और विशिष्ट ऑक्सीजन बेड के लिए कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। इस मामले में टाउनशिप के बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। विभिन्न स्थानों और टाउनशिप में गेस्टहाउस, पूरी तरह से कोविड–19 मामलों के आईसोलेशन के लिए समर्पित थे। स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड देखभाल केंद्र में तैनात किया गया। टीएचडीसीआईएल ने प्रभावितों के बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।

2) *निवारक देखभाल और स्व–निगरानी मदों की प्रतिपूर्ति*

कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीमर, सैनिटाइजर, दस्ताने, बीपी मॉनिटर, स्टीमर, थर्मल स्कैनर और दस्ताने जैसे चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रतिपूर्ति की गई थी।

3) *आरटी–पीसीआर जांच और टीकाकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति*

कोविड–19 की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और सामान्य रूप से जनता के बार–बार आरटी–पीसीआर जांच और टीकाकरण के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को टीकाकरण और आरटी–पीसीआर परीक्षणों पर उनके द्वारा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है।

4) *भविष्य के लिए तैयार*

कोविड–19 की तीसरी लहर, जिसका वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया है, की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों और भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग और राज्य सरकारों के दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है।

टीएचडीसीआईएल ने जुलाई 2021 से टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसमें 45+ आयु वर्ग के लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है।

नोट

नोट

टीएचडीसीआईएल द्वारा कॉर्पोरेट बांड सीरीज–V जारी करने के दौरान
श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) के साथ कंपनी सचिव व अन्य अधिकारी

Sh. J. Behera, Director (Finance) THDCIL during issue of Secured Corporate Bonds Series-V along with Company Secretary and other officials

टिहरी पीएसपी

Tehri PSP

Khurja STPP

खुर्जा एसटीपीपी

वीपीएचईपी

VPHEP

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

THDC INDIA LIMITED

Schedule - A Mini Ratna PSU

CIN : U45203UR1988GOI009822

कारपोरेट कार्यालयः गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई-पास रोड, ऋषिकेश - 249201

Corporate Office : Ganga Bhawan, Pragatipuram, By-Pass Road, Rishikesh-249201

वेबसाइट / Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by Alaknanda Advertising Private Limited